खण्ड-409, अंक-5
मंगलवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(1 मार्च, 1994 ई0)

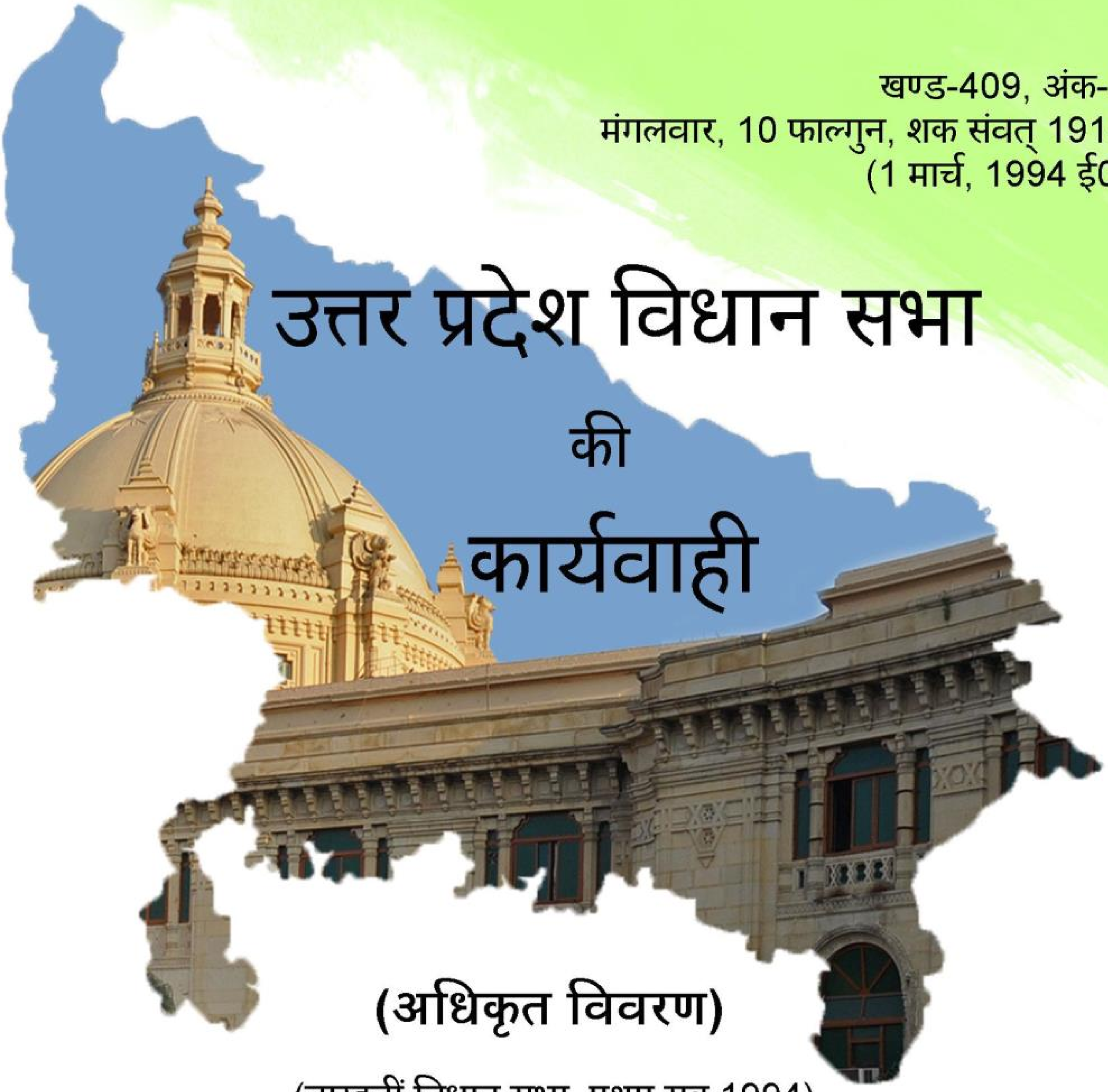

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–99
सदन में लगाये गये आरोप प्रत्यारोप के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	99–103
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	103
जनपद मथुरा के सादाबाद थानान्तर्गत ग्राम विसावर में अनुसूचित जाति की महिला को निर्वस्त्र घुमाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103–104
जनपद शाहजहांपुर की नहर रौजा रजवाहा व शाहाबाद रजवाहा में पानी न आने के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना ...	104
मुजफ्फरनगर जनपद के गाँव ढासरी में अल्प संख्यक समुदाय की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104–105
जनपद खीरी में चकबन्दी प्रक्रिया में राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं भू-माफियाओं द्वारा भू-चित्रों में तकनीकी हेराफेरी करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद सीतापुर में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105–106
बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में कई गांवों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद सुल्तानपुर के थाना जयसिंहपुर में पुलिस द्वारा छात्रों व नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	107
सत्र के दौरान परिवहन मंत्री द्वारा सदन के बाहर नगर बस सेवा के किराये में वृद्धि संबंधी नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	107–111

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन के बाहर नीतिगत घोषणा किये जाने तथा सदन को गुमराह करने के संबंध में परिवहन मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना	111
दिनांक 24 फरवरी, 1994 को सदन में प्रश्नोत्तर के दौरान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा गन्ना मिलों पर 15 दिन से अधिक बकाया न होने संबंधी भ्रामक उत्तर दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	112–113
मुख्य मंत्री द्वारा डाक्टरों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने संबंधी नीतिगत घोषणा सदन के बाहर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	113
विधायकों के प्रति शिष्टाचार की अवहेलना कर अधिकारियों द्वारा विधायिका की गरिमा गिराये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	113–124
श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी के साथ उ० प्र० सचिवालय स्थित स्टेट बैंक कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायत तथा उनके जान का खतरा उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	124–129
जनपद फैजाबाद में सवर्ण लोगों द्वारा अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आरक्षण का लाभ लेने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	129–131
जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा डी० आर० डी० ए० की उप समिति बनाये जाने तथा सत्र के दौरान उसकी बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	131–135
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 1992 (संख्या–1) (वाणिज्यक) (पटल पर रखा गया)	135
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 1991 (संख्या–2) (राजस्व प्राप्तियां) (पटल पर रखा गया)	135
दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सड़सठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1990-91 (पटल पर रखी गयी)	135
दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की अड़सठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1991-92 (पटल पर रखी गयी)	135

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के प्रथम सत्र, 1993 (दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 से 22 दिसम्बर, 1993) में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (पटल पर रखा गया)	135
प्रथम सत्र, 1993 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का उत्तर समय से न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	136–137
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित)	137
26 फरवरी, 1994 को लखनऊ में महिलाओं के सम्मेलन में समाज कल्याण मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गांधी जी के सम्बन्ध में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने विषयक सूचना	137–139
खुर्जा मे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयराम की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ...	139–145
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ...	145–148
खुर्जा में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयराम की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	148–155
उ० प्र० में असहायता प्राप्त माध्यमिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को विगत कई वर्षों से पचास से सौ रुपये पर शिक्षण कार्य की बाध्यता विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	155–163
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	163–167
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	167
अतिवृष्टि से प्रदेश के कई जनपदों में हुई व्यापक तबाही एवं पिथौरागढ़ में हुई जान माल की क्षति तथा क्षतिपूर्ति की मांग विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	168–170
सदन में कोरम के अभाव की सूचना	170
अतिवृष्टि से प्रदेश के कई जनपदों में हुई व्यापक तबाही एवं पिथौरागढ़ में हुई जान-माल की क्षति तथा क्षतिपूर्ति की मांग विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	170–174
नत्थियां	175–178

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखलाख, श्री	मेरठ
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
इरशाद, श्री	आजमगढ़
ओंकार यादव, श्री	एटा
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा	मुरादाबाद
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दया सिन्धु शंखधर, श्री	बदायूं
दीना नाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्री राम पाल, श्री	जालौन
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
स्वयम्बर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1994

(विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा पूर्व सैनिकों को प्राप्त आरक्षण

**1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए सम्प्रति बिकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा पूर्व सैनिकों को प्राप्त आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

कारागार, होम गार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान सदन के बाहर सार्वजनिक सभाओं में जो घोषणाएं की गई हैं, उनका संदर्भ देते हुए जानना चाहता हूं और इस संदर्भ में अध्यादेश जारी करने की भी घोषणा की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी और समाज कल्याण मंत्री जी ने भी कहा है कि जो आरक्षण में संशोधन होगा उसमें 21 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए और 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए होगा । तो यह सब मिलाकर कुल आरक्षण 50 फीसदी हो गया है । तो इन बातों से ऐसा आभास होता है कि सरकार ने विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा पूर्व सैनिकों को जो आरक्षण मिलता है उसे समाप्त करने का निश्चय किया है तो इस संदर्भ में शासन की क्या नीति है और सरकार की क्या नीति है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय गुप्त जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है और अपने सवाल में पूछा है तो मान्यवर, यह सत्य है कि अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी और जनजाति के लिए 2 फीसदी, पिछड़ी जाति के लिए 27 फीसदी की घोषणा हमारी सरकार की हैं । उसको आदरणीय सदन में प्रस्तुत भी किया जाएगा । जहां तक गुप्त जी की चिन्ता की बात है तो उनकी विद्वता पर हमें गर्व है । आरक्षण के संदर्भ में 30 दिसम्बर, 1993 को यह ऐक्ट आया और दोनों सदनों ने इस ऐक्ट को पास कर दिया और अब यह कानून बन गया । उस ऐक्ट में कहीं पर यह लक्षित नहीं होता है कि इन सभी का आरक्षण खत्म हो गया यह तो अभी भी लागू है ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की शंका है और वह इस बात से हुई है कि 21 फीसदी आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट, 2 फीसदी आरक्षण शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 27 फीसदी आरक्षण बैकवर्ड क्लास को मिलेगा। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 50 फीसदी से आरक्षण ज्यादा नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। तो वर्तमान समय में विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने से यह 50 फीसदी से ऊपर हो जाएगा। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होते हुए भी 50 फीसदी से अधिक बढ़ाने का विचार कर रही है और इस सदन में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव संशोधन लाने का विचार कर रही है कि 50 फीसदी की जो सीमा निर्धारित है उससे अधिक बढ़ा दिया जाएगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय सदस्य विद्वान हैं, हमारे साथी हैं, कानून भी जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के सब क्लाज (4) में प्राविजन है और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। माननीय उच्चतम न्यायालय की चर्चा यहां पर की गयी। श्रीमन्, जो केस हुआ है इन्दिरा साहनी वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कतई नहीं किया है। कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत जिनको प्रिविलेज मिलता है जिसमें सेडयूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं उसमें 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिये न की दूसरों के लिये। हमारे पास जजमेंट की पूरी कापी है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कतई नहीं कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। मेरे पास कापी है कहेंगे तो दे भी देंगे और समझा भी देंगे इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा, कुल मिलाकर 53 परसेंट आरक्षण हो गया है। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आरक्षण 53 प्रतिशत हो गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

आरक्षण के बारे में जैसा मैंने पहले निवेदन किया 27 फीसदी, पिछड़ी जातियों के लिये, 21 फीसदी शेड्यूल कास्ट के लिये और 2 फीसदी शेड्यूल ट्राइब्स के लिये, कुल 50 फीसदी है। इसके अलावा विकलांगों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 5 फीसदी है। तो इस तरह से 53 नहीं बल्कि 55 फीसदी हो गया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी है तो क्या यह पद इन्हीं लोगों में से भरे जायेंगे इसको सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, इसमें कोई शंका का सवाल नहीं है। ऐक्ट बना है, माननीय वर्मा जी पढ़ लेंगे तो शंका का समाधान हो जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने सवाल का जवाब चाहा है और मंत्री जी ऐक्ट पढ़ने की बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विकलांगों को जो आरक्षण दिया गया है तो क्या इन्हीं वर्ग के लोगों में से यह आरक्षित पद भरे जायेंगे। इसको सुनिश्चित करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है माननीय वर्मा जी, वैसे अगर आरक्षित पदों की रिक्तियां जो हैं, उन रिक्तियों को आरक्षित वर्ग के लोगों से ही भरा जाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी, कृपया बता दें, शंका समाधान कर दीजियेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, इसमें शासन की व्यवस्था बड़ी स्पष्ट है और नियत बड़ी साफ है और उसमें कहीं पर शंका की गुंजाइश नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस नई सरकार ने मण्डल कमीशन की संस्तुति के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से उदारता पूर्वक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, क्या इस देश के और इस प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण में भी वृद्धि करने की कृपा करेंगे। इसमें मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। इसका जो 5 प्रतिशत आरक्षण है, उसको बढ़ाने के लिए शासन विचार करेगा ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया जायगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान इस देश की आजादी का सम्मान है और इसको दृष्टिगत रखते हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, उनके आश्रितों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यह कोटा बढ़ाना कहां तक श्रीमन्, उपयुक्त है ?

श्री हरी किशन –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से जो उत्तर आया है, उसमें एक बड़ा भ्रम है और जिसका मैं प्रतिवाद इस सदन में कर रहा हूं। श्रीमन् धारा 16(4) संविधान की रूलिंग है। उसके अन्तर्गत यह है कि कोई भी प्रदेश जैसे पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए नियम बना सकता है, लेकिन यह जो प्रथम संशोधन संविधान में आया था, 51 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बाद में आई है कि पूर्ण

आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न होगा । लेकिन मंत्री जी ने एक ऐसा भ्रामक वक्तव्य दे दिया कि 16(4) के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रहते हुए पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो सकता है । मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है, इस प्रश्न को मान्यवर, आप स्थगित कर दें और मंत्री जी इसका अध्ययन कर लें और उसके बाद सदन में उत्तर देने की कृपा करें ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन् यह माननीय सदस्य, जिनको इस आदरणीय सदन में अध्यक्ष पद पर आसीन होने का मौका भी मिला था । मैं इनका आदर भी करता हूं, सम्मान भी करता हूं । मान्यवर, हमारे पास भारतीय संविधान की प्रतिलिपि है और हिन्दी में है और सुप्रीम कोर्ट का टोटल जजमेंट तो नहीं मिला है, मैं जजमेंट की कापी दिला दूंगा, हमारे कक्ष में वह आ जायं, हम उनका सम्मान भी करेंगे और आदर भी करेंगे ।

श्री मित्र सेन यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने विकलागों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को आरक्षण बढ़ाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि उनके आश्रित कम होते जा रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या विकलांगों की भी संख्या कम होती जा रही है और अगर कम नहीं हो रही है तो क्या उनके आरक्षण का कोटा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन् आवश्यकता को देखते हुये विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं उनसे दो बाते जानना चाहता हूं–एक तो यह कि जिन वर्गों का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है, उनके आरक्षण की क्या व्यवस्था है ? जो अधिनियम है, उसमें 5 प्रतिशत की बात कहीं पर नहीं की गयी है, उनका आरक्षण उन्हीं वर्गों में रहेगा, लेकिन मान्यवर जो व्यक्ति इन जातियों में नहीं आते हैं, उनके आरक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी ? इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें । मान्यवर, दूसरे माननीय मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय का हवाला दिया है, तो मान्यवर इस बात को सही मानते हुये कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह व्यवस्था है कि "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुये नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी ।" माननीय मंत्री जी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाधक नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार आश्वस्त करेगी, जैसा कि सपा के घोषणा पत्र में भी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणायें की हैं कि जो जातियां इन वर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें भी गरीबों की विषमता के आधार पर 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा । क्या आप इस बात को ध्यान में रखते हुये उन जातियों को भी 10 प्रतिशत का आरक्षण देने के बारे में सदन में आश्वासन देंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पिछली सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में अगड़ी जातियों को 10 प्रतिशत का आरक्षण देने के लिये माननीय रमा शंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब माननीय गुप्ता जी की सरकार थी और वह शासन में थे....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इससे क्या मतलब है ? मान्यवर, प्रश्न का उत्तर संगत आना चाहिये । मैंने दो सवाल किये हैं, माननीय मंत्री जी को उनका उत्तर देना चाहिये । हमने क्या-किया था और क्या किया है, यह सब नहीं होना चाहिये । अगर हमने सब कुछ किया होता तो आज इधर न बैठते ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 16(1) में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, लेकिन उस आधार पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था में बाधक है । इन्होंने मुकदमें की पैरवी की नहीं और यह सवाल कर रहे हैं । मान्यवर, आज की स्थिति में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्षमा करें, मेरे सवाल के दो हिस्से थे । मान्यवर, आपने कृपा करके उत्तर दिला दिया, मैं व्यवधान नहीं पैदा करना चाहता । मान्यवर, मैंने यह कहा था ।

(व्यवधान)

मानवाधिकार आयोग को समाप्त करके अल्प संख्यक आयोग के गठन का निर्णय

**2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 जुलाई, 1992 को गठित मानवाधिकार समिति को समाप्त करके अल्पसंख्यक आयोग को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो अल्पसंख्यकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग ने क्या प्राविधान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

2 जुलाई, 1992 को मानवाधिकार समिति का गठन नहीं किया गया था बल्कि 27 जुलाई, 1992 को मानवाधिकार आयोग गठित करने संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई थी । अब 11 फरवरी, 1994 को उक्त 27 जुलाई, 1992 की विज्ञप्ति को निरस्त करते हुये अल्प संख्यक आयोग की स्थापना की गई है ।

अल्प संख्यकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग को निम्न कार्य निर्दिष्ट किये गये हैं :–

(1) अल्प संख्यकों के लिये संविधान तथा केन्द्रीय एवं राज्य के कानूनों में निहित संरक्षणों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करने के लिये सिफारिश करना ।

(2) अल्प संख्यकों के अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित किये जाने की विशिष्ट शिकायतों की जांच करना ।

(3) अल्प संख्यकों के प्रति भेद-भाव दूर करने के प्रश्न का अध्ययन, अन्वेषण एवं विश्लेषण करके सुझाव देना ।

(4) अल्प संख्यकों की विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन करके सुधार के लिये सुझाव देना ।

(5) राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं को हल करने की दिशा में सुझाव देना ।

(6) अल्प संख्यकों के विकास एवं उन्नयन के संबंध में उनकी आर्थिक एवं व्यवसायिक कठिनाइयों को अध्ययन करना एवं उनके निराकरण हेतु कारगर सुझाव देना ।

(7) शासन द्वारा संदर्भ किये जाने पर साम्प्रदायिक दंगों, झगड़ों के समय घटना स्थल पर जाकर जांच करके शासन को गोपनीय प्रतिवेदन देना ।

(8) निर्धारित अंतरालों में सरकार को आवधिक रिपोर्ट देना ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 11 फरवरी, 1994 को, जिस 27 जुलाई, 1992 का उल्लेख किया गया है, मानवाधिकार समिति को निरस्त करके अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी तो माननीय मंत्री जी बता दें कि जो मानवाधिकार आयोग बना था उस मानवाधिकार आयोग को शासन द्वारा क्या कार्यनिर्देश किये गये थे और उस संबंध में क्या मानवाधिकार आयोग ने अपनी कोई कार्यवाही सुनिश्चित की थी इसके संबंध में अद्यतन जानकारी सदन को दिलाने की कृपा करें ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मान्यवर, अपने उत्तर में इन्होंने कहा अल्पसंख्यकों के लिए संविधान तथा केन्द्रीय एवं राज्य के कानूनों में निहित संरक्षणों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करने के लिए सिफारिश करना, जैसे 11 फरवरी, 1994 को अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश हुई है तो क्या अब तक या इसके प्रभाव में

अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में केन्द्रीय और राज्य के जो कानून हैं उसके परिवर्तन के संबंध में कुछ शिकायतें प्रदेश से प्राप्त हुई हैं ? यदि हुई हैं तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

मान्यवर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो 15 प्रोग्राम हैं उसको अमलीजामा पहनाने के लिए इस सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, माननीय सदस्य बस्ती ने विषयान्तर होकर प्रश्न पूछ लिया । मान्यवर, इसके पहले जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार की मंशा अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने के लिए एक षड्यन्त्र का हिस्सा थी । मान्यवर, उनको जल्दबाजी थी 24 तारीख को शपथ ली और 30 तारीख को अध्यक्ष पद समाप्त कर दिया उसके बाद मानवाधिकार आयोग की घोषणा किये, लेकिन उसके बाद फिर गम्भीर नहीं थे, उसकी जरूरत नहीं थी, इन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाया, पूरा ढाई साल बीत गया केवल कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देते रहे । इसलिए इतनी जलन थी कि ढाई वर्ष तक अल्पसंख्यकों के बारे में सोचने विचारने का इनको अवसर ही नहीं मिला और मानवाधिकार का नाम लेकर ही वर्जना का काम किया है । जिस तरीके से रावण का भेष धारण करके जनता को ठगने का काम इन्होंने किया है, उसी तरह से मानवाधिकार का नाम लेकर अल्पसंख्यकों पर हमला करने का काम कर रहे थे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है । मान्यवर, जो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है, उसका हमने स्वागत किया है । उसी सवाल को मैं दोहराना चाहता हूं । जो यह आयोग का गठन हुआ है इसके समक्ष उत्तर प्रदेश से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, कानून में परिवर्तन के संबंध में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में ? दूसरा जो मेरा सवाल था इन्होंने रावण के भेष में राम के भेष में सीता को छला है, मानवाधिकार आयोग में जो कार्य निर्दिष्ट हुए थे उनके संबंध में कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है । और अल्पसंख्यकों के आर्थिक कार्यक्रमों के विषय में कुछ नहीं बताया है ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों के संबंध में, उनकी समस्याओं एवं अन्य कठिनाइयों का अध्ययन करके सरकार को समय-समय सलाह देने हेतु 1992 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था । जब इस आयोग का काम शुरू हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, इनकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानसिकता थी । इन्होंने साजिश करके उस आयोग को खत्म कर दिया । इन्होंने ढाई सालों तक कोई काम नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस नियमावली के नियम–38 को देखने का कष्ट करें । इसमें साफ व्यवस्था दी गयी है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के अनुसार संगत होंगे । माननीय मंत्री जी ने अनर्गल उत्तर या अप्रसांगिक उत्तर दिया है । या आरोप प्रत्यारोपात्मक उत्तर दिया है इसको देखने का अधिकार आप पर निर्भर है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति थी न्याय सबके लिये और तुष्टीकरण किसी

का नहीं । इस नीति के तहत हमने इसमें कुछ परिवर्तन किये उसमें पीड़ित महिलाओं अनुसूचित वर्ग, और अनुसूचित जनजाति के लोगों और निर्बल वर्गों के लोगों की समस्याओं के बारे में था । वही टर्म आफ रेफरेन्स निर्धारित किये जो अल्पसंख्यकों के लिये हैं । क्योंकि हम सबको न्याय देना चाहते हैं । तुष्टीकरण करने की हमारी नीति नहीं थी यह जिन वर्गों के संबंध में बात कही गयी थी, उन वर्गों को विशेष सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनायी है ? मान्यवर, हमने इसे मानवाधिकार आयोग किया केन्द्र सरकार ने भी अल्पसंख्यक आयोग खत्म करके मानवाधिकार आयोग किया । अगर कोई कार्य योजना इन वर्गों के संबंध में बनायी गयी है तो वह क्या है ? कृपया नियम–38 के तहत इसको उत्तर दिलाने का कष्ट करें ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी पुराने सदस्य हैं ।

मान्यवर, यह इनकी बुद्धि की उपज है । पाखण्डपूर्ण तरीके से इन्होंने कार्य किया । मान्यवर, मानवाधिकार आयोग की घोषणा की गयी थी, मगर ढाई वर्ष तक उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया । यह इसके प्रति गम्भीर नहीं थे । केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लोगों के संरक्षण के लिए आयोग गठित किये हुये हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गठित किये हुये हैं । मान्यवर, इनकी मंशा अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की थी, यह इनकी साम्प्रदायिक मंशा थी । इनकी यह मंशा नहीं थी कि मानवाधिकार के नाम पर संरक्षण दिया जाये । इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि इसको खत्म किया जाये क्योंकि यह अल्पसंख्यकों को अपना दुश्मन मानते थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं सरकार की तुष्टिकरण की नीति का विरोध करता हूं । मैंने एक सवाल किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्बल वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए इनके संरक्षण के लिए क्या कोई कार्य योजना सरकार ने बनायी है । अगर बनायी है तो बता दें । मगर इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है । इसलिए सरकार की नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान, जो प्रश्न के उत्तर के खण्ड (6) में है, की तरफ दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के विकास एवं उन्नयन के संबंध में उनकी आर्थिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयों का अध्ययन करना एवं उनके निराकरण हेतु सरकार को सुझाव देना । मान्यवर, अल्पसंख्यकों के उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है। जो वर्तमान में 15 सूत्रीय कार्यक्रम हैं उनको जोड़ते हुये क्या यह सरकार कार्य करेगी ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, जो यह आयोग का गठन हुआ है वह अहमदहुसैन साहब की अध्यक्षता में हुआ है और वह इस संबंध में अध्ययन कर रहा है । अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो उत्पीड़न होते हैं उनके बारे में निश्चित रूप से वह गम्भीर है और उनको सभी प्रकार की सुविधायें और संरक्षण देने के लिए यह सरकार दृढ़ संकल्प है और उनका कभी अहित नहीं हो सकेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

उत्तर प्रदेश से धारा 144, गुण्डा ऐक्ट तथा गैंगस्टर ऐक्ट को समाप्त करने का मामला शासन के विचाराधीन

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश से धारा 144, गुण्डा ऐक्ट तथा गैंगस्टर ऐक्ट को समाप्त करने जा रही है ? यदि हां, तो उक्त धारायें कब से समाप्त होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार गुण्डा ऐक्ट और गैंगस्टर ऐक्ट को समाप्त करने पर विचार कर रही है तो इस संबंध में उन्होंने यह कहा है कि यह मामला शासन के पास विचाराधीन हैं । यह उत्तर का विरोधाभाष है । मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति पर चर्चा हुई थी तो उन्होंने यह घोषणा की थी इस प्रदेश में गुण्डा ऐक्ट और गैंगस्टर ऐक्ट को समाप्त करेंगे क्योंकि इससे इसका दुरूपयोग हो रहा है । मान्यवर, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो अपराधों को करने में अभ्यस्त हो गये हैं और अपराध बढ़ रहे हैं तो इन अपराधों को रोकने के लिए क्या सरकार कोई दूसरा उपाय करेगी या कानून बनायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमने मूल उत्तर में कह दिया है कि यह पूरा प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कह दिया कि विचाराधीन है । अभी 21 तारीख को पिछले महीने जब माननीय मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि गुण्डा ऐक्ट और गैंगस्टर ऐक्ट खत्म करेंगे और इसका वायदा घोषणा-पत्र में भी किया गया है, कोई काम चोरी से नहीं कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अपने घोषणा-पत्र के अनुरूप गुण्डा ऐक्ट व गैंगस्टर ऐक्ट को खत्म करने के संबंध में क्रियान्वयन के बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है या उस घोषणा-पत्र को लागू करने के लिये अभी भी मुस्तैदी से अडिग है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, घोषणा-पत्र में जो भी कहा गया है, उसको समयबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा । यह जो प्रश्न किया गया है, इसका भी वायदा घोषणा-पत्र में है और इस पर हम विचार कर रहे हैं, जहां तक अमल करने का प्रश्न है वह यथाशीघ्र ।

श्री मित्र सेन यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रकरण शासन के विचाराधीन बताया है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन बिन्दुओं पर विचार हो रहा है और कब तक यह विचाराधीन रहेगा, यह बता दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जो घोषणा-पत्र में है, उसको हम लागू करने के लिये विचार कर रहे हैं और जहां तक कब तक का सवाल है, इस पर निर्णय हो जायेगा यथाशीघ्र ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं गुण्डा ऐक्ट और गैंगस्टर ऐक्ट के बारे में प्रश्न करने जा रहा था । माननीय मंत्री जी ने इसको खत्म करने के संबंध में पुनर्विचार करने की बात कही है । माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि इसको खत्म करने के बाद अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिये कोई विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं, यदि हां, तो वह विकल्प क्या है ?

(माननीय मंत्री जी को उत्तर के लिये पुकारे जाने पर तथा श्री राम आसरे वर्मा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया है, आपके मन में जो शंका उत्पन्न हो रही है, उसके संबंध में...

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली है, आप उसी को दोहरा रहे हैं । माननीय मंत्री जी, आप बता दीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके बार-बार निर्देश देने के बाद भी माननीय मंत्री जी खड़े नहीं हो रहे हैं । वर्मा जी के सवाल को आपने ग्राह्य कर लिया । अब माननीय मंत्री जी का उत्तर के लिये खड़ा न होना आपका अपमान है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है, माननीय गुप्त जी, मैंने जो दूसरा प्रश्न पुकारा है उसमें माननीय वर्मा जी का प्रश्न था, लेकिन फिर भी वर्मा जी ने पहले प्रश्न पर ही जोर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि उनके शंका का भी समाधान कर दीजिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी वरिष्ठ मा० सदस्यों में से हैं और मा० गुप्त जी और आप भी हैं। इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों को अपनी स्मृति को थोड़ा ताजा करना होगा। 1986 में जब गुण्डा ऐक्ट लाया गया था तो मा० वर्मा जी व तमाम माननीय सदस्यों ने इसका एक स्वर से विरोध किया था हम उस गुण्डा/गैंगस्टर ऐक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तब फिर हमारे ऊपर इस प्रकार का हमला क्यों कर रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि कब तक विचाराधीन रहेगा ? और कब तक इस खत्म करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हम जानते हैं कि गुण्डा ऐक्ट का दुरुपयोग पिछली सरकारें करती रही हैं, इसीलिये हम गुण्डा ऐक्ट और गैंगेस्टर ऐक्ट को खत्म करने और उसके विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने घोषणा करके उन वर्गों का लाभ तो चुनाव में ले लिया और अब आप उसको समाप्त करने और उसके विकल्प के बारे में विचार कर रहे हैं। क्या इस बिन्दु पर भी विचार कर रहे हैं कि जिन पर दफा–144 तोड़ने के जुर्म में मुकदमा चल रहा है, उन सभी मुकदमों को वापस लेने के बारे में भी विचार कर रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वर्गों में फूट डालकर वैमनस्य पैदा करके लाभ उठाने का काम श्रीमन्, इनका है, हम सरकार कायम करके राजनीति करना चाहते हैं। यह पूरा प्रकरण शासन के विचाराधीन है, जल्दी ही निर्णय हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों की सेवाओं का विनियमितीकरण

*2–श्री राम आसरे वर्मा, श्री विश्वनाथ तथा श्री बदन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में होमगार्ड के जवानों की सेवाओं को नियमित करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने होमगार्ड के जवान हैं, जिनकी सेवाओं को नियमित करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस प्रदेश में एक लाख, तेइस हजार, चार सौ होमगार्ड के जवान हैं ।

श्री मित्रसेन यादव–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके नियमितीकरण पर शासन ने वित्तीय व्यवस्था क्या की है ? इनको नियमित करने पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, इस प्रदेश के होमगार्ड के जवानों के लिये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता इसलिये है कि हमारे चुनाव घोषणा-पत्र का जो अंतिम पेज है और अन्तिम पैरा है उसमें लिखा है कि हमारी पार्टी सरकार में आयेगी तो होमगार्ड के जवानों को 5 साल के अन्दर हम नियमित करेंगे और उसी में है श्रीमन्, जो कि इस सवाल से सम्बद्ध नहीं है, पुलिस के जवानों के लिये भत्ते के बारे में । श्रीमन्, होमगार्ड के जवानों के लिये हमारी प्रतिबद्धता है और उनको नियमित करने के लिये एक उच्चस्तरीय कमेटी 18 फरवरी को हमने गठित कर दी है और उससे रिपोर्ट की अपेक्षा की है इस मंशा के साथ कि हमारी जो घोषणा है हम उन घोषणाओं को 5 साल के अन्दर-अन्दर पूरा कर दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने घोषणापत्र भी देख लिया है, मेरे हाथ में है । मान्यवर, यह तो साईकिल के नीचे हाथी कुचल गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है कि 5 साल के अन्दर विनियमित करने पर विचार कर लेंगे और एक कमेटी भी बना दी है । मैं जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में जो होमगार्ड के जवानों ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की है उनको वेतन नहीं दिया गया है, क्या इसको दिलाने पर भी टाइम बाउन्ड करेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, यों तो एजेन्डे में आज ही एक सवाल लगा हुआ है, उसमें यह बात पूछी जा सकती थी । चूंकि माननीय श्री पाल जी ने प्रश्न पूछ लिया है इसलिए मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है, हम मानकर चलते हैं कि होमगार्ड के जवान गांव के बेरोजगार नवयुवक होते हैं, दलित होते हैं, गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनका भत्ता 4-4 व 6-6 महीने से बकाया था, उनका भत्ता बकाया न रहे, इसलिए 12 दिसम्बर को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि उनके भत्ते का भुगतान हो जाय । उसकी किसी तरह से उपेक्षा न की जाय, उसमें लापरवाही न की जाय और न शिथिलता की जाय । काफी हद तक उनके पिछले बकाये भत्ते का भुगतान कराया गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कितना बकाया है और उसमें से कितने का भुगतान कर दिया है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1 लाख 23 हजार 400 होमगार्ड के जवान हमारे यहां हैं और जिनको नियमित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन होमगार्ड के जवानों को नियमित करने के प्रकरण को कब तक विचाराधीन रखेंगे और अन्तिम निर्णय इस पर कब तक ले लेंगे। माननीय श्री मित्रसेन यादव जी ने पूछा था कि इन जवानों को नियमित करने पर कितना वित्तीय व्यय भार शासन पर आयेगा। जब नियमितीकरण का मामला विचाराधीन है तो निश्चित तौर पर बजट में उसके वित्तीय व्यय भार का वहन करने के लिए प्राविधान होगा और उसकी रूप-रेखा होगी। अगर बजट में उसकी रूप-रेखा नहीं होती है तो माननीय मंत्री जी बार-बार जो अपनी नियत व नीति का ट्रम्प मारते रहते हैं, उससे कोई असर होने वाला नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन जवानों को नियमितीकरण करने से जो वित्तीय व्यय भार आयेगा, उसका प्राविधान बजट में करने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, कब तक नियमित करने का सवाल यहां पर आया है। मान्यवर, मैं श्री वर्मा जी को बताना चाहता हूं कि नियमित करने की जो हमारी प्रतिबद्धता है वह 5 साल के अन्दर-अन्दर है। इन दो-ढाई महीनों में हमारी सरकार ने जितनी होमगार्ड जवानों के लिए किया है, उतना किसी ने नहीं किया। 1962 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक इस विभाग के पास अपना मुख्यालय नहीं है। हमने मुख्यालय का भवन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये दिया है। 27 दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की और 5 फरवरी से इसका मुख्यालय बनना भी शुरू हो गया है और 10 महीने के अन्दर यह बनकर तैयार हो जायेगा। होमगार्ड के जवानों को 25 रुपये भत्ते के रूप में मिलता था, इसे हमने बढ़ाकर 35 रुपये किया है। जब ये जवान दूसरे जनपद में जाते थे तो इन्हें 30.50 रुपये भत्ता का मिलता था, इसे हमने बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया है। 27 दिसम्बर को इसकी घोषणा की थी और उसी दिन से हमने इसे लागू कर दिया है। होमगार्ड्स के जवानों के लिए कल्याण निधि स्थापित करने के संबंध में समय-समय पर बैठकें होती रहीं। मैंने उन पत्रावलियों का अवलोकन भी किया है। मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, वह पत्रावली इधर से उधर घूमती रही परन्तु जैसे ही वह पत्रावली मेरे सामने आई तो हमने कल्याण निधि के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की और उस समस्या का निराकरण किया। यही नहीं होमगार्ड्स जवानों के लिये बीमा योजना सरकार ने लागू की है। होमगार्ड्स जवानों को अब तक टेरीकाट की वर्दी नहीं मिलती थी, वह गरीब होते हैं, दलित होते हैं, कमजोर होते हैं, बेरोजगार होते हैं, और गांवों से आते हैं इसलिये उनको सरकार टेरीकाट वर्दी देगी। श्रीमन् वह प्रदेश में तमाम कठिन स्थितियों में ड्यूटी करते हैं और उसमें मर जाते हैं, वीर गति प्राप्त करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, पिछली बार जो यह विधान सभा चुनाव हुआ इसमें 8 होमगार्ड वीरगति को प्राप्त हो गये। तो उनके लिये हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, ऐसा लगता है होमगार्ड्स के बजट पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, सुन लीजिये (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

होमगार्ड्स की नीतियों के बारे में भाषण दे रहे हैं। जो वह कर रहे हैं स्वागत योग्य है लेकिन मेरा प्रश्न था उनको नियमित किये जाने के बारे में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, उनका उत्तर आ गया है, आप बैठ जाइए, उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री जी ने आपको बता दिया नियमित करने की बात जो है 5 साल के अन्तर्गत करेंगे, अब इसमें क्या रह गया है उत्तर आने में। अगर समझते हैं कुछ रह गया है तो पूछ लीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 5 साल में कार्यक्रम पूरा करेंगे, 5 साल में यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह तो शंका का समाधान हो नहीं सकता है। (व्यवधान) (श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) आप अब आसन ग्रहण करें। प्रश्न संख्या 3 पुकार रहा हूं। अब अनावश्यक बात मत उठाइयेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा सवाल सुन लें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप आसन ग्रहण करें मैं अनुमति नहीं देता हूं। प्रश्न संख्या 3 ले रहा हूं।

प्रदेश के होमगार्ड जवानों के बकाया भत्ते के भुगतान की व्यवस्था

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होमगार्ड जवानों के बकाया भत्ते की अनुमानित धनराशि क्या है तथा सरकार द्वारा इसका भुगतान करा दिये जाने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के 31 जनवरी, 1994 तक के बकाया ड्यूटी भत्ते के भुगतान हेतु रु० 6,61,00,000 की अनुमानित धनराशि की आवश्यकता है। इस धनराशि की व्यवस्था कराई जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दिक्कत यह है कि माननीय वर्मा जी ने एक सवाल पूछ लिया तो माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण दे दिया जो बातें उनकी तरफ से आ गयी हैं वह सदन की संपत्ति बन गयी उस पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा बन जाता है। लेकिन हम उससे वंचित हो गये। (व्यवधान) माननीय सुरेन्द्रपाल जी आप तो शांत रहें आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि होमगार्ड्स के जो जवान हैं उन पर 6 करोड़ 61 लाख रुपये बकाया है और कहते हैं कि यह किया, यह किया खुशी होती अच्छा काम करते। लेकिन सवाल इसलिये पूछ रहे हैं कि घोषणायें केवल जनता को गुमराह करने के लिये कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि इतना बकाया है, तो सही है और कहा कि दिसम्बर में आदेश जारी कर दिया कि होमगार्ड्स के प्रतिकर के बकाये में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस दिन से आपने आदेश दिया कि प्रतिकर अदायगी में कोताही नहीं बरती जायेगी तो उसके बाद से आज तक यह अवशेष भुगतान के लिए कितना रुपया और किस तिथि को यह धन आवंटित किया, यह आप बता दें ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, आदरणीय गुप्त जी की देनदारी जो बाकी थी उसको देने का हमने काम किया और 1992-93 की लम्बी अवधि का 11,39,79,000 रुपये की जो देनदारी थी जिसका भुगतान किया गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने जो पूछा है उसका उत्तर मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। इसलिये आप यह बता दें कि कितना रुपया और किस तारीख को आवंटित किया है यह बतायें ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, जहां तक भत्ते के लिये बकाये का सवाल है तो जैसा निवेदन किया कि गुप्ता जी के शासन काल का जो बकाया था उसका भुगतान किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं है। इसलिये इसे आप स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी जानकारी हो तो बता दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मुझे पूरी जानकारी है लेकिन सही बात श्री गुप्ता जी सुनने को तैयार नहीं है। मान्यवर, बकाये भत्ते के भुगतान के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत होते हैं और उससे सरकार की नीयत का पता चलता है। तो जैसे ही सरकार गठित हुई उसके तुरन्त बाद 12 दिसम्बर को ही

विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें पता चला कि कई महीने का भत्ता पिछली सरकार के समय का बकाया है, इसलिये लिखित आदेश दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मेरे पास इसकी जानकारी है, बता देंगे, लेकिन वह बता नहीं पा रहे हैं । इसके मतलब इनके पास जानकारी नहीं है और यदि है और यह बताना नहीं चाहते हैं, तो यह सदन की अवमानना है । हमारे नियमों में है कि यदि प्रश्नों के उत्तर असंगत आते हैं, तो हम अधिकारियों को सेंसर करने के लिए वह प्रश्न, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में भेज देते हैं । इसका उत्तर वह नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इसे आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में भेज दीजिये । इस 12वीं विधान सभा में यह स्थिति पहली बार आती है, इसको आप भेज दीजिये, इससे स्थिति साफ हो जायेगी और सरकार की तरफ से किस तरह मामले उजागर किये जाते हैं यह भी आ जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो फिर उत्तर दिलवाये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

सभी प्रश्नों के उत्तर यहां गोल मटोल आ रहे हैं, मान्यवर, इस पर आप ध्यान दीजिए ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

गढ़वाल क्षेत्र में आये भूकम्प से पीड़ित पशुओं को चारे की व्यवस्था हेतु मिनरल मिक्चर एवं फील्ड सप्लीमेंट का क्रय

*1–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल में आये भूकम्प में भूकम्प पीड़ित पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था हेतु राहत कोष से पशुपालन विभाग को 1.25 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया गया था ? उक्त राहत कोष से पशुओं के लिये कौन सा और कितना चारा खरीदा गया ? क्या यह सही है कि विभाग ने आवंटित राशि से चारा न खरीदकर मिनरल मिक्सचर एवं दवाइयां क्रय कीं ? यदि हां, तो इसके लिये किस अधिकारी ने संस्तुति दी थी ? उक्त मिनरल मिक्सचर कब खरीदा गया तथा कब बांटा गया ? उक्त मिक्सचर की खरीद किस अधिकारी द्वारा की गयी थी क्या वे इसके लिये प्राधिकृत थे ? क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

गढ़वाल क्षेत्र में आये भूकम्प से पीड़ित पशुओं को चारे की व्यवस्था हेतु पशुपालन विभाग को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर तथा फीड सप्लीमेन्ट क्रय हेतु 50.00 लाख रु० तथा इसकी ढुलाई के लिए 5.00 लाख रुपया एवं मृत पशुओं के शव निस्तारण तथा बीमार पशुओं के उपचार हेतु औषधि आदि के क्रय हेतु 75.00 लाख रु० कुल 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिनरल मिक्सचर के क्रय आदेश फरवरी, 1992 में दिये गये तथा उसकी आपूर्ति मार्च, 1992 में फर्म द्वारा पशुलोक, ऋषिकेश पर की गयी थी । इस संबंध में सर्तकता विभाग द्वारा जांच की जा रही है और उनके द्वारा समस्त अभिलेख नियंत्रण में लिये जा चुके हैं । वितरण के संबंध में सर्तकता विभाग से अभिलेख प्राप्त होने पर जांच कराने के पश्चात् स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी ।

मिनरल मिक्सचर का क्रय प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लि०, लखनऊ द्वारा किया गया जिसके लिए वे प्राधिकृत थे ।

शासन द्वारा 3 अधिकारियों की जांच समिति गठित की गयी है जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है । चूंकि सभी अभिलेख सर्तकता विभाग को दे दिये गये थे इसलिये उनसे प्रतियां प्राप्त करने में समय लग रहा है । विभागीय जांच अतिशीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी ।

श्री तेजभान सिंह–

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो यह खरीद की गई है, उसके लिये क्या कोई विभाग में मांग की गई थी ? और जब खरीदकर इकट्ठा किया गया, तो उसे आखिरी इकाई तक कब पहुंचाया गया ? और सतर्कता जांच के आदेश कब दिए गये और यह कब से हो रही है ? तथा क्या इसकी आप कोई समय सीमा निश्चित करेंगे कि इस तिथि तक इसकी रिपोर्ट दे दी जायेगी ?

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के शासन का यह पाप है, जो यह सब हो रहा है (व्यवधान) ऐसा है मान्यवर, यह जो दुर्दिन–दुर्भिक्ष आया था वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया था । 20 अक्टूबर, 1991 को गढ़वाल में जो भूकम्प आया उस समय कल्याण सिंह जी की सरकार थी । कल्याण सिंह जी नहीं हैं, गुप्ता जी भी नहीं हैं, डंग जी बैठे हैं, यह उस समय मंत्री थे और जिस तरह से सवाल पूछा है वह बहुत अच्छा है । इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ या अपने उन अधिकारियों के खिलाफ पूछा है जो इसमें लिप्त थे । 1 करोड़ 30 लाख रुपये का मामला है इसके लिये इन्होंने सतर्कता विभाग का नाम लगा दिया । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी की

सरकार आयी और उस समय यह मेरे संज्ञान में आया। मेरे सामने यह पत्रावली आई तो मैंने तीन उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बना दी जो इस बात की जानकारी करेगी कि यह 1 करोड़ 30 लाख रुपये किस प्रकार से और किसने खाये ? मान्यवर, यह रुपये इनके बहुत से मंत्रियों ने खाये।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस प्रकार का उत्तर देने की अनुमति आप कैसे दे रहे हैं ?

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने ऊदल जी को बुला लिया है, आप लोगों को समय अवश्य दिया जायेगा।

श्री ऊदल–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो ये 1 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किये गये उससे जो सामान पहुंचना था जैसे भूसा बहुत बड़ी चीज थी, ढुलाई का रुपया बड़ी चीज थी, वह पहुंचाया गया गंतव्य स्थानों पर ? इसके अलावा जो रुपया दूसरे कामों के लिये रक्खा था वह उन कामों पर खर्च किया गया कि नहीं, सारा हड़प लिया गया ? क्या सरकार इन अधिकारियों से भी अलग कोई उच्च अधिकारियों की जांच समिति बनाकर जांच करवायेगी ?

श्री मनोहर लाल–

मैं माननीय सदस्य को बतालाना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी उस समय उमानाथ जी पशुधन मंत्री थे और उस समय यह सवाल आया था। उन्होंने यह जवाब दिया था कि चारे की खरीद के लिये कोई पैसा नहीं है, भूसे की खरीद के लिये कोई पैसा नहीं है। अगर यह खरीदा जाता तो इनकी पोल बहुत जल्दी खुल जाती। मिनरल मिक्सचर की खरीद के लिये...

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ला–

इससे तो यह लगता है कि सदन नहीं चलाना चाहते हैं।

श्री मनोहर लाल–

कड़वी बात अच्छी नहीं लगती है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह अनर्गल कहने की अनुमति कैसे दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर दें।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, उत्तर दे रहा हूं, यह सुनना ही नहीं चाहते हैं । "खाता न बही, कल्याण सिंह कहे वही सही"। यह जो हुआ है वह इसी का नतीजा है । मान्यवर, जैसा कि आपने पूछा है तो उसी के हिसाब से कह रहा हूं कि वहां पर चारा और भूसा था ही नहीं । मिनरल मिक्स दाने और भूसे के साथ मिलाकर दिया जाता है । ऐसी स्थिति में जबकि वहां भूसा और चारा नहीं था यह मिनरल मिक्सचर किसके पेट में चला गया । मान्यवर, [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप उत्तर दीजिए ।

श्री मनोहर लाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप सही शब्दों का प्रयोग कीजिए ।

श्री मनोहर लाल–

"चोर की ढाढ़ी में तिनका". माननीय सदस्य ने यह पूछा कि भूसा खरीदा गया या नहीं और क्या भूसा गन्तव्य स्थान पर पहुंचा या नहीं ? तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भूसा खरीदा ही नहीं गया और दवा के नाम पर ऋषिकेश में मिट्टी जमा कर दी गयी इसमें तत्कालीन राजस्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के शामिल हैं । पहले मिट्टी इकट्ठा कराई फिर ढोने के लिए रुपया लिया तो इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय मंत्री जी ने जवाब यह दिया है कि इसकी सतर्कता विभाग द्वारा जांच चल रही है और सतर्कता जांच के डाइरेक्टर के रूप में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि उमानाथ सिंह जी उस समय मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने पैसा लिया है चूंकि यह सदन की कार्यवाही बनी है इस नाते मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि गोरखपुर में मंत्री जी गए और वहां पर उन्होंने डाक्टरों से पैसे की मांग की थी तो क्या इसकी भी जांच होगी ? मेरा इन पर आरोप है ।

(घोर व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्य ने अभी मंत्री जी को आरोपित किया है तो सदस्य को आरोप लगाने के पहले लिखकर देना चाहिए था अथवा नहीं इन्होंने किस नियम के अन्तर्गत यह मामला उठाया है।

(शोर शराबा)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 289 (क) को देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लें। क्या प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उठाया जाता है। मैं आप की बात मानता हूं। प्रश्न काल की समाप्ति के बाद इस गम्भीर विषय पर नियम 289 (क) के अन्तर्गत मेरी बात सुन लीजियेगा।

(श्री काशी सिंह ऐरी का नाम पुकारे जाने पर)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाये हैं यदि वह सिद्ध नहीं कर पाये तो क्या वह इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है कि पशुओं की चारे की खरीद जो की गयी उसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपये का मिनरल मिक्सचर खरीदा गया जो चारे में मिलाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी खरीद जिसका कि कोई औचित्य नहीं था वह बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के खरीदारी नहीं हो सकती है। मैं जानना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार के किस स्तर पर यह आदेश जारी किया गया कि 1 करोड़ 30 लाख का मिनरल मिक्सर खरीदा जाय। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केवल यह औषिधियों के खरीद का ही मामला नहीं है। उत्तरकाशी में जो भूकम्प आया था और जो राहत सामग्री वहां भेजी गयी तथा जो राहत केन्द्र सरकार की ओर से दी गयी उसमें भी व्यापक हेराफेरी के आरोप हैं। यह आरोप वहां की जनता ने और वहां के संगठनों ने लगाये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण, जिसमें दवा खरीद का मामला और राहत सामग्री का मामला हो, उसके लिये एक बड़ी व्यापक जांच करवाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। 1 करोड़ 30 लाख रुपये का घोटाला तत्कालीन सरकार के किन्हीं लोगों ने किया है। तत्कालीन राजस्व मंत्री जी गढ़वाल गये थे, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुयी थीं। वहां के डी० एम० ने एक पत्र भी लिखा है। जो संबंधित

पत्रावली है वह मिल नहीं रही है । तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने जो आदेश दिया था वह पत्र गायब है । माननीय सदस्य गोरखपुर ने जो बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकरण की न जाने कितनी पत्रावलियां गायब हैं । तत्कालीन राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुयी कि औषधि खरीद ली जाय और जब खरीदारी में कुछ खाता खुलने लगा तो इस प्रकरण को सतर्कता विभाग की जांच में जोड़ दिया गया इस प्रकरण की पूरी तरह जांच सतर्कता विभाग से नहीं हो रही है । दूसरी जांच के प्रकरण में तत्कालीन सरकार ने जांच सही ढंग से न हो, इसलिए इस प्रश्न को सतर्कता विभाग को सौंपा तो नहीं, मगर किसी अन्य सतर्कता जांच में इसको संदर्भित कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि इस प्रश्न की सतर्कता विभाग द्वारा पूरी जांच नहीं हो रही है और इस प्रश्न से संबंधित पूरी जांच नहीं हुई है । बुलन्दशहर में 26 तारीख को दवाइयां कम और कैश बाक्स में रुपया ज्यादा होने की वजह से बुलन्दशहर सदर अस्पताल के डा० जी० सी० गर्ग व स्टाकमैन चन्द्रभान को जेल भेजवाया है और इस मामले में भी यदि पूरी तरह से जांच होगी और जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनको आपके आदेशानुसार अगर जरूरत पड़ेगी, तो उनको भी जेल भेजने की कार्यवाही यह सरकार करेगी ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा० सरजीत सिंह डंग–

इन्होंने भूतपूर्व राजस्व मंत्री पर मान्यवर, आरोप लगाया है और भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया है । मान्यवर, मेरी पूर्ण चुनौती है, अगर कोई भा० ज० पा० शासन काल का मंत्री इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं ।

(घोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, क्या यह सरकार इस्तीफा देगी ? अनर्गल प्रलाप करने वाली यह सरकार इस्तीफा देगी ? मान्यवर, आप सरकार को बचा रहे हैं । ये हां या नहीं, कोई भी उत्तर दे दें । यह जो गैर जिम्मेदारी के साथ माननीय मंत्री जी ने आरोप लगाया है, इसके प्रति क्या यह सरकार इस्तीफा देगी ? मान्यवर, हां या नहीं में ये उत्तर दे दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त ।

[मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर कार्पोरेशन लि० मुरादाबाद को बन्द किये जाने का कारण

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० ब्रास वेयर कारपोरेशन को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? क्या प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने के लिये नई सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस कारपोरेशन को बन्द करने के कारण क्या हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां । इस संबंध में विधिवत् शासनादेश दिनांक 17-11-90 को निर्गत हुआ । वर्ष 1990 में घाटे पर चल रहे निगमों की समीक्षा से पाया गया कि उ० प्र० ब्रासवेयर कारपोरेशन लि०, मुरादाबाद की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिये की गयी है उनकी पूर्ति में असफल रहा है तथा उससे पीतल उद्योग के कारीगरों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है अपितु निगम को भारी घाटा हो चुका है, जिसके भविष्य में और भी बढ़ने की सम्भावना है । मामले में गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त निगम का आंशिक निजीकरण तथा निगम की गतिविधियों को अन्य निगमों में संवीलिनीकरण का निर्णय लिया गया । इस निर्णय पर पुनर्विचार का औचित्य नहीं है । [1]

उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम द्वारा रघुनाथपुर गांव में सिल्क विकास परियोजना वाराणसी में अपने पंजीकृत बुनकरों से साड़ियों का क्रय

*2–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में सिल्क विकास परियोजना के अन्तर्गत गांव रघुनाथपुर में साड़ी बिनाई का कार्य तथा विकास कार्य यू० पी० हैण्डलूम बोर्ड द्वारा संचालित था, जिसमें लाखों रुपये का बना मकान सन् 1987 से बन्द पड़ा है ? इसके बन्द होने का कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त विभाग द्वारा शहर वाराणसी में ही साड़ियां खरीदी जा रही हैं ? क्या सरकार इसकी जांच उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी से करायेगी और पुनः उस सेन्टर को चालू करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गांव रघुनाथ पुर (बढ़ा गांव) जनपद वाराणसी में उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम द्वारा यूनीसेफ की सहायता से चलाया जाने वाला बुनाई प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र यूनीसेफ की सहायता बन्द होने के परिणाम स्वरूप बन्द कर दिया गया है एवं उक्त भवन में सिल्क विकास परियोजना वाराणसी के अन्तर्गत उत्पादन केन्द्र कार्यरत है ।

निगम द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत वाराणसी शहर में अपने पंजीकृत बुनकरों से साड़ियां क्रय की जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

---

[1] नोटः–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

जनपद मिर्जापुर स्थित विन्ध्य विकास परिषद् का चुनाव/पुनर्गठन का न होना तथा दानपत्रों में एकत्रित धन के रख-रखाव तथा जांच कराने की मांग

*3–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर स्थित विन्ध्य विकास परिषद् की वैधानिक स्थिति क्या है और इसका चुनाव/पुनर्गठन पिछले कितने वर्षों से नहीं हुआ है ? क्या विन्ध्याचल धाम में परिषद् द्वारा रखवाये गये दान पत्रों में एकत्र धन की गिनती एवं उसके उपयोग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच सरकार शासन स्तर से करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मिर्जापुर स्थित विन्ध्य विकास परिषद् सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। उक्त परिषद् का चुनाव/पुनर्गठन वर्ष 1983 के पश्चात् नहीं हुआ है।

चूंकि दानपत्रों में एकत्र धन की गिनती एवं उपयोग के संबंध में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस कान्सटेबिलों की हुई भर्ती में की गई धांधली की भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच तथा मामला मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन

*4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1993 में जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस कान्स्टेबिलों की भर्ती हुई थी और उस भर्ती में व्यापक धांधली व अनियमितता के कारण शासन द्वारा उक्त भर्ती निरस्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उस भर्ती को पुनः जनपद पिथौरागढ़ में आयोजित करने तथा उक्त भर्ती प्रकरण में अनियमितता बरतने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

भर्ती में की गयी कथित धांधली की जांच, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित की गयी है। इसी प्रकरण में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिकायें भी दाखिल की गयी हैं, जो विचाराधीन न्यायालय हैं। अतः न्यायालय के निर्णय के बाद ही पुनः भर्ती किया जाना समीचीन होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अगस्त, 1993 में सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा फैजाबाद में आयोजित ''हम सब अयोध्या'' प्रदर्शनी का व्यय का ब्योरा

*5–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1993 में ''सहमत'' द्वारा फैजाबाद में आयोजित ''हम सब अयोध्या'' प्रदर्शनी का खर्च किसने और कितना वहन किया ? क्या उक्त प्रदर्शनी के आयोजकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा कायम किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत प्रदर्शनी का आयोजन सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट नामक निजी संस्था द्वारा किया गया था। अतः व्यय का ब्योरा दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्नगत प्रदर्शनी के संचालकों, व्यवस्थापकों, आयोजकों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले तथा प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध कोतवाली नगर फैजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या–1131/93 अन्तर्गत धारा 153/153ए/153 बी/295ए/298/505/120बी भा० द० वि० पंजीकृत हुआ है जो सी० बी०, सी० आई० डी० के विवेचनाधीन है।

आठ पर्वतीय जिलों का एक पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने के निर्णय की जानकारी

*6–श्री मातवर सिंह कण्डारी तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आठ पर्वतीय जिलों का एक अलग उत्तरांचल राज्य बनाने की योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सरकार आठ पर्वतीय जिलों का एक पृथक उत्तरांचल राज्य नहीं अपितु "उत्तराखण्ड राज्य" बनाये जाने का निर्णय ले चुकी है।

पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाये जाने हेतु उत्तराखण्ड की जनसंख्या, उसके अन्तर्गत आने वाले भू-भाग, विधान सभा सदस्यों व संसद सदस्यों के चुनाव क्षेत्र, आर्थिक साधनों की उपलब्धता तथा अन्य विभिन्न प्रासंगिक बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक विचार करके आख्या देने हेतु मा० नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद् की एक समिति गठित की गई है। मंत्रि-परिषद् की समिति अपनी बैठकों में उक्त बिन्दुओं पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में मंत्रि-परिषद् को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्प संख्यकों एवं अनुसूचित जाति के लोगों को आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स देने के मांग

*7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री प्रदेश में अल्प संख्यकों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स दिये जाने की विशेष व्यवस्था पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों की स्वीकृति एवं उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया आयुध अधिनियम, 1959 एवं उसके अधीन बनायी गई नियमावली, 1962 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। शांति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में लाइसेंस आवेदक की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं, न कि जाति अथवा धर्म के आधार पर। लाइसेंस प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र में जाति/धर्म का कोई कालम नहीं है।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज में भारी या मध्यम श्रेणी के उद्योग खोले जाने की मांग

*8–श्री चन्द्र किशोर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज में निकट भविष्य मे किन-किन उद्योगों को खोलने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? उसकी रूपरेखा क्या है और यह उद्योग कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज में निकट भविष्य में कोई भी भारी या मध्यम श्रेणी के उद्योग खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*9–श्री अखिलेश–

[दूसरे सोम में ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति

*10–इं० राम लोटन सिंह पटेल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम में किये गये प्रशासनिक सुधार के परिणामस्वरूप पहले से स्थिति में कोई सुधार हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हीं अधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से सुधारने के लिये पुनः नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रभावकारी सुधार लाने के लिये सरकार कोई जांच समिति गठित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । शासन की सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का स्थानान्तरण किया जाता है । निगम में प्रभावकारी सुधार लाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० आर०) के निर्देशानुसार परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है जो जांचोपरान्त निगम के पुनर्वास के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

जनपद सीतापुर के थाना रामपुर कलां के इन्चार्ज द्वारा परगना अधिकारी के आदेश पर भा०कि० यूनियन के कार्यकर्ताओं पर कथित लाठी चार्ज

*11–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 17-10-93 को थाना रामपुरकलां, जनपद सीतापुर के थाना इंचार्ज द्वारा बर्बरतापूर्वक भा० कि० यूनियन के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया ? क्या इस दौरान 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? गिरफ्तारी के बाद 22 व्यक्तियों पर से मुकदमें वापस ले लिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर ? क्या इस लाठी चार्ज के दौरान टूटे ट्रैक्टर, टूटी साइकिलों को पुलिस लाइन, सीतापुर में जमा करा लिया गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त ट्रैक्टरों के मुआवजों को किसानों को देगी ? यदि हां, ता कितना-कितना ? क्या इस कांड की जांच किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई जायेगी ? यदि हां, तो क्या दोषी थाना इंचार्ज को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, बल्कि परगनाधिकारी सिधौली के आदेशानुसार हल्का लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया ।

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

घटना के दौरान लोगों द्वारा मौके पर छोड़े 17 ट्रैक्टर, 16 ट्राली, 3 मोटर साइकिलें व 45 साइकिलों को लावारिश हालत में सुरक्षार्थ पुलिस लाइन्स व थानों पर दाखिल की गयीं । वर्तमान में समस्त ट्रैक्टर, ट्राली, मोटर साइकिलें मालिकों द्वारा प्राप्त की जा चुकी हैं । केवल कुछ साइकिलें वापस किया जाना शेष है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जी नहीं ।

चूंकि उक्त लाठी चार्ज की घटना परगनाधिकारी, सिधौली की मौजूदगी में उनके आदेशानुसार परिस्थितियों के आधार पर हुयी थी, अतः थाना इंचार्ज के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 को समाप्त करने के बारे में चालू सत्र में विधेयक लाये जाने की जानकारी

*12–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को समाप्त करने का विधेयक चालू सत्र में ला रहे हैं ? यदि हां, तो सभा, जूलूस आदि के समय शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के क्या प्रस्ताव हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चालू सत्र में विधेयक नहीं लाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*13–श्री प्रेम सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों के आठ जनपदों को सम्मिलित कर 'उत्तरांचल' राज्य का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन होने की जानकारी

*14–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० विधान सभा के दिनांक 12 अगस्त, 1991 के उपवेशन में कुमायूं व गढ़वाल मण्डलों के आठ जनपदों को सम्मिलित कर ''उत्तरांचल'' नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है तथा वर्तमान में उक्त प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पृथक उत्तरांचल राज्य गठित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 16-12-91 को भेजा गया था । वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

सचिवालय की कार्य प्रणाली एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु विभागाध्यक्षों/निगमों के कर्मचारियों को सचिवालय से सम्बद्ध न करने की मांग

*15–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय की कार्यप्रणाली प्रभाव रोकने तथा गोपनीयता बनाये रखने तथा सम्बद्धता समाप्त करने के लिये 27 फरवरी, 1990 को आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश अब भी प्रभावी हैं ? क्या उसी आदेश के तहत सचिवालय में कार्यरत विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एवं निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश को कड़ाई से पालन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सामान्यतया उक्त आदेश प्रभावी हैं परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्षों/निगमों के कर्मचारियों को सचिवालय में सम्बद्ध किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के उरई स्थित औद्योगिक आस्थान में स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की मांग

*16–श्री चैनसुख भारती–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के उरई स्थित औद्योगिक आस्थान में निजी कारखानों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार में लिये जाने के निर्देश के बावजूद

भी इन फैक्ट्रियों में इसका पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है ? क्या शासन द्वारा जिलाधिकारी, जालौन को निर्देशित किया जायेगा कि इन फैक्ट्रियों में केवल स्थानीय बेरोजगार युवकों को ही रखा जाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है । सूचना प्राप्त होते ही मा० सदन में प्रस्तुत की जायेगी ।

वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों के आवासों पर साज सज्जा में व्यय धनराशि विवरण

*17–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों के आवास एवं साज-सज्जा पर तथा उनको अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में कितना धन किस-किस मद पर खर्च किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान मंत्रिमंडल के मा० मंत्रिगणों के आवासों पर निम्नानुसार व्यय किया गया है :–

(लाख रुपये में)

	मूल कार्य	वार्षिक अनुरक्षण	विशेष मरम्मत	साज-सज्जा
सिविल	1.07	2.78	0.49	22.88
विद्युत	—	0.45	—	1.20

पुलिस थानों में विवादित तथा लावारिस लाश के पोस्टमार्टम हेतु चीरघर ले जाने पर वास्तविक व्यय का भुगतान

*18–श्री सत्य प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस थानों में विवादित तथा लावारिस लाश के पोस्टमार्टम के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन के लिये मात्र एक सौ पचास रुपये व्यय निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान आर्थिक महंगाई में उक्त धनराशि उचित है ? यदि नहीं, तो इस धनराशि को बढ़ाने हेतु कोई ठोस उपाय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

पुलिस थानों में विवादित तथा लावारिस लाश के पोस्टमार्टम हेतु चीरघर तक ले जाने के लिए यदि मजदूर उपलब्ध न हो तो दूसरी सवारी द्वारा शवों को ले जाया जाता है और वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

मेसर्स सगुन कैमिकल्स प्रा० लि० रजदेवपुर, रौजा, गाजीपुर को उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

*19–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1990-91 में मेसर्स सगुन कैमिकल्स प्रा० लि०, रजदेवपुर, रौजा, गाजीपुर को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा कुल कितना सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था ? प्रश्नगत सावधि ऋण किस ब्याज दर पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने स्वीकृत किया था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रश्नगत सावधि ऋण पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा किस दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा क्या ब्याज दर अधिक हो जाने से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी एवं वायबिलिटी (व्यवहार्य) पर भी बुरा असर पड़ेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैसर्स सगुन कैमिकल्स प्रा० लि०, गाजीपुर को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रु० 37 लाख का सावधि ऋण अक्टूबर, 1990 में स्वीकृत किया गया । स्वीकृति के समय ऋण पर निम्नलिखित ब्याज की दर लागू थी :–

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक से

पुनर्वित्त प्राप्त कर		पुनर्वित्त अप्राप्त कर	
गेस्टेशन समय तक	गेस्टेशन समय के पश्चात	गेस्टेशन समय तक	गेस्टेशन समय के पश्चात
12.5%	13.5%	14%	15%

ऋण स्वीकृति के शर्त के अनुसार यह भी प्राविधान था कि इकाई द्वारा निगम के साथ बन्धक पत्र निष्पादन के समय जो भी ब्याज दर लागू होगी वही बन्धक पत्र में सम्मिलित की जायेगी एवं ऋणी द्वारा उसी दर से ब्याज देय होगा । इकाई द्वारा बन्धक पत्र का निष्पादन मार्च 1992 को किया गया ।

वित्तीय निगम अपने द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करता है । उक्त इकाई के मामले में निगम द्वारा लघु औद्योगिक विकास बैंक से जो पुनर्वित्त प्राप्त हुआ एवं जिस अवधि पर इकाई द्वारा बन्धक पत्र का निष्पादन किया गया, उस अवधि में लागू ब्याज की दर 18 प्रतिशत होती है एवं इसके अलावा ब्याज कर भी अलग से देय होता है । केवल सावधि ऋण पर ब्याज की दर में वृद्धि के कारण वाइबिलिटी पर असर पड़ने की सम्भावना नहीं रहती ।

*20–श्री हृदय नारायण–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

तत्कालीन मुख्य कार्य आधिकारी मत्स्य पालन विकास अभिकरण वाराणसी को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की मांग

1–श्री ऊदल–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक मत्स्य वाराणसी ने अपने पत्र संख्या कठिराव/89-90 दिनांक 19-5-89 के द्वारा मुख्य कार्यकारी मत्स्य पालन विकास अभिकरण, वाराणसी को हैदर अली प्रधान गांव कठिराव विकास खण्ड बड़ागांव जिला वाराणसी को पत्र में तालाब खुदाई व भुगतान की शिकायत के बारे में भेजे गये पत्र के विषय में लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

श्री हैदर अली शास्त्री के पत्र पर प्रारम्भिक जांच कराई गई तथा प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये गये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (तत्कालीन) वाराणसी श्री वी०के० पाण्डेय को निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

तराई क्षेत्र में स्थित जिलों में टाडा के अन्तर्गत निरुद्ध जेल बन्दियों के सम्बन्ध में जानकारी

2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई क्षेत्र में स्थित जिलों के कितने लोग टाडा के अन्तर्गत जेलों में बन्द हैं ? कारागार बन्दियों में से अधिकतम एवं न्यूनतम अवधि में बन्दियों का अलग-अलग विवरण क्या हैं ? इन बन्दियों को सरकार कब तक रिहा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भगत क्षेत्र में टाडा के अन्तर्गत 417 व्यक्ति जेलों में बन्द हैं ।

अपेक्षित विवरण इस प्रकार है :–

क्र०सं०	जेल में बन्दी का नाम/पता	बन्द होने का दि०	अपराध संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	हरदेव सिंह उर्फ देशा पुत्र अजायब सिंह नि० जोहल सिंह, तरन तारन, अमृतसर ।	22-12-87	247/87 धारा 307/ आई०पी०सी० 5 ऐक्सप्लोसिव ऐक्ट 3/4 टाडा थाना– गजरौला पीलीभीत ।	अधिकतम अवधि

1	2	3	4	5
2	(अ) दिलबाग सिंह पुत्र हरवंश सिंह नि० मुजाहा, थाना मोहम्मदी जनपद–खीरी	24-12-93	665, 666/93 धारा 25/27 आर्म्स ऐक्ट 3/4/5टाडा ऐक्ट थाना–गोला जिला खीरी	न्यूनतम अवधि
	(ब) भगवान सिंह पुत्र जरनैल नि० मोहनपुर, थाना पूरनपुर पीलीभीत ।			

अधिकतम अवधि से बन्दी अभियुक्त का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । जबकि न्यूनतम अवधि के दोनों अभियुक्तों के मामले अभी विवेचनाधीन है । परन्तु दोनों ही मामलों में समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की आख्या मांगी गयी है जो प्रतीक्षित है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

परगना मजिस्ट्रेट उत्तरी, वाराणसी के न्यायालय में धारा 107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत विचाराधीन मामले में कार्यवाही की जानकारी

3–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बड़ागांव जिला वाराणसी में दिनांक 24-9-93 को श्री मुनिराज सिंह, उनके लड़के सर्वश्री उदय शंकर सिंह, जंग बहादुर, विद्या भूषण व श्री शिव बच्चन पुत्र श्री सरजू, निवासी ग्राम मझगवां, वंश पटेल निवासी ग्राम महिमापुर तथा श्री देवनाथ प्रधान निवासी ग्राम दादूपुर पुलिस चौकी दादूपुर, थाना बड़ागांव, वाराणसी ने 116/3 में भरकर परगना हाकिम उत्तरी, वाराणसी के यहां चालान कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त लोगों के चाल-चलन की जांच परगना हाकिम उत्तरी, वाराणसी से ही करायेगी ? क्या सरकार इसको वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना बड़ागांव ने धारा 107/116 द०प्र०सं० में चालानी रिपोर्ट परगना मजिस्ट्रेट (उत्तरी) वाराणसी के न्यायालय में भेजा था, जो दिनांक 29-9-1993 को प्राप्त हुई थी ।

उक्त चालानी रिपोर्ट परगना मजिस्ट्रेट उत्तरी, वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन थी । इसी बीच दिनांक 18-12-93 को थानाध्यक्ष की पुनः आख्या प्राप्त हुई कि अब मौके पर शान्ति भंग की स्थिति नहीं है । अतः उक्त चालानी आख्या के आधार पर विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही न्यायालय द्वारा प्रारम्भ नहीं की गयी । अतः आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

चूंकि न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी, अतः उसे वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा हकीकतपुर उर्फ खुदा बांस बनाम राम पार्क एक्सटेंशन परगना लोनी जिला गाजियाबाद के अधिग्रहीत भूमि के विस्थापितों को मुआवजे के भुगतान तथा सुनिश्चित ढंग से पक्के मकान बनाये जाने की सुविधा

4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि श्री विक्रम सिंह, सजवा महासचिव जन कल्याण एवं विकास समिति ई–1413, सभागार भवन, राम पार्क एक्सटेंशन कालोनी, लोनी गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा हकीकतपुर उर्फ खुदा बांस बनाम राम पार्क एक्सटेंशन परगना लोनी जिला गाजियाबाद के कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण संबंधी ज्ञापन प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 117/130 सर्वोदय नगर कानपुर को दिनांक 26-3-92 या उसके आस-पास प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वहां काफी अर्से से बसे हजारों नागरिकों को न उजाड़े जाने के संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये ? ज्ञापन के बिन्दु क्या-क्या हैं तथा उन पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । श्री सजवा का पत्र दिनांक 26-3-92 दिनांक 28-3-92 को प्राप्त हुआ है ।

ग्राम हकीकतपुर की अधिग्रहीत भूमि का अवार्ड दिनांक 126-2-92 को घोषित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त निर्मित भवन आदि की सम्पत्ति का पूरक अवार्ड दिनांक 28-2-92 के अनुसार रुपया 57,49,179 का घोषित किया गया । विस्थापित लोग भूमि एवं भवनों से प्राप्त मुआवजे की धनराशि से पुनः इस क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से पक्के मकान बना सकते हैं और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भूखण्डों के आवंटन में ऐसे नागरिकों को प्राथमिकता अवश्य दी जा सकती है ।

ज्ञापन के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :–

प्रश्नगत कालोनी के जिस भाग का निगम द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है उस भाग में सन् 1985-86 से पहले ही बड़ी तादात में आवासीय प्लाटों को विकसित कर दिया गया था जिसके भुक्त-भोगी आम सामान्य नागरिक हैं । जिन आवासीय प्लाटों पर लोगों ने अपने बच्चों की आम जरूरत पर अंकुश लगाकर घर बनाये थे, उनसे भी निगम को अवगत करा दिया गया था अतः मानवता के आधार पर कालोनी को प्रशासनिक सुविधायें मुहैया करवाने में हमें सहयोग किया जाय ।

निगम द्वारा इस संबंध में ग्राम हकीकतपुर के कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 113 छोटे-बड़े पक्के मकान बने पाये गये । कुछ लोगों ने चहारदीवारी आदि का निर्माण करवा लिया था किन्तु यह निर्माण किसी योजना के तहत नियमित ढंग से नहीं किया गया है । निगम द्वारा सुनियोजित ढंग से जो विकास कार्य प्रस्तावित है, उसमें सड़क, नाली, पानी, मल निस्तारण की व्यवस्थाओं के साथ-साथ अन्य सुविधायें भी दिया जाना प्रस्तावित हैं । विस्थापित लोग भूमि एवं भवनों से प्राप्त मुआवजे से पुनः इस क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से पक्के मकान

बना सकते हैं और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा भूखण्डों के आवंटन में उनको प्राथमिकता अवश्य दी जा सकती है ।

सदन के पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जनपद वाराणसी के ग्राम सभा कठिरांव के मत्स्य पालन हेतु 35 तालाबों के निर्माण में धांधली की शिकायत

5–श्री ऊदल–

क्या मत्स्य पालन मंत्री को जानकारी है कि गांव सभा कठिरांव, परगना मन्द्रहा, तहसील व जिला वाराणसी के सेहदा ताल के 76 एकड़ में मछली पालन हेतु 35 तालाब निर्मित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तालाब अधूरे रह गये और जांच करने पर 6 लाख 40 हजार का गबन पाया गया था ? क्या यह भी सही है कि जिलाधीश वाराणसी ने निदेशक मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश को लिखकर भेजा था कि गबन की राशि वसूल की जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उस गांव के प्रधान श्री हैदर अली से भी जांच हेतु पूछतांछ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां । सेहदा ताल, ग्राम कठिरांव विकास खण्ड बड़ागांव, वाराणसी में फिसरीज स्टेट के अन्तर्गत 35 तालाबों का निर्माण प्रस्तावित था ।

इस कार्य के लिए प्रारम्भ में रु० 23 लाख स्वीकृत किये गये थे । बाद में कतिपय कारणों से संशोधित आंकलन तैयार किये गये तथा संशोधित आंकलन के अनुसार 25 तालाबों का निर्माण किया जाना था जिसका अनुमानित व्यय रु० 18,45,572.92 था । निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भारी घोटाले की शिकायतें प्राप्त हुई थीं एवं घोटाले की प्राथमिक जांच करायी जा चुकी है । जांच रिपोर्ट के अनुसार रु० 18,46,572 की स्वीकृति धनराशि के विरुद्ध रु० 11,87,184.45 का व्यय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, वाराणसी द्वारा दिखाया गया है । कार्य का भौतिक सत्यापन सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी से कराया गया है । सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार रु० 11,87,184.45 के व्यय के विरुद्ध मात्र रु० 5,89,143.20 का निर्माण कराया गया साबित हुआ है । इस प्रकार रु० 59841.25 का अधिक व्यय दिखाया गया है न कि रु० 6,40,000 का इस व्यय के लिए प्रथम दृष्टया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सत्स्य पालक विकास अभिकरण, वाराणसी को दोषी पाया गया । तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वी० के० पाण्डेय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा आरोप-पत्र शासन द्वारा अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त निदेशक को यह निर्देश दिये गये हैं कि मामले से संबंधित आरोप-पत्र तथा अन्य कागजात निदेशक, मत्स्य से प्राप्त करें । श्री वी० के० पाण्डेय को निलम्बित किया जा चुका है । चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति में है । अतः श्री हैदर अली ग्राम प्रधान कठिरांव से पूछतांछ की अलग से आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

प्रदेश में वर्ष 1989 तथा 90 में पेरोल पर छोड़े गये जेल बन्दियों में से वापस न आये बन्दियों की पुनः गिरफ्तारी के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये जाने की जानकारी

6–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1989-90 में जेल से अपराधी, पेरोल पर छोड़े गये थे ? यदि हां, तो कितने ? क्या कुछ अपराधी अब तक वापस जेल में नहीं आये हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

वर्ष 1989 तथा 90 में कुल 1132 बन्दी पेरोल पर छोड़े गये ।

कुल 22 बन्दी जेल में वापस नहीं आये हैं जिसमें से वर्ष 1989 के 7 तथा वर्ष 1990 के 15 हैं । वर्ष 1989 के 7 बन्दियों में से 2 बन्दियों की मृत्यु हो चुकी है और वर्ष 1990 के 15 बन्दियों में से 4 बन्दी की मृत्यु हो चुकी है । इस प्रकार कुल 16 बन्दी अब तक जेल में वापस नहीं आये हैं ।

जी हां । अनधिकृत रूप से बाहर रहने वाले बन्दियों को पुनः गिरफ्तार कर जेल में दाखिल कराने के लिए संबंधित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे दिये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित पत्र की प्राप्ति तथा उक्त के संबंध में श्री राम चन्द्र बख्श सिंह स० वि० प० के कतिपय पत्रों की प्राप्ति की जानकारी

7–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जघन्य अपराध के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बहराइच द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक–सी०एस०टी०/आर०टी०जी०-6/93, दिनांक 31-1-93 में उल्लिखित तथा संलग्न जांच आख्या के क्रम में ज्येष्ट पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और बिलम्ब का क्या कारण हैं ? क्या इस संबंध में श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 20-2-93, 6-3-93, 3-4-93, 12-5-93 तथा 17-7-93 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ? उनमें क्या अनुरोध किया गया और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार पुलिस अधीक्षक, बहराइच का संदर्भित पत्र दिनांक 31-1-93 प्राप्त हुआ पत्र में उल्लिखित प्रकरण के संबंध में ही दिनांक 30-6-91 को श्री अवधराम पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी 53–बी कबीर मार्ग, थाना हुसैनगंज, लखनऊ में जबानी सूचना देकर जयराम पुत्र भांगू निवासी नहर किनारा पी०सी०एफ० थाना हुसैनगंज, लखनऊ (मूल निवासी जनपद बहराइच के विरुद्ध अहस्तक्षेपीय

अपराध संख्या–84/91, धारा 498 भा०दं०वि० पंजीकृत कराया था । चूंकि अपराध अहस्तक्षेपीय था अतः वादी को न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी गयी थी । श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 20-2-93, 6-3-93 एवं 3-4-93 प्राप्त हुए परन्तु दिनांक 12-5-93 व 17-7-93 का पत्र का आना नहीं पाया गया । उक्त पत्र में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा श्री अयोध्या तथा उनके परिवार को जयराम द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोप अंकित किये गये थे । इन पत्रों की जांच से वहीं तथ्य सामने आये जो पूर्व में उल्लिखित हैं ।

श्री हरी राम तिवारी ग्राम प्रधान महरा गौरा थाना छपिया जिला गोण्डा के विरुद्ध जुर्म साबित न होने के कारण अभियोग से नाम निकाले जाने की जानकारी

8–श्री फौजदार, श्री नसीम, श्री रमाकान्त यादव, श्री दरोगा तथा श्री अखिलेश–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रयुक्त बन्दूक का लाइसेंस किसके नाम से है ? क्या श्री हरीराम उक्त ग्राम के प्रधान भी हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधान ने गवाहों का अपने प्रभाव से बयान बदलवा दिया है ? एफ० आई० आर० में नामजद अभियुक्त को तफ्तीश में अपराध से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत प्रयुक्त बन्दूक डी०बी०बी०एल० नं० 2927 का लाइसेंस श्री हरी राम तिवारी पुत्र श्री राम बोध तिवारी ग्राम सभा महरागौरा, थाना छपिया, सुल्तानपुर के नाम है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

विवेचना में प्रधान हरीराम तिवारी के विरुद्ध तमाम तफ्तीश, बयानात, गवाहान व निरीक्षण घटना स्थल के आधार पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ जिसके आधार पर अभियोग से उनका नाम निकाल दिया गया है ।

पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक (प्रचार) को दण्डादेश निरस्त होने के बाद देय तिथि से प्रोन्नति दिये जाने की जानकारी

9–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक (प्रचार) के विरुद्ध कोई जांच चल रही थी, जिसमें उन्हें पूर्णतः दोषमुक्त पाया गया ? यदि हां, तो सहायक निदेशक को देय तिथि से प्रोन्नति का पद (उप निदेशक) आज तक प्रदान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उनसे कनिष्ठ 12 अधिकारी दिनांक 17-9-91 की विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर दिनांक 29-9-91 से प्रोन्नत किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उन्हें प्रोन्नत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त अधिकारी को न्याय दिलवाने की दृष्टि से, देय तिथि से प्रोन्नति

दिलवायेंगे ? क्या इस मामले से संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

सहायक निदेशक (प्रचार) पशुपालन विभाग को विभागीय जांच में दिनांक 11-2-1987 को दण्डित किया गया था । इस दण्ड के विरुद्ध उक्त अधिकारी के प्रत्यावेदन को स्वीकृत करते हुए दिनांक 8-1-1992 को उक्त दण्डादेश निरस्त किया गया था । विभागीय चयन समिति दिनांक 17-9-1991 से उनसे कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति की गयी थी किन्तु दण्डादेश के कारण उनके संबंध में विचार स्थगित रखा गया था क्योंकि उक्त तिथि तक उक्त दण्डादेश निरस्त नहीं हुआ था ।

उक्त अधिकारी को विभागीय चयन समिति दिनांक 2 मई, 1992 में प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया था । सहायक निदेशक (प्रचार) को बाद में देय तिथि से प्रोन्नति दी जा चुकी है । अतः उक्त अधिकारी का कोई अहित नहीं हुआ है ।

उन्नाव जिला पुलिस के अनियमित आचरण के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

10–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको उन्नाव जिला पुलिस के अनियमित आचरण, थाना मौरावां, असोहा व पुरवा में एफ० आई० आर० न दर्ज करने आदि के गम्भीर प्रकरणों से युक्त प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 9-12-93 पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष अपराध द्वारा की जा रही है ।

इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उ० प्र० लखनऊ के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा इम्पलाइज डिपाजिट लिंक इन्श्योरेन्स स्कीम लागू होने की जानकारी

11–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट अलीगंज, लखनऊ के समस्त कर्मचारियों पर भविष्य निधि योजना लागू नहीं है ? क्या वहां पर अधिकारियों के पद सृजित हैं । यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों का सामूहिक बीमा का लाभ प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह सुविधा बढ़ा देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उ० प्र० लखनऊ के समस्त कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट, 1952 लागू है । यहां पर अधिकारियों के पद सृजित हैं । यहां के कर्मचारियों पर सामूहिक बीमा योजना के स्थान पर एम्पलाइज डिपाजिट लिंक इन्श्योरेंश स्कीम 1976 लागू है एवं इस सुविधा को बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में सब-इन्स्पेक्टर, हेड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिल के स्वीकृत रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

12–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सब-इन्स्पेक्टर, हेड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिल के स्वीकृत रिक्त स्थानों को शीघ्र भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? लखनऊ में थानावार कितने स्थान पर उपरोक्त पदों की स्वीकृति है तथा उनमें से कितने रिक्त हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लखनऊ नगर में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निम्नलिखित पद स्वीकृत रिक्त हैं :–

	उप नि०	मुख्य आरक्षी हे० का०	कान्सटेबिल
स्वीकृत	348	288	2104
रिक्त	13	16	95

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर यथाशीघ्र की जायेगी ।

श्री कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव, सहायक अधीक्षक, डा० एस० पी० एम० चिकि० (सिविल), हजरतगंज, लखनऊ को आवास आवंटन में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

13–श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन यादव तथा महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–आर०–370/32-2-93-2/11/92, दिनांक 26-2-93 द्वारा डा० एस० पी० एम० चिकि०(सिविल), हजरतगंज, लखनऊ में आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत सहायक अधीक्षक, श्री कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव को टिकैतराय कालोनी में आवास संख्या आर०एस०–2/101, रिक्ति की प्रत्याशा में आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आवास को तब तक पूर्व आवंटी श्री कामता प्रसाद यादव, मुख्य आरक्षी, मुख्य मंत्री सुरक्षा द्वारा खाली न करने के कारण उक्त श्री श्रीवास्तव द्वारा क्रमशः माह अप्रैल व मार्च 1993 में ही लिखकर राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 में सूचित कर दिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें कब तक उक्त आवंटित मकान पर या नये खाली तीन या दो कमरे के मकान का आवंटन कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भवन को आवंटित करने में विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

श्री कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव, सहायक अधीक्षक, डा० एस० पी० एम० चिकि० (सिविल), हजरतगंज को पूर्व में आवंटित आवास का कब्जा न मिलने के परिवर्तन स्वरूप टिकैतराय कालोनी में ही स्थित अन्य आवास संख्या–आर० एस०–2/333, रिक्ति की प्रत्याशा में शासनादेश दिनांक 11-2-94 के द्वारा आवंटित किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलिया के कोषागार में की गयी नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन

14–श्री संग्राम सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के बावजूद बलिया जनपद में चुनाव के दौरान माह अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में सरकारी नियुक्तियां तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में की गयी हैं ? यदि हां, तो किस विभाग में और क्या नियुक्यों में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कलेक्ट्रेट और ट्रेजरी तथा जिला चिकित्सालय, बलिया में गुप्त रूप से नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसा करने वालों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया के कोषागार में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए, माह दिसम्बर में तृतीय श्रेणी में चुनाव के उपरान्त नियुक्तियां की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के जान माल की रक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों को सरकारी कोटे से देने की मांग

15–श्री घूराराम–

क्या मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जातियों के जान एवं माल की रक्षा के लिए आग्नेयास्त्र एवं शस्त्र देने की कृपा करेंगे ? क्या बलिया जनपद के 221-रसड़ा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के जीवन बिल्कुल असुरक्षित हैं, को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राइफल-बन्दूकों को सरकारी कोटे से देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्डीनेन्स फैक्ट्रियां राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं हैं, अपितु केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं तथा इसके लिये राज्य सरकार का कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।

जनपद महराजगंज के ग्राम बागापार के अनुसूचित जातियों पर पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार की शिकायत

16–श्री चन्द्र किशोर–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज में स्थित ग्राम बागापार के अनुसूचित जातियों पर दिनांक 2 दिसम्बर, 1993 को कोतवाली पुलिस कर्मियों ने अत्याचार किया और उनकी निर्मम पिटाई की गयी ? क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में ग्राम बागापार के ही निवासी श्री अर्जुन अनुसूचित जाति ने उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कोतवाली पुलिस के विरुद्ध दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो शासन से अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उपरोक्त के कारण शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में नयी पुलिस चौकियां खोले जाने का प्रस्ताव

17–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में कितनी नयी पुलिस चौकियां प्रस्तावित हैं ? क्या उसमें अति महत्व की भरतपुर, बेड़ी पुलिया एवं सरधुवा पुलिस चौकियां भी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन को उ०प्र० पुलिस मुख्यालय से जनपद बांदा में 15 नयी पुलिस चौकियां खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

उक्त तीनों स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद जौनपुर के पुलिस स्टेशनों पर आरक्षण के आधार पर थानाध्यक्ष/सहायक इन्सपेक्टर की तैनाती

18–श्री राम दवर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जितने पुलिस स्टेशन हैं उसमें आरक्षण के आधार पर थानाध्यक्ष/सहायक इन्सपेक्टर तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जाति /जनजातियों के लिए आरक्षित अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव तथा उपसचिव के पदों की जानकारी

19–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव तथा उप सचिव के कितने-कितने पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं ? क्या इन आरक्षित पदों के अनुरूप अधिकारी नियुक्त हैं और क्या आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार की यह नीति है कि आरक्षित पदों पर श्रेणी का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसे रिक्त रखा जायेगा ? यदि हां, तो इन तीनों श्रेणी के पदों में से कितने-कितने पद रिक्त रखे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, अनु सचिव तथा उप सचिव के निम्न पद अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित हैं :–

अनुभाग अधिकारी	7 पद
अनु सचिव	2 पद
उप सचिव	1 पद

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण अनुभाग अधिकारी तथा अनु सचिव के पदों पर प्रोन्नति न हो पाने के फलस्वरूप इन पदों पर आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया जा सका है । उप सचिव के पद के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार भरे गये हैं ।

जी नहीं, पांच वर्ष तक रिक्ति को अग्रेनीत करने के उपरान्त अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उक्त पदों को भरने की व्यवस्था है ।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये निम्न प्रकार पद रिक्त रखे गये हैं :–

अनुभाग अधिकारी	–	5 पद
अनु सचिव	–	2 पद

उप सचिव के लिये आरक्षित अनुसूचित जनजाति के एक पद के विरुद्ध अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, इस रिक्ति को पांच वर्ष तक अग्रेनीत करने के उपरान्त अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा भर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर की रजा टेक्सटाइल्स मिल को पुनः चलवाने की मांग

20–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि रजा टेक्सटाइल्स मिल, जनपद रामपुर के बन्द करने के कारण उसमें कार्यरत लगभग 3000 मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो इन मजदूरों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए क्या इस मिल को पुनः चलाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रजा टेक्सटाइल्स मिल, जनपद रामपुर की बन्दी के कारण लगभग 2500 श्रमिक प्रभावित हुए है । मिल को चलाने के सम्बन्ध में वार्तायें की गयीं परन्तु उनसे कोई सफलता नहीं मिली । वर्तमान में मिल के मामला के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष होने के कारण शासन स्तर से अलग से मिल चलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश के गन हाउसों में कारतूसों, असलहों की मूल्य सूची दुकानों पर न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियमों में व्यवस्था न होने की जानकारी

21–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन हाउसों में कारतूसों, असलहों की मूल्य सूची दुकानों पर लगाये जाने के लिए कोई सरकारी आदेश हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के आयुध अधिनियम एवं नियमावली तथा भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । मूल्य सूची दुकानों पर लगाये जाने के सम्बन्ध में इनमें कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निर्देश/आदेश जारी करने के लिये सक्षम नहीं है ।

श्री देवराज, प्रधान, ग्राम सभा अजरौली, थाना खण्डासा, अमानीगंज, जिला फैजाबाद पर प्राणघातक हमला तथा सुरक्षा की मांग

22–श्री मित्र सेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री देवराज, प्रधान, ग्राम सभा अजरौली, थाना खण्डासा, अमानीगंज, फैजाबाद ने गृह सचिव, उ० प्र०, लखनऊ को कोई टेलीग्राम दिनांक 26-6-93 को अनुसूचित जाति उत्पीड़न तथा अपने सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में भेजा था ? क्या उक्त सन्दर्भ में कोई कार्यवाही न होने के कारण ही प्रधान देवराज उपरोक्त पर प्राण घातक हमला दिनांक 6-7-93 को आग्नेयास्त्रों से किया गया है, जिसकी प्राथमिकी अन्तर्गत धारा 307 व धारा 3(2) थाना खण्डासा फैजाबाद में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो प्रधान की सुरक्षा व्यवस्था में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत टेलीग्राम का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

ग्राम अजरौली में अनुसूचित जाति व सवर्ण में तनाव था । अतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिनांक 23-06-93 को ही इस ग्राम में सशस्त्र पुलिस लगा दी गई थी । पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखने के बावजूद भी दिनांक 06-07-93 को ग्राम प्रधान, श्री देवराज के ऊपर अभियुक्त, वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सरन सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्राणघातक हमला किया गया जिसके सम्बन्ध में मु० अप० संख्या–88/93 अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०वि० व 3(2) (5) अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया जिसकी जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद में 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना तथा अभियुक्त के पास निजी लाइसेंस न होने की जानकारी

23–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना खण्डासा में पंजीकृत अपराध मुकदमा संख्या 99/89 धारा 27/30 आई०पी०सी० के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों के पास निजी बन्दूक लाइसेंस भी है ? यदि हां, तो क्या ऐसे असलहों की जब्ती की कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित अपराध धारा 27/30 आई०पी०सी० के अन्तर्गत न होकर 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है । उक्त वाद में वांछित अभियुक्तों के पास निजी बन्दूक लाइसेंस नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में किलेड एसिड बनाने की फैक्ट्री की संख्या तथा दर अनुबन्ध पर अनुमोदित इकाइयों से बैट्री आपूर्ति किया जाना

24–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किलेड एसिड बैट्री बनाने के कितने निर्माता फैक्ट्री हैं ? क्या यह फैक्ट्रियां सरकार द्वारा अप्रूव्ड हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारी विभाग द्वारा इन बैटरियों की खरीदारी की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की बैट्री प्रदेश के बाहर के निर्माताओं से खरीदने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ०प्र० में लोड एसिड बनाने के 116 निर्माता फैक्ट्री लघु स्तरीय क्षेत्र में पंजीकृत हैं । 25 इकाइयां सामग्री क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ।

प्रदेश में पंजीकृत/स्थापित इकाइयों में से 7 इकाइयों सरकारी विभागों को बैट्री आपूर्ति करने के लिए दरे अनुबन्ध पर 30-9-94 तक के लिए अनुमोदित हैं ।

सरकारी विभाग उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग) द्वारा विज्ञापित दर अनुबन्ध पर अनुमोदित इकाईयों से ही क्रय करने के लिए बाध्य हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सरकारी विभागों हेतु बैट्री का क्रय केवल प्रदेश की इकाईयों के लिए आरक्षित है, अतः बाहर की इकाईयों से क्रय करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, अलीगंज, उ०प्र०, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने पर की जा रही कार्यवाही तथा पुनरीक्षित वेतनमान में एरियर के भुगतान की जानकारी

25–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली कब तक बनायी जायेगी ? क्या समस्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसके लिये अन्य संस्थानों की नियमावली संदर्भ हेतु मंगाई गयी हैं, एवं अध्ययन कर इस इन्स्टीट्यूट की नियमावली बनाया जाना विचाराधीन है । इस कार्य में कुछ समय लग जायेगा ।

इस इन्स्टीट्यूट के समस्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार बकाया वेतन एरियर का भुगतान किया जा चुका है ।

जनपद लखनऊ में फायर स्टेशनों तथा उनमें उपलब्ध गाड़ियों की संख्या की जानकारी

26–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में कितने फायर स्टेशन हैं तथा उनमें से प्रत्येक स्टेशन पर कितनी-कितनी आग बुझाने की गाड़ियां हैं ? क्या प्रत्येक फायर स्टेशन पर स्वीकृत गाड़ियों से कम गाड़ियां हैं ? यदि हां, तो गाड़ियों की यह कमी कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद लखनऊ में 5 फायर स्टेशन है । प्रत्येक फायर स्टेशन पर आग बुझाने की गाड़ियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' में उपलब्ध है । प्रत्येक फायर स्टेशन पर स्वीकृत गाड़ियों से कम गाड़ियां नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175 पर)

जनपद चमोली के भराड़ी सैण नामक स्थान पर बने विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र के क्रिया कलापों की जानकारी

27–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या पशु पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के भराड़ी सैण नामक स्थान पर विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र की क्या स्थिति है ? किन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उसकी स्थापना की गयी थी ? क्या यह केन्द्र अपने उद्देश्यों में सफल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस केन्द्र पर कुल कितना व्यय प्रतिवर्ष होता है ? क्या व्यय के अनुपात में प्रगति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि केन्द्र पर प्रतिवर्ष कितना घाटा आ रहा है तथा इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच करायेगी ?

श्री मनोहर लाल–

इस प्रक्षेत्र के पास 200 हेक्टर भूमि उपलब्ध है जिसमें पशु शालाओं, कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय भवन बने हैं । वहां पर प्रतिवर्ष 1981-82 में 60 जर्सी गायें तथा 2 जर्सी सांड़ डेनमार्क से क्रय कर कार्य प्रारम्भ किया गया । कुल भूमि में से 16 हेक्टर भूमि भवन, सड़क, वन तथा 8 हेक्टर कृषि भूमि, 16 हेक्टर पर बहुवर्षीय चारागाह तथा 80 हेक्टर भूमि पर अविकसित चारागाह है । इस प्रक्षेत्र की स्थापना का मूल लक्ष्य विदेशी पशुधन को व्यवस्थित कर उनसे प्राप्त उन्नत नस्ल के सांड़ों द्वारा स्थानीय गायों में संकर प्रजनन द्वारा दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है ।

जी हां, इस प्रक्षेत्र से अब तक 364 सांड़ उत्पन्न कर वितरित किये जा चुके हैं जिनके द्वारा स्थानीय गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ी है । इस केन्द्र पर वर्ष 1992-93 में वेतन तथा भत्तों में 10,10,479 रुपया तथा आकस्मिक व्यय की मद में 11,38,470 रुपया (कुल रुपये 21,48,949 व्यय हुए हैं जिसमें से रुपया 7,99,032) सामग्री सम्पूर्ति मद में व्यय हुआ है ।

जी हां, चूंकि प्रक्षेत्र अभी विकासोन्मुख स्थिति में है और कतिपय निर्माण कार्य अभी प्रस्तावित है, फिर भी प्रक्षेत्र पर व्यय के अनुपात में अपेक्षित प्रगति हो रही है । प्रक्षेत्र पर वर्ष 1992-93 में सामग्री सम्पूर्ति पर कुल 8.00 लाख रुपये व्यय हुआ है और इसी मद में से पशुधन के ऊपर खिलाई पिलाई तथा अन्य कार्यों पर व्यय हुआ है तथा प्रक्षेत्र पर 7.72 लाख रुपये की आय हुई है । अतः प्रक्षेत्र पर प्रगति व्यय अनुपात में ही है ।

चूंकि प्रक्षेत्र व्यावसायिक न होकर विकासात्मक कार्यों हेतु स्थापित है तथा मूल उद्देश्य के अतिरिक्त दूध, घास, पशु विक्रय से जो आय होती है वह प्रक्षेत्र की अतिरिक्त आय है अतः प्रक्षेत्र को मुनाफा व घाटे से आंकलित करना उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में विस्तृत जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर में अ० सं० 277/92 तथा अ० सं० 339/93 के अन्तर्गत अंकित प्राथमिकी तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ० सं० 277/92 तथा अ० सं० 339/93 थाना धम्मौर, सुल्तानपुर में अंकित प्राथमिकी किस अपराध के अन्तर्गत दर्ज की गयी है ? उक्त अपराध का विवरण क्या है तथा अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलामय सिंह यादव–

थाना धम्मौर, सुल्तानपुर में अप० सं० 277/92 धारा 3/4 एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट 1989 एवं धारा 504 भा० दं० वि० के अन्तर्गत तथा अप० सं० 339/93 धारा 504/506 भा०दं०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया ।

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री लालचन्द, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी पाठशाला, लौहर पश्चिम, थाना धम्मौर, जिला सुल्तानपुर को श्री राम कलप पाण्डेय, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, भई ने अध्यापकों एवं बच्चों के समक्ष चिल्ला-चिल्लाकर घटित सूचना एवं अपमानजनक शब्दों से संबोधित करके अपमानित किया था जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 277/92 पंजीकृत हुआ । विवेचना के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । मु०अप० सं० 339/93 के संबंध में तथ्य यह है कि दिनांक 7-10-93 को प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला भई, सुल्तानपुर ने सभी सहायक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को अपने पास बुलाया उनके पास पहुंचने पर ग्राम भई के शीतला प्रसाद अग्रहरि, जो प्रधानाध्यापक के पास पहले से ही बैठे थे, ने अकारण सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपमानित किया और उन्हें जान की धमकी दी ।

विवेचना से प्रधानाचार्य, श्री राम सहोदर पाण्डेय के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ, परन्तु अभियुक्त शीतला प्रसाद अग्रहरि के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने के कारण आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

जनपद देवरिया के टाउन एरिया भाटपाररानी में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की मांग

29–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के टाउन एरिया भाटपाररानी में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत होकर प्रवेश हेतु फार्म आदि का वितरण हो चुका था तथा बाद में उक्त केन्द्र को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुनः औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भाटपाररानी में खोलने की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपयुक्त भवन की व्यवस्था के अभाव में भाटपाररानी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका था ।

जी नहीं ।

क्योंकि सलेमपुर में उपयुक्त भवन की व्यवस्था शीघ्र हो सकती थी तथा सलेमपुर के ग्राम बरसीपार में 2.10 एकड़ ग्राम सभा की भूमि भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु प्राप्त हो चुकी है ।

30–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दूसरे दुध में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद तथा विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद में हत्यायें, डकैती एवं अपहरण की घटनाओं का विवरण

31–श्री चन्द्र भूषण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1993 में कितनी हत्यायें, डकैती एवं अपहरण की घटनायें हुयीं ? क्या यह भी बतायेगें कि जनपद के मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र में कितनी हत्यायें, डकैती एवं अपहरण हुए ? क्या उक्त जनपद में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए उन्हें रोकने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1993 में हत्याओं की 225, डकैती की 4 एवं अपहरण की 16 घटनाएं घटित हुई हैं ।

उक्त वर्ष में विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद में हत्याओं की 43, डकैती की 4 एवं अपहरण की 7 घटनायें घटित हुई हैं ।

वर्ष 92 की तुलना में वर्ष 93 में इन अपराधों में कमी आई है । फिर भी जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिये निम्न कार्य योजना बनाई गयी है :–

1–वर्ष 1993 में अपहरण की घटना करने वाले अभियुक्तों में से वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सक्रियता से की जा रही है ।

2–अपहरण के जो अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं उनकी पैरवी भी सक्रिय होकर किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

3–हत्या एवं अपहरण करने वाले पेशेवर अपराधियों की सूची बनायी जा रही है जिससे उनकी भविष्य की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा सके ।

4–रात्रि में हाइवे व अन्य संवेदनशील मार्गों की पुलिस पैट्रोलिंग एवं पिकेटिंग करायी जा रही है ।

5–अचानक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की व्यक्तिगत तलाशी ली जा रही है ।

6–गांव एवं मुहल्लों में पुलिस गश्त की व्यवस्था की जा रही है ।

7–ग्राम सुरक्षा समितियों, मुहल्ला सुरक्षा समितियों को पुनर्गठित करके उनको भी रात्रि गश्त हेतु उत्साहित किया जा रहा है ।

8–भूमि विवाद एवं अन्य प्रकार के विवादों के कारण होने वाली हत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिये विवादों को ग्रामवार एवं मुहल्लावार थाना स्तर पर सूची बद्ध करके उनके समाधान करने की कार्यवाही की जा रही है ।

9–अवैध आग्नेयास्त्रों पर नियंत्रण किया जा रहा है ।

जनपद मैनपुरी में हत्यायें, लूट व डकैती तथा रोड लूट की वर्ष 1992-93 की तुलनात्मक जानकारी

32–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 की तुलना में मैनपुरी क्षेत्र में 1992-93 में कितनी हत्यायें, लूट, डकैती की वारदातें बढ़ी हैं तथा इन्हें रोकने के लिये शासन ने क्या व्यवस्था की है ? क्या यह भी बतायेंगे कि मैनपुरी जनपद में कितनी रोड लूट हुयी है और वह 1991-92 की तुलना में 1992-93 में कितनी ज्यादा हैं या कम हैं ? यदि इनकी संख्या ज्यादा है, तो उन्हें रोकने की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मैनपुरी में हत्या, लूट व डकैती के आंकड़े निम्नवत् हैं:–

अपराध	वर्ष 91 की संख्या	वर्ष 92 की संख्या	वर्ष 93 की संख्या
हत्यायें	135	160	143
लूट	89	104	73
डकैती	19	10	0

अधिक सतर्कता बरते के परिणामस्वरूप इन वारदातों में वर्ष 1993 में कमी आयी है ।

रोड लूट वर्ष 1991 में चार, वर्ष 1992 में दो तथा वर्ष 1993 में दो घटनायें हुई । स्पष्ट है कि इसकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है ।

गोरखपुर जोन, गोरखपुर में थानों में अनुसूचित जाति के हटाये गये थानाध्यक्षों को पुनः थानाध्यक्ष बनाये जाने की मांग

33–श्री मोलई–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जोन, गोरखपुर में उ० प्र० में कितने थाने आते हैं । इनमें से जनपदवार थानों में किन-किन थानों में अनुसूचित जाति के कोटे के अन्तर्गत कितने थानाध्यक्ष वर्ष 1991, 1992 व वर्ष 1993 के माह नवम्बर तक नियुक्त किये गये ? क्या यह सत्य है कि कुछ थानाध्यक्षों को, जो अनुसूचित जाति के हैं उनको इस पद से हटाये जाने के बाद पुनः थानाध्यक्ष नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो इनको कब तक थानाध्यक्ष बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार गोरखपुर जोन, गोरखपुर में 299 थाने स्वीकृत हैं ।

विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रत्यावर्तित एवं अन्य उप-निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है । इनके कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार, उन्हें थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 176 पर)

मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने हेतु उनके उत्पादों के क्रम एवं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से डिब्बा बन्द मछलियों को उपभोक्ताओं को सुलभ कराने की जानकारी

34–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या पशुधन एवं मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहन देने के लिये उनके उत्पादनों (मछलियों) के क्रय करने और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से डिब्बा बन्द मछलियां उपभोक्ताओं को सुलभ कराने की कोई योजना है । यदि हां, तो कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण अभी उपरोक्त योजना नहीं बन पायी है ।

श्री आजम खां, सहायक प्रवक्ता, राजकीय पालीटेक्निक, गोचर, जिला चमोली (गढ़वाल) की बेवा को अब तक अनुग्रह राशि न प्रदान करने का कारण

35–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आजम खां, सहायक प्रवक्ता, पालीटेक्निक, गोचर, जिला चमोली (गढ़वाल) की अन्य लोगों के साथ-साथ दिनांक 7-8-92 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में मृतकों को क्या 20-20 हजार रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा हुयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक की पत्नी श्रीमती जहांआरा का जिलाधिकारी को सम्बोधित दिनांक 22-7-93 का प्रार्थना-पत्र जिसमें 5,000 रुपये के अतिरिक्त धन न मिलने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतकर्ता पत्नी को अनुग्रह राशि न प्रदान कराने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त राशि तुरन्त प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, परन्तु घटना 6-9-92 की है ।

प्रश्नगत दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को परिवहन विभाग के नियमों के अन्तर्गत रु० 20,000/- प्रति मृतक की दर से तथा रु० 5,000/- मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से प्रति मृतक की दर से आर्थिक सहायता की धनराशि स्वीकृत की गई थी ।

जी हां ।

मृतक श्री आजम खां की पत्नी श्रीमती जहांआरा, निवासी सुल्तानपुर को रु० 5,000/- का भुगतान मा० मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से किया गया है तथा रु० 20,000/- एवं रु० 333.30 पैसे ब्याज का भुगतान परिवहन विभाग के नियमों के अन्तर्गत उक्त श्रीमती जहांआरा को जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर के माध्यम से कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में सरकारी आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे विधायकों एवं पूर्व विधायकों की जानकारी

36–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने विधायक एवं पूर्व विधायक अनाधिकृत रूप से लखनऊ में सरकारी आवासों में रह रहे हैं ? क्या इस संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सरकारी आवासों में सम्प्रति 19 विधायक एवं 27 पूर्व विधायक अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ।

जी हां । जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं या जिनमें स्थगनादेश प्रभावी हैं, उन्हें छोड़कर अन्य अनधिकृत अध्यासन समाप्त किये जायेंगे ।

थाना माल, मलिहाबाद, लखनऊ में दर्ज मु० अ० सं० 266/93 धारा–324, 435 तथा 3(2) के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच किये जाने की जानकारी

37–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं० 266/93 धारा-324, 435 तथा 3(2) अनु० जाति उत्पीड़न, थाना माल, मलिहाबाद, लखनऊ में दिनांक 7-12-93 को श्रीमती श्याम कुमारी द्वारा अंकित कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि रिपोर्टकर्ता के पति श्री दयाराम पासी ने दिनांक 9-12-93 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को तार भेजकर अपने पिता श्री बड़कऊ पासी, निवासी ग्राम शाहपुर गोड़वा को हाथ बांधकर झोपड़ी फूंककर, जिन्दा जलाकर मार डालने का आरोप लगाकर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोई सूचना भेजी है ? यदि हां, तो उक्त दोनों सूचनाओं में सही तथ्य क्या हैं ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उपरोक्त मुकदमें में पहलवान सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, ननकऊ सिंह पुत्र रणधीर सिंह व मुन्ना सिंह पुत्र रणधीर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम शाहपुर गोड़वा के विरुद्ध पानी निकालने के विवाद को लेकर उसके बाग में रखी झोपड़ी में आग लगा देने व वही पर आग ताप रहे उसके ससुर के जल जाने के संबंध में आरोप अंकित किये गये हैं ।

जी हां ।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गयी है ।

जनपद सहारनपुर के कस्बा बेहट तथा बिहारीगढ़ में फायर स्टेशन खोले जाने की मांग

38–श्रीमती रानी देवलता (सहारनपुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फराबाद घाड क्षेत्र, जिला सहारनपुर जहां ग्रीष्म ऋतु व शरद ऋतु में अचानक किसी एक झोपड़ी में आग लग जाने पर कई गांव जलकर राख हो जाते हैं, कई पशु जल कर मर जाते हैं व जल जाते हैं क्या ऐसे पिछड़े क्षेत्र के लिये सरकार फायर ब्रिगेड व फायर स्टेशन के लिये उपयुक्त स्थान देगी ? यदि हां, तो क्या एक फायर स्टेशन बेहट कस्बे में या उसके आस-पास व दूसरा फायर स्टेशन बिहारीगढ़ के आस-पास देने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन को जानकारी है कि मुजफ्फराबाद क्षेत्र, जिला सहारनपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में अचानक अग्निकाण्ड की घटनायें होने से जांन-माल की क्षति होती है जिससे बचने के लिये प्रदेश के समस्त जिले मुख्यालयों एवं कतिपय महत्वपूर्ण स्थानों/तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिससे अग्निशमन कार्य किया जाता है । जहां तक कस्बा बेहट तथा बिहारीगढ़ या उसके आस-पास फायर स्टेशन खोले जाने का प्रश्न है, प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों, प्रदेश के अन्य भागों की तुलनात्मक आवश्यकताओं एवं अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थानों पर फायर स्टेशन स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया है । अतः उक्त स्थानों पर फायर स्टेशन खोला जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

39–श्री ओम प्रकाश–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के सब इंस्पेक्टर, ओंकार नाथ द्वारा पत्रकार, श्री राम सागर मौर्य के साथ की गयी अभद्रता की जांच

40–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) तथा श्री बालेश्वर यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के सब इंस्पेक्टर, ओंकार नाथ द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 1993 को पत्रकार, रामसागर मौर्य से अभद्र व्यवहार करने तथा गाड़ी के कागजात छीनने आदि का आरोप उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित एक प्रार्थना-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत प्रकरण पर जांच करायी गयी । राम सागर मौर्य, पत्रकार से अभद्र व्यवहार करने व गाड़ी के कागजात छीनने आदि का आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाया गया ।

1985 में एल० आई० यू० में सिविल पुलिस से भेजे गये उप-निरीक्षकों को उनकी इच्छानुसार पुनः सिविल पुलिस में तैनाती किये जाने पर विचार किये जाने की जानकारी

41–श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में एल० आई० यू० में भेजे गये 197 उप-निरीक्षकों की सिविल पुलिस में तैनाती के विषय में संयुक्त सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन ने आई० जी०, कार्मिक को लिखे अपने पत्र संख्या–2249/छः–पु-1-71/91, दिनांक 12-1-93 के बिन्दु 2 में यह अंकित किया है कि पी० टी० सी० से जो उप-निरीक्षक अभिसूचना विभाग में लिये जाये, उन्हें वरिष्ठता के आधार पर इनकी इच्छा को ही ध्यान में रखकर लिया जाय । यदि हां, तो एल० आई० यू० में इच्छा के विपरीत लिये गये उप-निरीक्षकों के स्थानान्तरण सिविल पुलिस में करने पर अब क्या बाधा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सम्प्रति अभिसूचना विभाग की विभिन्न इकाइयों में उप-निरीक्षक के 130 पद रिक्त है । इन्हें भरने के लिये नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है । तत्पश्चात् ही विभाग में नियुक्त अनिच्छुक उप-निरीक्षकों को सिविल पुलिस में स्थानान्तरित करने पर विचार कर पाना सम्भव होगा ।

42–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

[दूसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतिबन्धित संगठनों से सम्बद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों की अलग से सूची न बनाये जाने तथा उ० प्र० सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के तहत ही कार्यवाही किये जाने की जानकारी

43–श्याम देव राय चौधरी दादा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतिबन्धित संगठनों से सम्बद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची भेजे जाने के निर्देश सभी विभागों को शासन द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सूची के अनुसार उक्त अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो किन कानूनों के तहत ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में, सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध के स्थाई प्राविधान लागू हैं, जिनके उल्लंघन की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही करते हैं, अतः इस हेतु शासन स्तर पर ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचियां संकलित करने की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उक्त संदर्भित नियमावली/नियमों के तहत ।

44–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभा बगवाड़ी, जनपद गढ़वाल में स्थापित भेड़ पालन केन्द्र के क्षतिग्रस्त भवन के बारे में जानकारी

45–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम सभा बगवाड़ी में भेड़ पालन केन्द्र की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो कब और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ? क्या इस केन्द्र के संचालन हेतु किसी भवन का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में उक्त भवन की स्थिति क्या है ? उक्त कार्य हेतु क्या इसकी उपयोगिता हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

वर्ष 1964 में उन्नत नस्ल के मेढ़ों को स्थानीय भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार का कार्य करने हेतु उक्त केन्द्र स्थापित किया गया था ।

जी हां ।

उक्त भवन वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ।

जी नहीं, क्योंकि भवन क्षतिग्रस्त है ।

अनौपचारिक शिक्षा विभाग, एटा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

46–श्री अवध पाल सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि अनौपचारिक शिक्षा विभाग, एटा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच जांच संख्या-7/78 के रूप में आर्थिक अपराध शाखा, मीरपुर कैन्ट, कानपुर से करायी गयी थी ? यदि हां, तो शिकायत के तथ्य सही पाये जाने पर क्या संबंधित लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो पंजीकृत कराये गये अभियोग की संख्या क्या हैं और कहां पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है ? अभी तक उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही करायी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

इन बिन्दुओं के संबंध में गोपनीयता बनाये रखना जनहित में है ।

मामले में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसंख्यकों और दलितों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्रों के लाइसेंस दिये जाने की मांगें

47–श्री इरशाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार अल्पसंख्यकों और दलितों की जान-माल की सुरक्षा हेतु बचनबद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शस्त्रों के लाइसेंस देगी ? यदि हां, तो उक्त नीति कब तक बना दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में विदेशी रिवाल्वर व पिस्तौल की अवैध बिक्री की जानकारी एवं कृत कार्यवाही का विवरण

48–श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में पाकिस्तान की बनी हुई 12 (बारह) रिवाल्वर इसी वर्ष पकड़ी गयी थीं ? इस संबंध में जांच के बाद क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? कितने लोग गिरफ्तार हुए । जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने उक्त रिवाल्वर खरीदे जाने के संबंध में क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह के संबंध में हवाला दिया है ? यदि हां, तो क्या और उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

एक अभियोग में अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया कि जनपद बुलन्दशहर के निवासी बब्बू व उसका भाई बबलू पुत्रगण मोहम्मद हनीफ तथा उसका साथी मिर्जा विदेशी रिवाल्वर व पिस्तौल पाकिस्तान के माध्यम से मंगाते हैं और उन पर इंग्लैण्ड व बर्मिंघम की मुहर व नम्बर अंकित करके असली रिवाल्वर के रूप में अच्छे दामों में बेच देते हैं । इस गिरोह द्वारा जनपद आगरा में सात रिवाल्वर बेंचे जाने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनके बारे में 7 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं । इनमें से तीन अभियोगों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं ।

प्रकरण के मुख्य अभियुक्त बब्बू व मिर्जा ने जनपद बुलन्दशहर में आत्म-समर्पण किया जिन्हें न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निवास–2 पुराना, कैन्टीन के मुस्लिम कर्मचारियों द्वारा अपने उत्पीड़न के बारे में की गयी शिकायत

49–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 4-9-93 व 11-9-93 व 23-9-93 को विधायक निवास–2 पुराना, कैन्टीन के मुस्लिम कर्मचारियों ने अपने उत्पीड़न के संबंध में

एक ज्ञापन राज्य सम्पत्ति अधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया था ? यदि हां ,तो उसमें किन-किन लोगों के विरुद्ध शिकायत की गई थी तथा उत्पीड़न की कार्यवाही में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये थे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

व्यवस्था अधिकारी तथा स्वागती, विधायक निवास–2 (पुराना) के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं, जिनके संबंध में जांच कराई गयी । जांच में कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया तथा शिकायतें बलविहीन एवं द्वेषपूर्ण भावना से की हुई पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस स्थानीय अभिसूचना इकाई, बाराबंकी में कार्यरत एस० एस० आई०, श्री ओम प्रकाश सिंह की तैनाती पुनः उसी स्थान पर (बाराबंकी में) न किये जाने की मांग

50–श्री गजराज सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पुलिस स्थानीय अभिसूचना इकाई, बाराबंकी में कार्यरत एस० एस० आई०, श्री ओम प्रकाश सिंह का स्थानान्तरण एस० पी०, बाराबंकी की शिकायत के आधार पर जून, 1993 में सीतापुर के लिये स्पेशल ब्रांच इन्टेलीजेन्स में डी० आई० जी०, इन्टेलीजेन्स, लखनऊ द्वारा किया गया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पूर्व में भी श्री सिंह छः वर्ष एस० आई० के पद पर तथा तीन वर्ष एस० एस० आई० के पद जनपद बाराबंकी की स्थानीय अभिसूचना इकाई में कार्यरत रहे हैं और उक्त अवधि में इनके विरुद्ध काफी शिकायतें शासन एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुयीं थीं और अब पुनः श्री सिंह की तैनाती उसी स्थान पर जनपद बाराबंकी में ही की जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार श्री सिंह की तैनाती पुनः उक्त स्थान पर न करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया है ।

जी नहीं । एस० आई० के पद पर दिनांक 14-1-81 से 25-7-86 तक एस० एस० आई० के पद पर दिनांक 8-9-90 से 17-6-93 तक । एस० एस० आई० के कार्यकाल में इनके विरुद्ध वर्ष 1991 में तथा 1993 में एक शिकायत प्राप्त हुयी थी, जिसकी जांच कराने पर इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के दयालबाग विधान सभा क्षेत्र के बरोली गूजर मतदान केन्द्र पर हुए झगड़े के संबंध में गिरफ्तारी न किये जाने की जानकारी

51–श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत दयालबाग विधान सभा क्षेत्र के बरोली गूजर मतदान केन्द्र पर मतदान के समय कोई झगड़ा हुआ, जिस पर थाना डौकी पर अ० सं०–364 ए दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक गिरफ्तारी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । श्री महराज सिंह द्वारा थाना डौकी, जनपद आगरा पर अभियोग अपराध संख्या–364 ए/93 धारा 147, 323, 337, 504 पंजीकृत कराया गया ।

इस अभियोग की विवेचना के मध्य प्रकाश में आये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है । अतः किसी गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर नगर में अपराधिक प्रवृत्ति वाले शस्त्र लाइसेंसधारकों की जानकारी

52–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर नगर में शस्त्रों की दुकानों के कौन-कौन लाइसेंसधारक हैं ? क्या उनमें से कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं ? क्या उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से शस्त्रों की दुकान का लाइसेंस ले लिया है ? यदि हां, तो क्या उनका लाइसेंस निरस्त किया जायेगा ? वर्ष 1993 के निर्वाचन में क्या बीसलपुर के लाइसेंसधारकों ने अपनी दुकान पर शस्त्र बगैर परगनाधिकारी की अनुमति के एवं बगैर नवीनीकृत शस्त्र लेजर में नवीनीकरण दर्शाये जमा किये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नांकित लाइसेंस धारक हैं :–

(1) श्री कमल कुमार मित्तल

प्रो० कमल हाउस, बीसलपुर, पीलीभीत ।

(2) श्रीमती रामरती देवी

प्रो० मे० राम गन हाउस, बीसलपुर, पीलीभीत ।

(3) श्री राज कुमार अग्रवाल

प्रो० मे० राजकुमार गन हाउस, बीसलपुर, पीलीभीत ।

(4) श्री हरदीप सिंह

प्रो० मे० भारत गन हाउस, बीसलपुर, पीलीभीत ।

(5) श्री अनिल कुमार अग्रवाल

प्रो० मे० अनिल गन हाउस, बीसलपुर, पीलीभीत ।

(6) श्री सच्चिदानन्द अग्रवाल

प्रो० मे० अग्रवाल गन हाउस, बीसलपुर, पीलीभीत ।

एक शस्त्र व्यवसायी के विरुद्ध धारा 465/467/468/426 भा० द० वि० व धारा–25/26 व 36 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1993 के निर्वाचन के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशानुसार शस्त्र व्यवसाइयों एवं थानाध्यक्षों को समस्त शस्त्र तात्कालिक प्रभाव से यथावत. जमा करने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये अतः परगना मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं लेजर में नवीनीकरण आदि दर्शाये जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

53–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में कुल कितने दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कब से ? इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 334 दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मी चपरासी/फर्राश/बेलदार/चौकीदार आदि पदों पर कार्यरत हैं जो वर्ष 1985 से 1991 तक समय-समय पर काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त किये गये ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय समूह ''घ'' सेवा नियमावली, 1983 के नियम 5(1) के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती का प्राविधान है, और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

मत्स्य विकास अभिकरण लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की जी० पी० एफ० की कटौती विषयक मामला

54–श्री तेजभान सिंह–

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विकास अभिकरण, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों के जी० पी० एफ० अथवा सी० पी० एफ० की कटौती की जाती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी नहीं । केवल प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारियों के जी० पी० एफ० की कटौती की जाती है, सीधी भर्ती के कर्मचारियों की कोई कटौती नहीं की जाती है ।

सीधी भर्ती के कर्मचारियों को सेवा शर्तों में इस प्रकार का प्राविधान नहीं है ।

ग्राम मोहिउद्दीनपुर, जिला लखीमपुर खीरी में अनु० जाति उत्पीड़न की घटना जांचोपरान्त सिद्ध न होने की जानकारी

55–श्री राम विशुन आजाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोहिउद्दीनपुर, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी में अनु० जाति उत्पीड़न के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र आई० जी० अनु० जाति उत्पीड़न सेल को दिया गया था ? क्या जांच के पश्चात् मु० नं०–269/93 धारा–436 आई० पी० सी० व 3(2)394 एस० सी० एस० टी० एक्ट के अन्तर्गत दि० 22-8-93 को अभियोग दर्ज किया गया ? क्या अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । उक्त अपराध दिनांक 22-8-93 को नहीं बल्कि 11-9-93 को पंजीकृत किया गया ।

उक्त अपराध पंजीकृत कर विवेचना की गयी । अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध न होने पर विवेचनोपरान्त अभियोग अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना इमलिया के अन्तर्गत चौकी काजी कमालपुर (सीतापुर) के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

56–श्री अनिल कुमार (सीतापुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-8-92 को प्रश्नकर्ता एवं कुछ अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र थाना इमलिया, सुल्तानपुर के अन्तर्गत चौकी काजी कमालपुर (सीतापुर) के विरुद्ध तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायती बिन्दु क्या थे ? क्या उन शिकायती बिन्दुओं पर जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ? क्या संबंधित दरोगा व सिपाही दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब इस प्रकरण पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र में थाना इमलिया, सुल्तानपुर के अन्तर्गत आने वाली चौकी काजी कमालपुर पर नियुक्त उप निरीक्षक श्री अवधेश मिश्रा व सिपाही विनय कुमार सिंह आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा दिनांक 28-7-92 को राम प्रसाद, किशोरी, कैलाश को घर से पकड़ ले जाने एवं फर्जी मुकदमा कायम कर जेल भेज दिये जाने के आरोप अंकित थे ।

जी हां ।

जांच से उप निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा किशोरी व राम प्रसाद आदि से पैसा लिये जाने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए। कैलाश के विरुद्ध पंजीकृत मु० अ० सं० 115/92 धारा 8/18 एन० डी० पी० एस० ऐक्ट थाना इमलिया, सुल्तानपुर में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जी नहीं। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिस अभियोग में कैलाश को झूठा बन्द किये जाने का आरोप है उसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र भेजा गया है जो वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है। मा० न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यथास्थित कार्यवाही की जायेगी।

जी हां। माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरान्त स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

57–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र में शस्त्रों के लाइसेंस कैम्प लगाकर दिये जाने की मांग

58–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के कारण शस्त्रों के लाइसेंस प्रत्येक थाने मुख्यालयों पर कैम्प लगाकर निर्गत किये जाने की व्यवस्था पूर्व सरकार ने की थी तथा बीसलपुर बरखेड़ा तथा बिलसन्डा थाना मुख्यालयों पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय नागरिकों की मांग पर भी इसी प्रकार से लाइसेन्स निर्गत किये जाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी के उक्त आश्वासन का परिपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो भविष्य में इसका परिपालन सुनिश्चत होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में टाडा के अन्तर्गत आतंकवादी घटनाओं में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी

59–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद पीलीभीत में आतंकवाद में लिप्त सम्भावित अभियुक्तों को टाडा के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है ? क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में टाडा बन्दियों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

टाडा अधिनियम के तहत केवल ऐसे अभियुक्तों को ही गिरफ्तार किया गया है जो आतंकवादी घटनाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे हैं अथवा आतंकवादियों के मददगार रहे हैं।

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में परीक्षा नियंत्रक के पद पर स्थायी नियुक्ति न किये जाने के कारणों की जानकारी

60–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पिछले एक वर्ष में कितने कन्ट्रोलर आफ एक्जामिनेशन्स नियुक्त किये गये ? इस महत्वपूर्ण पद पर कोई स्थायी नियुक्ति न हो पाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पिछले एक वर्ष अर्थात् दिनांक 22-12-92 से 22-12-93 की अवधि में निम्नलिखित पी० सी० एस० अधिकारियों को लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती की गई :–

1–श्री धनन्जय सिंह

दिनांक 14-7-92 से 31-7-93

2–श्री राम जनम सिंह

योगदान नहीं किया ।

3–श्री राजाराम उपाध्याय

दिनांक 31-7-93 से 17-8-93

4–श्री जगदीश प्रसाद गुप्त

दिनांक 18-8-93 से 6-10-93

5–श्री राम सरन वर्मा

दिनांक 13-12-93 से अवकाश पर हैं ।

6–श्री प्रज्ञान राम मिश्र के नियुक्ति के आदेश दिनांक 9-2-1994 को निरस्त करते हुए श्री पंचम लाल को दिनांक 15-2-94 को नियुक्त किया गया ।

तैनात किये गये अधिकारियों के परिवारजनों का लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना और प्रशासनिक आधार, समय-समय पर स्थानान्तरण का कारण रहे हैं ।

जनपद सीतापुर में दहेज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामले

61–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में वर्ष 1993 में दर्ज दहेज अधिनियम के कितने मामले ऐसे हैं, जिनमें अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? क्या शासन को जानकारी है कि अपराध संख्या–326/93 धारा–498 (ए) आई पी० सी० तथा 3/4 दहेज अधिनियम थाना बिसवां, जिला सीतापुर में अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या सरकार उक्त मामले में कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कुल 75 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 56 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये गये, विवेचना से 7 अभियोगों की घटना झूठी पायी जाने के कारण खारिज किये गये तथा तीन अभियोगों में साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी । अभी 9 अभियोग विवेचनाधीन हैं ।

यह कहना गलत है कि इस अभियोग में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इस अभियोग की विवेचना की गयी । विवेचना से अभियुक्त रामसनेही, राम शुक्ल, अमित कुमार एवं श्रीमती राज किशोरी, मोहल्ला शंकर गंज, थाना बिसवां के विरुद्ध धारा 498-ए भा० दं० वि० व 3/4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम के अन्तर्गत जुर्म प्रमाणित होने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 29-1-94 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । धारा 304 बी० भारतीय दण्ड विधान का अपराध विवेचना से प्रमाणित नहीं हुआ ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश से आतंकवाद एवं देवरिया जनपद से जंगल पार्टी की दहशत समाप्त कराने की कार्य योजना

62–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से आतंकवाद एवं देवरिया जनपद से जंगल पार्टी से दहशत से मुक्त करने की शासन की कोई कार्य योजना है ? क्या आधुनिक हथियारों सुविधाओं से युक्त अतिरिक्त पुलिस बल वहां तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश में आतंकवाद से प्रभावित जनपदों में सुविचारित कार्य योजना के ही अधीन आवश्यक सुविधाओं से युक्त पुलिस बल नियुक्त करके कार्यवाही की जा रही है । जनपद देवरिया में जंगल पार्टी के आतंक की स्थिति नहीं है, फिर भी जनपद देवरिया के प्रभावित थाना क्षेत्रों में आधुनिक हथियारों एवं सुविधाओं से युक्त अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ।

परियोजना अधिकारी (फ्रोजन सीमेन) अतिविशिष्ट वीर्य योजना रायबरेली की दुर्घटनाग्रस्त जीप के चालक को दोषी पाये जाने की जानकारी

63–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 92 के 5वें सोमवार को निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–22 के उत्तर के क्रम में क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि जीप सं० यू० जी० बी० 1137 जो दुर्घटनाग्रस्त हुई उक्त जीप किस अधिकारी के पास थी तथा उस पर चालक कौन था ? दुर्घटना कहां पर हुई तथा जीप का वहां जाने का क्या कारण था ? क्या ड्राइवर ने दुर्घटना की सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चालक पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं तथा परीक्षण में परिणाम क्या रहा ?

श्री मनोहर लाल–

उक्त जीप परियोजना अधिकारी (फ्रोजन सीमेन) अतिहिमीकृत वीर्य योजना, रायबरेली के पास थी एवं उक्त जीप के चालक श्री रामशंकर थे ।

दुर्घटना उमरपुर गांव में हुई जबकि उक्त जीप तरल नत्रजन एवं अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज की आपूर्ति देने हेतु सलोन जा रही थी ।

जी हां ।

जी हां, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र निबलिट, बाराबंकी द्वारा की गयी विभागीय जांच की रिपोर्ट में इस दुर्घटना को आकस्मिक दुर्घटना पाया गया किन्तु मामले के अग्रेतर परीक्षण में इस तथ्य को सही न पाते हुए दुर्घटना के लिये जीप चालक श्री राम शंकर को दोषी पाया गया है ।

श्री गुरुप्रसाद के शिकायती पत्र दिनांक 2-11-93 पर हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ में अपराध सं० 179/94, दिनांक 12-2-94 के दर्ज किये जाने तथा विवेचना प्रचलित होने की जानकारी

64–श्री फौजदार, श्री समई तथा श्री धामू राम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जान से मार डालने की धमकी देकर जबरियन सुलह कराये जाने तथा कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के संबंध में सलाहकार (श्री बहल) उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित श्री गुरु प्रसाद का शिकायती पत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1993 प्राप्त हुआ है, जो उनके पत्र संख्या–3538/जी, दिनांक 2-11-93 द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग को प्रेषित किया गया है ? क्या पत्र प्रमुख सचिव, गृह के पत्र संख्या–12741/जी० एस०/93, दिनांक 3-11-93 जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ? यदि नहीं, तो रिपोर्ट दर्ज न कराने का क्या कारण है ? रिपोर्ट दर्ज करके एवं जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस संबंध में गहराई से छानबीन करने के उपरान्त हजरतगंज कोतवाली में दिनांक 12-2-94 को अभियोग पंजीकृत किया गया । पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या 179/94 की विवेचना प्रचलित है । विवेचनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जीयेगी ।

आवास सं०–2, कालिका लेन, दारुलशफा, लखनऊ में कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त आगमन के संबंध में जानकारी

65–श्री फौजदार, श्री समई तथा श्री धामू राम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के रसीद रजिस्टर संख्या–1980/32-4-93 पर अंकित संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या–1375/बी–15/93,

दिनांक 30 जून, 1993 द्वारा रु० 5,650 (रुपया पांच हजार छः सौ पचास मात्र) का आगणन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आगणन का कार्य आवास संख्या–2, कालिका लेन, दारुलशफा, लखनऊ (अध्यासी श्री गुरु प्रसाद) में पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पूर्ण कार्य कब तक सम्पादित करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । आवास श्रेणी–1 का है । अपेक्षित कार्य अनुमन्य नहीं है ।

कालिका लेन, दारुलशफा, लखनऊ स्थित चतुर्थ श्रेणी के आवासों की समस्याओं को दूर किये जाने हेतु निर्देश दिये जाने की जानकारी

66–श्री फौजदार, श्री समई तथा श्री धामू राम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालिका लेन, दारुलशफा, लखनऊ स्थित चतुर्थ श्रेणी आवासों के अध्यासियों द्वारा आवासीय समस्याओं के संबंध में सामूहिक रूप से प्रार्थना-पत्र दिनांक 31 मई, 1992, 1 अक्टूबर, 1993 तथा 5 अक्टूबर, 1993 दिया गया है ? क्या उक्त संबंध में अनुसचिव, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–87 सचिव/32-4-92-15/92, दिनांक 4 जुलाई, 1992 तथा संख्या–5486/32-4-93-15/92, दिनांक 25 अक्टूबर, 1993 द्वारा मांगा गया आगणन राज्य सम्पत्ति अनुभाग–4 को प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो आगणन कब तक प्राप्त करके उक्त अध्यासियों की आवासीय समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रार्थना-पत्र दिनांक 31 मई, 1992 तथा 5 अक्टूबर, 1993 प्राप्त हुए हैं । अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड–2 (सिविल) व अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड–1 (विद्युत) लोक निर्माण विभाग को निहित समस्याओं के समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने की योजना तथा बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ परियोजना के संबंध में जानकारी

67–श्री रंगनाथ–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अरबों डालर विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना कौन सी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त उद्योग के बाल मजदूरों को सरकार कोई सहायता दे रही है ? यदि हां, तो कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उ० प्र० निर्यात निगम द्वारा वर्ष 1976-77 से कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत अब तक निर्यात निगम द्वारा प्रदेश के 52 जनपदों में 800 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाकर लगभग 40,000 कालीन बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कालीन उद्योग का विकास हुआ है ।

मिर्जापुर–वाराणसी क्षेत्र के कालीन उद्योगं के बाल मजदूरों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बाल श्रमिक कल्याण परियोजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत 20 विद्यालय स्थापित किये गये हैं । इन विद्यालयों में बाल श्रमिकों को औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रत्येक बाल श्रमिक को 100 रुपया प्रतिमाह की सहायता भी दी जाती है ।

जनपद गाजियाबाद में नवीन ओखला विकास प्राधिकरण की विस्तार में आने वाले गांवों के विकास में खोड़ा व मकनपुर को न शामिल किये जाने की जानकारी

68–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद जनपद में नवीन ओखला विकास प्राधिकरण की अपने विस्तार में आने वाले गांवों को स्लम एरिया बनने से बचाने के लिये गांवों के विकास की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त योजना में खोड़ा व मकनपुर को भी शामिल किया गया है ? यदि हां, तो कब उक्त विकास योजना प्रारम्भ होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । इस योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल का निर्माण, मरम्मत एवं पुनर्निर्माण, पंचायत घर, नाली, खडन्जे, सीवर, पुलिया, सड़क का निर्माण कराया जाना है । पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट एवं सफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराया जना है । इसके अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं वृक्षारोपण की भी योजना है ।

जी नहीं, इस योजना में खोड़ा व मकनपुर को शामिल नहीं किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

25 सितम्बर, 1993 को भाजपा द्वारा आयोजित रैली में सीतापुर रोड पर जनपद रामपुर की एक बस दुर्घटना के संबंध में दी गई जानकारी

69–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 25 सितम्बर, 1993 को भाजपा द्वारा आयोजित रैली में सीतापुर रोड पर जनपद–रामपुर की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ? यदि हां, तो उस बस में सवार कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग गम्भीर रूप से घायल हुए ? कितने यात्री सामान्य रूप से घायल हुए और उन लोगों को कितनी-कितनी अनुग्रह राशि वितरित की गयी ? क्या शेष लोगों को अनुग्रह राशि दिलायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद में स्टेनगन गायब किये जाने के मामले में लिप्त पाये गये कान्स० 374 नागरिक पुलिस राजपाल त्यागी के विरुद्ध विवेचना जारी रहने की जानकारी

70–श्री मदन भइया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 16 सितम्बर, 1992 में जिला गाजियाबाद के थाना गढ़ से एक स्टेनगन चोरी हुई थी ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की ? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 16-9-1992 को प्रश्नगत घटना नहीं हुई बल्कि दिनांक 23-8-82 को तत्कालीन थानाध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद की लिखित सूचना के अनुसार उक्त थाने के मालखाने से कुछ अन्य सामानों के अतिरिक्त एक स्टेनगन कान्स० 374 नाग० पुलिस राजपाल त्यागी द्वारा गायब किये जाने का मामला प्रकाश में आया ।

उक्त सूचना पर थाना गढ़मुक्तेश्वर में अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना प्रारम्भ में उप निरीक्षक श्री सुरेशपाल यादव द्वारा की गई, तत्पश्चात् तत्कालीन क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर श्री के० पी० शर्मा को दिनांक 25-11-92 को विवेचना सुपुर्द की गयी, जिनके द्वारा की गई विवेचना में पुनः कतिपय विन्दुओं पर विवेचना श्री उमेश कुमार तत्कालीन क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर को दी गई । श्री उमेश कुमार के स्थानान्तरण के उपरान्त वर्तमान में उक्त प्रकरण की विवेचना श्री श्रीकृष्ण, क्षेत्राधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय एवं केन्द्रीय पेंशन भोगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या तथा पेंशन हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की सूचना की मांग

71–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रान्तीय एवं केन्द्रीय पेंशन पाते हैं और कितनों के पेंशन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और कब से ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया में कोषागार के पास बने स्वतंत्रता सेनानी भवन में पानी, प्रकाश एवं स्वच्छालय की व्यवस्था की जानकारी

72–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)-

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया में कोषागार के उत्तर में दो बड़े कमरों का स्वतंत्रता सेनानी भवन बनकर तैयार है किन्तु उसमें पानी, प्रकाश, स्वच्छालय की व्यवस्था के अभाव में उपेक्षित पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

जी नहीं । भवन में पानी, प्रकाश एवं स्वच्छालय की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

73–श्री अजय कुमार पोइया–

[तीसरे मंगलवार के लिये स्थगित]

अयोध्या, मथुरा तथा काशी में सुरक्षा व्यवस्था हेतु किये गये कार्यों की जानकारी

74–श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अयोध्या, मथुरा तथा काशी में वृहद सुरक्षा हेतु क्या-क्या कार्य किये गये और इस पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या काशी में ज्ञानवापी प्रांगण में परम्परागत रूप से होने वाले सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबन्ध लगा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले लोगों को सुरक्षा पर तैनात पुलिस बलों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि दर्शनार्थियों तथा विश्वनाथ गली में खरीददारी करने के लिये आने वालों की संख्या में लगातार कमी से, काशी का व्यापार प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या उपाय करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अयोध्या, मथुरा तथा काशी में सुरक्षा व्यवस्था हेतु किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :––

अयोध्या :–

विभिन्न उपकरण/साजसज्जा/नियंत्रण कक्ष का उच्चीकरण/पी० ए० सिस्टम/एंगिल आयरन जी आई पाईप रेलिंग/पाइप बैरीकेडिंग/तार के साथ आईशोलेशन का निर्माण/प्रकाश व्यवस्था/विद्युत व्यय का भुगतान/फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना हेतु कार्य पूर्ण किया गया है।

उक्त कार्य पर अब तक रु० 1,29,09,000 व्यय हेतु प्रदान किये गये हैं ।

काशी :–

प्रकाश व्यवस्था/जैनरेटर कक्ष का निर्माण/सायरन/अलार्म/पी० ए० सिस्टम/सी० सी० टी० वी०/स्थाई बैरीकेडिंग.गैंगवेज/वाच टावर/6 चैनेल गेट/4 मंजिला भवन तथा खिड़कियों पर लोहे की जाली लगाने का कार्य किया गया है ।

उक्त कार्य पर कुल रु० 96,01,000 स्वीकृत किया गया है ।

मथुरा :–

चैनल गेट (बड़ा एवं छोटा)/कन्सटाना वायर फेन्सिंग/लकड़ी की बैरीकेडिंग/वाच टावर/स्टील वाच टावर/प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य निर्माण कार्य ।

उक्त कार्य पर रु० 87,20,000 व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

उक्त कार्य के अतिरिक्त प्रश्नगत तीनों स्थलों की सुरक्षा हेतु 528 पद स्वीकृत किये गये हैं तथा रु० 4,02,49,500 के सुरक्षा उपकरणों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रक संख्या यू० एस० एम०–04793 को उसके साझेदार श्री हरि प्रसाद पुत्र श्री रमा शंकर, निवासी ग्राम गोपालपुर परवनपुर, थाना नन्दीपुर, जिला फैजाबाद द्वारा गुम किये जाने के संबंध में अभियोग सं० 32/92 धारा 406 भा० दं० वि० में अभियुक्त तथा ट्रक का पता न हो पाने की जानकारी

75–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री भवानी दत्त सिपाही डी० एस० सी० प्लाटून ओ० सी० एफ०, शाहजहांपुर का साझेदारी का ट्रक संख्या यू० एस० एम०–04793 श्री हरि प्रसाद पुत्र श्री रमा शंकर निवासी ग्राम गोपालपुर परवनपुर, थाना नन्दीपुर, जिला फैजाबाद द्वारा लेकर फरार हो जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को पत्र संख्या–मु–1/1416, दिनांक 29-1-92 द्वारा निदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या अभियुक्त को गिरफ्तार करके उक्त ट्रक बरामद किया जा सका ? यदि नहीं, तो क्या अभियुक्त के विरुद्ध 82-83 की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पंजीकृत अभियोग सं० 32/92 धारा 406 भा० दं० वि० में अभियुक्त तथा ट्रक का कोई पता नहीं चल पाया है तथा घटना की तिथि से अभियुक्त हरि प्रसाद शुक्ल लापता है ।

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82-83 की कार्यवाही नहीं की जा सकी है क्योंकि जांच से अभियुक्त पर अपराध पूर्णरूपेण सिद्ध नहीं हुआ है ।

रु० 3,700 मूल वेतन से कम वेतनमान वाले राजकीय सचिवालय के पदधारकों के समान अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

76–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय में रु० 3,700 मूल वेतन से कम वेतनमान के किन-किन पदधारकों को कार्यालय तथा आवास पर डाइरेक्ट टेलीफोन उपलब्ध कराये गये हैं तथा इसका क्या औचित्य है ? क्या इसी समानता के आधार पर विभागों द्वारा की गयी मांग के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो इस विसंगति का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत पद धारकों की सूची संलग्न है । उक्त अधिकारियों के कार्य की प्रकृति तथा महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी/विभाग की स्वीकृति से कार्यालय अथवा आवास अथवा दोनों स्थानों पर डाइरेक्ट टेलीफोन की सुविधा दी गई है ।

शासन की नीति एवं यथास्थिति के अनुसार ऐसी मांग प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 177 पर)

माह नवम्बर व दिसम्बर, 1993 में हरदोई जनपद में अनुसूचित जाति उत्पीड़न ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें के संबंध में जानकारी

77–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर व दिसम्बर, 1993 में हरदोई जनपद में अनुसूचित जाति उत्पीड़न ऐक्ट के कितने मुकदमें कायम हुए हैं ? क्या यह सत्य है कि उन मुकदमों में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में कुल 76 मुकदमें कायम हुए ।

इसमें से 11 मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, 2 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा 63 विवेचनाधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मूल चन्द्र निवासी ग्राम निर्मलपुर, जनपद हरदोई को उनके चक सं० 598 से अनधिकृत कब्जे हटवाये जाने की मांग

78–श्री तेजपाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल चन्द निवासी ग्राम निर्मलपुर, थाना कछौना, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई को उनके चक संख्या–598 से अनधिकृत कब्जे को हटवाने विषयक संयुक्त सचिव, गृह पुलिस अनुभाग–4 का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 30-12-93 पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र पर जांच कराई गई । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री मूलचन्द ने सन् 1968 से नम्बर गाटा सं० 387 बैनामे के द्वारा क्रय किया था जो चकबन्दी के उपरान्त गाटा सं० 598 हो गया । श्री मूलचन्द ने 1968 में बैनामे के आधार पर जितनी भूमि पर मौके पर कब्जा किया था उतनी ही भूमि पर वह अब भी काबिज हैं । उसे अपने रकबे को बैनामे के आधार पर पूरा करने हेतु पुलिस द्वारा कोई सहायता तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उस संबंध में सक्षम न्यायालय के कोई आदेश न हों ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

80–श्री मित्रसेन यादव–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

81–82—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[दूसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 152-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में श्रेणी क, ख, ग एवं घ में अनुसूचित जनजातियों के कोटे में आरक्षित पदों की संख्या एवं उनके भरे जाने की मांग

83–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये श्रेणी क, ख, ग तथा घ में अलग-अलग कोटे के हिसाब से कितने पद आरक्षित हैं ? क्या यह सही है कि किसी भी श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये कोटे के अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों को इसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से शीघ्र भरने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कोटे के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये निम्न प्रकार पद आरक्षित हैं :—

श्रेणी क	–	3 पद
श्रेणी ख	–	9 पद
श्रेणी ग	–	71 पद
श्रेणी घ	–	26 पद

जी हां ।

उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा कतिपय पदों पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति पर रोक लगा देने के कारण उक्त पदों को अभी तक भरा नहीं जा सका है ।

फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर के तहसील शाहाबाद में प्रतिवर्ष आग लगने के कारण फायर ब्रिगेड की स्थापना की मांग

84–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद–रामपुर से 34 कि०मी० की दूरी पर स्थित तहसील शाहाबाद के कृषकों के खलिहानों एवं ग्रामवासियों के छप्परों के घरों में आग लगने से प्रतिवर्ष कई लोगों की जानें तथा लाखों रुपये की क्षति हो जाती है ? क्या सरकार कृषकों तथा अन्य ग्रामवासियों की जान व माल की सुरक्षा हेतु शाहाबाद में फायर ब्रिगेड की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन को जानकारी है कि तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई अग्निकाण्ड की घटना घट जाती है तो उससे जान व माल की क्षति होती है जिससे बचने के लिये प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं कतिपय महत्वपूर्ण स्थानों/तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिससे अग्निशमन कार्य किया जाता है । जहां तक तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर में फायर ब्रिगेड की स्थापना का प्रश्न है, प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों, प्रदेश के अन्य भागों की तुलनात्मक आवश्यकताओं एवं अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्तावित स्थान पर फायर स्टेशन स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया है । अतः उक्त प्रस्तावित स्थान पर फायर स्टेशन खोला जाना सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-सोनभद्र में चूना बनाने वाले भट्ठे को आपूर्ति किये जाने वाले कोयले के दुरुपयोग के संबंध में मांगी गयी जानकारी

85–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-सोनभद्र में कितने चूना भट्ठे चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं ? इनको प्रतिमाह कितना टन कोयला प्राप्त करने का परमिट है ? क्या उक्त भट्ठे वाले, प्राप्त हुए कोयले का प्रयोग चूना बनाने में करते हैं ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना टन कोयला उनके द्वारा प्राप्त किया गया और उस कोयले के प्रयोग से कितना टन चूना बनाकर बिक्री किया गया ? उक्त उत्पादन का वर्षवार ब्योरा प्रति भट्ठा क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एक टन चूना निर्माण में, कितना कोयला और कितना लाइम स्टोन का अनुपात होता है? क्या यह सही है कि उक्त भट्ठे वाले प्राप्त कोयला बचाकर ब्लैक कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सोनभद्र में वर्तमान में कुल सात चूना उत्पादन की इकाईयां चल रही हैं और उक्त इकाइयों को उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत किया गया है । इस विभाग द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है । उद्योग विभाग द्वारा उक्त इकाइयों को प्रत्येक माह कोयले का आवंटन का विवरण अनुलग्नक ''अ'' पर प्रस्तुत है ।

जी हां ।

इकाइयों द्वारा गत तीन वर्षों में प्राप्त कोयला एवं चूना उत्पादन, बिक्री का विवरण अनुलग्नक ''अ'' पर प्रस्तुत है ।

एक टन कोयला तथा चार टन लाइम स्टोन से 2.4 टन चूने का उत्पादन होता है ।

ऐसी सूचना विभाग के संज्ञान में नहीं आई है । वैसे क्षेत्रीय विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त कोयले की संदुपयोगिता की जांच समय-समय पर की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-178 पर)

जनपद-सोनभद्र स्थित डाला सीमेन्ट फैक्ट्री और ओबर थर्मल पावर के आस-पास स्थित स्टोन क्रेशरों द्वारा लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट के दुरुपयोग से सरकार को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाये जाने की शिकायत

86–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र स्थित डाला सीमेन्ट फैक्ट्री और ओबरा थर्मल पावर हाउस के आस-पास ग्राम विल्ली, मारकुन्डी, सिन्दूरिया, ओबरा और छोपन में कितने स्टोन क्रेशर हैं ? इन स्टोन क्रेशर में जो पत्थर प्रयोग होता है वह कौन सा है ? क्या शासन को ज्ञात है कि

उपरोक्त क्रेशरों में प्रयोग होने वाला पत्थर लाइम स्टोन और डोलोमाइट का भण्डार है, जिसे खान अधिकारी और अन्य अधिकारियों की मिली भगत से लोग बेचकर सरकार को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त क्रेशरों में प्रयोग होने वाले पत्थरों की जांच कराकर जनहित में उन्हें बन्द करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन ग्रामों में कुल 240 क्रेशर स्थापित हैं ।

निम्न श्रेणी का तज्य (रिजेक्ट) डोलोमेटिक लाइमस्टोन जो उप खनिज इमारती पत्थर की श्रेणी में आता है ।

प्रश्न नहीं उठता । निम्न श्रेणी का तज्य डोलोमेटिक लाइमस्टोन मुख्य खनिज के रूप में उपयोग योग्य नहीं होता है । इसे उप खनिज गिट्टी के रूप में उपयोग से शासन को रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होता है ।

इन पत्थरों की जांच करा ली गई है, अतः उनके प्रयोग को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनिल कुमार निवासी गनी राम वास, मथुरा को मकान से बेदखल करने तथा एस० ओ० कोसी कला, मथुरा द्वारा धन लेकर सामान कागजात आदि चुरा लिए जाने के संबंध में दिए गये शिकायती पत्र के बारे में जानकारी

87–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-9-93 को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित पत्र प्रमुख सचिव गृह को अनिल कुमार व्यास पुत्र स्व० डी० ओ० सी० व्यास, अवकाश प्राप्त चिकित्साधिकारी, निवासी 3/5, गनीरामवास, कोसीकला, मथुरा को मकान से बेदखल करने व एस० ओ०, कोसीकला, जनपद मथुरा द्वारा धन लेकर सामान कागजात आदि चुरा लिये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र पर जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच अभी प्रचलित है ।

श्री जागन सिंह निवासी रजनपुरा जिला-एटा के अपराध संख्या 142/93 की विवेचना के उपरान्त मुकदमा न्यायालय मे दाखिल किये जाने की जानकारी

88–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुराज सिंह यादव पुत्र श्री जागन सिंह निवासी रजनपुर, थाना–जैथरा, जिला–एटा के मुकदमा अपराध संख्या–142/93 धारा–147, 148, 149/504/506/452,आई पी० सी०, थाना–जैथरा, जिला–एटा, दिनांक 3-7-93 की विवेचना, सब इन्सपेक्टर श्री सोबरन सिंह शर्मा द्वारा की जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी दूसरे थाने से कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक श्री सोरन सिंह शर्मा द्वारा की जा चुकी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मुकदमें में दिनांक 6-8-93 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी है। अतः अन्य किसी थाने से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में जी० टी० रोड, कुटिया पर बनाई गई पूनी मिल के निर्माण में घोटाले की जांच कराये जाने की मांग

89–श्री अवध पाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा जनपद एटा में जी० टी० रोड, कुटिया पर बनाया गया पूनी मिल के निर्माण का ठेका जुगेन्द्र एण्ड कम्पनी के ठेकेदार जुगेन्द्र सिंह रामेश्वर सिंह ने कार्य कराया है ? यदि हां, तो क्या मानक के अनुसार सीमेन्ट आदि न लगाकर 25 लाख रुपये का इस कार्य में घोटाला किये जाने के संबंध में 24-12-93 को प्रश्नकर्ता के द्वारा लिखित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसी टेक्निकल अधिकारी से कराकर वैधानिक कार्यवाही कराने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद एटा में जी० टी० रोड, कुटिया पर बनाई गयी पूनी मिल का निर्माण राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ/मेरठ (भारत सरकार) द्वारा कराया गया है। उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।

जी हां। 24-12-93 का लिखित पत्र प्राप्त हुआ है और इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय निदेशक, खादी ग्रामोद्योग आयोग मेरठ एवं लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है।

चौ० लटूरी सिंह यादव, पूर्व विधायक को शासकीय व्यय पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग किये जाने विषयक उनके द्वारा लिखे गये पत्रों के संबंध में जानकारी

90–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के पुलिस अधीक्षक को, दिनांक 23-11-93 को चौ० लटूरी सिंह यादव पूर्व विधायक द्वारा अपनी सुरक्षा करने के संबंध में पत्र भेजा है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई ? अब तक इन्होंने कितनी बार सुरक्षा की मांग की है ? उन्हें अब तक सुरक्षा न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

शासन के रेडियोग्राम संख्या–700 (1075)/92, दिनांक 21-12-1993 द्वारा श्री लटूरी सिंह यादव, पूर्व विधायक, एटा के सुरक्षार्थ शासकीय व्यय पर एक गनर स्वीकृत किया गया है । जनपद से प्राप्त सूचनानुसार उक्त गनर वर्तमान में उनके साथ नियुक्त है ।

शासन स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जुलाई, 91 से अब तक कुल नौ अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में आई० टी० आई०, अमेठी के तत्कालीन प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

91–श्री तेजभान सिंह–

प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–102 के उत्तर के संबंध में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शिकायतकर्ता से सम्पर्क करके कोई सबूत मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में कुछ स्पष्टीकरण जो दोषियों से मांगे गये थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस आधार पर क्या कोई अनियमितता प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया था परन्तु शिकायतकर्ता से सम्पर्क न हो सका । दोषियों से स्पष्टीकरण की आवश्यकता न पाये जाने के कारण नहीं मांगे गये । जांच में कथित आरोप अभिलेखों के आधार पर सिद्ध नहीं पाये गये । अतः किसी कार्यवाही के किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

मुकदमा नम्बर 678/91 का ए० सी० जे० एस० रायबरेली के न्यायालय में विचाराधीन होने तथा उसमें लगी हुयी तारीखों की जानकारी

92–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्र संख्या–1184/लोक शिकायत 5/92-6 (15) 92, दिनांक 10 अप्रैल, 1992 द्वारा श्री सगीर अहमद को सूचित किया गया है कि मामला विचाराधीन न्यायालय है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले में चार्जशीट किस तारीख को न्यायालय में गयी ? उसका मुकदमा नम्बर तथा न्यायालय का नाम क्या है ? उसमें कितनी तारीखें लग चुकी हैं तथा अब मुकदमा किस तिथि में नियत है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 21-10-91 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

मुकदमें का नम्बर 678/91 तथा न्यायालय का नाम ए० सी०जे०एम० रायबरेली का न्यायालय है ।

इसमें 25-11-93, 16-2-94 को तारीखें लग चुकी हैं तथा अब 1-3-94 तारीख नियत है ।

थाना जैथरा जिला एटा के मुकदमा अपराध सं०-122/93 की विवेचना के स्थानान्तरण के संबंध में किए गये अनुरोध के बारे में जानकारी

93–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगत सिंह पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी–नगला, थाना–जैथरा, जिला–एटा के मुकदमा अपराध संख्या–122/93, धारा–147/323/324/325/506 की विवेचना श्री सोबरन सिंह शर्मा, उप निरीक्षक, थाना–जैथरा से हटाकर किसी दूसरे थाने से कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो किसी अन्य थाने से इसकी विवेचना करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार विवेचना स्थानान्तरण के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94–श्री अवध पाल सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बहराइच की नानपारा तहसील पर भू० पू० सैनिक द्वारा आमरण अनशन किये जाने के संबंध में उनकी मांगें तथा उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

95–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बहराइच की तहसील-नानपारा पर भू० पू० सैनिक सर्वश्री सागर एवं श्री जगदेव द्वारा 5-8-93 से आमरण अनशन किया गया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? उक्त मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

(1) श्री सागर के नाम कृषि भूमि आवंटन हेतु, (2) ग्राम समाज की कृषि भूमि से सामान्तों का कब्जा हटवाने, (3) सर्वश्री रामफेर, देवेन्द्र बहादुर, सुगवन्त आदि सभी अनुसूचित जाति के लोगों को उनके पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने, (4) अनुसूचित जातियों को मिलने वाली विभिन्न ऋण योजनाओं से भ्रष्टाचार दूर कराने, (5) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के अनुदान दिलाये जाने (6) स्थानीय पुलिस का उत्पीड़न समाप्त करने की मांगें थीं ।

पुलिस द्वारा उत्पीड़न के आरोप की पुष्टि नहीं हुई । शेष मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों में चीफ फार्मेसिस्ट के पदों पर प्रोन्नति किए जाने की मांग

96–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं उ० प्र० सर्वोदय नगर, कानपुर के पत्रांक टी०–15/एसोसि०/चीफ फार्मे०/92-93/13759-6, दिनांक जून, 17 1993 द्वारा उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं कानपुर/ आगरा/ लखनऊ/वाराणसी/सहारनपुर,, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक; कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पाण्डुनगर/ सर्वोदय नगर/आजाद नगर कानपुर तथा प्रभारी अधिकारी क० रा० बी० चिकित्सालय, आगरा से चीफ फार्मेसिस्ट (राजपत्रित) के पदों पर प्रोन्नति किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पदों पर पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार द्वारा उक्त पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

परन्तु पद राजपत्रित नहीं है ।

प्रश्नगत पद रु० 1400–2600 के वेतनमान में अराजपत्रित है ।

प्रश्नगत पदों के लिये सेवा नियमावली के अभाव में फिलहाल पदोन्नति संभव नहीं है । सेवा नियमावली के प्रख्यापित होने के बाद ही इन पदों पर पदोन्नति संभव है ।

जनपद बहराइच के सलारपुर निवासी श्री पन्ना लाल की मृत्यु जला दिये जाने के कारण होने से नामित अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

97–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बहराइच के थाना–मोतीपुर के अन्तर्गत ग्राम–सलारपुर, निवासी–श्री पन्ना लाल को दि० 4-12-93 में फूंक दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि परिणामस्वरूप 7-12-93 को जिला अस्पताल बहराइच में उन्होंने दम तोड़ दिया था ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा किया गया था ? नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में दिनांक 05/12/1993 को मु० अप० सं० 205/93 धारा 307/506 भा० दं० वि० कुमारी रेशमा तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

नामजद अभियुक्ता कु० रेशमा पुत्री भोला नाथ, निवासी सलारपुर, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच फरार है। उनकी चल सम्पत्ति की कुर्की दिनांक 12-01-1994 को कर दी गई है।

प्रश्नगत अभियोग में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण हरिद्वार तथा सहजाद खां को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 18-1-1994 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रदेश के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग

98–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग के श्रम सचिव द्वारा सभी सहायक श्रमायुक्तों तथा उप श्रमायुक्तों को हाल में ही एक परिपत्र जारी करके सूचित किया गया है कि प्रदेश के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के आश्रितों के लिए छात्र-वृत्ति दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस परिपत्र की एक प्रति सदन के पटल पर भी रखेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजना कब से लागू होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

99–श्री बालेश्वर यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मिर्जापुर के चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री में अतिरिक्त सहायक फोरमैन (मैकेनिक) के पद पर चयन के सम्बन्ध में जानकारी

100–श्री विजय सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री में अन्य पदों के अतिरिक्त सहायक फ़ोरमैन (मैकेनिक) के कितने पद विज्ञापित हुए थे ? उस विज्ञापन के तहत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि चयनित अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किये हैं ? क्या उनको 15 दिन के अन्दर प्रोमोट करके उनकी अर्हता बनायी गयी है ? क्या यह भी सही है कि इसके विपरीत जो सीधे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी थे, उनको चार्जहैंड पर नियुक्ति पत्र दिया गया है ? क्या उनका साक्षात्कार फोरमैन (मैकेनिक) के पद के लिये लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार आई० टी० आई० किये हुए अभ्यर्थी के स्थान पर डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को नियुक्त करके उपरोक्त अनियमितता को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनियमित कार्य करने हेतु दोषी अधिकारी को सरकार दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चुनार सीमेंट फैक्ट्री में अतिरिक्त सहायक फोरमैन (मैकेनिक) के अन्तर्गत 5 पद विज्ञापित किये गये थे । विज्ञापन के माध्यम से कुल 13 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 5 अभ्यर्थियों का चयन किया गया । 5 चयनित अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ही निगम में कार्यरत थे और आई० टी० आई० सर्टिफिकेटधारी हैं । अन्य दो अभ्यर्थी डिप्लोमाधारी हैं । किसी अभ्यर्थी को अर्ह बनाने के लिये कोई पदोन्नति नहीं दी गई । बाहरी अभ्यर्थी जो डिप्लोमाधारी थे उनको पूर्व अनुभव नहीं था । पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में साक्षात्कार लिया गया और नियमानुसार वरीयता सूची बनाई गई । अनुभव न होने के कारण डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को उनकी सहमति के अनुसार चार्जहैण्ड के पद पर नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये गये थे । अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा करने के शासनादेश एवं अनिवार्यता को देखते हुए योग्यता के आधार पर (शैक्षणिक ज्ञान + अनुभव) चयन समिति के संस्तुतियों पर तत्कालीन सक्षम अधिकारी ने संबंधित विज्ञापन की अर्हता में शिथिलता बरतते हुए निचले पदों पर नियुक्त किया क्योंकि श्रेणी पांच भी उसी समूह में आता था एवं कोटा पूरा करने के लिए और कोई विकल्प नहीं था ।

प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा जान माल की रक्षा हेतु दिये गये शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

101–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 1-4-92 जो कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा प्रश्नकर्ता को जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में था, जिसे मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु सी० एम० वि० को० एम०–1–व/4 से 9-226-92 विधान भवन एनेक्सी लखनऊ दिनांक 10-4-92 द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग को भेजा गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । उल्लिखित आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी पिपरी द्वारा करायी गई । जांच से लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । प्रश्नकर्ता का दया शंकर तथा रामकेवल यादव से 19-1-92 के पूर्व बहुत अच्छा संबंध था जो बाद में तनावपूर्ण हो गया । मा० विधायक की सुरक्षा हेतु पहले से ही शैडो प्राप्त है । विपक्षी राम केवल यादव के विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्यवाही थानाध्यक्ष पिपरी द्वारा कर दी गयी है ।

राज्य के विभिन्न आयोगों या अन्य नौकरी के भर्ती के स्रोतों द्वारा मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की मांग

102–श्री दीना नाथ चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राज्य के विभिन्न आयोगों या अन्य नौकरी के भर्ती के स्रोतों में लिखित परीक्षा के अतिरिक्त इन्टरव्यू (व्यक्तित्व परीक्षा) का सहारा लेकर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है जिससे इन वर्गों

के अभ्यर्थियों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं ? यदि हां, तो क्या प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के पदों पर भर्ती का स्रोत अथवा चयन का आधार मात्र लिखित परीक्षा तक सीमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपेन्द्र नाथ मिश्र थाना रामपुर मथुरा, जनपद-सीतापुर द्वारा दर्ज कराये गये अभियोग अपराध संख्या 147/93 धारा 498-ए/323/506 में आरोप पत्र न्यायालय में भेजे जाने की जानकारी

103–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 93 के अन्तिम सप्ताह में श्री उपेन्द्र नाथ अवस्थी के विरुद्ध थाना-रामपुर, मथुरा जनपद सीतापुर द्वारा 498/ (ए)/-504/506 3/4 223 कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मुकदमें में दोषी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, बल्कि श्री उपेन्द्र नारायन मिश्र निवासी पूरेपारा थाना तालगांव जिला सीतापुर ने अपनी पुत्री की ससुराल वालों द्वारा की गई कथित हत्या के संबंध में थाना रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर में अभियोग अपराध संख्या 147/93 धारा 498 ए/323/506 भा० दं० वि० एवं 3/4 दहेज निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया था ।

दिनांक 6 फरवरी, 1994 को अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा शेष 2 अभियुक्तों बाबूराम व अनिल कुमार अवस्थी दिनांक 11-2-94 को हाजिर अदालत हुये । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 12-2-94 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राज बहादुर सिंह, प्रधान ग्राम जरावल, तहसील महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के घर हुई चोरी के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी

104–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-जरावन, तहसील-महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत दिनांक 17/18, महीना 12, वर्ष 1993 की रात में श्री राजबहादुर सिंह, ग्राम प्रधान के यहां से कितने लाख रुपये का जेवर एवं अन्य सामग्री चोरी चला गया है ? उक्त मामले में कितने लोगों को नामजद रूप से अभियुक्त बनाया गया है ? कितने लोगों को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया ? क्या शासन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग 49,000 रुपये के जेवर एवं अन्य सामग्री चोरी गया है ।

वादी ने अपनी रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया था, परन्तु उन्होंने चार व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करते हुए उन पर संदेह व्यक्त किया था ।

किसी को नहीं ।

विवेचना अभी प्रचलित है । विवेचक को विवेचना शीघ्र पूर्ण करने, माल की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

105–श्री गजराज सिंह–

[दूसरे गुरू में अता० प्र० सं० 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

106–श्री मित्रसेन यादव–

[दिनांक 23-2-94 को अता० प्र० सं० 188 द्वारा उत्तरित]

जनपद सोनभद्र श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० विजय कुमार यादव को मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवायोजित करने की मांग

107–श्री विजय सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-सोनभद्र में टसर रेशम परियोजना में कार्यरत रि० अ०/माली श्री विजय कुमार यादव की आकस्मिक मृत्यु कब हुई ? क्या उसकी आश्रित पत्नी श्रीमती विमला देवी का सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र रेशम विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त श्रीमती विमला देवी को अब तक सेवायोजित न करने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । श्री विजय कुमार यादव की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 4-10-85 को हुई ।

जी हां । श्रीमती विमला देवी का सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-2-93 को उप निदेशक, टसर, वाराणसी को प्राप्त हुआ है । उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 की व्यवस्था के अनुसार सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के 5 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करना चाहिये था किन्तु श्रीमती विमला देवी द्वारा सेवायोजन हेतु 7 वर्ष के उपरान्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त नियमावली के तृतीय संशोधन की व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष की निर्धारित समय सीमा में शिथिलीकरण की व्यवस्था कर दी गयी है । श्रीमती विमला देवी के प्रकरण में समय सीमा के प्राविधान को शिथिल कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय सेवाओं में मृतक आश्रितों को सेवायोजित न करके उत्पीड़ित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

108–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सेवाओं में मृतक आश्रित के सेवायोजन के सिलसिले में शासन की नीति क्या है ? क्या उक्त नीति की अवहेलना करके मृतक आश्रित को उत्पीड़ित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्याधीन सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित को सेवाकाल प्रदान किये जाने हेतु "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" (यथासंशोधित) प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के अनुसार मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को राज्याधीन ऐसे पदों जो आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, छोड़कर राज्याधीन समस्त पदों/सेवाओं में उपयुक्ततानुसार सेवायोजित किये जाने का प्राविधान है।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में संयुक्त निदेशक, सहनिदेशक एवं लेखाधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

109–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में विगत 3-4 वर्षों से संयुक्त निदेशक, सह निदेशक एवं लेखाधिकारी के पद रिक्त हैं जिन पर आज तक किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या उक्त निदेशालय कुटीर ग्रामीण एवं खादी बोर्ड की मानीटरिंग करता है ? क्या पद रिक्त रहने की दशा में अनियमितताएं की जा रही हैं ? उक्त निदेशालय के समस्त अधिकारी स्तर के पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के अन्तर्गत सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त तथा अपर श्रमायुक्त के रिक्त पदों को विभागीय चयन से शीघ्र भरे जाने की मांग

110–श्री महावीर सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० श्रम विभाग के अन्तर्गत सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त तथा अपर श्रमायुक्त के कितने पद जो विभागीय प्रमोशन से भरे जाने हेतु निर्धारित हैं, रिक्त पड़े हुए हैं ? क्या सरकार इन पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक इन पदों को विभागीय चयन से भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सहायक श्रमायुक्त के प्रोन्नति कोटे में 23 पद रिक्त हैं इन पदों पर नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

आयोग की संस्तुतियां प्रतीक्षित हैं ।

उप श्रमायुक्त का एक पद रिक्त है जिसमें पदोन्नति हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी कर ली जायगी ।

अपर श्रमायुक्त के विभागीय 6 पदों में से 3 पद रिक्त हैं जिन पर चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर ली जायेगी ।

जनपद सोनभद्र, श्री राम बरन आदिवासी निवासी बभनडिहा को चौकी इन्चार्ज, म्योरपुर द्वारा पीटे जाने की कथित शिकायत पर कार्यवाही किये जाने की मांग

111–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की पुलिस चौकी, म्योरपुर में दिनांक 10-1-94 को रामबरन आदिवासी ग्राम बभनडिहा को चौकी इंचार्ज सरोज द्वारा बुरी तरह पीटा गया ? क्या पुलिस को किसी भी व्यक्ति को थाने में लाकर पीटने का अधिकार है ? यदि हां, तो पुलिस सेवा नियमावली के किस अनुच्छेद में ? यदि नहीं, तो क्या चौकी इंचार्ज श्री सरोज के ऊपर मुकदमा कायम करके कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । बल्कि रामबरन आदिवासी ग्राम बभनडिहा के विरुद्ध पुलिस चौकी, म्योपुर में अभियोग अपराध संख्या-7/94 धारा 332/353/506 भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमें की विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय बल का प्रयोग किया गया । दौरान गिरफ्तारी भागते समय अभियुक्त रामबरन गिर गया जिससे उसकी कलाई में चोट व बायीं आंख के ऊपर खरोंच आ गयी थी । किसी भी व्यक्ति को थाने में लाकर पुलिस को पीटने का अधिकार नहीं है और न ही अभियुक्त रामबरन को थाने में लाकर पीटा गया है । अतः उप निरीक्षक श्री सरोज के विरुद्ध मुकदमा कायम करके कानूनी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

संदर्भित अभियोग में विवेचनोपरान्त अभियुक्त रामबरन के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

वर्ष 1990 में सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के किये गये विनियमितीकरण में अनियमितता की शिकायतें

112–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 में सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के किये गये विनियमितीकरण में कुछ ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं और उन्हें किन कारणों से एवं किन नियमों के अन्तर्गत विनियमित नहीं किया गया है ? क्या मात्र शिकायत के आधार पर किसी कर्मचारी का विनियमितीकरण/पदोन्नति न रोके जाने का कार्मिक विभाग का शासनादेश है ? यदि हां, तो श्री राम ललित, तत्कालीन अवर वर्ग सहायक, चिकित्सा विभाग के विनियमितीकरण के प्रकरण को शासन द्वारा किस आधार पर एवं किन नियमों के अन्तर्गत वर्षों से लम्बित रखा गया है तथा उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? क्या इस विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ऐसे कुल 6 अभ्यर्थी हैं जिन्हें विनियमितीकरण हेतु चयन समिति द्वारा संस्तुति न किये जाने के कारण अवर वर्ग सहायक के पद पर विनियमित नहीं किया गया है ।

जी हां ।

श्री राम ललित, तत्कालीन अवर वर्ग सहायक, चिकित्सा सचिव शाखा के विनियमितीकरण से संबंधित संस्तुति उ० प्र० सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक/ अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990 के नियम–4(7) के अन्तर्गत बन्द लिफाफे में रखी गयी है । कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस में पंजीकृत अभियोग विवेचनाधीन होने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या तथा उनको सही तरीके से चलाने हेतु कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के संबंध में जानकारी

113–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में कितने उद्योग समय से व समुचित कार्यशील पूंजी न उपलब्ध होने के नाते बीमार घोषित हैं ? यदि उ० प्र० सरकार बैंकों से इन औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो क्या उसके लिये उ० प्र० में जिला सहकारी बैंकों के नियमों व अन्तर नियमों में परिवर्तन कर औद्योगिक इकाइयों को सदस्य बनाकर वित्त पोषण के लिये दिशा निर्देश जारी कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन सहकारी बैंकों की

स्थिति सुदृढ़ करने के लिये सरकार का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो धन प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत शिड्यूल्ड एवं विदेशी बैंकों में जमा है, उसे सहकारी बैंकों में जमा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है । औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों का है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे समुचित मात्रा में औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायें । राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने में समय-समय पर आ रही कठिनाई से बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को अवगत कराया जाता रहा है तथा इस मामले का अनुश्रवण भी किया गया है । औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण व्यवसायिक बैंक द्वारा ही किया जाता है । सहकारी बैंक मूलतः कृषि क्षेत्र के लिये बनाया गया है । सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को ऋण देना सम्मिलित नहीं है । औद्योगिक इकाइयों के लिये ऋण की व्यवस्था व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से ही सुनिश्चित की जानी है ।

श्री निजामुद्दीन निवासी ग्राम तरछापार, थाना उभांव, जनपद बलिया के घर पर हुयी चोरी के संबंध में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर विवेचना समाप्त किए जाने की जानकारी

114–श्री मुक्तिनाथ एवं श्री छोटे लाल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री निजामुद्दीन निवासी ग्राम तरछापार, थाना उभांव, जिला बलिया के घर पर दिनांक 25 जुलाई, 93 की रात्रि को कुछ चोरों द्वारा सेंध लगाकर काफी जेवरात कपड़े पैसे चुरा लिये गये थे, जिसकी रिपोर्ट थाना उभांव में दर्ज कराई गई थी ? क्या यह सच है कि संदेह में बताये गये चोरों में थानाध्यक्ष, उभांव द्वारा दबिश डालकर पकड़ा गया है ? क्या यह सही है कि बाद में उन मुल्जिमानों को छोड़ दिया गया है और अब तक उसमें से न तो किसी को पकड़ा गया है और न ही चोरी का सामान वापस किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर चोरों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए दण्डित करने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा स्वयं तथा वादी की सूचना पर सम्भावित स्थानों पर चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी का प्रयास किया गया तथा कुछ लोगों से पूछतांछ की गयी किन्तु किसी अभियुक्त के प्रकाश में न आने एवं चोरी गये माल की बरामदगी न होने पर दिनांक 19-9-93 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री बैजनाथ रावत–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

116–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[पहले सोम में अता० प्र० सं 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम व थाना ग्रामों के निवासी श्री चन्द्रिका प्रसाद सुत अलेखादीन की दीवाल, पुलिस कर्मियों द्वारा गिराये जाने की शिकायत

117–श्री तेजभान सिंह–

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 91 के दूसरे मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–38 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नगत मामले की जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या शिकायतकर्ता को अपनी तरफ से साक्ष्य देने का अवसर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ में तैनात कम्पाउडर को स्थानान्तरित करने की मांग

118–श्री शिवराम, श्री तुलाराम सैनी, श्री वशीर तथा श्री फौजदार–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि पिछले दो दशक से राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ में पिछड़ी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कम्पाउन्डर तैनात नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान कम्पाउन्डर (श्री शुक्ला) पिछले दो दशक से अधिक समय से लखनऊ जनपद या लखनऊ मण्डल में ही तैनात रहे हैं ? यदि हां, तो क्या समय-समय पर उनके विरुद्ध शासन स्तर पर इस बारे में लिखा भी गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान कम्पाउन्डर को तत्काल हटाकर किसी अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के कम्पाउण्डर को वहां पर तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ पर पिछले दो दशकों से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई कम्पाउन्डर कार्यरत नहीं रहा है । श्री राम स्वरूप, कम्पाउन्डर, वैश्य, साहू (तेली) जाति के हैं जो पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है, दिनांक 20-7-88 से 30-6-92 तक उक्त चिकित्सालय में कार्यरत रहे परन्तु श्री राम स्वरूप की जाति के बारे में कोई प्रमाण-पत्र अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं है ।

वर्तमान कम्पाउन्डर (श्री शुक्ला) पिछले दो दशक से लखनऊ जनपद एवं लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों में कार्यरत रहे हैं। श्री शुक्ला के विरुद्ध शासन में मा० विधायकों का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ पर जाति के आधार पर किसी कम्पाउन्डर को तैनात किये जाने की कोई शासकीय नीति नहीं है।

श्री राम आसरे पुत्र राम दयाल पासी, ग्राम उमरी मजरे सराय महेशा, जनपद रायबरेली के कतिपय शिकायती-पत्रों के संबंध में जानकारी

119–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, रायबरेली को सम्बोधित श्री राम आसरे पुत्र रामदयाल पासी, ग्राम उमरी मजरे सराय महेशा, थाना कोतवाली जायस, रायबरेली का दिनांक 22-11-91 व 21-12-91 व 8-12-93 को प्रेषित प्रार्थना-पत्र तथा रजिस्ट्री, जिसमें बिजली मोटर चोरी जाने की रिपोर्ट न लिखने तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मोटर बरामद होने व नायब दरोगा द्वारा मामले को रफा-दफा कर देने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले की नये सिरे से जांच करके क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री राम आसरे पुत्र रामदयाल से प्रश्नगत तिथियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं है।

श्री राम आसरे के प्रार्थना पत्र दिनांक 13-3-92 में अंकित बिजली की मोटर की चोरी के आरोप के संबंध में थाना जायस, जनपद रायबरेली पर मु० अ० सं० 33/92 अन्तर्गत धारा 379 भा० दं० वि० विरुद्ध रामलखन सिंह, मो० नसीम, अकील अहमद तथा हबीब पंजीकृत किया गया। विवेचना से आरोप असत्य पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में महिला थाना की स्थापना के बाद महिला थानाध्यक्ष द्वारा वेश्यावृत्ति के अड्डे न पकड़े जाने के संबंध में शिकायत

120–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में महिला थाना की स्थापना के बाद कितनी महिला अपराधी पकड़ी गयी हैं ? क्या यह सही है कि महिला थाने की स्थापना के पूर्व लखनऊ (नगर) पुलिस ने विकास नगर, इन्दिरा नगर, राजाजीपुरम्, पुराना लखनऊ हैदरगंज, ऐशबाग, आलमबाग में असामाजिक कार्यों का अड्डा पकड़ा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि महिला थानाध्यक्ष द्वारा ऐसे कोई अपराध केन्द्र अब तक नहीं पकड़े जा सके जबकि उपरोक्त क्षेत्रों में आज भी तमाम ऐसे अड्डे कार्यशील हैं ? क्या सरकार महिला पुलिस अधिकारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद लखनऊ में महिला थाना की स्थापना के बाद 33 महिला अपराधी पकड़ी गईं । महिला थाना की स्थापना के पूर्व वर्ष 1992 और 1993 में कैसरबाग में 1, अमीनाबाद में 3, हजरतगंज में 2 तथा चौक क्षेत्र में 1 वैश्यावृत्ति के अड्डे पकड़े गये । महिला थानाध्यक्ष द्वारा इस तरह का कोई अड्डा नहीं पकड़ा गया है । विधि के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक/ निरीक्षक के नीचे स्तर का कोई भी अधिकारी इस तरह की रेड करने के लिए सक्षम नहीं है और चूंकि दिनांक 11-2-94 तक महिला थानाध्यक्ष उप निरीक्षक स्तर की थी, अतएव शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में स्थापित महिला थाना में गुण व दोष के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित किए जाने की मांग एवं गुण दोष के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने की मांग

121–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि महिला थाना, लखनऊ के स्टेशन आफिसर की शिथिलता के कारण अधीनस्थ अधिकारियों में एकता एवं अनुशासन का अभाव है, जिसके कारण पूरा कार्यक्षेत्र केवल थानान्तर्गत मनोरंजन कक्ष एवं परामर्शी कक्ष तक सीमित रह गया है और भोली भाली महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि साधारण मामलों में भी जरूरतमंद महिलाओं को सैकड़ों बार थाने का चक्कर लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुण व दोष के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यशील बनाने के लिये तत्काल उन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महराजगंज जिले में 12 वर्षों से अधिक अवधि तक तैनात दो उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

122–श्री गनपत सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जिले में तैनात सब इन्सपेक्टर पुलिस कितने दिनों से वहां कार्यरत हैं ? क्या शासन का कोई आदेश है कि एक मण्डल में कोई सब इन्सपेक्टर 12 वर्षों से ज्यादा अवधि तक नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो क्या शासन के उन आदेशों का पालन महराजगंज जिले में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद महराजगंज में दो उप निरीक्षक श्री विजय नरायन सिंह एवं श्री शम्भू नाथ सिंह मण्डल में 12 वर्षों से अधिक अवधि तक नियुक्त थे जिन्हें शासनादेश संख्या–5001/आठ–1-86 दिनांक 11-7-86 में की गयी व्यवस्था/प्राविधान के दृष्टिगत शासन के रेडियोग्राम संख्या–866/छः पु०–

1-1800(8)/94, दिनांक 18-2-94 द्वारा गोरखपुर रेंज से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

अनुपालन के संबंध में शासन स्तर से समुचित निर्देश निर्गत किये गये हैं।

श्री राम जी यादव, ग्राम अजोरिया, थाना भाटपाररानी, जिला देवरिया की थाना भाटपाररानी की हवालात में हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में मुल्जिमानों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

123–श्री विश्वनाथ एवं श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री रामजी यादव, ग्राम अजोरिया, थाना भाटपाररानी, जिला देवरिया की हत्या दिनांक 28-9-93 को भाटपाररानी थाना के हवालात में थानाध्यक्ष ने कर दी थी, जिसकी रपट दिनांक 28-9-93 को क्राइम नं० 170 अन्तर्गत धारा–302 के तहत दर्ज हुई है ? यदि हां, तो मुल्जिमानों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री राम जी यादव, ग्राम अजोरिया, थाना भाटपाररानी, जनपद देवरिया को दिनांक 28-9-93 को तत्कालीन थानाध्यक्ष भाटपाररानी श्री विजय शंकर राय द्वारा निरुद्ध करके थाना भाटपाररानी लाया गया एवं प्रताड़ना से उसकी मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली, जनपद देवरिया पर मु० अप० सं० 170/93 धारा 302 भा० दं० वि० तत्कालीन थानाध्यक्ष व अन्य 3-4 आरक्षियों के विरुद्ध दिनांक 29-09-93 को पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। इसके अतिरिक्त प्रकरण की मजिस्टीरियल जांच भी की जा रही है तथा उक्त थानाध्यक्ष को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, बहराइच द्वारा जयेष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित पत्र की प्राप्ति तथा उक्त के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, स० वि० प० के कतिपय पत्रों की प्राप्ति की जानकारी

124–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जघन्य अपराध के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बहराइच द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक–सी० एस० टी०/आर० टी० जी०–6/93, दिनांक 31-1-93 में उल्लिखित तथा संलग्न जांच आख्या के क्रम में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 20-2-93, 6-3-93, 3-4-93, 12-5-93 तथा 17-7-93 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ? अब तक उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार पुलिस अधीक्षक, बहराइच का संदर्भित पत्र दिनांक 31-1-93 प्राप्त हुआ। पत्र में उल्लिखित प्रकरण के संबंध में ही दिनांक 30-6-91 को श्री अवधराम पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी

53-बी, कबीर मार्ग, थाना हुसैनगंज, लखनऊ ने जबानी सूचना देकर जयराम पुत्र भांगू निवासी नहर किनारा पी० सी० एफ० थाना हुसैनगंज, लखनऊ (मूल निवासी जनपद बहराइच) के विरुद्ध अहस्तक्षेपीय अपराध संख्या–84/91 धारा 498 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया था । चूंकि अपराध अहस्तक्षेपीय था अतः वादी को न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी गयी थी । श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 20-2-93, 6-3-93, एवं 3-4-93 प्राप्त हुए परन्तु दिनांक 12-5-93 व 17-7-93 का पत्र का आना नहीं पाया गया । उक्त पत्र में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा श्री अयोध्या तथा उनके परिवार को जयराम द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोप अंकित किये गये थे । इन पत्रों की जांच से भी वही तथ्य सामने आये जो पूर्व में उल्लिखित है ।

लोक आयुक्त कार्यालय में 15 दिसम्बर, 1993 तक दर्ज मामले तथा उनमें से कुछ के समाप्त किए जाने एवं लोक आयुक्त के अधिकारों में संशोधन विचाराधीन होने के सम्बन्ध में जानकारी

125–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोकायुक्त कार्यालय में 15 दिसम्बर, 1993 तक कुल कितने मामले दर्ज किये गये ? उनमें से कितने मामलों को निरस्त किया गया तथा उसके क्या कारण थे ? क्या माननीय लोकायुक्त को भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में व्यापक अधिकार प्रदान करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या लोक सेवक, विधायक/एम० पी० को परिवाद दाखिल करने हेतु कोई नीति में संशोधन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993 में 15 दिसम्बर, 1993 तक लोक आयुक्त संगठन में कुल 1042 मामले प्राप्त हुए थे । उनमें से 667 मामले निम्न कारणों से समाप्त किये गये :–

(क) 86 मामले अधिनियम की परिधि के बाहर होने के कारण,

(ख) 528 मामले अप्रमाणित रहने के कारण,

(ग) 38 मामले पृष्ठांकन/अनर्गल होने के कारण तथा

(घ) 15 मामले धारा 9 (1) (ख) से बाधित होने के कारण समाप्त किये गये ।

माननीय लोक आयुक्त के अधिकारों में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जी नहीं । अनुशासन के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं प्रतीत होता है । जहां तक एम० पी० को परिवाद दाखिल करने का प्रश्न है, यदि वे पूर्व में राज्य विधान मण्डल के सदस्य नहीं रहे हैं तो उनके द्वारा परिवाद दाखिल किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

मगहर कताई मिल (बस्ती) के मजदूरों का वेतन भुगतान किए जाने की जानकारी

126–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मगहर कताई मिल (बस्ती) चल रही है ? यदि हां, तो क्या मजदूरों का वेतन भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, मगहर कताई मिल (बस्ती) चल रही है । मजदूरों को माह दिसम्बर, 1993 तक के वेतन का भुगतान हो चुका है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

127–श्री मित्रसेन यादव–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

128–श्री मित्रसेन यादव–

[दिनांक 23-2-94 को अता० प्र० सं० 189 द्वारा उत्तरित]

129–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

130–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दिनांक 4-5-92 को श्री गोविन्द पुत्र सूरजदीन तथा उनकी पत्नी की मृत्यु की पुलिस जांच आख्या सन्तोषजनक न होने के कारण अग्रेतर विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने की जानकारी

131–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-5-92 को ग्राम-सेमरा, थाना-उदयपुर, जिला-प्रतापगढ़ में गोविन्द पुत्र सूरजदीन तथा गोविन्दे की पत्नी की लाश मिली थी ? यदि हां, तो मृत्यु का कारण पुलिस को क्या बताया गया था ? क्या पुलिस ने उस मामले को हत्या के रूप में अंकित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लाश का पंचनामा कराया गया था ? यदि हां, तो पुलिस ने पंचनामा किस आधार पर कराया ? लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, जबकि दो-दो लाशें मिली थीं ? उक्त पंचनामें के समय मृत्यु का कारण क्या बताया गया था ? क्या उस पर प्राथमिक रूप से डाक्टर की राय ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री सूरजदीन ग्राम-सेमरा, प्रतापगढ़ का पत्र उन्हें उक्त तिथि को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या सरकार शिथिलता हेतु दोषी पुलिसजनों को दण्डित करके उक्त मुकदमें की पुनः विवेचना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्थानीय पुलिस द्वारा प्रश्नगत लाश नहीं मिलने की सूचना दी गई है । यह भी सूचना दी गई है कि श्री सूरजदीन उर्फ सूरज प्रकाश निवासी ग्राम सेमरा का एक आवेदन-पत्र दिनांक 8-8-92 को प्राप्त हुआ था जिसके जांचोपरान्त दिनांक 11-9-92 को थाना उदयपुर पर मु० अ० सं० 99/92 धारा 302/201 भा० द० वि० पंजीकृत कर विवेचना की गई । मृतक गोविन्द तथा उसकी मृतक पत्नी के शव बरामद न होने के कारण न तो पंचायत नामा भरा गया और न ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया । अतः मृत्यु का कारण भी ज्ञात न हो सका, जिससे डाक्टर की राय भी नहीं ली गई । उक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 12-11-92 को एस० आई० एस० को स्थानान्तरित की गई, जिसके द्वारा दिनांक 31-12-93 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर विवेचना समाप्त की जा चुकी है ।

स्थानीय पुलिस की आख्या सन्तोषजनक न होने के कारण अग्रेतर विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

डा० राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय के प्रवक्ता श्री गिरजाशंकर द्वारा थाना पट्टी, प्रतापगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

132–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ में श्री गिरजाशंकर, प्रवक्ता, बी० एड०, राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, डिडबई द्वारा दिनांक 14-5-92 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्राथमिकी जांच किसी अधिकारी ने की ? यदि हां, तो क्या जांच के

दौरान गवाहों के बयान तथा चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त प्राथमिकी की विवेचना उप-निरीक्षक द्वारा की गयी । विवेचना के दौरान गवाहों के बयान अंकित किये गये एवं वादी श्री गिरजाशंकर गुप्त का चिकित्सिय परीक्षण कराया गया । मामले में एक ही अभियुक्त था जिसके विरुद्ध दिनांक 17-6-92 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश में वार्षिक लेखे समय से तैयार न करने वाले निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी

133–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं ? क्या इन निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने वार्षिक लेखे तैयार कराना आवश्यक है ? क्या उनको महालेखाकार से आडिट कराना भी आवश्यक है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने निगम व सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं, जिन्होंने गत दो वर्षों से अपने लेखे समय तैयार नहीं किये ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

50

जी हां ।

तीन उपक्रमों यथा उ० प्र० आवास विकास परिषद्, उ० प्र० वन निगम तथा राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को छोड़कर शेष कार्यरत 47 निगमों का आडिट महालेखाकार से कराना आवश्यक है ।

32 निगम/सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जिन्होंने गत दो वर्षों से अपने लेखे समय से तैयार नहीं किये हैं ।

अति हिमीकृत वीर्य केन्द्र, रायबरेली, के तत्कालीन परियोजना अधिकारी के विरुद्ध उनके द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

134–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 92 के 5वें सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–43 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो कार्यवाही प्रतीक्षित होना बताया गया था, उसमें स्पष्टीकरण के अनुसार कितने आरोप सत्य पाये गये तथा कितने आरोप लगाये गये थे ? क्या निदेशक, पशुपालन की आख्या प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो आख्यानुसार कितने आरोपों की पुष्टि हुई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तत्कालीन परियोजना अधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य केन्द्र, रायबरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं पर जांचोपरान्त दो मामलों में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है और उसके लिए संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के आदेश पारित किये गये हैं ।

जनपद बरेली में कैसर इण्टर प्राइजेज प्रा० शुगर एवं डिस्टिलरी के विस्तारण में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के शोषण विषयक मामले में की गयी कार्यवाही की जानकारी

135–श्री मंजूर अहमद–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बहेड़ी, जनपद बरेली में कैसर इण्टर प्राइजेज प्रा० शुगर एवं डिस्टिलरी का विस्तारीकरण ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उक्त ठेकेदारों के अधीन सैकड़ों मजदूर कार्य कर रहे हैं ? क्या उक्त मजदूरों को शासन द्वारा मानदेय के अनुसार निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ? क्या ठेकेदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनके खिलाफ अब तक कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त यूनिट के विस्तारीकरण में घायल एवं मृत व्यक्तियों की अब तक की संख्या क्या है ? क्या उन मजदूरों को उक्त ठेकेदारों द्वारा कोई मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रतिष्ठान में ठेकेदारों द्वारा वर्ष 1987 से 1990 तक लगभग 86 संविदा श्रमिकों के माध्यम से विस्तारीकरण कराया गया । 51 श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी भुगतान की गई । 6 ठेकेदारों में से 3 ठेकेदारों ने लाइसेन्स नहीं लिया है । इन दोनों प्रकरण में विधि के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । पूर्व में यूनिट के विस्तारीकरण में 3 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी जिनमें से एक श्रमिक के आश्रित को क्षतिपूर्ति का भुगतान दिनांक 28-8-90 को कर दिया गया तथा शेष 2 मृतक श्रमिकों के आश्रितों के अनुरोध पर क्षतिपूर्ति भुगतान की कार्यवाही उनके जनपद में की गई । प्रतिष्ठान में विगत वर्ष से जनवरी, 1994 तक 6 साधारण दुर्घटनायें हुई जिनमें श्रमिकों को प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान कर छोड़ दिया गया, कोई संघातक दुर्घटना न होने के कारण ऐसे किसी घायल श्रमिक को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया ।

फतेहपुर जनपद के बिन्दकी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या एवं उनके उत्पीड़न को रोकने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी

136–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के बिन्दकी क्षेत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 को जिन अनु० जाति के लोगों की हत्या हुई, उनमें दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या उनका उत्पीड़न रोकने के संबंध में सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 को नहीं बल्कि 24 दिसम्बर, 1993 को थाना बिन्दकी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कंजरन डेरा में 6 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या हुयी थी । उक्त घटना के सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर भा० द० वि० की धारा 396/307/436/427 व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) 15 तथा 3 (2) 4 के अन्तर्गत 89 नामजद तथा लगभग 650 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ । विवेचना के बाद अब तक 79 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है तथा उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 1-2-94 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

ग्राम कंजरन डेरा में शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि कोण से पी० ए० सी० की एक प्लाटून के साथ स्थानीय पुलिस नियुक्त कर दी गई है । भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु समस्त परगना मजिस्ट्रेट/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारियों को त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय व हलियापुर के कतिपय गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में जानकारी

137–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय व हलियापुर में ग्राम सभा–क्रमशः पेरो सरैया, बिसांवा पीपरगांव पाली, मायंग, मझवारा, परानजोत, तथा कांपा, उभरा मेघमऊ, डीण्ह गांवों में सामन्तों द्वारा उपरोक्त गांव के रहने वाले अनु० जाति के/कमजोर वर्ग के लोगों के साथ आये दिन उन्हें उजाड़ने, मारने, पीटने, कम मजदूरी पर काम कराने, कुएं से पानी न भरने देने, रास्ते पर न चलने देने की उत्पीड़न की घटनाएं घटित की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि घटनाओं की सूचनाएं सम्बन्धित थानों में, सामन्तों के दबाव के कारण अंकित नहीं की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कारगर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है ।

उत्पीड़न की घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा रहा है और ऐसे मामलों में समुचित विधिक कार्यवाही की जाती है ।

मेसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०, रायबरेली में औद्योगिक संरक्षा विभाग में नियुक्त संरक्षा अधिकारियों को अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष के अनुरूप पद एवं सुविधा प्रदान किए जाने की मांग

138–श्री तेजभान सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०, रायबरेली में कारखाना अधिनियम, 1948 के संरक्षा प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु बने औद्योगिक संरक्षा विभाग में नियुक्त संरक्षा अधिकारियों में से एक को उत्तर प्रदेश कारखाना (संरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984 के प्राविधान 5–"स्टेटस" के अनुरूप, मुख्य संरक्षा अधिकारी विभागाध्यक्ष का पद व सुविधायें, जो कि अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष (उपमहाप्रबन्धक) के बराबर का पद होना चाहिए ? यदि हां, तो क्या शेष तीनों अधिकारियों को उससे एक रैंक नीचे वाला पद व सुविधायें जो उन्हें मिलनी चाहिये, वह सुविधायें उन्हें प्रदान की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984 के प्राविधानों के अनुसार पद एवं सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय, इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि० जो भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा लिया जाना है । राज्य सरकार सम्बन्धित नहीं है । उक्त नियमावली के प्राविधानों को लागू किये जाने हेतु श्रम विभाग द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली के न्यायालय में अभियोग दायर किया गया परन्तु जिला एवं सत्र न्यायधीश ने मामले का रिवीजन कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश

को निरस्त कर दिया है जिसके सम्बन्ध में श्रमायुक्त को विधि सम्मत अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

मेसर्स इण्डिया टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०, रायबरेली पर भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही न कर पाने की जानकारी

139–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कारखाना (संरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984 के प्राविधानों के उल्लंघन के लिये मेसर्स इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि०, रायबरेली के विरुद्ध क्या श्रम विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उल्लंघन पर रोक लगाते हुये, नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्त संरक्षा अधिकारियों को मिलने वाला उपयुक्त पद व सुविधा प्रदान करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर कारखाने का निरीक्षण किया गया और पाये गये उल्लंघनों को प्रबन्धकों के संज्ञान में लाया गया । अनुपालन न करने की दशा में श्रम विभाग द्वारा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, रायबरेली के न्यायालय में अभियोग दायर किया गया परन्तु जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले का रिवीजन कर चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, रायबरेली के आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके सम्बन्ध में श्रमायुक्त को विधि सम्मत अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पद एवं सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, जो भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा लिया जाना है । राज्य सरकार सम्बन्धित नहीं ।

140–श्री तेजभान सिंह–

[दूसरे गुरु में अता० प्र० सं० 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री रमेश चन्द्र पाठक, कान्सटेबिल, थाना बाजार खाला, लखनऊ के विरुद्ध कतिपय विधायकों के शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

141–श्री महाराज सिंह यादव तथा श्री जवाहर लाल यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रमेश चन्द्र पाठक, कान्सटेबिल, थाना बाजार खाला, लखनऊ के विरुद्ध दिनांक 23-12-1992 को विधायक श्री श्याम किशोर यादव, लखनऊ, श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर) व श्री राम प्रसाद चौधरी (बस्ती) का शिकायती-पत्र विधायक प्रकोष्ठ, एनेक्सी भवन, लखनऊ में दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त विधायकों की अपेक्षानुसार कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम किशोर यादव एवं श्री राम प्रसाद चौधरी वर्ष 1992 में विधायक नहीं थे तथा श्री ओम प्रकाश विधायक का संदर्भित पत्र विधायक कोष्ठ में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

142–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[दूसरे शुक्र में अता० सं० 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्र अनपरा में रिहन्द बांध तथा आस पास के पावर स्टेशनों की सुरक्षा हेतु की गयी कार्यवाही

143–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र के औद्योगिक क्षेत्र अनपरा परियोजना के परिसर से एवं अनपरा गांव से जो रिहन्दनगर रिजरवायर के पास है, पंजाब पुलिस ने अति विस्फोटक सामग्री आर० डी० एक्स० एवं घातक हथियार ए० के०–47 व ए० के०–57 बरामद किया था, जो रिहन्द बांध को उड़ाने के उद्देश्य से वहां रखे गये थे और जिसकी जानकारी सोनभद्र पुलिस को बाद में हुयी और पुलिस ने उक्त विस्फोटक एवं घातक हथियारों को बरामद कर लिया है ? यदि हां, तो उस घटना के बाद रिहन्द बांध एवं उसके चारों ओर स्थापित एन० टी० पी० सी० शक्तिनगर, रिहन्दनगर और विन्ध्यानगर पावर स्टेशन अनपरा (अ) एवं (ब) तापीय परियोजना एवं उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् एवं बिड़ला रेनूपावर कम्पनी के सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद सोनभद्र की पुलिस की सतर्कता से अनपरा थाना क्षेत्र से काफी मात्रा में विस्फोटक एवं हथियार जनपद की पुलिस द्वारा बरामद किया गया था ।

जहां तक उक्त घटना के बाद रिहन्द बांध तथा रिहन्द जलाशय के चारों तरफ स्थापित जनपद के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान एन०टी०पी०सी० शक्तिनगर एन०टी०पी०सी०, रिहन्दनगर तथा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अनपरा तापीय परियोजना (अ) एवं (ब) तथा बिड़ला के रेनूपावर कम्पनी की सुरक्षा हेतु किये गये सुरक्षा प्रबन्ध का प्रश्न है, रेनूपावर कम्पनी के अतिरिक्त उपरोक्त समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व वहां नियुक्ति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का है तथा रेनूपावर कम्पनी बिड़ला का व्यक्तिगत क्षेत्र का औद्योगिक प्रतिष्ठान है जिसकी सुरक्षा का प्रबन्ध मुख्यतः उसका स्वयं का सुरक्षा बल करता है । जिसका प्रभार अवकाश प्राप्त सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी के पास है ।

जनपदीय पुलिस द्वारा भी उपरोक्त प्रतिष्ठानों के सुरक्षा प्रबन्धकों तथा सुरक्षा प्रभारियों से पत्र-व्यवहार एवं गोष्ठी तथा विचार-विमर्श के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है । क्षेत्राधिकारी, पिपरी तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष उपरोक्त प्रतिष्ठानों के संवेदनशील क्षेत्रों की सघन गश्त करते हैं एवं आतंकवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर अभिसूचना-संकलन एवं त्वरित कार्यवाही की जाती है । रिहन्द बांध की सुरक्षा हेतु सी०आई०एस०एफ० की टुकड़ी के अतिरिक्त एक सशस्त्र ए०पी० गार्द अलग से लगायी गयी है तथा रात्रि में सिविल पुलिस का भी पर्याप्त पुलिस बल गश्त हेतु लगाया जाता है । सम्बन्धित विभाग द्वारा बांध के सुरक्षा-प्रबन्धों के क्रम में, संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के साथ ही झाड़ियों की कटाई कराई गयी है ।

जनपद सोनभद्र के चोपन ओबरा मुख्य मार्ग पर स्थित आटोमेटिक स्टोन क्रेशर से प्रदूषण एवं दुर्घटना की शिकायत पर कार्यवाही किये जाने की मांग

144–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र के चोपन ओबरा मुख्य मार्ग पर जो आटोमेटिक स्टोन क्रेशर स्थापित है, उसके लिये डायनामाईट द्वारा चट्टान तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जाता है तथा विस्फोट के बाद धूल और धुएं के बादल घण्टों छाये रहते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण तो फैलता ही है और गाड़ियों की दुर्घटना होने की भी सम्भावनायें बढ़

जाती हैं तथा वहां का सारा वातावरण घुटनमय हो जाता है ? क्या सरकार जनहित में उक्त क्रेशर को बन्द कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत कथन सामान्यतया सही नहीं है । उ०प्र० उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 41(ई) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप सार्वजनिक स्थलों से सुरक्षित दूरी पर ही खनिज परिहार (माइनिंग परमिट, लीज आदि) स्वीकृत किये गये हैं, जिससे डायनामाईट द्वारा पत्थर तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान गाड़ियों के आवागमन में अवरोध तथा धूल एवं धुएं के उल्लिखित प्रभाव से प्रदूषण फैलने और गाड़ियों के दुर्घटना की सम्भावना नहीं है । क्रेशर मालिकों द्वारा इंडियन एक्सप्लोसिव ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् ही मेटलीफेरस माइन्स रेग्युलेशन, 1961 से सम्बन्धित प्राविधानों के तहत पत्थर तोड़ने में विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है । जहां कहीं क्रशर मालिकों द्वारा कोई अनियमितता करते हुए प्रदूषण उत्पन्न करने की शिकायत मिलती है, उसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण परिषद्, इलाहाबाद के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है । जनहित में क्रेशर को बन्द किया जाना उचित नहीं होगा । क्रेशर को बन्द करने की अवस्था में जनपद सोनभद्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अन्य पूर्वी जनपदों की गिट्टी की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होगा । इस पिछड़े हुए विकासशील जनपद के निर्बल एवं जनजाति वर्ग को प्राप्त रोजगार का यह स्रोत समाप्त होने के कगार पर आ जायेगा तथा शासकीय राजस्व की हानि होने की सम्भावना है ।

जनपद सोनभद्र के चोपन, ओबरा डाला क्षेत्र में स्थापित क्रेशर की संख्या, श्रमिकों को कम मजदूरी दिए जाने की शिकायत

145–श्री विजय सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के चोपन, ओबरा डाला क्षेत्र में कुल कितने स्टोन क्रेशर स्थापित हैं ? उनमें कुल कितने मजदूर काम करते हैं और उनको क्या मजदूरी दी जाती है ? क्या उन स्टोन क्रेशरों पर बाल श्रमिक भी कार्य करते हैं ? यदि हां, तो उनको मुक्त कराने की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

240 क्रेशर स्थापित हैं । लगभग 10 हजार मजदूर कार्य करते हैं । केन्द्रीय श्रम विभाग द्वारा देखे जाने के कारण कितनी मजदूरी मिलती है, संज्ञान में नहीं है ।

स्टोन क्रेशर माइन्स ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं अतः कार्यवाही केन्द्रीय श्रम विभाग द्वारा की जाती है । अतः यह तथ्य संज्ञान में नहीं है कि बाल श्रमिक कार्य करते हैं या नहीं ।

उत्तरांचल विकास विभाग का नाम बदलकर उत्तराखण्ड विकास विभाग किए जाने की जानकारी

146–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तरांचल विकास विभाग का नाम बदलकर उत्तराखण्ड विकास विभाग कर देने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस नाम परिवर्तन का आधार क्या है ? क्या इस नाम परिवर्तन के लिये कोई जनमत सर्वेक्षण कराया गया था अथवा कोई समिति गठित की गयी थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मंत्रि-परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तरांचल विकास विभाग का नाम परिवर्तित कर उत्तराखण्ड विकास विभाग करने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

जी नहीं ।

मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ की अनुरक्षण की दोषपूर्ण नीति

147–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मोतीझीली सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ में अनुरक्षण की दोषपूर्ण नीति के कारण भवन संख्या–ई०डी० 1 से 16 तथा ई०डी० 37 से 64 तक में दरवाजा तथा खिड़की अन्य भवनों की अपेक्षा काफी मजबूत एवं भिन्न किस्म का लगा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सुरक्षा की दृष्टि से भवन संख्या 25 से 36 तथा 73 से 120 तक का दरवाजा तथा खिड़की दोषपूर्ण एवं काफी कमजोर है ? यदि हां, तो क्या भवन संख्या ई०डी० 25 से ई०डी० 36 तक ई०डी० 73 से 120 तक में तत्काल अन्य भवनों की तरह समानरूप से दरवाजा एवं खिड़की लगवाने की तत्काल व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां. तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत कालोनी के आवास सं० ई०डी० 1 से 16, 37 से 64 तथा 25 से 36, 73 से 120 तक के दरवाजे, खिड़कियों में यद्यपि भिन्नता है तथापि मजबूती एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है ।

148–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[दूसरे बुध में अता० प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री रूपचन्द्र, पशु औषधिक, मुरादाबाद का वेतन भुगतान

149–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रूपचन्द्र जो पशु औषधिक पद पर कार्यरत हैं, का वेतन सितम्बर, 91 से जनवरी, 1992 तक के सम्बन्ध में भुगतान हेतु उनकी पत्नी श्रीमती कलावती का पत्र डाक विभाग द्वारा दिनांक 18-12-93 के द्वारा उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर सूचित करके निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से वेतन आहरण हेतु मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त श्री रूपचन्द्र को उक्त वेतन का भुगतान कराया गया ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

श्री रूपचन्द्र, पशु औषधिक, मुरादाबाद को उक्त अवधि का वेतन का भुगतान तैनाती के जनपद में रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में नहीं किया जा सका था । उक्त कर्मचारी का वेतन किसी अन्य रिक्ति के समक्ष दर्शाकर, आहरित कर भुगतान करने के आदेश, निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा दे दिये गये हैं ।

परियोजना अधिकारी (अति हिमीकृत परियोजना पशुपालन), रायबरेली द्वारा न्यूनतम कोटेशन के आधार पर नियमानुसार भुगतान एवं उनकी दुर्घटना ग्रस्त जीप की जांच रिपोर्ट महालेखाकार को भेजा जाना

150–श्री तेजभान सिंह–

प्रथम सत्र, 1992 के 5वें सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब अनुज्ञा संख्या 508 में निर्धारित दर 2.50 से 3.75 प्रति कि०मी० है तो अधिक दर से सम्बन्धित प्रकरण के भुगतान व धन के दुरुपयोग व अनियमितता के लिये कौन दोषी है ? क्या उक्त भुगतान को कोटेशन के आधार पर भुगतान होना बताया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई कोटेशन मांगे गये थे ? यदि हां, तो कितने कोटेशन किन-किन के आये थे ? क्या अनुज्ञा से अधिक भुगतान के पूर्व किसी उच्चाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ? यदि हां, तो किससे ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां ।

कोई नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

निम्नलिखित तीन वाहन मालिकों से कोटेशन प्राप्त हुए थे :–

1–मे० हरिश्चन्द्र दुबे, निवासी अन्फेरवा, सोनगांव, जनपद फैजाबाद ।

2–मे० विशुन दयाल श्रीवास्तव, ग्राम–नरेन्द्रपुर, पोस्ट–भीमगंज, जिला–रायबरेली ।

3–मे० खलील अहमद, निराला नगर, लखनऊ ।

जी हां ।

मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष, जनपद स्तर क्रय समिति द्वारा दर की स्वीकृति दी गयी थी ।

श्री रमेश वर्मा, सभासद, टाउन एरिया, भटनी, जनपद देवरिया पर हुए हमले के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

151–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया, भटनी, थाना भटनी, जिला देवरिया के सभासद श्री रमेश वर्मा के ऊपर दिन के 10 बजे चौराहे पर बम चला था, जिसकी रपट थाने में अर्न्तगत धारा 307 दिनांक 16-12-93 को लिखा दी गयी थी ? यदि हां, तो मुल्जिमानों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस अभियोग के अभियुक्त बबलू उर्फ संजय तिवारी पुत्र गोपीनाथ, उमेश यादव पुत्र बिजली यादव, गनेश तिवारी पुत्र बशिष्ठ तिवारी क्रमशः दिनांक 21/12/93, 22/12/93 तथा 07/01-94 को

हाजिर अदालत हो गये तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 16/01/94 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

श्री रमा शंकर शर्मा, ग्राम घांटी, थाना भटनी, जनपद देवरिया के घर हुयी लूट की घटना तथा थाने में रपट लिखाने के पश्चात् धारा बदलने का कारण

152–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम घांटी, थाना भटनी, जिला देवरिया के श्री रमाशंकर शर्मा का मकान दिनांक 22 सितम्बर, 93 को गिराकर सारा सामान लूट लिया गया है, जिसकी रपट थाने में अन्तर्गत धारा 395/397 लिखा दी गई है । यदि हां, तो उक्त डकैती की धारा बदलने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत घटना दिनांक 22 सितम्बर, 1993 के बजाय दिनांक 22 जुलाई, 1993 की है । श्री शर्मा की सूचना पर अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा०दं०वि० पंजीकृत कर विवेचना की गयी । विवेचना से लूट/डकैती की घटना सत्य न पाये जाने के कारण अभियोग धारा 143/188/342/506/448/427 भा०दं०वि० में परिवर्तित किया गया । विवेचनोपरान्त 10 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 11-8-93 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

श्री परमानन्द सिंह, ग्राम भरहे चौरा, थाना भटनी, जिला देवरिया के हत्यारों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

153–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भरहे चौरा, थाना भटनी, जिला देवरिया के श्री परमानन्द सिंह मिलीटरी के जवान की दिनांक 9-12-93 को हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो हत्यारों के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 9-12-93 को ग्राम उस्का, थाना भटनी, जनपद देवरिया में एक अज्ञात व्यक्ति का शव सेना की वर्दी में पाया गया था । इस सम्बन्ध में थाना भटनी में अपराध संख्या 139/93 धारा 302/201 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान उक्त शव की पहचान हुई, जो सैनिक श्री परमानन्द सिंह पुत्र चांदवली कुशवाहा, निवासी भरहे चौरा, थाना भटनी का था ।

सम्बन्धित अभियोग की अब तक की गई विवेचना से किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया है, विवेचना अभी प्रचलित है ।

श्री उमेश अनु० जाति के घर पर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में अपराध दर्ज कराने तथा की गयी कार्यवाही की जानकारी

154–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम परसौनी, थाना भटनी, जिला देवरिया में दिनांक 8/9 दिसम्बर, 1993 को श्री उमेश अनु० जाति के घर डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो थाने में डकैती की रपट कब लिखायी गयी ? अब तक मुल्जिमानों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 13-12-93 को मु० अपराध संख्या 140/93 धारा 394 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान अभियोग धारा 395 भा०दं०वि० (डकैती) में दिनांक 23-12-93 को परिवर्तित किया गया ।

विवेचना प्रचालित है अभी तक किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में पशु चिकित्सालयों तथा उनमें नियुक्त डाक्टरों के सम्बन्ध में जानकारी

155–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? कितने पशु चिकित्सालय में डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है ? कितने पशु चिकित्सालय बिना डाक्टरों के चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार इन पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री मनोहर लाल–

जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल 34 पशु चिकित्सालय हैं ।

इस जनपद के दस पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की तैनाती की गयी है । 24 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की तैनाती सम्भव नहीं हो पायी है ।

राज्य सरकार विभाग में पशु चिकित्सकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिये प्रयत्नशील है और इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि जनपद टिहरी के सभी पदों पर कब तक नियुक्ति हो पायेगी ।

156–श्री छोटे लाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री अशोक कुमार यादव, बिल्थरा रोड, टाउन थाना उठांव, जनपद बलिया द्वारा मादक पदार्थों के बिक्री की शिकायत की जानकारी

157–श्री छोटे लाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के अन्तर्गत थाना उठांव के बिल्थरा रोड टाउन के बस स्टेशन पर पूर्वांचल टाकीज के निकट पान की दुकान में श्री अशोक कुमार नामक युवक द्वारा मादक पदार्थों जैसे गांजा, भांग, स्मैक आदि स्थानीय पुलिस के संरक्षण में बेचवाया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में कई शिकायती-पत्र शासन को व पुलिस अधीक्षक, बलिया को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार गोपनीय तरीके से छापा मारते हुये गिरफ्तार कराकर दोषी व्यक्तियों/पुलिस कर्मियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी हां । शिकायती-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् श्री अशोक कुमार यादव की दुकान पर छापा डालकर मादक पदार्थों की बरामदगी का प्रयास किया गया परन्तु किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बैजनाथ द्वारा फर्जी अ०जा० का प्रमाण-पत्र लगाकर चुनाव लड़ने की शिकायत सही पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की जानकारी

158–श्री मोलई–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के 183–मुन्डेरा बाजार (अ०जा०) विधान सभा क्षेत्र में गत विधान सभा निर्वाचन वर्ष 1993 में एक कहार जाति का व्यक्ति श्री बैजनाथ ने चुनाव फर्जी गोंड जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लड़ा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यह व्यक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ष 1993 में (चुनाव से पूर्व) रहा है, जिसकी सेवा-पुस्तिका में कहार पिछड़ी जाति अंकित है ? यदि हां, तो इस पर सरकार कौन सी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

श्री बैजनाथ को जारी किया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जांचोपरान्त निरस्त कर दिया गया है । तत्कालीन सम्बन्धित तहसीलदार एवं श्री बैजनाथ के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सदन में लगाये गये आरोप-प्रत्यारोप के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप हमारे सबके अधिकारों के संरक्षक हैं ।

मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम 289 (क) देखने की कृपा करें अभी माननीय मंत्री जी ने यहां पर बड़े गरिमामयी सदन में एक मानिहानिकारक आक्षेप लगाया, यद्यपि उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन कालांतर में उन्होंने उनका नाम भी लिया और इधर से इसीलिए उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया । इसके लिए मैं आपका ध्यान नियम 289(क) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सदन की कार्यवाही नियमानुसार चले और सदन की मर्यादा भंग न हो, इसलिए मैं मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, 289(क) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि– "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो, जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सकें :–

> परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेंगे यदि उनकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता । "

नियम 289 में दिया है, बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय अनुपालनीय नियम । यह नियम मंत्री पर भी लागू होते हैं । उसमें प्राविधान है कि प्रत्येक भाषण का विषय चर्चाधीन विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये । उसी नियम के 2 (ग) में दिया हुआ है कि किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगायेंगे । अब माननीय पशुधन मंत्री जी उत्तर दे रहे थे और नियम 289 के 2 (क) में लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न का वंचनात्मक उत्तर नहीं दिया जायेगा, लेकिन जो उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे थे । वह वंचनात्मक उत्तर था । नियमों में है कि कोई किसी पर आरोप नहीं लगायेगा और कोई किसी पर लांछन नहीं लगायेगा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस प्रकार का उत्तर दिया है और आरोप लगा दिया और ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा दिया जो इस समय इस सदन का सदस्य नहीं है । क्या उस पर आरोप लगाया जा सकता है । यदि आरोप लगाया जाता है, तो मान्यवर, इस सदन की गरिमा घटेगी । इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहां पर नियमों का पालन होना चाहिये । माननीय पशुधन मंत्री जी ने बिना आपको पहले से जानकारी दिये हुये बिना आपकी नोटिस में लाये हुये, बड़े हल्केपन से इस तरह का आचरण दिखाया और सदन की गरिमा गिराने के लिये आरोप लगा दिया । जब माननीय मंत्री जी ने आरोप लगाया तो इधर से भी आरोप लगाये गये और वह सदन की सम्पत्ति बन गये । एक मंत्री पर यह आरोप लगाया गया है कि वह गोरखपुर में गये और अधीनस्थ डाक्टरों से 2 लाख रुपये की मांग की । यह सदन की सम्पत्ति बन गयी है । इसकी जांच होनी चाहिये ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, माननीय मंत्री जी ने भाजपा के सदस्यों पर अनर्गल आरोप लगा दिये और ऐसे सदस्य पर आरोप लगाये गये जो इस सदन के सदस्य नहीं है । अभी माननीय सदस्य ने नियमों का भी उल्लेख किया है । मैं यह चाहता हूं कि सदन में दोनों प्रकार के आरोप आ गये । मंत्री जी ने आरोप लगाया है और मंत्री जी पर जो आरोप लगाये गये हैं, वह सब आ गये हैं । माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगाया गया है, उसका उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि इन समस्त आरोपों और प्रत्यारोपों की जांच के लिये एक सक्षम समिति बना दी जाये, जो जांच करे और तय हो जाये और यदि माननीय मंत्री जी पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं मंत्री जी से नहीं कहूंगा कि वह इस्तीफा दें, केवल सदन में खड़े होकर क्षमा याचना कर लें, मेरे लिये पर्याप्त हो जायेगा और भाजपा के विधायक जो उस समय मंत्रि परिषद् में थे, आज वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, तो मैं केवल क्षमा याचना ही नहीं, इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र भी दे दूंगा । मान्यवर, मेरे नाम का भी उल्लेख किया गया है । मेरे बारे में कुछ कहा गया, उसको भी आप स्पष्ट कर दें और मैं चाहता हूं कि पूरी जांच हो जाये । अगर जांच नहीं होगी तो जनमानस में यह बात स्पष्ट नहीं होगी । आप जांच करा लें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये । मेरा विश्वास है कि जांच के जो निष्कर्ष आयेंगे उसमें भाजपा का प्रत्येक सदस्य बिलकुल निर्दोष साबित होगा और मंत्री जी पर जो आरोप लगाये गये हैं वह और कहीं नहीं कटघरे में खड़े दिखायी देंगे । मैं उनसे त्याग पत्र की मांग नहीं करूंगा, वह यहीं पर क्षमा मांग लें । अन्यथा आगे के लिये हल्के फुल्के आरोप और प्रत्यारोप लगाने की श्रृंखला को बन्द करें । यह जांच का एक विषय है । श्रीमन्, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमको संरक्षण देंगे और मैंने ऐसी कोई बात कही भी नहीं है कि जो अनुपयुक्त हो या अनुचित हो । हम जांच की बात कर रहे हैं कि दोनों पक्षों की जांच हो जाय । हमारे पास भी साफ तौर पर कहने को होगा और इनके पास भी हमारे लिए कुछ कहने को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा । तो मैं चाहता हूं कि किसी सक्षम और निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा इसकी जांच करायी जाय, यह मैं मांग कर रहा हूं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह सही है कि इस सदन में आरोप प्रत्यारोप के ऐसे प्रकरण नहीं आने चाहिए जिससे उत्तेजना पैदा हो और किसी के ऊपर आरोप तो बिना प्रमाण के लगाया ही नहीं जाना चाहिए । लेकिन जहां तक मैं सुन रहा था माननीय मंत्री जी ने कदाचित किसी का नाम नहीं लिया है ।

एक सदस्य–

नाम लिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

एक माननीय सदस्य कह देंगे तो हमारी नोटिस के लिए काफी है । अगर पद कहा था तो उसको अनुचित नहीं कहा जा सकता है और कभी-कभी अपनी-अपनी बात स्पष्ट करनी होती है तो भी यह प्रयास करना चाहिए कि नाम न लें । नियमों में यहां तक है कि जो संसदीय मर्यादा है उसका भी पालन किया जाय तो हम लोगों को किसी अधिकारी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, अधिकार भी नहीं है और जो व्यक्ति यहां नहीं मौजूद है उसका नाम नहीं ले सकते लेकिन कभी कभी प्रसंगवश उसके पद नाम को लेकर अपनी बात को स्पष्ट किया जाता है । हम जहां तक सुन रहे थे, इस तरह की कोई विशेष बात नहीं हुई है लेकिन श्रीमन्, जब माननीय नेता विरोधी दल के एक सदस्य बोल रहे थें तो उन्होंने भी उसका उत्तर उसी तरह से दिया यहां तो सरकार पक्ष की तरफ से उनके पास जो सूचना थी, उसी में उन्होंने कुछ हम मानते हैं कि अपने तर्कों को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कहा जो आपको बुरा लगा होगा लेकिन उन्होंने बिना प्रमाण के स्पष्ट आरोप ही लगा दिया । यहां इनके पास फाइल रखी हुई थी, उसको ही कह दिया ऐसा नहीं है हमारी तरफ से गलती हो गयी तो सुधारने का प्रयास करेंगे लेकिन नेता विरोधी दल को अपने लोगों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा प्रकरण यहां न उपस्थित हो जिससे माननीय सदन का समय बरबाद हो । अरोप लगा दिया जो नियमों में अधिकार नहीं है संसदीय अधिकार नहीं है । यहां पर माननीय सदन में, जो प्रदेश की अन्य समस्यायें हैं, इनके ऊपर जो समस्यायें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लायें तो उचित होगा ।

जहां तक जांच की बात है अब उसको हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, जांचें कितनी होंगी और अगर इसी में, हम आपकी जांच करवायें और आप हमारी जांच करवायें तो इससे ज्यादा काम सदन का नहीं होगा तो इसको यहीं समाप्त कर दें । माननीय नेता विरोधी दल जो कहते हैं वह तो हम कर ही देते हैं । आप हमको कोई बात टेलीफोन से भी कह देंगे तो हम दलगत भावना से ऊपर उठकर उसको दूर करेंगे । हम सब जब उधर बैठे हुए थे और गुप्ता जी हमारी कुर्सी पर बैठे हुए थे तो हमारे एक-एक मामूली काम के लिए सदन स्थगित होता था हम वैसा पूर्व वातावरण नहीं बनाना चाहते हैं हमारे मन में संसदीय मर्यादा और विरोध पक्ष का सम्मान है लेकिन यहां पर कोई ऐसी बात नहीं उत्पन्न होनी चाहिए जिसको विवाद का विषय बनाया जाय । मान्यवर, इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाय और सदन की कार्यवाही को आगे चलाया जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ सदन की कार्यवाही हुई है, उसको अवश्य देख लिया जाय । कुछ आरोप-प्रत्यारोप तो हुआ ही है । इसमें अब दो ही विकल्प बचते हैं या तो इसकी जांच

करायी जाय या जो आरोप लगाये गये हैं वह सदन में वापस लेने की घोषणा करें । क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि आरोप अपनी जगह बने रहें और जांच भी न करायी जाय । जो आरोप-प्रत्यारोप आ गये हैं वह उभयपक्षीय हो गये हैं एक पक्षीय नहीं रह गये हैं । अब उनकी जांच कराने में क्या ऐतराज हो सकता है ? नाम नहीं लिया, तो नाम और पदनाम में क्या फर्क हो सकता है । अब चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहे तो वह हो जायेगा माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के लिए और अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नाम कहते हैं तो वह हो जायेगा माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के लिए । यह दोनों तरह से इंगित करते हैं आरोप-प्रत्यारोप यह अब सदन की सम्पत्ति बन चुके हैं । अब अगर इसकी जांच नहीं होगी तो पूरे प्रदेश की जनता में एक बात जायेगी कि पिछली बार जो आये थे या अब आकर बैठ गये हैं बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं । उसमें हम सब मिलकर यहां पर बैठे हुए हैं, उन बातों से सबकी विश्वसनीयता का क्षरण होगा । जनमानस में यह बात आनी चाहिए कि आरोप-प्रत्यारोप गलत हैं । जांच हो जाय जो दोषी पाया जाय उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाय । आरोप-प्रत्यारोप अगर हमारी तरफ का सिद्ध होता है तो मैं बता चुका हूं कि हम करेंगे और अगर माननीय मंत्री जी के विरुद्ध सिद्ध होता है तो हम त्याग-पत्र की मांग नहीं करेंगे केवल वे यहां क्षमा याचना कर लेंगे या तो जांच हो या जो आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं उन्हें वापस होना चाहिए । अगर यह बने रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी, क्या धारणा बनेगी इन दो विकल्पों में से एक पर कार्य होना आवश्यक है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल अच्छी तरह से जानते हैं कि मा० मंत्रीगण जो उत्तर देते हैं वह पूरी जानकारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ देते हैं, परन्तु उसमें भी यदि कोई भ्रान्ति या शंका आती है तो उसके लिए संगत नियम हैं । वे आपसे कहते हैं और नियमों के अन्तर्गत आप उनकी प्रार्थना पर निर्णय लेते हैं । लेकिन प्रश्नों के संबंध में कोई विवाद पैदा करना नियम संगत नहीं है, मुनासिब नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सरकार जांच कराने से कतरा रही है इसका अर्थ यह हो गया कि माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाये थे, वह बेबुनियाद, निराधार और असत्य हैं, माननीय मंत्री जी का ऐसा आचरण बड़ा गैर जिम्मेदाराना है । माननीय मंत्री जी को चाहिए कि वे क्षमा याचना करें या फिर जांच की बात स्वीकार हो । इन दो बातों में एक का आग्रह मैं पुनः कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रकरण पर पहले यह कहना चाहूंगा कि प्रक्रिया नियमावली के नियम–289(क) में आरोप लगाने की जो प्रक्रिया वर्णित हैं, उसका अनुपालन पूर्णतया करना चाहिए । दोनों तरफ से जो आरोप-प्रत्यारोप अभी सदन में प्रस्तुत किये गये हैं उनमें कार्यवाही का देखना भी आवश्यक है । इसलिए मैं कार्यवाही को दिखवा कर कल तक निर्णय को सुरक्षित रखता हूं । इस संबंध में मैं कल निर्णय कर दूंगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक बात सुन लीजिये.....

श्री अध्यक्ष–

अब क्या आवश्यकता है ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आपने कल के लिए कहा है आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे । आपकी जो भी व्यवस्था होगी वह हमें शिरोधार्य होगी ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गयीं । इसमें पहली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की मथुरा जनपद के सादाबाद थाने के ग्राम बिसवा में अनुसूचित जाति की महिला को निर्वस्त्र घुमाने वालों के खिलाफ कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर की नहर रोजा रजवाहा व शहाबाद रजवाहा में पानी न आने से सिंचाई के अभाव के सम्बन्ध में तीसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल की मुजफ्फरनगर के ककरोली कस्बे के निकटवर्ती गांव ढासरी में अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना की जनपद खीरी में राजस्व विभाग व भू माफियाओं की मिली भगत से भूचित्रों में हेराफेरी के सम्बन्ध में, पांचवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सीतापुर में गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी की बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत शारदा सहायक परियोजना खण्ड 28 हैदरगढ़ तथा शारदा सहायक परियोजना खण्ड 40 एवं शारदा नहर खण्ड लखनऊ से कई गांवों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के समबन्ध में, तथा सातवीं सूचना श्री तेजभान सिंह की सुल्तानपुर के थाना जयसिंहपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा किये जा रहे जन उत्पीड़न के सम्बन्ध में हैं ।

इसके बाद प्रतीक्षा सूची में दो माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं । पहली सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के बरसोहिया गांव के पूर्व में पुल बनवाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री रमेश पोखरियाल निशंक की गढ़वाल मण्डल में प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है तथा जिन अन्य माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं उनके नाम, पहले श्री श्याम देव राय चौधरी, दूसरे श्री त्रिपाल सिंह धामा और श्री प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर, तीसरे प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर श्री त्रिपाल सिंह धामा यह दोनों में है श्री जयपाल सिंह व राम कृष्ण वर्मा, चौथा श्री बच्ची सिंह रावत व पांचवां श्री मातवर सिंह कण्डारी की है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं ।)

जनपद मथुरा के सादाबाद थानान्तर्गत ग्राम बिसावर में अनुसूचित जाति की महिला को निर्वस्त्र घुमाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मथुरा जनपद के सादाबाद थाने के ग्राम, बिसावर में श्यामवीर जाटव अनुसूचित जाति ने अपनी पत्नी श्रीमती गुड्डी को 31 जनवरी, 1994 को गांव के सवर्ण लोगों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निवस्त्र करके घुमाया था की घटना की रिपोर्ट थाने में नामजद कराये जाने पर अभी तक सभी मुल्जिमों को पुलिस द्वारा न पकड़े जाने की स्थिति में सवर्ण जाति के मुल्जिमानों द्वारा प्रशासन से सांठगांठ करके प्रताड़ित करने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुसूचित जाति की महिला गुड्डी एवं उसके पति श्यामवीर के बयान बदलवाने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है तथा भयभीत किया जा रहा है जिसके कारण वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना बयान भी नहीं दे पा रहे हैं। गांव के अन्य अनुसूचित जाति के परिवारों को भी इसी प्रकार प्रभावित करने की घटना भी प्रकाश में आयी है।

अतः मैं यह मामला सदन के संज्ञान में लाते हुये निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने स्तर से शासन को निर्देशित करके उन अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। शासन-प्रशासन उक्त अनुसूचित जाति के परिवार पर बयान बदलने जैसा घिनौना षड्यंत्र न करे तथा मुल्जिमानों को किसी प्रकार का सरकारी एवं अन्य संरक्षण प्रदान नहीं हो।।

जनपद शाहजहांपुर की नहर रौजा रजबाहा व शाहाबाद रजबाहा में पानी न आने से सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

। मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद की नहर रौजा रजबाहा व शाहाबाद रजबाहा में पानी न जाने से इस क्षेत्र के लगभग 100 ग्रामों से सिंचाई का अभाव रहा जिसके कारण लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है। पिछले एक वर्ष से अधिक समय से इन दोनों रजबाहों में पानी न आने से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसमें पानी न आने से सम्बद्ध माइनरों में भी जैसे लोधीपुर सल्लिया, सुतनेरा, डीगुरपुर आदि में भी पानी का अभाव है। क्षेत्रीय अधिकारियों ने शासनादेशों को जिसमें टेल तक पहुंचाने के निर्देश दिये गये हैं कूड़े की टोकरी में डाल दिये। अभी भी इस क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त ग्राम हुसेनापुर (ब्लाक भावलखेड़ा के पास एक झाल बंधने से भी ग्राम रामापुर, बिलन्दापुर, सिदरा सिउरा आदि में पानी का अभाव नहीं रहेगा।

उपरोक्त क्षेत्रों में सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं है इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि रौजा रजबाहा, शाहाबाद रजबाहा व इससे सम्बद्ध माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें ताकि लोग भुखमरी से निजात पा सकें।।

मुजफ्फरनगर जनपद के गांव ढासरी में अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जगदम्बिका पाल–

। मान्यवर, वर्तमान सरकार द्वारा एक तरफ दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर है परन्तु वास्ताविकता इसके विपरीत है। आये दिन बलात्कार की घटनायें प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में घटित हो रही हैं, जो पूरे प्रदेश के जनमानस को उद्वेलित कर देती हैं। इसी तरह की एक बलात्कार की घटना विगत 25 फरवरी को मुजफ्फरनगर के ककरौली कस्बे के निकटवर्ती गांव ढासरी में सवेरे तीन युवकों ने जंगल में सरसों काटने गयी अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया तथा विरोध करने पर युवती को गोली मार कर घायल कर दिया। अभी तक पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने से पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। गांव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ढासरी निवासी ईदद की 18 वर्षीय पुत्री कुमारी शबनम आज सवेरे अपनी सहेली के साथ जंगल में सरसों काटने गयी । जब दोनों सहेलियां खेत में सरसों उखाड़ रही थीं तभी उसी गांव के तीन युवकों ने पीछे से आकर युवतियों को दबोच लिया । तीन युवकों ने देशी तमन्चे के नोक पर शबनम के साथ सामूहिक बलात्कार किया । शबनम ने अपने बचाव के लिए चीख पुकार मचायी जिस पर युवकों ने गोली मार कर हत्या कर दी । इसके बाद युवकों ने दूसरी युवती के साथ बलात्कार का प्रयास किया परन्तु वह किसी तरह से चंगुल से बचकर भागने लगी तो युवकों ने उसे पीछे से गोली मार दी । अभी तक ऐसे घृणित एवं संवेदनशील घटना में पुलिस ने किसी को गिरफ्तारी नहीं की है जिससे स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण एवं विस्फोटक है ।

अस्तु इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन में एक वक्तव्य एवं चर्चा की मांग करता हूं ।]

जनपद खीरी में चकबन्दी प्रक्रिया में राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं भू-माफियाओं द्वारा भू-चित्रों में तकनीकी हेराफेरी करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्वेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

[महोदय मैं आपकी अनुमति से लोक महत्व की निम्नांकित सूचना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद खीरी में विगत 10 वर्षों से चल रही चकबन्दी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई अपितु राजस्व विभाग के कर्मचारी भू-माफियाओं के साथ मिलकर लगातार भूमि संबंधी हेरा-फेरी कर रहे हैं तथा खाते में जो भूमि का रकबा होता है, चकबन्दी के समय रिश्वत लेकर चकबन्दी के कर्मचारी उस खाते में दर्ज पैमाइश के अनुपात में भू-चित्र बनाते समय भू-चित्र में पैमाइश बढ़ा देते हैं इस तकनीकी हेराफेरी से अतिरिक्त भूमि खातेदार के कब्जे में ही रह जाती है तथा भूमिहीन पट्टा पाने से वंचित रह जाते हैं । उदाहरण स्वरूप ग्राम तिकोलिया पढुआ ग्राम परगना पलिया के मुजहा, गजरौरा आदि हैं ।

उक्त गम्भीर हेराफेरी के कारण शासन की छवि धूमिल तथा भूमिहीनों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है अस्तु मेरी मांग है कि धारा 52 का प्रकाशन यथाशीघ्र कराकर सीलिंग व ग्राम समाज की भूमि के पट्टे बनाकर भूमिहीनों को दिये जायं तथा खाते के अनुपात में बड़े बनाये गये भूचित्रों की गहन जांच कराकर उन्हें ठीक किया जाय तथा दोषियों को कठोर दण्ड दिया जाय ।]

जनपद सीतापुर में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, सीतापुर में गम्भीर पेयजल संकट व्याप्त है । जाड़ों में यह स्थिति देखकर गर्मी के मौसम की कल्पना एक भयावह दृश्य उत्पन्न करती है । पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में लगभग 1.20 करोड़ रुपया आवंटित हुआ । कुछ नलकूप छिद्रत हुए, पाइप लाइनें पड़ी परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । कार्य अत्यन्त घटिया स्तर का है । सीतापुर जल निगम ने 19 प्रतिशत के विरुद्ध 34 प्रतिशत सेटेज चार्जेज काट लिए । 1/3 भाग अधिष्ठान व्यय पर खर्च हो जाने से निर्माण अधूरा पड़ा है । वर्तमान में सरोजनी वाटिका तथा टाउन हाल के दो नालकूप फेल हैं । पाइप लाइन जहां पड़ी वह अभी जोड़ी नहीं गयी । बिजली आपूर्ति अनियमित होने से क्षमता भर नलकूप नहीं चलते । मोटे अनुमान के अनुसार नगर की आबादी देखते हुए भाग 1/4 पानी का प्रबन्ध है ।

अतः विगत 3 वर्षों में जल निगम द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराने तथा आवश्यकता भर पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[माननीय अध्यक्ष जी, बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत शारदा सहायक परियोजना खण्ड–28 हैदरगढ़ तथा शारदा सहायक परियोजना खण्ड–40 एवं शारदा नहर खण्ड लखनऊ, के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के कारण दर्जनों गांवों तथा किसानों की लगभग हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है । उक्त किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । सिंचाई विभाग खण्ड–28 तथा खण्ड–40 द्वारा इन्हौना, पलिया, पेचरुआ, सोनीकपुर, हैदरगढ़, रेक्सहा, फिरोजाबाद, शिवनाम शताब्दी, खेरा कनकु, लक्ष्मणगढ़, लिंग आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई समय रहते हुए न की गयी तो सैकड़ों गांवों में जल भराव की विषम परिस्थिति पैदा हो जायेगी ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सुल्तानपुर के थाना जयसिंहपुर में पुलिस द्वारा छात्रों व नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तेजभान सिंह–

[महोदय, मैं दिनांक 19-2-94 को जनपद सुल्तानपुर के थाना जयसिंहपुर में पुलिस द्वारा घटित छात्रों व नागरिकों पर अमानवीय घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

दिनांक 19-2-94 को थाना जयसिंहपुर में तैनात कान्सटेबिल काशीराम यादव द्वारा गुण्डाराज कायम करने के विरुद्ध थाने के निकट ही स्थनीय विद्यालय के कुछ छात्रों से विवाद हो गया था जिसकी सूचना थाने पर देने गये अबोध छात्रों पर, थाने की पुलिस द्वारा अपने साथी कर्मचारी के दुष्कृत्य को छिपाने की दृष्टि से लाठीचार्ज किया गया तथा गोली वर्षा करके छात्रों को लहूलुहान कर दिया गया जिसमें सैकड़ों छात्र व नागरिक इस पुलिसिया दुष्कृत्य के शिकार हुए हैं । दो छात्र गम्भीर अवस्था में लखनऊ में भर्ती किये गये हैं । संबंधित पुलिस को इतना करने के बावजूद अभी सन्तोष नहीं हुआ है और अब लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर तथा अभिभावकों व निरीह जनता को डरा-धमकाकर इस दुष्कृत्य पर परदा डालने की कोशिश कर रही है । इस घटना तथा पुलिस उत्पीड़न से क्षेत्र की जनता में काफी भय एवं असन्तोष व्याप्त है, जो कभी भी उचित कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में विस्फोटक रूप ले सकती है ।

अतः इस आदरणीय सदन के संज्ञान में उक्त घटना लाते हुए अनुरोध है कि इस बिन्दु पर आज ही चर्चा करायी जाय तथा दोषियों को दण्डित कर क्षेत्र में अमनचैन बहाल किये जाने की कार्यवाही की जाय ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने नियम–289 (क) में एक सूचना दी है.....

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम–300 को हो जाने दीजिये उसके बाद देखूंगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'

मान्यवर, पहले आप नियम–311 को लेते थे ।

श्री अध्यक्ष–

पहले इसको हो जाने दीजिये, उसके बाद सुन लूंगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है पहले इसको ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको ग्राह्यता पर सुन लूंगा । पहले नियम–300 हो जाने दें । आज दिनांक 1 मार्च, 1994 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल की 25 फरवरी, 1994 को नगर बस सेवा के किराये में प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धि किये जाने के बारे में, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की दिनांक 24 फरवरी, 1994 को सदन में प्रश्नोत्तर के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रदेश की किसी गन्ना मिल पर 15 दिन से अधिक का बकाया न होने की सूचना दिये जाने के बारे में, तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की दिनांक 20 फरवरी, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पी०एम०एस० एसोसियेशन के सम्मेलन में डाक्टरों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के नीतिगत घोषणा सदन के बाहर करने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की विधायकों के प्रति शिष्टाचार की अवहेलना कर विधायिका की गरिमा को आहत किये जाने के बारे में, पांचवी सूचना श्री मित्रसेन यादव की वर्ष 1979-80 में जनपद फैजाबाद में 70 सवर्ण लोगों द्वारा अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आरक्षण का लाभ लेने के बारे में तथा छठी एवं अन्तिम सूचना श्री हृदय नारायण की मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1542(2) सं०/17-79-9 सं० 1079 दिनांक 21 फरवरी, 1979 में प्रसारित आदेशों के बावजूद पुरवा ब्लाक (उन्नाव) के बी०डी०ओ० द्वारा समिति की बैठक बुलाये जाने के बारे में है ।

सत्र के दौरान परिवहन मंत्री द्वारा सदन के बाहर नगर बस सेवा के किराये में वृद्धि संबंधी नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चूंकि पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी और श्री पाल जी की है, इसलिये मैं सबसे पहले पाल जी को बुला रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो इस औचित्य के प्रश्न पर आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इसकी ग्राह्यता पर सम्मानित सदन के समक्ष कुछ बात कह सकूं। इससे पूर्व भी कई बार मैंने इस तरह के औचित्य के प्रश्न लगाये परन्तु विगत दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुयीं, नेता प्रतिपक्ष के भाषण के कारण, जिस कारण औचित्य के प्रश्न नहीं लिये जा सके। मैं आज आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं और यह सदन भी आभारी होगा। मान्यवर, समय-समय पर इस पीठ से निर्णय दिया गया है कि जब सदन सत्र में हो तो कोई भी नीतिगत घोषणा सदन के बाहर न की जाय अथवा कोई भी लोकप्रिय निर्णय इस सरकार द्वारा या सरकार के किसी मंत्री द्वारा, जो जन प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, उनको बिना विश्वास में लेकर की जाये। मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उपस्थित किया है, वह इस उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री द्वारा प्रदेश नगरीय बस सेवा में किराये में वृद्धि की घोषणा के संबंध में है। मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है कि 5 कि०मी० तक एक रुपये, 10 किमी० तक दो रुपये, 15 किमी० तीन रुपये और 20 किमी० तक चार रुपये किराया होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ उपनगरीय सेवाओं को जोड़ने की बात तथा प्राइवेट बसों को अनुबन्ध पर लेने की भी बात कही। अब यू०पी० एस०आर०टी०सी० में प्राइवेट बसों का अनुबन्ध किया जायेगा, यह एक नीतिगत घोषणा है। किराये में वृद्धि, जिसका सीधा-सीधा असर उन गरीब लोगों पर होगा, जो केवल बसों पर निर्भर हैं। जो लोग सक्षम हैं, वह तो कारों से चलते हैं, थ्री व्हीलर से चलते हैं, लेकिन जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं, जो केवल बसों से ही सफर करते हैं, उनके लिये बसों के किराये में वृद्धि की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की। चूंकि सदन सत्र में है इसलिये हम लोगों को विश्वास में लिया जाय, वैसे भी यह मान्यवर, सामान्य शिष्टाचार के विपरीत है आजकल रोज ही घोषणायें हो रही हैं, यद्यपि यह निर्णय सरकार को अलोकप्रिय बनाने वाला है। इस तरह की घोषणायें सदन में हों, ताकि हम लोग भी इस पर चर्चा कर सकें, यही औचित्य का प्रश्न आपके प्राग्दर्शन में है। मैं चाहता हूं कि आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें और नेता कांग्रेस को भी इस पर सुन लें।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न को इस रूप में मैं रखना चाहूंगा। यह सर्वमान्य संवैधानिक सत्य है कि मंत्रि-परिषद् सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, यह परम्परा भी रही है कि जब सदन की बैठक आहूत हो जाती है या फिर सिर्फ सत्र बुलाने की सूचना दे दी जाती है, उसके बाद से सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रदेश के जनहित में कल्याणकारी योजनाओं के लिये कोई भी घोषणा जो नीति से संबंधित है, उन्हें सिर्फ सदन की पीठ पर आपकी अनुमति से इस सदन में ही घोषित किया जा सकता है। प्रश्नगत विषय को यदि आप देखे तो इस संदर्भ में एक बार नहीं सैकड़ों बार निर्देश दिये हैं और इस बात के लिये मान्यवर, कहा भी कि भविष्य में ऐसी कोई घोषणा सदन के बाहर न करें, जब सत्र चल रहा हो, इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। मान्यवर, यदि आप चाहेंगे तो मैं तिथिवार इसको आपके समक्ष पेश भी कर दूंगा। दूसरा पहलू हैं मान्यवर, यहां पर जो संविधान ने दायित्व मंत्रि परिषद् का सदन के प्रति सुनिश्चित किया गया है, उसका पालन नहीं किया गया है। 21 तारीख को सदन की बैठक आहूत की गयी है, विधान सभा और विधान परिषद् दोनों सत्र में है, उस समय माननीय परिवहन मंत्री जी ने घोषणा की कि वह प्राइवेट बसों को अनुबंधित करेंगे, नीतिगत विषय/निर्णय हो गया। जो

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगरीय बसें चल रही हैं, उसके किराये को बढ़ा करके यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। तीसरे क्या माननीय परिवहन मंत्री जी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे अपने बजट के आने की कि उनका बजट प्रस्तुत होने वाला है और यदि यह मान भी लिया जाये कि यह घोषणा करना अवश्म्भावी था तो मान्यवर, उसके लिये आपकी अनुमति के बाद सदन में घोषणा कर सकते थे, सदन के अलावा कहीं घोषणा नहीं कर सकते थे और यदि किया है तो संविधान का, नियमों का, परम्पराओं का उल्लंघन किया है। संविधान की धारा–164 में स्पष्ट है कि "राज्य की विधान सभा के प्रति मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" मा० मंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गयी है वह नीतिगत थी। कहने को तो दलितों, कमजोर तबकों की सरकार है लेकिन यह सरकार जब से गठित हुई, उसका एक भी कदम दलितों, कमज़ोर तबकों की भलाई के लिये नहीं उठा है। अगर उसका कदम उठा है तो दलितों और गरीबों को दबाने के लिये उठा है। मैं कहना चाहता हूं कि सिटी बसों से यात्रा करने वाले लोगों में मध्यम आय वर्ग और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं, मा० परिवहन मंत्री जी के निर्णय से कमजोर तबके के ऊपर बोझ लाद दिया गया है और यह बोझ आपने अपनी अकर्मण्यता का लादा है, आप सैकड़ों बसें प्राइवेट की चला रहे हैं, और जनता पर बोझ लादते जा रहे हैं, जबकि परिवहन निगम को अपनी बसें चलानी चाहिये। मान्यवर, नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मैं चाहूंगा कि मा० मंत्री जी ने सदन के बाहर नीतिगत घोषणा करके सदन का और परम्पराओं का अपमान किया है इसलिये आप परिवहन मंत्री जी को निर्देशित करें कि भविष्य में वह ऐसी गल्ती न करें।

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

दिनांक 25 फरवरी, 1994 को नगर बस सेवा के किराये में कोई वृद्धि की घोषणा नहीं की गयी। नगर बस संचालकों से किराया वृद्धि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है। निजी बसें परिवहन निगम के साथ अनुबन्ध पर चलाने की पुरानी योजना है जिसके अर्न्तगत पिछले वर्ष भी निजी बसें अनुबंधित की गयी थी। वर्तमान में अनुबन्ध के आधार पर परिवहन निगम द्वारा 11 नगरों में उपनगरीय बस सेवा के संचालन के पूर्व निर्णय के अन्तर्गत ही कार्यान्वयन किया जा रहा है। अतः औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, तिथि 25 के स्थान पर 24 हो सकती है परन्तु मैंने अखबारों के माध्यम से इस बात को यहां पर संदर्भित नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

जिस माननीय सदस्य का औचित्य का प्रश्न है, मैं उन्हीं को सुनूंगा दूसरे साहेबान को नहीं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, श्री गुप्ता जी इस समय हमारी काफी मदद कर रहे हैं। मान्यवर, अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1979-84) की जो पुस्तक है, उसके पेज 198 को आप देखें। उसमें श्री गुप्ता जी ने परिवहन किराये में वृद्धि से संबंधित एक औचित्य का प्रश्न पूछा था कि 16 फरवरी और 24 फरवरी को परिवहन मंत्री ने सदन के बाहर इस बात को स्वीकार करते हुए कि बसों का किराया पिछले अक्टूबर में जो 25 फीसदी बढ़ाया गया है वह ठीक नहीं है और वह बढाने से आय घटी है। इसलिए सरकार ने जो 25 फीसदी किराया बढ़ाया था, उसका आधा घटाने को तैयार है। इस तरह के निर्देश सरकार ने निगम को दे दिये हैं। इन्होंने 16 तारीख को पत्रकारों के साथ जो वार्ता की है, उसमें

इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है । इस पर अध्यक्ष पीठ से 28 अप्रैल, 1978 को यह निर्णय दिया गया कि अखबार की खबरों के बारे में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । इसके अतिरिक्त यह भी विवादित है कि राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस किराये में वृद्धि या उसकी कमी का मामला सरकार की नीति से संबंधित है या नहीं है ? इसलिए इस पर तो निर्णय पहले ही दिया जा चुका है कि राज्य सड़क परिवहन निगम के किराये में वृद्धि करना या नहीं करना, नीतिगत है अथवा नहीं ? इसलिए इसे अस्वीकार किया गया ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की विद्वता में कमी नहीं है । लेकिन जब कभी प्रिसाइडिंग आफिसर के सामने में कोई चीज कोट की जाती है तो उसे सही रूप में कोट किया जाता है । मान्यवर, आप भी उस पुस्तक को देख लें । माननीय मंत्री जी ने मेरे जिस प्रश्न पर अध्यक्ष जी की व्यवस्था को पढ़ा, उसकी तीन पंक्तियों को छोड़ दिया । शुरू की तीन पंक्तियों में कहा गया है, जो 1 मार्च, 1984 को माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया था, "जब सदन चल रहा हो तब खासतौर से सदन के लोगों को इस बात की घोषणा सदन से बाहर नहीं करनी चाहिए ।" इस तरह की नीतियों की घोषणा सदन में होनी चाहिए, यह हमेशा से परम्परा रही है । यह निर्णय दिया गया है । यही श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा । इसलिए ऐसे मंत्रियों की आप शास्ति करें और चेतावनी दें । साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह इसका पालन करें । जब सत्र आहूत हो गया हो तो इस प्रकार की नीतिगत विषयक घोषणायें सदन के बाहर न की जायं, सदन के अन्दर की जायं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अर्थ का अनर्थ करना तो माननीय श्री गुप्त जी से कोई सीखे । हम इस बात को मानते हैं कि जब सदन चल रहा हो तो सदन के बाहर नीतिगत विषयों की घोषणा नहीं होनी चहिए । किराये में वृद्धि से संबंधित विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया था, इसी को मैंने यहां पर प्रस्तुत किया । जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य परिवहन निगम के बसों में किराये में वृद्धि का मामला नीतिगत है अथवा नहीं, यह एक विवादित विषय है । इसलिए मान्यवर, इसको अस्वीकार किया जाय । हम मानते हैं कि सदन के चलते नीतिगत विषयों की घोषणा सदन के बाहर नहीं होनी चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अन्त में मान लिया कि सदन से बाहर नीतिगत विषयों की घोषणा सदन के चलते नहीं होनी चाहिए । मैं सम्पूर्ण सदन को साक्षी मानते हुए कहना चाहता हूं कि मैंने कहीं पर यह नहीं कहा कि अखबारों की सूचना के माध्यम से मैं यह बात यहां पर उठा रहा हूं । मैंने तो यह कहा कि यह मेरी जानकारी है, जिसके आधार पर मैं इस सूचना को यहां पर दे रहा हूं । जानकारी कहां से प्राप्त की, जब मुझसे पूछा जाता तो मैं बताता कि मैंने फलां जगह से सूचना प्राप्त की । मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी इतने अज्ञानी नहीं हैं, उनमें थोड़ा ज्ञान है । वह मान भी रहे हैं कि गलती हो गयी कि उन्हें यह घोषणा नहीं करनी चाहिए थी । हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलती कर दी है तो उन्हें मंत्रि मण्डल से निकाल दिया जाय या फिर उन्हें यहां खड़ा करके प्रताड़ना मिले । हम चाहते हैं कि यह सदन नियमानुसार चले । इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मंत्री जी को सचेत करें कि जब सदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चल रहा हो तो नीतिगत विषयों की घोषणा सदन से बाहर न की जाय, उन्हें सदन के अन्दर किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस औचित्य के प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विचारों को सुना, माननीय मंत्री जी को भी सुना और आपके विचारों को भी। अब जो औचित्य का प्रश्न यहां पर उठा है, उसके बारे में तो पहले ही रूलिंग्स दी जा चुकी है कि यह नीतिगत विषय है अथवा नहीं ? दूसरी बात मंत्री जी ने कह दी है कि इस तरह की बात मैंने नहीं कही तो फिर माननीय तिवारी अब आप इस प्रकरण को समाप्त कर दीजिये, इसके आगे बढ़ें। इसको अस्वीकार किया जाता है।

सदन के बाहर नीतिगत घोषणा किये जाने तथा सदन को गुमराह करने के संबंध में परिवहन मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम 63 के अन्तर्गत सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए गलत सूचना माननीय मंत्री जी ने दी और कहा मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मैं बलपूर्वक फिर कहता हूं कि सदन को गुमराह किया गया और सदन के परे यह बात कही गयी है इससे सदन की अवमानना हुई है। मैं मौखिक रूप से सदन को गुमराह करने के लिए उनके विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं। मैं लिखित रूप से आपको भिजवा रहा हूं। इस विषय पर आप संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, लिखकर भेज दीजियेगा मैं परीक्षण करा लूंगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं मैंने भी एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकरण को मैंने अस्वीकार कर दिया है। लिखित देने की बात पर मैं मान लूंगा। मैंने कहा मैं परीक्षण करा लूंगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय शिक्षा मंत्री जी के विरुद्ध मैंने एक नोटिस आपकी सेवा में दिया था आपने परीक्षण कराने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष–

तब आपने कैसे समझ लिया कि परीक्षण नहीं हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, जितना शीघ्र आप चाहते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

चूंकि नीतिगत घोषणा सदन के बाहर की गयी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 24 फरवरी, 1994 को सदन में प्रश्नोत्तर के दौरान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा गन्ना मिलों पर 15 दिन से अधिक बकाया न होने संबंधी भ्रामक उत्तर दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें, उसको भी देख लेंगे। अब दूसरा औचित्य का प्रश्न माननीय गुप्त जी का है आप ग्राह्यता पर बोलें।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ग्राह्यता की दो शर्त हैं, पहली शर्त यह कि जो विषय उठाया जाय वह सदन के संज्ञान में होना चाहिए। जिस विषय की ओर मैंने ध्यान आकृष्ट किया है वह सदन के संज्ञान में है। दूसरी शर्त है कि विषय संविधान और नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए। उसका भी उल्लेख इसमें है। मेरे औचित्य के प्रश्न पर दोनों बातें हैं। पिछली 24 तारीख को जिस समय जगदम्बिका पाल जी ने गन्ना आपूर्ति के बकाये के बारे में सवाल उठाया था संसदीय कार्य मंत्री जी ने दृढ़ता के साथ कहा कि कोई मिल ऐसी नहीं है जिसके ऊपर 15 दिन से ज्यादा का बकाया है उस समय मैंने और माननीया राज लक्ष्मी जी ने आपत्ति की थी और कुछ चीनी मिलों का उल्लेख भी किया था। मंत्री जी ने फिर कहा था कि 15 दिन से ज्यादा बकाया नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं यह सरकार किसानों के हितों के विरुद्ध है इसलिए उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। जानबूझकर इस आदरणीय सदन को तथ्यों से परे जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। मैं इस संबंध में निगम द्वारा संचालित महौली चीनी मिल का उदाहरण दे रहा हूं। मेरे जिले की चीनी मिल है इसके चलने की तिथि 29-11-93 और काश्तकारों का भुगतान न करने के कारण 8-2-94 को यह बन्द हो गयी, कुल गन्ना जो खरीदा वह है 4.97 लाख कुन्तल। गन्ना मूल्य देय 273.05 लाख और भुगतान हुआ 169.70 लाख लेकिन वह गन्ना मिल द्वारा 11-1-94 तक ही भुगतान किया और अभी 28 दिन के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ क्योंकि मिल 8-2-94 को बन्द हो गयी। उसके बाद एक महीना बीत गया है। तो एक महीने का यह और 28 दिन का पहले का बकाया चीनी मिल पर है। इसलिए साफ-साफ यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है नियम 63 के अन्तर्गत लेकिन नया मामला होने के कारण इसकी सूचना न देकर मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि भविष्य में कम से कम किसानों के हित को देखते हुए सदन में गलत तथ्य देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास न करें। मान्यवर, महौली, बाराबंकी और अनेक चीनी मिलें हैं जहां गन्ना किसानों का पैसा बकाया है और अब आपने सोसायटीज को पैसा दे दिया है कि वह गन्ने वितरण करें, जो ठीक नहीं है। इसलिए मान्यवर, औचित्य का प्रश्न बनता है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, गुप्त जी ने औचित्य का प्रश्न उठा दिया है, इसलिए पहले मैं गन्ने भुगतान की जो स्थिति है उसके बारे में बता दूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

महौली चीनी मिल के बारे में मामला उठाया है इसलिए उसके बारे में बतायें।

---

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस वर्ष पेराई सत्र 1993-94 में जनवरी 1994 तक कुल देय के भुगतान का 84 प्रतिशत से भी अधिक का भुगतान किया जा चुका है और 15-16 प्रतिशत अवशेष है । यह स्थिति पिछले वर्षों के मुकाबले अच्छी है ।

श्रीमन्, जो सीजन चल रहा है उसमें कीमत जो गन्ना किसानों को मिली है और जो समय से भुगतान हो रहा है उसकी उनको सराहना करनी चाहिए । चूंकि पिछले 10–20 वर्षों में सबसे अच्छी भुगतान की स्थिति है और सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य दिया जा रहा है । इसे राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि जिस दिन प्रश्न उपस्थित हुआ था उस दिन महोली मिल बन्द थी ।

मान्यवर, महोली मिल के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां 11-1-94 तक गन्ने का भुगतान हो गया है । प्रयास किया जायगा कि इस मिल को वित्तीय सरकारी सहायता देकर इस अवशेष का भुगतान कराया जाय । इसलिए हमारी सरकार की नीयत को देखें जो साफ है । प्रयास होगा कि 15 दिनों में भुगतान किसानों को मिल जाय । जो मिलों पर बकाया है उसमें सहायता देकर भुगतान करा दिया जायगा । मान्यवर, पिछले वर्षों के मुकाबले गन्ना किसानों की कोई समस्या इस वर्ष नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

हमने औचित्य के प्रश्न में श्री गुप्त जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री के भी विचार सुने, इसलिए इस आधार पर औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता है । इस प्रकार के पहले भी विचार आ चुके हैं । इसलिए इसे अस्वीकार करते हुए अगले प्रश्न को अब मैं ले रहा हूं ।

मुख्य मंत्री द्वारा डाक्टरों को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने संबंधी नीतिगत घोषणा सदन के बाहर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब अजय कुमार जी की सूचना है कि 20 फरवरी, 1994 को पी० एम० एस० एसोशियेशन के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए माननीय मुख्य मंत्री डाक्टरों को समयबद्ध वेतनमान देने की घोषणा सदन के बाहर की गयी, के संबंध में है । माननीय सदस्य ने जो 20 फरवरी का समय बताया है, तो सदन का यह सत्र दिनांक 21 फरवरी से प्रारम्भ हुआ है, जिस समय सदन नहीं चल रहा था, इसलिए इसको अस्वीकार किया जाता है ।

विधायकों के प्रति शिष्टाचार की अवहेलना कर अधिकारियों द्वारा विधायिका की गरिमा गिराये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगला औचित्य का प्रश्न राम आसरे वर्मा जी का है । वर्मा जी आप अपना प्रश्न देख लीजिये । यह इसमें नहीं आता है, लेकिन सुनूंगा अवश्य । आपने दिया है–विधायकों के प्रति शिष्टाचार की अवहेलना कर विधायिका की गरिमा को आहत किया जा रहा है । लोकतन्त्र का प्रमुख स्तम्भ दिन पर दिन उपेक्षा की सांसें लेने पर विवश है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इससे बड़ा और महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न क्या हो सकता है ? इसमें मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो औचित्य का प्रश्न मैंने उठाया कि विधायकों के प्रति शिष्टाचार की अवहेलना कर विधायिका की गरिमा को आहत किया जा रहा है । लोकतन्त्र का प्रमुख स्तम्भ दिन पर दिन उपेक्षा की सांसें लेने पर विवश है । मान्यवर, समय समय पर विभिन्न विभागों द्वारा यह आदेश जारी किये जाते रहे हैं कि विधायकों के प्रति यथोचित शिष्टाचार का पालन करें, मृदु एवं शिष्टता का व्यवहार करें, समुचित सम्मान दें, शिष्टाचार और सौजन्यता बरती जाए । मान्यवर, चूंकि यह विधायकों से संबंधित मामला है और जहां पर विधायकों के अधिकार और सम्मान की बात होती है वहां पर हम दलों की सीमा को तोड़कर विचार करते हैं । आज लगभग एक साल के राष्ट्रपति शासन के दौरान जिस तरह से अधिकारियों की मानसिकता में परिवर्तन आया है, उसी परिवर्तन का ही यह नतीजा है कि विधायकों के प्रति जो शिष्टाचार के नियम बरते जाने चाहिए, वे आज अधिकारियों द्वारा बरते नहीं जा रहे हैं । अभी मान्यवर, 25 तारीख की घटना है, कानपुर के हमारे दल के माननीय सदस्य श्री राकेश सचान तहसीलदार के यहां जाते हैं–उनके यहां के एक बकायेदार को बकाये की वसूली के लिए बिना निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए हुए अवैध ढंग से गिरफ्तार करके बन्द कर दिया जाता है । वह जानकारी मिलने पर जाते हैं, तो उनसे तहसीलदार कहता है कि लिखकर दे दीजिए, छोड़ देंगे । लिखकर दे देते हैं । जिसके फलस्वरूप 20-22 अन्य बकायादारों की उपस्थिति में तहसीलदार ताला खुलवाते हैं, उसके बाद वहां के परगनाधिकारी आते हैं, जिनके खिलाफ तरह-तरह के गम्भीर अपराधिक मामले हैं, बलात्कार करने के प्रयास तक के मामले शामिल हैं, वह एक साजिश के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम करवाते हैं ।

इसी प्रकार हमारे पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के एक अन्य विधायक श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह हैं । उनकी सही बात को सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं हैं । जब वह सही बात फैक्टंरी के बारे कहते हैं तो अधिकारी कर्मचारियों को भड़काकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करवाते हैं और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाते हैं । हमारे दल के दो विधायकों के साथ ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन मेरा विश्वास है कि सदन में अपनी बात चाहे व्यक्त न करें, लेकिन यदि हम दिल पर हाथ रखकर देखें, तो जो विधायकों को सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान उन्हे नहीं मिल रहा है और मान्यवर, कभी-कभी तो यह यहां भी हो जाता है । प्रश्नों के समय यदि संरक्षण किसी से मिलता है तो आपसे मिलता है, लेकिन आज मैंने स्वयं खड़े होकर तीन बार कहा कि आप मुझे संरक्षण दीजिए, लेकिन आपने कहा नहीं देंगे ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह गम्भीर प्रश्न है । अभी तक यही आदेश दिये जाते रहे हैं कि विधायक अगर कोई पत्र लिखते हैं तो उन पत्रों की प्राप्ति को सूचना तुरन्त दी जाय और त्वरित ढंग से कार्यवाही की जाय, जो भी कार्यवाही की जाय उससे संबंधित विधायक को अवगत कराया जाय । मान्यवर, इधर इस विधान सभा के चुनाव के बाद माननीय विधायकों के पत्र की प्राप्ति की सूचना और उस पर की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत कराना, ऐसा सिलसिला लगता है कि बन्द जैसा होता जा रहा है । अधिकारी स्तर की बात छोड़िये शासन में जो मंत्रीगण हैं, उनको भी अगर कोई पत्र लिखा जाता है तो उसकी प्राप्ति की सूचना और उस पर की गई कार्यवाही से माननीय विधायक को अवगत नहीं कराया जाता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकार और सम्मान विधायकों को दिये जाने चाहिए उसे सुनिश्चित कराने में अगर आप सहयोग देंगे, संरक्षण देंगे तभी सबका कल्याण हो पायेगा । मान्यवर, आप शासन को भी निर्देशित करें कि जिस तरह के शासनादेश विधायकों के प्रति शिष्टाचार और सम्मान के जारी किये गये हैं, उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाय । विधायकों द्वारा

लिखे गये पत्रों के संबंध में जो निर्देशों में व्यवस्था की गई है उसका भी कड़ाई के साथ पालन किया जाय । मान्यवर, इसीलिये मैंने सदन के समक्ष यह रखा है जिन दो माननीय सदस्यों का जिक्र किया है । कानपुर के राकेश सचान, इनके खिलाफ कायम किये गये मुकदमें को वापस लिया जाय । श्री बी० एम० सिंह पूरनपुर के विधायक हैं, इनके खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमा कराया गया है, उसे वापस लेते हुए, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमें करवाये उनके खिलाफ कार्यवाही करवाने के निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ बोलेंगे ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

किसी और को भी सुनना हो तो सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री राकेश सचान–

राम आसरे वर्मा जी ने यह प्रश्न उठाया है, इसमें हमारा नाम आया है, मेरी बात सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत छोटी बात है, वर्मा जी कह चुके हैं, इन्हीं की सूचना थी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी बात है । विधायकों के सम्मान और उनके प्रति शिष्टाचार की बात है, आप कह रहे हैं कि छोटी सी बात है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सुन तो लीजिये, मैं कह रहा हूं । यह सूचना माननीय वर्मा जी ने दी थी । मैंने उनको सुनने के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है अपने विचार रखने के लिए, इसके बाद व्यवस्था दूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अगर बाद में किसी और को भी सुनना हो तो अभी बुलवा लें । मैं बाद में अपनी बात कह दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

केवल वर्मा जी की ही नोटिस थी, उसमें इन्हीं के हस्ताक्षर हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है, उसमें किसी घटना का उल्लेख नहीं है । उल्लेख भाषण में अवश्य किया है । सूचना में घटना का उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना उनके संज्ञान में है वह लिखकर भिजवा दें, हम उस पर उच्च स्तरीय जांच करवा लेंगे । यह सही है कि लोकतन्त्र में विधायकों का सम्मान सबसे ज्यादा होना चाहिए । हमको भी सोचना चाहिए कि कहीं कोई गिरावट आयी है तो हमको अपने ऊपर नियन्त्रण का प्रयास करना चाहिए । पहले जो राजाज्ञा जारी हुई है विधायकों के प्रति शिष्टाचार और उनके सम्मान के संबंध में उस विषय में फिर से यह आज्ञा जारी की जायेगी कि विधायकों का सम्मान और उनके प्रति शिष्टाचार में यदि कोई ढील होती है तो संबंधित अधिकारी के प्रति समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी सरकार विधायकों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी । इस पर पुनः सभी विभागाध्यक्षों को लिखकर भेज दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने सदन के समक्ष दो प्रकरण रखे थे एक श्री राकेश सचान कानपुर का था और दूसरा श्री बी० एम० सिंह पूरनपुर का था । इन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं । चूंकि मैंने सदन के अन्दर यह मामले उठाये हैं इसलिये अलग से लिखकर देने की क्या जरूरत है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं उनको वापस लिया जाये और जिन अधिकारियों ने फर्जी मुकदमें लगाये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । यह घोषणा आप कर दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । विधायकों के प्रोटोकाल का पूरा-पूरा पालन किया जायेगा । मुकदमों की जहां तक बात है इसके लिये एक प्रक्रिया होती है । इस सदन में बैठकर तो हम मुकदमें वापस करने नहीं लगेंगे ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज सदस्यों के प्रोटोकाल के बारे में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए । आज मान्यवर, अधिकारी शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं जबकि यह कार्य मंत्रियों द्वारा होने चाहिए ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है । इस बारे में नियमों में साफ शब्दों में लिखा हुआ है ।

*श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मेरी अवमानना हुई है मेरी बात सुन लें । मेरी गाड़ी अधिकारियों की गाड़ी की लाइन में लगी हुई थी । मेरी गाड़ी में सदस्य विधान सभा लिखा हुआ है । मेरी गाड़ी के नाम यहां से परमिट बनी हुई है । वहां पर कर्मचारियों ने मेरी गाड़ी का चालान कर दिया । मेरे ड्राइवर ने बार-बार कहा कि यह विधायक की गाड़ी है । तो कहा गया कि हम विधायक से कोर्ट में मिल लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम के अन्तर्गत अपनी बात दे दें मैं सुन लूंगा । यह चर्चा का विषय नहीं हो सकता है । आप लिख कर दे दीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(कई सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

हम किसी को भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप लोग बैठ जाइये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन आप मेरा निवेदन तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, इस शासन में विधायकों और सांसदों का सम्मान नहीं रह गया है उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के परन्तुक (4) को आप पढ़ लीजिये। यह वाद विवाद का विषय नहीं हो सकता है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती प्रेमलता कटियार

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा। यह कोई तरीका नहीं है। सदन अव्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकता है। आप नियमों के अन्तर्गत कहियेगा। आप नियमों के अन्तर्गत यदि कोई बात नहीं उठायेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा।

श्री किरनपाल सिंह–

आप मेरी बात को सुन लीजिये। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अव्यवस्था मत फैलाइये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 300 (4) के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें है कि किसी औचित्य के प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे।

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली । अब बैठ जाइये । मेरा निर्णय सुनिये । आपने जो नियम उठाया है उसके बारे में भी कह लेने दीजिये ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मुझे नहीं सुनेंगे आप ?

माननीय वर्मा जी ने नियम 300 (4) का हवाला दिया । उसमें लिखा है कि "किसी औचित्य के प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे ।" मैंने इस प्रश्न पर कई लोगों को सुन लिया । क्या मैं पूरे सदस्यों को सुनूंगा ? आप बता दीजिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि इस सदन के माननीय सदस्यों से संबंधित विवाद या कोई घटना सदन के अन्दर संज्ञान में लाई जाती है और यदि इस माननीय सदन के अन्दर माननीय सदस्य मौजूद हैं, तो आपकी पीठ से कृपा पूर्वक, उस माननीय सदस्य के साथ घटी घटना के बारे में, उस माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाता रहा है । मान्यवर, बिना पूर्व सूचना के यदि कोई विधायक उस घटना को बताना चाहता है, तो मान्यवर, यह व्यवस्था रही है कि जो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर मौजूद है और अपने ऊपर घटित घटना का ब्यौरा देना चाहता है, उसे सुनने का अवसर दिया जाता रहा है । मान्यवर, जो पूरनपुर में उनके खिलाफ़ सरकारी अधिकारी प्रदर्शन में शामिल हुए थे, फोटो यहां पर मौजूद नहीं है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक-दो साल से, जब से माननीय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री हुए, तब से अब तक यही रवैया चल रही है जो डी० एम० ने कह दिया, जो एस० पी० ने कह दिया, माननीय कल्याण सिंह ने उसे सत्य माना है, मेरी बात को सत्य नहीं माना है और आज तक वह रवैया अधिकारियों का बदला नहीं है, हालांकि यह हम लोग अपने बारे में कोई बात उठायें, शायद मैं इस सदन का सहारा ले रहा हूं, ऐसी बात नहीं है । इस वजह से इस सदन के अन्दर अपने ऊपर अत्याचार को बर्दास्त करते हुए यहां पर कहना चाहता हूं कि सचान साहब के साथ घटना घटी है, वह इस आदरणीय सदन के अन्दर बताना चाहते हैं, और वह यहां पर मौजूद हैं, तो मान्यवर, उनकी बात सुननी चाहिए । मान्यवर, सिपाही के खिलाफ, डी० एम० के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ है, लेकिन किसी माननीय सदस्य के खिलाफ धारा 353 का सहारा लेकर मुकदमा कायम कराने का एक चलन बना हुआ है । मुझे आपसे निवेदन यह करना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो पिछले दो-तीन सालों में अफसरों और कर्मचारियों का रवैया रहा है और उस रवैये का जो आरोप लगा हुआ है, जो बीती हुई है, वह कह रहा हूं, माननीय सदस्य के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, उनको भी सुनना चाहिए । इसी तरह से पूरनपुर में कई मुकदमें कायम हुए हैं । एक गजटेड अफसर, मैं जानता हूं प्रदर्शन में एम० एल० ए० के खिलाफ भाग ले रहा है, यदि ऐसा हुआ है, तो

लिखित दे दें, इससे काम नहीं चलेगा, माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी बात को सुनें। यदि किसी और भी सदस्य के साथ चाहे, वह जिस पार्टी के हों, यदि किसी सदस्य के साथ कोई गम्भीर घटना घटी है, उसके खिलाफ अनादर हुआ है उसकी बेइज्जती की है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस माननीय सदस्य को भी सुनने की कृपा करें। उसके सुनने में इस सदन की तौहीन नहीं होगी, बल्कि गरिमा ही बढ़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सचान साहब को सुन लें, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

जो विचार माननीय किरनपाल जी ने रखे हैं, मैं उनके विचारों के अनुसार पहले ही अनुमति देने वाला था। मैं श्री सचान को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, दिनांक 25 फरवरी, 94 को कानपुर देहात के अन्तर्गत घाटमपुर में जो एक तहसील भी है, मेरे कार्यकर्ताओं ने सूचित किया कि एक बकायेदार डा० धर्मेन्द्र सिंह जो वहां के जमींदार थे, ने तीन लाख रुपये का कर्ज लिया था, उनको तहसील में बन्द कर दिया गया है। यह जानकारी मिलते ही हम तहसील गये, हमारे साथ हमारे कुछ कार्यकर्ता भी थे। तहसील में परगनाधिकारी मौजूद नहीं थे। मैंने तहसीलदार से पूछा कि आपने धर्मेन्द्र सिंह को क्यों बन्द किया है तो उन्होंने बताया कि इनकी आर० सी० (वसूली) आयी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि आर० सी० (वसूली आदेश) आने के पहले क्या आपने उनको सूचना दी थी कि वह रुपया जमा कर दें तहसीलदार बोले कि कोई सूचना नहीं दी गयी थी। मैंने उनसे कहा कि आपको सूचना देना चाहिए था और अगर वह बकाया रकम जमा करने की व्यवस्था न पाते तभी उनको बन्द करते। मैंने उनसे यह भी कहा कि वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको आप छोड़ दें, तो वह बोले कि एक प्रार्थना पत्र लिखवा कर दें, हम छोड़ देंगे। मैंने हवालात में उनसे प्रार्थना पत्र लिखवाकर दिया और तहसीलदार ने उस पर आदेश कर दिया और नाजिर को बुलाकर उस व्यक्ति को बाहर बुलाया गया, तहसीलदार ने उसको छोड़ दिया। जब हम लोग तहसील से बाहर निकले तो परगनाधिकारी महोदय आ गये और जब उस व्यक्ति को बाहर देखा तो बड़ी तेज आवाज में बोले, किसने इसको छोड़ दिया है ? मैंने कहा कि तहसीलदार ने छोड़ा है वह आपे से बाहर हो गये और तेज-तेज आवाज में बोलने लगे, तो मैंने कहा कि आप परगनाधिकारी हैं, आप को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उनके इस प्रकार के रवैये से हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे, उत्तेजित हो गये, लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने कहा कि आपको शांत रहना चाहिए और संयम बरतना चाहिए और इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। जब मेरी बकायेदार से बात हुई तो उसने बताया कि परगनाधिकारी ने उससे कहा था कि अगर 10 हजार रुपया दे दें तो उसे छोड़ दिया जायेगा। जिनको बन्द किया गया था, वह कानपुर देहात की तहसील घाटमपुर में जमींदार परिवार से सम्बन्धित थे।

पहले उनकी जमींदारी थी, वह भगेड़ू किस्म के आदमी नहीं थे। केवल सम्मान गिराने के कारण उनको बन्द किया गया। परगनाधिकारी को लगा कि उनको 10 हजार रुपये नहीं मिलेंगे, तो वह अनाप शनाप बातें करने लगे और उत्तेजित होकर बातें की। मैंने उनसे निवेदन किया कि संयम से बात करें। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप अलग बात कर लें। मुझसे उन्होंने कहा कि मैं ब्लड प्रेशर का

मरीज हूं, मुझे जो गुस्सा आ गया, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे अकेले में यह बात कही है और जनता के सामने और तहसील के कर्मचारियों के सामने आपने दूसरा माहौल बनाने का प्रयास किया। मान्यवर, इसके पहले जनसेवा के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी से मेरा सम्पर्क नहीं हुआ जिसने इस तरीके की बात की हो। मान्यवर, इसके बाद मैं चला आया। उसके बाद पूरी तहसील में यह कहा गया कि हड़ताल कर दी जाय/लेकिन इसके लिये कर्मचारी तैयार नहीं हुए तो दूसरे दिन 26 तारीख को मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि इन अधिकारियों को वहां से हटाकर आप इसकी जांच करा लें। इस दौरान जो मुकदमा कायम हुआ है उसके पीछे भी कारण है तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर करना था। तहसील में कमिश्नर का मुआयना हुआ और वहां जिलाधिकारी भी गये। जिलाधिकारी को मैंने शिकायत लिखकर दिया कि आबादी के पट्टों में, तथा जोत के पट्टों में बहुत भ्रष्टाचार किया गया है, 5 हजार से 10 हजार रुपये लिये गये हैं। इस तरह से जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसकी लिखित शिकायत किया था। उसी से परगनाधिकारी मुझसे नाराज थे। इसके अतिरिक्त मान्यवर, लगभग 4 महीने पूर्व चन्द्रप्रभा नाम की महिला जो तहसील की कर्मचारी थी उसके साथ परगनाधिकारी ने रेप करने का प्रयास किया था। उसने उस महिला को खाने के बहाने अपने घर पर बुलाया था और फिर उसका हाथ पकड़कर रेप करने का प्रयास किया था जिसकी उसने डी० एम० से शिकायत की थी मैंने भी उसकी शिकायत की थी। जांच कराने के लिये डी० एम० को लिखा था लेकिन उसकी जांच नहीं हुई। इन सब प्रकरण को लेकर परगनाधिकारी मुझसे नाराज रहते थे। मेरे चुनाव के दौरान जब वह रिटर्निंग आफिसर थे उस दौरान भी उन्होंने पक्षपात करने का काम किया था, मेरे प्रति उनकी अक्सर नाराजगी रहती थी। मेरा केवल इतना कहना है कि जो भी मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है, सरकारी काम में बाधा डालने का, तो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो मुकदमा दर्ज कराने की बात की जाती। मेरा कहना है कि जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाय और इन अधिकारियों को वहां से हटाने के बाद इसकी जांच कराई जाय तो निष्पक्ष जांच होगी। मान्यवर, यह ऐसे अधिकारी हैं कि उनके ऊपर जांच के तमाम मामले लम्बित हैं कि जहां-जहां जिस-जिस तहसील में रहे हैं उस तहसील की कोर्ट में बैठकर मुकदमों को न सुनना, अवैध वसूली करना, जो कर्मचारी पैसा न दे उसको हैरान करना। मान्यवर, इस तरह के जांच के मामले इनके ऊपर हैं तो मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मेरी बात को सुना।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य के आप संरक्षक हैं वह सदस्य चाहे सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो या किसी भी दल का हो और जब किसी माननीय सदस्य का अपमान होता है तो एक प्रकार से वह इस सम्मानित सदन का अपमान होता है। आपसे अनुरोध है कि एक संरक्षक होने के नाते सभी सदस्यों के सम्मान की रक्षा की व्यवस्था आप करें। दूसरी बात अभी माननीय सदस्य ने कुछ गम्भीर आरोप लगाये किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार को इस बात के लिये निर्देशित करें कि उन अधिकारियों को वहां से हटायें और सारे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो जाय और जो भी झूठे मुकदमें विधायक के विरुद्ध लगाये गये हैं, सरकार उन मुकदमों को भी वापस ले । श्रीमन्, जब फूलन देवी के विरुद्ध लगे मुकदमों को वापस लिया जा सकता है तो विधायकों के विरुद्ध लगाये गये मुकदमों को वापस क्यों नहीं लेंगे ? इसलिये आपके संरक्षण की प्रार्थना कर रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल कितना विधायकों के सम्मान के प्रति चिन्तित हैं, अच्छी बात है । लेकिन जब ये सत्ता में थे (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मान लिया हमसे कोई गलती हुई है तो हम इधर आकर बैठ गये हैं । मैंने क्या किया क्या नहीं किया आखिरकार यह विधवा प्रलाप कब तक चलता रहेगा ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, एक-एक विधायक एक-एक अंगरक्षक के लिये कहता रहता था और आप बैठे रहते थे, कोई आश्वासन नहीं देते थे ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, हमने क्या किया क्या नहीं किया, नहीं किया है इसीलिये तो हम यहां पर आकर बैठे हुए हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, हमारा कहना है कि विधायक का सम्मान गिराने वाले, लोकतंत्र की गरिमा घटाने वाले, इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोकने वाले, आज यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं (व्यवधान) अब देखिये, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सच्चाई गले के नीचे नहीं उतर सकती है । लोकतंत्र में अपनी आलोचना सुनना भी एक बड़ी चीज होती है । लेकिन जो जिम्मेदारी के पद पर हों थोड़ी उसी तरह की भाषा बोलनी चाहिए । (व्यवधान) हम जो हैं आपकी कृपा से नहीं हैं, अपने बल पर हैं ।

एक सदस्य–

आप इनकी कृपा से हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए ।

श्री मयंकेश्वर सिंह–

अपने बल पर तो आप कभी नहीं बैठ पायेंगे उधर ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपकी मदद की न जरूरत है और न ही कभी हमने मांग की है। आपने तो प्रदेश को सर्वनाश में झोंकने का प्रयास कर ही लिया था, बच गया किसी तरह से, इनकी मदद से बच गया, उनकी मदद से बच गया। (व्यवधान) अपने कर्मों को भोगिये, जो कर्म आपने किये, यह उनका ही परिणाम है। नौकरशाही निरंकुश हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में।

एक सदस्य–

आप क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम जो कर रहे हैं उसको देखिये, उसको सीखिये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं जब बैठ जाऊं तब आप उठायें। मैं स्पीकर साहब की अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी पीठ से उत्तर चाहता हूं आप से नहीं।

अपने कर्मों को भुगत रहे हैं यह जो कहा जा रहा है क्या यह संसदीय है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपस में वाद-विवाद से हाउस की कार्यवाही कैसे चलेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप [× × ×] इन्हें भी टोकें। आप कह दें कि राजेन्द्र गुप्त की बात नहीं सुनूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी ही बात कहेंगे या अपने उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। आप ही कहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जो इन्होंने कहा कि मैं खड़ा हुआ हूं तब कैसे उठायेंगे ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री को नहीं टोका, हमें टोक रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

हमें भी कुछ कहने दीजिये । हम माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे आपस में इस तरह की कोई बात मत किया करें जिससे विवाद बढ़े । कोई बात कहें तो पीठ को सम्बोधित करके कहना चाहिए मैं उसका निर्णय दूंगा । उत्तर को सुन लीजये उसके बाद बात को फिर आगे बढ़ाइये ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी माननीय गुप्त जी को सुन लें आपका जो स्पष्टीकरण है उसी से संबंधित है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरा उत्तर पूरा कहां हुआ है अभी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो कहा गया है उसी पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था पर सुन लूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो माननीय राम आसरे वर्मा जी ने प्रश्न उपस्थित किया है, माननीय राकेश सचान जी की घटना का जो उल्लेख है, सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए, जानकारी के बाद, इनसे बात करने के बाद इसमें निर्णय लिया जायेगा । विधायकों के सम्मान का जो प्रश्न है, जो राजाज्ञा हैं उनको दुबारा हर अधिकारी के पास भिजवा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, अभी विगत दिवस भी मैंने इसे उठाया था, कि जब एक मामला प्रतिपक्ष की ओर से उठाया जाता है तो उसके संगत उत्तर देने के बजाय इनके मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पिछली बार के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात पार्टी को लेकर की जाती है तो उसका उत्तर भी हमें देने का मौका दिया जाना चाहिए । मुद्दा कुछ उठाया गया और जब माननीय नेता विरोधी दल ने उस पर अपनी टिप्पणी की तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर न देकर अनर्गल और अप्रासंगिक एवं तथ्यों से परे बात कहकर सदन को गुमराह करना चाहा और इस माननीय सदन का समय नष्ट करना चाहा । मान्यवर, आप पूर्व दृष्टान्त देखें ऐसे मौकों पर पीठासीन अधिकारियों ने टोका भी है जो तथ्यों से परे उत्तर देते हैं । आखिर हमारे सब्र की

भी कोई पराकाष्ठा होगी । कहीं ऐसा न हो कि वह पार हो जाये । इसलिये मान्यवर, मेरी आपसे विनम्र शब्दों में यह प्रार्थना है कि जो प्रश्न उठाये जायें उनका उत्तर ठीक से आये इस प्रकार की व्यवस्था करें । इस प्रकार की बातों से सदन का समय नष्ट होता है ।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रकरण अभी माननीय वर्माजी ने उठाया है उस पर मैंने कुछ सदस्यों को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विचारों को भी सुना । उससे दो-तीन बातें सामने आती हैं । पहला बिन्दु यह है कि मंत्रियों को जो पत्र लिखे जाते हैं विधायकों के द्वारा उनकी प्राप्ति की कार्यवाही से संबंधित कोई सूचना नहीं दी जाती है । दूसरा बिन्दु यह है कि जो अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं उसकी प्राप्ति से संबंधित कार्यवाही की भी कोई सूचना विधायकों को नहीं दी जाती है और तीसरा बिन्दु यह है कि अधिकारियों द्वारा विधायकों को कोई समुचित आदर नहीं दिया जाता है, उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है । यह तीन प्रश्न हैं । इन तीनों प्रश्नों के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जैसी कि परम्परा रही है, मैंने उस परम्परा को देखा है । जो भी हमारे माननीय सदस्य किन्हीं माननीय मंत्रियों को कोई पत्र लिखते हैं तो उसके लिये अलग से एक रजिस्टर होता है उसमें उनका नाम अंकित हो जाता है और उस संबंध में सूचना भी दे दी जाती है कि पत्र प्राप्त हुआ और कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है । दूसरी बात यह है कि अधिकारियों को जो पत्र लिखा जाता है माननीय विधायकों के द्वारा उसका भी एक अलग रजिस्टर होता है और उसमें विधायक का नाम अंकित होता है और विधायकों को यह लिखकर दे दिया जाता है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ और कार्यवाही क्या हुई ? तीसरी बात विधायकों के सम्मान के संबंध में है । पहले दोनों जो बिन्दु हैं, उन पर मैं कह देना चाहूंगा कि माननीय मंत्री स्वयं इस बात का ध्यान रखें और दूसरे सरकार का भी मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वह अधिकारियों को आदेशित करें कि विधायकों के पत्रों का उत्तर व प्राप्ति से संबंधित पत्र उन्हें मिल जाया करें, जिससे विधायकों को भी सन्तोष हो कि उन्होंने जनता की कोई समस्या रखी है, उस पर उन्होंने कार्यवाही की है, जिनके प्रति हम उत्तरदायी होते हैं, इसलिये यह आवश्यक भी होता है । तीसरी बात जो है, वह बहुत गम्भीर है । इस संबंध में माननीय विधायक जी ने जो बात रखी है, उसके पहले एक बात कह देना चाहूंगा कि कब क्या हुआ, इसका तो मैं यहां पर कोई संकेत करना नहीं चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम सबको अपने कर्तव्यों और अधिकारों दोनों की ओर ध्यान देना चाहिए । अगर दोनों की तरफ ध्यान देंगे, एक ही पहलू पर विचार करेंगे तो कहीं न कहीं विसंगति रह ही जायेगी, इसलिये मैंने यह अधिकार और कर्तव्य की बात कह दी । लेकिन इस संदर्भ में सरकार को यह निर्देश दे रहा हूं कि वह माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए जो भी उचित कार्यवाही उनके स्तर से हो, करना चाहिए । अब मैं इस औचित्य के प्रश्न को निरस्त करते हुए अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी के साथ उ० प्र० सचिवालय स्थित स्टेट बैंक कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायत तथा उनके जान का खतरा उत्पन्न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष–

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । मैंने निर्णय दे दिया । मेरे निर्णय पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती ।

(कई सदस्यों के खड़े होने व एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

अब कतई नहीं सुना जायेगा । जिस प्रकरण पर निर्णय हो गया, उस पर कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसका अब क्या औचित्य है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है । आपके निर्णय पर कोई व्यवस्था नहीं है, वह दूसरी बात कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन को अनियमित तरीके से चलाने की पूरी साजिश है । मैं निर्णय दे चुका हूं, अब कोई व्यवस्था नहीं ।

(कई सदस्यों के पुनः एक साथ खड़े होने व बोलने पर घोर व्यवधान)

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, जैसा कि अपने साथ बीती कई माननीय सदस्यों ने कही है । माननीय जिप्पी तिवारी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, वह उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, चूंकि उनके साथ स्वयं बीता है, इस नाते से एक बार उनको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, मैं तो यह समझता हूं कि आप सारे नियमों, उपनियमों के ज्ञाता हैं, गुप्त जी भी आपके साथ बैठे हैं । क्या यह प्रश्न पहले नहीं उठा सकते थे ?

(घोर व्यवधान)

आप लोग नियम विरुद्ध कहना चाहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा । मैं आपका सम्मान करता हूं । मेरे निर्णय के बाद भी कोई चीज उसी संदर्भ में कही जायेगी यही आप चाहेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, जो कुछ आप कहेंगे उसे तो मुझे मानना ही है और आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है । मैं कहना यह चाहता हूं कि मा० सदस्य जिप्पी तिवारी जी इस प्रश्न को नहीं उठा रहे हैं । उनके साथ अभी-अभी घटना घटी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मेरे निर्णय के पहले इनको उठाना चाहिए था ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इनके साथ तत्काल घटना घटी है और तिवारी जी अपनी बात को कहना चाहते हैं, आप दो मिनट का समय दे दीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल मैं आपकी सुनता हूं और आपकी इज्जत करता हूं, यदि आप कहेंगे तो निर्णय दोबारा दे दूंगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आपके निर्णय को तो चुनौती देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है । श्री तिवारी के साथ एक नयी घटना घटी है उसी को उठाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आप लोग शोर करते रहिये, मैं बैठा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

शोर की वजह से मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं, आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? आप लोग शान्त हो जाइये । कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

(श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी के खड़े होने पर)

आप लोग ही सदन में शोर शराबा मचाते हैं और सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं । आप सब बैठ जायें । मैं कोई बात नहीं सुनूंगा ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे लगाये जाने लगे ।)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को एक घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष ने 1 घण्टे के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 5 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन साढ़े तीन बजे तक के लिये बढ़ा दिया है ।

तदोपरान्त 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

जिस प्रश्न पर माननीय तिवारी जी बोलना चाहते थे उसमें मैंने यही कहा था कि नियमानुसार लिखकर दे दें तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा, अब उनका लिखकर आ गया है, इसलिये मैं तिवारी जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया । मैं यहां सदन में आया था, तो यहां आने के बाद मुझे सूचना मिली कि मेरे परिवार के लोग यहां आये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी वैसे इस संदर्भ में आप व्यक्तिगत रूप से मेरे कक्ष में मिल लेते तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, मैं इसको यहां उठाना नहीं चाहता था लेकिन इसमें पूरे सदन का हित जुड़ा हुआ है, इसलिये उससे पूरा सदन और आप अवगत हो जायेंगे ।

लावी में फोन द्वारा सूचना आयी, परिवार की तबीयत खराब है पैसे की आवश्यकता है इसलिये यहां सचिवालय स्थित स्टेट बैंक में रुपये निकालने हेतु मैं गया । वहां विथड्राल फार्म भरा और मुझे टोकेन नं० 278 दिया गया । सदन के दूसरे माननीय सदस्य भी वहां मौजूद थे । घंटे भर प्रतीक्षा के बाद मैंने कहा कि हमारा पीछे विथड्राल फार्म रखा है उसको सामने लायें क्योंकि मुझे पैसे की तुरन्त बहुत आवश्यकता है, परिवार को अस्पताल ले जाना है । इसलिये तत्काल सुविधा प्रदान कर दें । तो उन्होंने इस पर कहा कि माननीय सदस्य यहां चले आते हैं, हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि तत्काल आप जो पैसा निकालना चाहते वह दे दें । मैं चुप मारकर उसी विभाग के अधिकारी के पास बैठ गया और धीरे से कहने लगा कि यहां पर बोलेंगे तो काउन्टर पर खड़े लोगों को कहीं अपने पैसा लेने में गल्ती न हो जाए और लोगों को क्षति उठानी पड़े, अतः मैं वहां काउन्टर से चला आया और आपसे अपनी बात कही, तो उन्होंने झल्लाकर कहा कि "आप सदस्य हैं लेकिन आपके बैठने की यहां कोई व्यवस्था नहीं, इसलिये आप यहां नहीं सदन में जाकर चिल्लायें" । तो मैं अपनी बात को यहां पर रखकर अपेक्षा करता हूं कि सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो जाए और विधायक परिवार के लिये एक अलग से काउन्टर खुल जाए, यह जो हुआ, यह हमारे सम्पूर्ण सदस्यों का अपमान है । जो वहां मुझे आज सुनने को मिला है, मैं आज सदन में आपकी पीठ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सचिवालय में जो स्टेट बैंक है, वहां पर सदस्यों की असुविधाओं को देखते हुए वहां एक अलग काउन्टर और माननीय सदस्यों के बैठने के लिये व्यवस्था कर दी जाए । वहां पर मान्यवर, समस्त सदस्यों का और आपका एकाउन्ट है । सबको ऐसी स्थिति को झेलना पड़ता है । इसलिये कहना चाहता हूं कि वहां की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए। जहां आज एक सदस्य के अपमान और मान की बात है, मैं वर्ष 89 से इस सदन का सदस्य हूं । मेरी लोकप्रियता और मेरी छवि

डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र में जो बनी हुई है । वहां के गरीब तबके के तमाम लोग मुझे अपना प्यार देते हैं। जिप्पी तिवारी के पास आते जाते हैं, वे जिप्पी तिवारी के एक विशेष और अच्छे व्यवहार के कारण जुड़े रहते हैं । मैं इस सदन में 89 से, जो मुख्य मंत्री जी आज यहां मौजूद हैं, उनके सामने उनके मुख्य मंत्रित्व काल में मैंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उनको अवगत कराया था, मुझे उस समय गनर-शैडो दिया गया था, और मान्यवर, सन् 93 तक वह हमारे साथ था, किन्तु जब दुबारा मैं ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सब इससे संगत नहीं है, आपकी बात खत्म हो चुकी है, अब आप बैठें ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

यहां पर जो विशेष बात होती है, ठीक वही स्थिति हमारे जिले सिद्धार्थनगर में भी होती है और आज जब मैं किसी न्यौता-हकारी, मौत-गमी और किसी के सुख-दुख में जाता हूं तो मुझे अपनी जान का बराबर खतरा बना रहता है । जब मैं किसी परिवार में जाना चाहता हूं, कहीं जाना पड़ता है तो मेरा हृदय कांप जाता है, दिल दुखी हो जाता है, जो जातीयता के जहर को उभाड़ कर इस सरकार ने कानून और व्यवस्था के नाते जो संकट पैदा कर दिया है । आज जो जातीय युद्ध हो रहे हैं या पार्टी के नाम पर जो एक दूसरे के हृदय में गन्दे भाव पैदा हो गये हैं, उससे मेरा जीवन सुरक्षित नहीं मालूम पड़ता है । ऐसी हिंसक घटनाएं इस सदन के कई माननीय सदस्यों के साथ इधर हो चुकी हैं, आपके सदन के कई सदस्य मारे गये हैं । मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां का जो एस० पी० है वह हमको मरवा डालना चाहता है । बार-बार उसने मेरे मारने और मरवाने का प्रयास किया है । इस बात से मैंने नेता सदन को, राज्यपाल जी को और अपने इन परिवार के सदस्यों को भी अवगत कराया है । किन्तु मेरा गनर और शैडो मुझे वापस नहीं किया गया है । उसका एक कारण है, जब बी० जे० पी० की सरकार थी..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह इससे संगत नहीं है, नियम असंगत है । मैंने आपको बैठने को कहा है, आप बैठ जाइये ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, आप सुनना नहीं चाहते हैं, मैं मार डाला जाऊंगा । हमारी हत्या किसी भी समय हो सकती है । मैं इस सदन में आप सबसे दुहाई मांग रहा हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए । यह अधिकारी एस० पी० भाजपा के शासनकाल में नियुक्त हुआ था, मैंने उसके काले कारनामों की शिकायत डी० आई० जी०, आई० जी० और ऊपर सरकार तक की थी, और सरकार ने उसकी अकर्मण्यता को देखते हुए उसे हटा दिया था । किन्तु राज्यपाल शासन आया और फिर उसको वहां पोस्ट कर दिया गया और राज्यपाल शासन में पोस्ट करने के बाद आज मैं इस सदन में कह रहा हूं, जब वह उस जिले में दुबारा पोस्ट किया गया वह जिप्पी तिवारी से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी मानता है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी बात तो सुन लीजिये । आप अपनी बात कहे जा रहे हैं । मुझे खड़ा होना पड़ा । आप बैठ जाइये ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है माननीय तिवारी जी, एक तो आप पहले ही नियमों के विरुद्ध बोलने की तमाम कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपको अनुमति नहीं दी गई है । नियम के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी है तो आप उसमें एक के बाद एक विषय उठा रहे हैं । जबकि आपको किसी एक ही विषय पर बोलना चाहिए था । आप दूसरे विषय के संबंध में अलग से दें तो हम दुबारा फिर सुन लेंगे परन्तु इस तरह नियम विरुद्ध क्यों कह रहे हैं । मैं इतने विषय पर अपने निर्णय कैसे दे सकता हूं । एक विषय पर ही निर्णय दे सकता हूं ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, ऐसा है कि आप मुझे अपनी व्यवस्था को रखने के लिये दुबारा अवसर प्रदान कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

क्या अभी माननीय तिवारी जी की बात को सुनने के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे या मैं ही कुछ कहूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ऐसे मामलों पर उचित होगा कि आप नेता विरोधी दल व अन्य दलों के नेताओं से बात कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह औचित्य का प्रश्न अस्वीकार किया जाता है । आपस में बात करके इस समस्या का हल निकाला जायेगा ।

जनपद फैजाबाद में सवर्ण लोगों द्वारा अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आरक्षण का लाभ लेने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री मित्रसेन यादव जी ने औचित्य का प्रश्न दिया है, आप उसकी ग्राह्यता पर कुछ कहेंगे ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

* श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, हमारे लोकतंत्र में तीन अंग हैं । विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका । इन संस्थाओं की गतिविधियों में जब व्यतिक्रम होता है तो उससे विधायिका भी प्रभावित होती है । हमारे जनपद फैजाबाद में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, राजस्व के तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने सवर्णों को हरिजन का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है । इससे बहुत से लोग सेवा में आ चुके हैं । इनके खिलाफ हमारे जिलाधिकारी ने एफ० आई० आर० भी करवाई है । मान्यवर, 79-80 में 70 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण-पत्र के सहारे नौकरी प्राप्त की है । मेरा आपसे निवेदन है कि यह केवल फैजाबाद जनपद का ही प्रश्न नहीं है, पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी मिली भगत से इस तरह के प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं । मान्यवर, वर्तमान सरकार को मैं बधाई देता हूं और इस बात का स्वागत भी करता हूं कि आरक्षण जो हरिजनों का अभी तक 18 प्रतिशत था उसे बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया है । परन्तु मान्यवर, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस आरक्षण को बढ़ाकर क्या फायदा जब उसका सही हक उन हरिजनों को न मिल सके जिसके लिये वह किया गया है । इसमें भी फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करके सवर्णों का ही भला हो रहा है । मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न के जरिये उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय जो इसके लिये दोषी हैं । मैंने इसमें नाम का जिक्र नहीं किया है परन्तु मैं यहां पर बताना चाहूंगा लालसा राम, डिप्टी कलेक्टर, गुलाब प्रसाद, राम शंकर, बसन्त लाल, बी० एन० सिंह, जगत नारायण तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत प्रमाण-पत्र के जरिये प्रोन्नति भी पायी हैं ।

मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो गलत कार्य हो रहा है, गलत प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं, इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । दोषी लोगों को दण्डित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । हमारे जिलाधिकारी ने हमसे कहा कि हम इन दोषी लोगों के दण्डित कैसे करें ? इनके लिये दण्ड का क्या प्राविधान है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपके संरक्षण में हैं, पूरा प्रदेश आपके संरक्षण में है । राजस्व विभाग के कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है । इसे रोकने के लिये सरकार की तरफ से कोई कारगर कार्यवाही करने के लिये इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में आपके संज्ञान में लाया ।

श्री अध्यक्ष–

इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यह गम्भीर मामला है ऐसा काम नहीं होना चाहिए । इसकी उच्च स्तर पर जांच करवाकर कार्यवाही की जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के संबंध में शासन को यह निदेश दिया जाता है कि इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में ग्राह्य नहीं किया जाता है।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा डी० आर० डी० ए० की उप समिति बनाये जाने तथा सत्र के दौरान उसकी बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, बहुत पहले से इस प्रकार के निदेश उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारियों को हैं कि जब भी इस आदरणीय सदन की बैठक चल रही हो तो उस समय कोई ऐसी बैठक नहीं बुलाई जाए, जिसमें इस आदरणीय सदन के सदस्य को भी हिस्सा लेना हो। श्रीमन्, हमारे जनपद उन्नाव में डी० आर० डी० ए० के अध्यक्ष की हैसियत से जिलाधिकारी ने एक उप समिति बनायी है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिलाधिकारी को इस प्रकार की कोई उप समिति बनाने का अधिकार नहीं है। श्रीमन्, मैंने उस आदेश की प्रति नत्थी भी कर दी है, आपकी सेवा में। जिलाधिकारी ने ऐसी समिति बनायी है, जिसमें डी० आर० डी० ए० से संबंधित परियोजनाओं के लिये जिला स्तर पर बैठक होगी और डी० आर० डी० ए० की उस समिति में हम लोगों सदन के सदस्यों के साथ परगनाधिकारी, बी० डी० ओ० और ब्लाक प्रमुख होंगे। इस बैठक का अध्यक्ष कौन होगा यह भी तय नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने एक आदेश दिया है उसमें यह भी कहा कि अगर समिति के सदस्यों के बीच एक मत नहीं होता तो जिसमें हम लोगों के साथ परगनाधिकारी, ब्लाक प्रमुख और बी० डी० ओ० मतदान करें। मैंने इस संबंध में जिलाधिकारी से भेंट की और उनको शासनादेश दिखाया, उनको समझाने की भी चेष्टा की कि अभी सदन की बैठक चल रही है अतः इस समय कोई भी बैठक नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन जिलाधिकारी ने मुझे समझाया कि इस समय बैठक विधान सभा से संबंधित समितियों और उप समितियों की नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन जिले की बैठक स्थानीय आधार पर हम बुला सकते हैं। दूसरे जब मैंने उनका ध्यान इस विषय की और आकर्षित करने की कोशिश की कि आपके जिलाधिकारी होने के बावजूद और डी० आर० डी० ए० के अध्यक्ष होने के बावजूद इस प्रकार की कोई उप समिति बनाने का अधिकार नहीं है, जिसमें आप ब्लाक प्रमुख, बी० डी० ओ० को एक साथ लें और जिले का कोई अधिकारी हमको नोट दें इस पर भी वह मानने को तैयार नहीं है मैंने कहा अगर आप कोई शासनादेश दिखाते तो उस पर हमारा भी ज्ञानवर्धन होता। मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है हम सभी इस आदरणीय सदन के सदस्य होने के नाते ही डी० आर० डी० ए० के सदस्य होते हैं। इस समय अगर वहां बैठक बुलाई जाएगी और जिलाधिकारी अपने मनमाने आचरण के माध्यम से काम करेंगे, तो सरकार जो कुछ जनहित में करना चाहती है उसे करने में दिक्कत रहेगी मैंने इसे आपके संज्ञान में रखा यह विधायकों के अधिकार का मामला है। मैं समझता हूं कि जो हमारी बातें हैं जिनको मैंने आपकी अनुमति से इस सदन में निवेदन किया है उससे तीन बिन्दु बनते हैं। पहला क्या जिलाधिकारी को इस प्रकार की कोई समिति बनाने का अधिकार है जिसमें डी० आर० डी० ए० के सदस्य के नाते हम लोग बैठते हैं ? मान्यवर, इस संबंध में पहले भी माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय गुप्ता जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी

ने ऐसे मामले उठाये हैं कि जिलाधिकारी को डी० आर० डी० ए० का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए क्योंकि जिलाधिकारी अध्यक्ष होने के नाते मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। हम लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के सामने जवाब देय होते हैं जनता जानना चाहती है कि आपने क्या किया, कौन से काम प्रस्तावित किये लेकिन जिलाधिकारी प्रायः मान्यवर, मैं जरा कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं प्रायः नहीं हमेशा मनमानी करते है इस प्रकरण में लिखित रूप से उन्होंने मनमाने ढंग से कार्य किया है इसलिये इसका स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए। दूसरे सदन चलते समय ऐसी बैठकें नहीं बुलायी जाती हैं। मैंने जिलाधिकारी का आदेश नत्थी किया है जिसमें कहा गया कि सदस्यगण बैठकों के समय उपस्थित रहें। मान्यवर, हम लोगों को आप निर्देश दे सकते हैं लेकिन जिलाधिकारी या कोई अन्य अधिकारी लिखकर दे कि आप उपस्थित रहें तो यह एक प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन हुआ। चूंकि सदन चल रहा है और कल बैठक बुलायी गयी है। विधान सभा की जो प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली है उसके नियम 300 के अन्तर्गत यह आता है इसलिये आपकी व्यवस्था मैं इस संबंध में चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ अपने विचारों को रखना चाहेंगे।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इस प्रकार के पहले भी निर्देश हैं कि सत्र के दौरान ऐसी बैठकें न बुलायी जायं जिसके माननीय सदस्यगण, सदस्य हों,। फिर भी एक अनुस्मारक दिनांक 24-2-94 को टेलेक्स द्वारा भेज दिया गया है कि इस प्रकार की बैठकें न बुलायी जायं। उन्नाव के संबंध में जो माननीय दीक्षित जी ने कहा उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद हम दीक्षित जी से वार्ता कर लेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय हृदय नारायण सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और दुख इस बात का है जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि 24-2-94 को एक अनुस्मारक भेजा गया है लेकिन उसके बावजूद जिलाधिकारी ने आदेशों की अवहेलना की है। दुख इस बात का है कि हमारी वरिष्ठता 5 साल की नौकरी करने वाला व्यक्ति तय करता है। यह सदन की गरिमा से संबंधित है। जिलाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि वह डी० आर० डी० ए० की उप समिति बनाये। हम उसमें पदेन सदस्य होते हैं नामित नहीं किये जाते हैं। जैसा कि दीक्षित जी ने कहा माननीय वर्मा जी कोई स्पष्ट घोषणा करें कि इस मामले में सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह सदन की गरिमा से संबंधित गम्भीर प्रश्न है। वित्तीय साधनों के कारण जिलाधिकारी को इसका अध्यक्ष माना गया है लेकिन उनको उप समिति बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने अधिकार को तोड़ा है। हम लोगों को प्रमुख से लड़ा दें या प्रधान से लड़ा दें तो यह प्रक्रिया अच्छी नहीं है आप इसको गम्भीरता से लीजिये और इसमें स्पष्ट आदेश करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि उनको निर्देश दिया गया है कि आप इस बैठक में उपस्थित रहें यह एक गम्भीर मामला है । जिस प्रकार से अधिकारी चाहेंगे उस प्रकार हाकेंगे क्या यह प्रक्रिया होगी ? सदस्यों को प्रमुख से लड़ाया जायगा । मान्यवर, आप इसे गम्भीरता से लीजिये और माननीय सदस्य ने जो तीन बिन्दु उठाये हैं उन तीनों बिन्दुओं पर स्पष्ट व्यवस्था हो जाय और ऐसा दुस्साहस करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

* श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । मान्यवर, इस आशय की सूचना मैंने 22 दिसम्बर, 1993 को नियम 301 के तहत दिया था, जिसको आपने नियम 300 में परिवर्तित कर दिया था, मान्यवर, जो जिला पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा समिति की 15-12-93 को बैठक की गयी, जिसके कि सदस्य के नाते हमको भी उपस्थित होना था और यह प्राविधान है कि जिन दिनों विधान सभा का सत्र चलता है, उन दिनों उन समितियों की कोई बैठक नहीं होगी, जिसमें विधान सभा के सदस्य भी सदस्य हों । मैंने अपेक्षा की थी कि इस बैठक को तत्काल निरस्त कर तथा आगामी विधान सभा की बैठक के बाद सुनिश्चित किया जाय, किन्तु आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही मुझे शासन द्वारा सूचित किया गया । यह माननीय विधायकों के अधिकारों का हनन है । इसमें तत्काल व्यवस्था की जाय और एक माह बाद भी मुझे सूचना न मिलने के विलम्ब के कारणों की भी जानकारी दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कहना चाहें कह लीजिये, मैं बैठ जाता हूं । जो आप लोग कहना चाहें कह लीजिये, और भी लोग जो कहना चाहें, कह लीजिये ।

(श्री हृदय नारायण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

हृदय नारायण जी, आप बैठ जाइये, मैं आपकी बात सुन चुका हूं ।

श्री हृदय नारायण–

मैं दोहराऊंगा नहीं अपनी बात, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप जितना बोलना चाहें, बोलिये । अभी आप बोल चुके हैं और फिर खड़े हो गये ।

श्री हृदय नारायण–

अब मान्यवर, जिस तरह से आप कह रहे हैं, उस तरह से मैं नहीं बोलूंगा ।

(श्री हृदय नारायण सदन से चले गये ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, 311 ले लीजिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप लोग खूब बोलिये, बोलते रहिये, सभी लोग एक साथ बोलिये ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, अब आगे चलिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अब आप बोलिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय सदस्य हृदय नारायण दीक्षित जी .....

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

वह मान्यवर, वाक आउट कर गये ।

श्री अध्यक्ष–

वह वाक आउट कर गये या नहीं कर गये, मुझे बोलने दीजिये । प्रश्न जो रखा गया है, उसमें मूलतः तीन बिन्दु ही सामने आये । पहला बिन्दु यह है कि क्या जिलाधिकारी डी० आर० डी० ए० की मीटिंगें और जितनी समितियां जिला स्तर पर हुआ करती हैं, उसमें अध्यक्ष रहें ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की भाषा जो निर्देश जैसी हो, उपस्थित रहें, का प्रयोग होना चाहिये और तीसरा बिन्दु यह है कि क्या समितियों की बैठकें जब सत्र चल रहा हो, उस समय होनी चाहिये । मैं इन बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और जो प्रश्नगत प्रकरण है, उसके संबंध में निर्णय दे रहा हूं । मैंने इसी सत्र में एक निर्देश दिया है जब सत्र चल रहा हो तो इस तरह की समितियों की बैठकें न बुलाई जायें, जिनमें विधायकगण सदस्य हों, लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि इस तरह की बैठकें बुलाई जा रही हैं, इसलिये शासन इनका कड़ाई से अनुपालन करे और दिनांक 2 मार्च, 1994 को जो पुरवा, जिला उन्नाव में बैठक बुलाई गयी है, उसको निरस्त करायें ।

नियम 311 की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको मैं दो मिनट के बाद ले रहा हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 1992 (संख्या–1) (वाणिज्यिक)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मई, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (संख्या–1) (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 1991 (संख्या–2) (राजस्व प्राप्तियां) †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (संख्या–2) (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सड़सठवीं वार्षिक रिपोर्ट (1990-91)†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सड़सठवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1990-91 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की अड़सठवीं वार्षिक रिपोर्ट (1991-92)†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की अड़सठवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1991-92 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1993 (दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 से 22 दिसम्बर, 1993) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (दशम् संस्करण) के निदेश 14(3) के अनुसार विधान सभा के प्रथम सत्र 1993 (दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 से 22 दिसम्बर, 1993 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

प्रथम सत्र, 1993 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का उत्तर समय से न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* [1]श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मद 7 के बारे में कुछ कहना है। 301 के संबंध में जो आपने समय-समय पर निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट रुक जायं। इसे हो जाने दें फिर सुन लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मद संख्या 301के बारे में आपके समय-समय पर निर्देश हैं। इस संबंध में जो सूचना सदन में दी जाती है उनका उत्तर एक महीने में हर दशा में माननीय सदस्य के पास पहुंच जाना चाहिये और अगला सत्र जब प्रारम्भ होगा उस समय 7 दिन के भीतर कृत कार्यवाही से सदस्य को अवगत कराया जायेगा और यदि विलम्ब हुआ है तो उस विलम्ब के कारण बताये जायेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आज कुल मिलाकर 45 सूचनाओं की जानकारी दी गयी लेकिन यह शासन और प्रशासन की हृदयहीनता का एक नंगा उदाहरण है कि 45 में से एक सूचना का भी उत्तर समय से दिया गया हो। मान्यवर, 8 सूचनायें हैं जिनका उत्तर ही नहीं दिया गया है, 36 सूचनायें हैं जिनके बारे में एक माह से अधिक का समय लगा है और इसमें आपके निर्देशों में दिया है कि विलम्ब के कारण बताये जायेंगे। विलम्ब का कारण माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि अपिरहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है तो इस विलम्ब की जानकारी मिलनी चाहिये थी। मान्यवर, यह जो नियम की विसंगतियां हैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह पहला मौका है। आप शासन को इस बात के लिये निर्देशित करें ताकि भविष्य में इस तरह की गल्तियां न हों। माननीय सदस्य नियम 301 के बारे में परिश्रम से लिखकर लाते हैं और इस आदरणीय सदन का समय नष्ट होता है और जब इसको कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में रुग्णरोदन हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि शासन को निर्देशित किया जाय, जैसे कि पहले निर्देश हैं, एक माह में सदस्य के पास पहुंच जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन को निर्देशित कर रहा हूं कि समय के अनुसार सूचना दें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1

मान्यवर, गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं कि समय के अन्दर इसका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन गुप्ता जी स्वयं जानते हैं कि उनके भी समय में ऐसा ही हुआ है ।

(हंसी)

श्रीमन्, आप भी समय से उत्तर नहीं दे पा रहे थे, यह आपकी भी समस्या रही है, इसको ठीक किया जाना चाहिए यह हमारी भी इच्छा है और इस संबंध में आज भी मैंने अधिकारियों से बात की थी कि नियमानुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए । अगर नियमों में कोई संशोधन की जरूरत हो तो उसे कर दिया जाय । आज ही मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि सभी सचिवों को निर्देश जारी कर दें और आवश्यकता हो तो नियमों में संशोधन कर देंगे । आपने तो अपने समय में इसको टाल दिया था लेकिन मैंने गम्भीरता से इसको लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी की बात से मैं डर गया कि आवश्यकता हो तो नियमों में संशोधन कर दिया जाय तो ऐसा न हो कि एक माह का 6 माह कर दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अगर कुछ होगा तो आपके साथ वार्ता कर लेंगे । लेकिन आप सुधार नहीं कर पाये, आप भी समय से उत्तर नहीं दिला पाये । हम से समय से उत्तर पहली बार नहीं मिला है इसके लिये हम गम्भीर हैं और मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि वार्ता करके बतायें ।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विदोयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

26 फरवरी, 1994 को लखनऊ में महिलाओं के सम्मेलन में समाज कल्याण मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गांधी जी के संबंध में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने विषयक सूचना

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमने 289 नियम के अन्तर्गत सूचना दी है और 311 में सूचना दी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी ने नियम 289 (क) के अधीन सूचना प्रस्तुत की है ।

---

† दिनांक 3-3-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 289 (क) नियम में यह प्रतिबन्धित है कि अगर किसी माननीय सदस्य के ऊपर आरोप लगाया जाता है या मानहानिकारक कोई बात कही जाती है तो सदस्यों को सूचना दी जानी चाहिए। मैंने इस सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाये और आरोप की जानकारी मैंने उनको दे दी है उनके निजी सचिवों के हस्ताक्षर मेरे पास हैं, वह कागजात मैंने अध्यक्ष पीठ के पास भिजवा दिये हैं। मान्यवर, इस सदन में जो हम लोग बैठे हुए हैं, ऊपर पूज्य बापू जी की तस्वीर है और उसके नीचे बैठकर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके जो मंत्री हैं उनके जो निजी विचार हैं वह एक तरह से शासन की नीति के प्रवक्ता हैं 26 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में महिलाओं का एक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। माननीय राज बहादुर जी और माननीय दीनानाथ भाष्कर जी भी उसमें उपस्थित थे। भाषण में यह कहा गया कि गांधीवाद को समाप्त करो, गांधीवाद का त्याग करो, फूलनदेवी के आदर्शों को स्वीकार करो। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई राजनीतिक दल का नेतृत्व या सरकार का नेतृत्व इतना खोखला हो गया है कि फूलनदेवी के गुणों को साथ जोड़कर महात्मा गांधी के आदर्शों का परित्याग किया जायेगा और फूलनदेवी के आदर्शों पर चलने की बात कही जायेगी। मान्यवर, दया के आधार पर किसी को क्षमा याचना कर दिया जाय, वह बात अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरीके से महान पुरुष के साथ जोड़ना और महिमामंडित करने की बात कहकर यह सरकार क्या मैसेज देना चाहती है यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। मान्यवर, एक महिला जलोठर का नाम जरूर जोड़ दिया गया है वह महिला महारानी झांसी की सहयोगी थी। इस तरह से झलकारी की बात कह रहे हैं महारानी झांसी जब दिवंगत हो गयीं तो उसके बाद भी वह महिला संघर्ष करती रही। उसके बराबर फूलनदेवी को जोड़कर क्या मैसेज देना चाहते हैं। महात्मा गांधी एक संत पुरुष और आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले एक महान व्यक्ति थे, उनके आदर्शों को आपने छोड़ दिया। मान्यवर, यह जो सूचना की जानकारी है जिन्होंने उस सभा में भाग लिया उन्होंने दी और समाचार-पत्रों में भी इसी आशय की जानकारी पढ़ने को मिली। मैं अखबार पढ़ रहा था तो यह देख रहा था कि अगर रिपोर्टिंग गलत हो गयी होती तो उस के प्रतिवाद के लिये मा० मंत्रीगण का स्पष्टीकरण आ गया होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जानकारी मिली थी उस सूचना की पुष्टि समझकर, यह सूचना सदन में रखी गयी है। आपके माध्यम से इस मामले में व्यवस्था दी जानी चाहिए। जिन दो मंत्रियों ने महात्मा गांधी के आदर्शों का परित्याग कर फूलनदेवी के आदर्शों को स्वीकार करने की बात कही है, उस सरकार के मंत्रियों की आलोचना की जानी चाहिए और खेद प्रगट करना चाहिए। महात्मा गांधी जैसे श्रेष्ठ पुरुष के बराबर फूलनदेवी को महिमामंडित करने का जो प्रयास किया गया है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और आपके निर्देश की अपेक्षा करता हूं।

* श्री प्रमोद तिवारी–

भारतीय जनता पार्टी के उप नेता ने जो बात उठायी है वह गम्भीर विषय है इसको बहुत हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य अगर उस महापुरुष के बारे में बात करता हूं, जिस बापू ने देश को आजादी दिलायी, जिसके नेतृत्व में हमने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी तुलना ऐसे व्यक्ति से की जाय जिसका अपराधिक इतिहास रहा हो तो यह उचित नहीं है। यह एक शर्मनाक बात है और जितनी भी आलोचना की जाय वह कम है।

मान्यवर, यह विषय कितना गम्भीर है इसका अन्दाजा इसी से लगा सकते हैं कि कल तक जो लोग उन्हें राष्ट्रपिता तक मानने को तैयार नहीं थे आज उनको इससे कितनी तकलीफ हो रही है। (सत्ता पक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह विषय अपने आप में कितना गम्भीर है इसको देखते हुए, मैं समझता हूं कि इस विवाद को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। भाष्कर जी की उपस्थिति को तो मैं पहचानता नहीं हूं, आप उनसे पूछ लें राजबहादुर जी यहां बैठे हैं अगर वे अपना स्पष्टीकरण दे दें कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के लिये कुछ कहा या नहीं कहा, इससे व्यर्थ की बात समाप्त हो जायेगी। मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम देर से सही यहां से वहां जाने के बाद इतना तो हुआ कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता समझने लगे।

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजबहादुर)–

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी मा० गुप्त जी ने एक बात उठायी है, 26 फरवरी को कोई मीटिंग हुई ही नहीं कोई जनसभा हुई ही नहीं। (सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) जहां तक हमारा सवाल है जो महिलाओं का सम्मेलन हुआ था वह 27 तारीख को हुआ था उसमें मैं भी थोड़े समय के लिये गया था उसके संबंध में समाचार-पत्रों में यह छपा है कि समाज कल्याण मंत्री ने यह कहा कि महिलाओं की, किसी जाति, धर्म और कलर के भेद-भाव के बिना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। मैंने और भी बातें कहीं थी जो अखबार में नहीं छपीं, यह कहा था कि कोई दे या न दे समाज कल्याण मंत्री अवश्य उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उस समय तो भाष्कर जी उस सभा में उपस्थित भी नहीं थे। मैंने अलग से बात की, जो महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती श्यामा आनन्द हैं, उनको बुलाया था आज और पूछा कि ऐसा अखबारों में छपा है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, उनके साथ भागीदारी पर बलपूर्वक कहा गया है। उनकी उपेक्षा की गयी है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, आज हर विभाग में भागीदारी होनी चाहिए। गांधीवाद और और कोई वाद का कोई जिक्र नहीं था सिर्फ महिलाओं की भागीदारी की बात चल रही थी। हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी की जो सूचना थी उसको निरस्त किया जाता है।

खुर्जा में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयराम की हत्या कर दिये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1 मार्च, 1994 को नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उसमें पहली सूचना श्री कल्याण सिंह व श्री सत्य प्रकाश विकल की दिनांक 25 फरवरी, 1994 को खुर्जा में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जय राम की हत्या कर दिये जाने के संबंध में है।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी, नियम 311 के अन्तर्गत एक गम्भीर विषय है परन्तु चर्चा करने हेतु मैंने सूचना दी है। वे घटना एकांगी घटना नहीं है बल्कि गहरी साजिश की एक कड़ी है। इस नाते और भी यह चिन्ता का विषय हो जाता है। श्रीमन्, इस सरकार को आये लगभग तीन महीने हो रहे हैं और इन तीन महीनों में इनकी बहुत विशिष्ट उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि है श्रीमन्, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि। दूसरी उपलब्धि है प्रदेश के कोने-कोने में व्याप्त जातीय संघर्ष और तीसरी उपलब्धि है साम्प्रदायिकता को बढ़ावा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की बात पहले कई दफा हो चुकी है । यदि आप इसकी ग्राह्यता पर प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, यह एकांगी घटना न होकर एक बड़ी साजिश की कड़ी है । मेरा कहना यह है कि जब से मुलायम सिंह ने सत्ता सम्भाली है, तब से उन्होंने साम्प्रदायिकता को ही बढ़ावा दिया है और प्रदेश के अन्दर जो साम्प्रदायिक शक्तियां हैं, तत्व हैं, उनके हौसले बुलन्द हो रहे हैं और उसके दुष्परिणाम सामने आ चुके हैं, जिन पर चर्चा भी हो चुकी है । मान्यवर, चाहे वह मुजफ्फरनगर में हिन्दू संगम के लोगों पर फायरिंग की बात हो, चाहे रामलला की सुरक्षा में लगी बाढ़ को काटने का मामला हो और चाहे कानपुर के अन्दर भाजपा के काला बच्चा की हत्या का मामला हो । काला बच्चा की हत्या इन्हीं साम्प्रदायिक तत्वों ने की और इन साम्प्रदायिक तत्वों के हौंसले इतने बढ़ गये हैं कि इसी कड़ी में 25 फरवरी, 1994 को शाम 7 बजकर 35 मिनट पर भाजपा के एक कार्यकर्ता श्री जयराम सिंह की, जब वह दुकान से घर जा रहे थे, गोली मारकर हत्या कर दी गयी । मान्यवर, इस घटना की 8 बजकर 5 मिनट पर रिपोर्ट भी अंकित करा दी गयी । मृतक की ओर से जो एफ० आई० आर० हुई, जिसके लेखक ओमप्रकाश हैं, उसमें उन्होंने अतहर मोहम्मद, इकबाल, राशिद, आकिल व परवेज, इन 5 नामों का उल्लेख किया है । अपराधी हत्यारे आज भी फरार हैं । आज पूरे खुर्जा में भय व्याप्त हो गया है और जनता में क्षोभ व्याप्त हो रहा है और एक प्रकार से साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बन गयी है । हत्यारों ने बाकायदा अभी कुछ और हत्यायें करने की धमकी भी दी हैं । इस प्रकार की घटना जयराम सिंह के साथ दिनांक 25 नवम्बर, 1993 को भी घटित हुई थी, उस समय भी उनके पास मौजूद पैसों को लूटा गया था और चाकू से प्राणघातक हमला किया गया था । स्थानीय प्रशासन ने इस प्राणघातक हमले की रिपोर्ट को केवल 323 व 107/117 में तरसीम कर दिया साथ ही जिन्होंने रिपोर्ट की थी, उल्टे उन्हीं को गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया । यदि उस रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही हो गयी होती तो आज उन तत्वों का हौसला ऐसा न बढ़ता, जो जयराम सिंह की जान लेने के लिये कारण बना । श्रीमन्, 25 नवम्बर, 1993 की घटना की जो रिपोर्ट हुई थी, उसमें भी अतहर मोहम्मद व इकबाल के नाम थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसीलिये उन दोनों व तीन और ने मिलकर सायंकल 7 बजकर 35 मिनट पर सरेआम जयराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर एक साजिश हो रही है, जिसके पीछे अन्तर-वाह्य शक्तियां काम कर रही हैं और इन शक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे कराने का षड़यन्त्र रचा जा रहा है, इस नाते से मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। मान्यवर, दो-तीन बातें कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा । मैं कल खुर्जा गया था । मान्यवर, उसकी विधवा के छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक ढाई महीने का, एक 3 साल का, एक 5 साल का और एक आठ साल का है । रो-रो कर उसका बुरा हाल हो गया है, कहीं कोई सहारा नहीं रह गया है । मैं कहना चाहूंगा कि यह जो हत्या हुई है, केवल साम्प्रदायिकता के कारण हुई है । मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं कि अगर समय रहते इस ओर नहीं चेता गया तो यह साम्प्रदायिकता की आग लगवा देंगे, यह मेरा सीधा-साधा आरोप है । उस परिवार को कम से कम 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । वहां के लोगों ने मोहल्ला पंजाबियान में एक पुलिस चौकी की स्थापना की मांग की है, रिफायेआम कालेज के सामने भी पुलिस चौकी की मांग की है ।

खुर्जा में आज हथियारों व बमों का बहुत बड़ा जखीरा है । मैं सरकार से चाहूंगा कि इसकी तलाशी ली जाय । अगर उस जखीरे को बरामद नहीं किया गया तो कभी भी कोई और अधिक गम्भीर वारदात हो सकती है ।

श्रीमन्, जयराम सिंह के भाई हैं, नामक चन्द्र राठौर, उनको खुली धमकी दी गयी है कि उनको भी जान से मार देंगे । इस रिपोर्ट के लिखने वाले ओम प्रकाश कल मुझसे मिले, मान्यवर, उनको भी धमकी दी कि तुमने रिपोर्ट लिखा है तुम्हें भी जान से मार दूंगा और इस रिपोर्ट के गवाह ने भी इस प्रकार की आशंका व्यक्त की है कि मेरे जानमाल का भारी खतरा है और चाहे जब हमारे भी प्राण ले सकते हैं । मान्यवर, धीरज की एक सीमा होती है, सहने की एक सीमा होती है और जब धैर्य की सीमा टूटा करती है तो परिणाम विस्फोटक होते हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार समय से पहले चेते और जो भी हत्यारे हैं, जो साम्प्रदायिकता के रंग से इस प्रदेश को आग लगाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें । श्रीमन्, वहां के लोग भाग रहे हैं, हमने कहा कि भागने की आवश्यकता नहीं है, हम शासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे । बहुत से लोग भाग भी चुके हैं क्योंकि पिछली बार भी यहीं पर घटना घटित हो चुकी है 1993 में, जिसमें श्रीमन्, वंशीधर कोली और फूल सिंह कोली की हत्या कर दी गयी और कोई कार्यवाही नहीं हुई, और अपराधियों के हौसले बुलन्द होते चले गये । उसके बाद कंछी सैनी, बिहारी सैनी तथा बिहारी की पत्नी की हत्या कर दी गयी, एक जगन बाल्मीकि थे, उनकी हत्या हो गयी और हत्या करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जयराम सिंह की हत्या की है । मान्यवर, किसी भी हत्या के मामले में उन हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसीलिये उनके हौसले बढ़ रहे हैं । ये हत्यायें किसी रंजिशवश नहीं की गयी बल्कि योजनाबद्ध तरीके से वहां पर साम्प्रदायिक आग भड़काने की कोशिश की गयी । श्रीमन्, साम्प्रदायिक शक्तियों के हौसले बढ़ रहे हैं और उनको यह अहसास हो गया है कि वर्तमान सत्ता सवर्णों के अनुकूल नहीं है और हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है, प्रदेश की शांति-व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है, प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक सद्भाव बने रहने का खतरा पैदा हो गया है, अतः तत्काल इस पर कार्यवाही होनी चाहिए । श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि उसके परिवार को कम से कम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देनी चाहिए और जो मैंने अपने नोट्स में उठाया है कि हथियारों का जखीरा, बमों का जखीरा वहां मौजूद है, उसकी तलाशी ली जानी चाहिए और जो हत्यारे फरार हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए । मुझको कल पता चला कि इस हत्या से संबंधित दो लोगों के खिलाफ नीलामी की गयी है, श्रीमन्, नीलामी पूर्व नियोजित तरीके से की गयी, मान्यवर, उन्होंने पहले अपना सामान निकाल लिया और वहां कबाड़ लाकर भर दिया । शासन और प्रशासन श्रीमन्, इस प्रकार का खिलवाड़ कर रहा है और इस मामले को बहुत हल्केपन से लिया जा रहा है । मैं आज बड़े विनम्र शब्दों में यह सूचित करना चाहता हूं कि तत्काल अगर इस प्रकार की शक्तियों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, मात्र वोटों के लालच में उनके सामने घुटने टेकते चले गये तो प्रदेश का जन-जीवन साम्प्रदायिकता की आग में झुलस जायेगा । श्रीमन्, इस नाते से मैं चाहता हूं कि जो आज गहरा संकट हमारे प्रदेश में आया है उस पर चर्चा कराने के लिये 311 की सूचना दी है, मात्र एक हत्या का प्रश्न नहीं है बल्कि गहरी साजिश और हत्याओं की श्रृंखला में कड़ियां बंधती चली जा रही हैं, स्थिति बहुत गम्भीर है । इस नाते से मैं चाहूंगा कि 311 में नियमों का निलम्बन करके इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, खुर्जा की घटना के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचार यहां पर रखे । खुर्जा के लोग मुझसे मिले थे । वहां का जो वर्णन किया गया, वह बहुत ही दुखद है । दुखद के साथ-

साथ उससे जो खतरे के संकेत मिल रहे हैं, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । 25 तारीख की रात को जयराम, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख कार्यकर्ता था, की हत्या कर दी गयी । उसकी टेलरिंग की दुकान थी । वह दुकान बन्द करके घर जा रहा था कि उसे 5 लोगों ने घेर करके गोली से मार दिया । मान्यवर, आप भी जानते हैं कि खुर्जा एक संवेदनशील शहर है । वहां की स्थिति में आज तनाव है । पहले भी वहां इस तरह की घटनायें होती रही हैं । तीन दिन पहले मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में 311 के अन्तर्गत मामला रखा गया था । हिन्दू संगम से लौटते समय किस तरह से लोगों पर पथराव किया गया था । मुजफ्फरनगर के बाबली नामक जगह पर हरिजनों द्वारा पिछले कई वर्षों से राम भजन का कैसेट बजाया जाता था, परन्तु इस पर आपत्ति की गई अल्प संख्यक समाज की ओर से । परन्तु जब वह बजना बन्द नहीं हुआ तो वहां उनको मारा-पीटा गया, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर पुलिस व पी० ए० सी० लगानी पड़ी । अनेक ऐसी घटनायें इस समय प्रदेश में हो रही है ताकि प्रदेश में साम्प्रदायिकता का तनाव पैदा किया जा सके । एक साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है ताकि कहीं न कहीं उसका राजनैतिक लाभ उठाया जाये । खुर्जा में जय राम की जो हत्या की गयी, मैं कहना चाहता हूं कि 3 महीने पहले भी उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ और उसमें, जिन पांच व्यक्तियों को उनकी हत्या में नामजद किया गया है, उसमें से दो व्यक्तियों को नामजद किया गया था । इन्हीं लोगों ने उसे घेर कर मार दिया । शासन, प्रशासन व पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर सकी । अपनी रक्षा के लिए उन्होंने कई बार कहा था कि मेरी जान को खतरा है । आज उनकी हत्या से उनका परिवार तबाह हो गया है । अब इस काण्ड के पीछे जो मंशा है, वह बहुत ही घातक है साम्प्रदायिक दंगे कराने की । अगर ऐसे गम्भीर अपराधों को नोटिस में नहीं लिया गया तो स्थिति खराब हो सकती है । एक महीने पहले इटावा जनपद के परसूं गांव में दो अल्पसंख्यक लोगों ने राजबीर व उनके पुत्र को गोली से मार दिया श्री जयराम जी की हत्या से उनका परिवार बहुत आहत और दुःखी है । मैंने जो देखा और सुना, उसका उल्लेख मैंने यहां पर किया । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा, कि इस पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये की सहायता दी जाय । यद्यपि यह राशि भी उसके परिवार के लिए कम होगी । उसके परिवार में जो और भाई हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाय । कहीं ऐसा न हो कि एक घटना के बाद दूसरी घटना हो जाय जिससे खुर्जा का माहौल बिगड न जाय । अपने 311 के नोटिस पर बल देते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो घटना हुई, उस घटना का वर्णन मैं नहीं करना चाहता हूं । माननीय नेता विरोधी दल व श्री सत्य प्रकाश विकल जी ने उस घटना के बारे में सारे तत्य आपके सम्मुख रख दिये हैं । आज चिन्ता इस बात की है कि सरकार की तुष्टिकरण परस्त नीति के कारण ही आज इन तत्वों के हौंसले बुलन्द हो रहे हैं, जो आये दिन इस समाज से बदला लेने का काम करते आये हैं । पूरे प्रदेश में एक कड़ी सी बनती जा रही है कि राष्ट्रवादी ताकतों को जानबूझकर दबाने का प्रयास हो रहा है । ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरता से नियंत्रण करने का प्रयास हो जाना चाहिये था, परन्तु बड़े खेद के साथ कहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पड़ रहा है कि ऐसा यह सरकार नहीं कर रही है । ....इसके दूरगामी परिणाम होंगे । अगर कार्यवाही नहीं हुई तो इन चीजों को लेकर उनके हौसले बुलन्द होंगे जो इस समय हो रहा है । शासन साम्प्रदायिक ताकतों को नियंत्रित करने में विफल है यह नीति संबंधी मामला है इसलिये इस पर चर्चा अवश्य करा दें ताकि ऐसे मामलों को कैसे नियंत्रित किया जाय चर्चा हो जायेगी ।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय विकल जी ने जो 311 में यह मुजफ्फरनगर का प्रकरण उठाया है । मैं आपके माध्यम से समस्त सदन से अनुरोध करना चाहूंगा जो यह बाबरी मस्जिद का मामला बताया है और उस प्रकरण में हरिजन के मारे जाने की बात कही है तो वह न तो हरिजन परिवार का मामला है न कोई साम्प्रदायिकता की बात है । यह मेरे क्षेत्र का मामला है मेरे पास के गांव का मामला है । जो बाबरी मस्जिद की बात है जो वहां हुआ है उसकी सच्चाई यह है कि मस्जिद के पास एक गरीब आदमी रहता है उसके बराबर में असामाजिक तत्व जोर-जोर से टेपरिकार्ड बजाता था न तो वह हरिजन था न गरीब, एक असामाजिक तत्व था, बदकिस्मती से एक गरीब मुसलमान परिवार वहां पर रहता है । इस मामले की रिपोर्ट भी हुई वहां के थानेदार ने दोनों को बन्द भी कर दिया और दूसरे दिन छोड़ दिया । दूसरे दिन उस लड़के ने जिसका जिक्र यहां पर किया गया (व्यवधान) जो भाजपा का कार्यकर्ता.....(व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, यह गलत है (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह –

इस घटना को भाजपा के लोगों ने भी कंडम किया है, उसके घर गये । (व्यवधान) यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मेरे गांव का मामला है । (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे) उस गरीब मुसलमान के घर को तोड़फोड़ डाला, परिवार वालों को मारा पीटा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें, उन्हें अपनी बात कहने का हक है (व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस तरह से गलत करेंगे ? (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह घटना को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उसे साम्प्रदायिक बनाना चाहते हैं, वहां पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उनको बोलने दें, आप, अपनी बात कह लीजियेगा (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मुझे सुन लें मेरे इस सूचना पर हस्ताक्षर हैं मुझे अवसर देंगे या नहीं । (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह –

सच्चाई जो है वह मैं बता रहा हूं । उस गरीब मुसलमान का मकान तोड़फोड़ डाला । मान्यवर, वहां आर० एस० एस० के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं । नमाज पढ़ते समय जोर-जोर से टेप बजाते हैं (व्यवधान) इस पर कठोरता से कार्यवाही होनी चाहिये । मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा उसको साम्प्रदायिकता का मामला न बनाये । हम लोगों ने वहां जाकर लोगों को समझाया तब जाकर वहां व्यवस्था हो पाई नहीं तो कुछ असामाजिक तत्व इसे साम्प्रदायिक मामला बनाने की कोशिश कर रहे थे (व्यवधान) आर० एस० एस० के लोगों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये । (व्यवधान) उनके द्वारा जानबूझ कर इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है । मुसलमानों की दुकान लूट ली गयी और गरीब मुसलमानों को मारा पीटा गया । (व्यवधान) मान्यवर, आर० एस० एस० पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

(श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारने पर) मान्यवर, हमें समय नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय किरन पाल सिंह जी को बुलाया है जो जनता दल के नेता हैं । क्या आप किसी नेता को भी नहीं बोलने देंगे ? अगर यही व्यवहार आपके साथ होगा तो तब क्या होगा ?

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने खुर्जा में कत्ल का मामला उठाया यह मामला मेरे क्षेत्र का है खुर्जा बुलन्दशहर में आता है ।

यह बात सही है कि मृतक जैराम भाजपा का कार्यकर्ता था और यह भी सही है कि नवम्बर के महीने में एक रिपोर्ट धारा 395, 323 और अन्य धाराओं में खुर्जा में दर्ज कराई गयी थी जिनको धारा 395 में बदला गया और बाकी में चार्जशीट दी गयी थी । लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि नेता प्रतिपक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि खुर्जा में इस हत्या के बाद कोई भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ किन्तु इसके बावजूद इन लोगों ने वहां साम्प्रदायिक दंगा कराने की बहुत कोशिश किया । मैं प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करने का आदी नहीं हूं लेकिन जो सही है उसको कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है । मुझे दुख है कि हत्या हुई और मारने वाले हत्यारे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही किया । मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल खुर्जा गये होंगे और सहमत होंगे कि यदि पुलिस अविलम्ब कार्यवाही नहीं करती तो इनके लोग शायद साम्प्रदायिक दंगा कराने में सफल हो जाते । मान्यवर, 7.35 पर हत्यारों ने हत्या की बावजूद अवकाश के दिन में एस० एस० पी० ने स्वयं जिलाधिकारी से मिलकर अपराधी के घर की कुर्की करायी । इन मुल्जिमों में से 2-3 गिरफ्तार भी हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की चर्चायें हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो मरा है उसके प्रति कोई चोट वाली बात कही जाए ।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में घटना घटी । श्री हरेन्द्र जी को टेलीफोन करके मालूम किया तो जानकारी मिली कि बाबरी में मुस्लिम परिवार जो रहता है वह जब नमाज पढ़ता है तो उसके घर के सामने पेड़ पर माइक लगाकर कैसेट्स गाने गाये जाते हैं "चोली के पीछे क्या है, आगे क्या है" और कीर्तन गाये जाते हैं, तो जब कैसेट बजायेंगे तो क्या होगा ? बावजूद इसके कि उसने निवेदन किया था कि नमाज के समय मेहरबानी करें । लेकिन कैसेट बजाये गये, इसलिये उसने पुलिस से शिकायत किया, पुलिस आयी और माईक उतरवा लिया लेकिन फिर दबाव में पुलिस आयी और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही किया ।

इस प्रकार मान्यवर, मुजफ्फरनगर और हमारे जनपद बुलन्दशहर में जो हुआ उसमें साम्प्रदाकिता की कोई बू नहीं है लेकिन निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष ने वहां का दौरा करके अच्छा किया, चूंकि इनका कार्यकर्ता था लेकिन किसी बिरादरी का कोई मर जाए और उसको साम्प्रदायिकता से जोड़ेंगे तो यह प्रदेश के हित में नहीं होगा । आप आरोप लगाते हैं कि साम्प्रदायिकता बढ़ी है । आप कम से कम यह आरोप न लगाएं और सारे आरोप भले ही लगा दीजिए । इस आरोप पर मुझे आपत्ति है । आप लोग कम से कम साम्प्रदायिकता भड़काने का आरोप न लगाइये । मेरा निवेदन यह है कि जो यहा यह घटना हुई है उसके संबंध में पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई है । साथ ही और लोग भी पकड़े जाने चाहिए और जो मृतक परिवार है उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए कहा है, मैं भी उससे सहमत हूं । मैं भी निवेदन करूंगा कि गरीब आदमी को सहायता दी जाए । किन्तु नेता प्रतिपक्ष को याद होगा, जब रामकोला की घटना हुई थी, जब पुलिस की गोली से किसान मारा जाता है, तो आपने 10/10 हजार रुपया भिजवा दिया था और कोई मंत्री या आपका बड़ा नेता घटनास्थल पर नहीं गया था । किन्तु वहीं जब बी० जे० पी० की रैली में आपका कार्यकर्ता मारा गया तो आपने एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता उनको घर जाकर दी । इस भेदभाव पर भी आपको ध्यान देना चाहिए । यों मैं पैसा मांगने में आपका साथ देता हूं, गरीब को मदद दी जाए, लेकिन जो आपके आरोप हैं गलत हैं । साम्प्रदायिकता की कोई भी बात वहां नहीं है, पुलिस ने इस मामले में प्रभावी कार्यवाही बेहिचक शीघ्रता से की है ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जब-जब नियम 311 के कोई नोटिस दिया जाता है, तो सिर्फ उन्हीं सदस्यों से उसकी ग्राह्यता के संबंध में सुना जाता है, जिनके द्वारा वह दिया जाता है । अब तक ऐसे ही इस पर सुना जाता रहा है, लेकिन अब एक नई चीज इस तरह हो रही है, आप सबको बुलवा रहे हैं–सुन रहे हैं । इस प्रकार तो यह चर्चा हो गई जो आप कह रहे हैं कि आप भी बोलें, आप भी बोलें ।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? ऐसा है, क्या यही हुआ है, अगर ऐसा ही हुआ है तो मैं सबको बिठाल दूंगा । (व्यवधान) किन्तु ऐसा नहीं है, जब कोई गम्भीर विषय होता है तो अन्य लोगों को भी सुन लिया जाता है और सुना जाता रहा है । इसी के अन्तर्गत मैंने सुना है और आप भी कहना चाहते हैं, तो कह लें, लेकिन दूसरे आदमी को भी सुनना पड़ेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

311 पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप तय कीजिए कि जो सूचना दे उसी को लें और अन्य कोई न बोले । तो आप तय कर लें, मैं उसी को मानूंगा ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

अभी आपने कहा है कि 10 लोगों के हस्ताक्षर हैं तो क्या जरूरी हैं कि मैं सब दलों को सुनूं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उस पर तो हमारे हस्ताक्षर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

सुन लें पहले, मैंने यह कहा था कि 10, 15, 20 के हस्ताक्षर होंगे तो सभी को नहीं सुनूंगा, लेकिन अब तक ऐसा हुआ है कि जब कोई कानून व्यवस्था की बात पर नियम 311 में नोटिस देता है, तो मैंने सभी दलों के लोगों को सुना है । और यदि आप कहते हैं कि जो नोटिस दें, उन्हीं की बात सुनी जाए तो भी मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मेरे भी नोटिस में हस्ताक्षर थे, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था, जो मैंने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा कभी नहीं होता है, माननीय नेता विरोधी दल बैठे हैं, कह दें कि किसी को न सुना जाए, जो नोटिस दे केवल उन्हीं को सुना जाए ?

(कई सदस्य बोलते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

यह अनुशासनहीनता है । अब आप बैठ जायं । किसी की बात नहीं सुनी जायेगी ।

श्री धर्मपाल यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप बैठ जायं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम–311 में हमारी सूचना भी है ।

श्री अध्यक्ष–

क्रम से लिया जा रहा है । उसी क्रम से लूंगा । आप बैठ जायं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मेरी प्रार्थना यह है कि अभी तक इस हाउस की परम्परा यह रही है कि नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचना दी जाती हैं, उन्हें ग्राह्यता के आधार पर सुना जाता है । और सुना भी उन्हीं सदस्यों को जाता है जिनके उस सूचना पर हस्ताक्षर होते हैं । चर्चा की अनुमति अगर आप देते हैं तो फिर चर्चा लम्बी चलती है रात के 8.00 बज सकते हैं और ग्राह्यता पर अन्य को सुनने के लिये समय नहीं बचेगा । इसलिये मेरा कहना है जिन लोगों के सूचना पर हस्ताक्षर हैं, उन्हें ही सुना जाय ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आप कह रहे हैं कि नियम–311 में नोटिस पर जिनके हस्ताक्षर होंगे उन्हें ही सुना जायेगा । मान्यवर, 21 तारीख को जिस दिन सत्र आरम्भ हुआ । माननीय नेता कांग्रेस दल, प्रमोद तिवारी ने 311 की कानून व्यवस्था पर नोटिस दी थी । पूरे सदन में सारे सदस्यों ने उस चर्चा में भाग लिया । मान्यवर, यह खुद ही एक तरफ नियमों की बात करते हैं और दूसरी तरफ नियमों को तोड़ते हैं । इस तरह से कैसे होगा ? एक व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए । वैसे आपको पूर्ण अधिकार है कि आप किसे बोलने का अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष–

आज सदन में ही यह तय हो जाय । माननीय नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस दल, नेता जनता दल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को आज आपस में मिलकर तय कर लें कि नियम–311 में दी गई नोटिस पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे उन्हें ही सुना जायेगा, अन्य को नहीं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपकी पीठ से निर्णय हो जाय ?

श्री अध्यक्ष–

नियम के विरुद्ध मैं नहीं चाहता हूं परन्तु आप यह बतायें कि क्या इस तरह की नोटिस पर लोग नहीं बोलते रहे हैं ?

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नियम–311 में उठाये गये प्रश्न की ग्राह्यता के लिये निर्णय देने के लिये तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं । नियम–311 में बहुत से विषय उठाये जाते हैं । कुछ विषय ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि जो लोक महत्व के होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोक हित के होते हैं जिन पर लोगों के हस्ताक्षर नहीं होते हैं परन्तु सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप अनुमति दे देते हैं । जैसे कि किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस है और मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं किसी और ने वह नोटिस दिया है परन्तु वह मेरे क्षेत्र या दल से संबंधित है और मैं भी बोलना चाहता हूं तो आप कृपयापूर्वक अनुमति दे देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। दूसरा बिन्दु यह है कि कोई प्रश्न किसी सदस्य ने किया है, उस पर उसी के हस्ताक्षर हैं परन्तु उसके दल के नेता उसमें इण्टरवीन करते हैं तो आप उन्हें बोलने की अनुमति कृपापूर्वक दे देते हैं। अगर इस तरह की कोई बात तय हो जायेगी कि हस्ताक्षर करने वाले विधायकगण ही नियम 311 की सूचना में बोलेंगे तो इससे कई नेताओं को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा और नेता विरोधी दल भी अपनी बात नहीं कह पायेंगे। दूसरे मान्यवर, नियम 311 या किसी दूसरे नियम में बोलने का अधिकार देना केवल आपके विवेक पर निर्भर है तो हम आपके विवेक को कैसे चुनौती दे सकते हैं ? यह तो आपको ही निर्णय करना है कि हस्ताक्षर करने वालों को बोलने का मौका देंगे या किसी दूसरे माननीय सदस्य को भी उस पर बोलने का मौका देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैं आपके विवेक को चुनौती नहीं देना चाहता हूं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने दूसरे सदस्यों को ज्यादा मौका न दिया होता तो यह नियम 311 अब तक निस्तारित हो चुका होता।

श्री अध्यक्ष–

मैंने विषय की गम्भीरता को देखते हुए ही दूसरे लोगों को बुलाया और इसलिए बुलाया कि यह घटना बुलन्दशहर की है, तो बुलन्दशहर के माननीय सदस्यों के भी इस पर विचार आ जायेंगे तो निर्णय लेने में आसानी हो जायेगी।

खुर्जा में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयराम की हत्या किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री धर्मपाल यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। संबंधित मामला जो माननीय नेता विरोधी दल द्वारा उठाया जा रहा है जनपद बुलन्दशहर से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर आदरणीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। खुर्जा में पिछले दिनों जो हत्या हुई वह पूर्णतया आपसी रंजिश के कारण हुई। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि घटनाएं नहीं होती हैं। यह तो भारतीय जनता पार्टी के वक्त में भी होती थी, कांग्रेस के वक्त में भी होती थी और इस सरकार के वक्त में भी हो रही है। लेकिन मान्यवर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेतागण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माहौल को साम्प्रदायिकता के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं वह उचित नहीं है। मेरे पास इस बात के प्रमाण मौजूद हैं। मान्यवर, अभी नेता विपक्षी दल बुलन्दशहर गए। यह कुछ रोज पहले की बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिसका जिक्र माननीय नेता विपक्षी दल पहले भी कर चुके हैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। उन्होंने कहा कि गुलावटी थाना में उनका कोई कार्यकर्ता मारा गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस पूरे क्षेत्र 36 गांवों में दस वोट भी नहीं मिलेंगे तो कार्यकर्ता कहां पैदा हो गया। मैं खुर्जा के विषय में कहना चाहता हूं खुर्जा में जो हत्या हुई, वह पूर्णतः आपसी रंजिश के कारण हुई। और उसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इससे पहले अभी हमारे नेता विपक्षी दल ने कहा कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात है,

नुकसान होने पर हमदर्दी के तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए । मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जब माननीय कल्याण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तो वहां एक छात्र कुलदीप सिंह यादव की हत्या हुई । मुआवजा और पैसा देने की बात तो दूर, यहां से सरकार में से कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं गया दो शब्द कहने के लिये । कुलदीप सिंह यादव पुलिस की गोली से मारा गया प्रदर्शन करते हुये 5 हजार लोगों के बीच मारा गया था लेकिन उस समय किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन आज जब रंजिशन हत्या हुयी है तो वहां कल्याण सिंह जी जा रहे हैं । एम० पी०, एम० एल० ए० जा रहे हैं और इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है । आप बेशक जांच करा लीजिए इसमें कहीं कोई किसी तरह का दूसरा रूख नहीं निकलेगा यह हत्या सिर्फ रंजिश का मामला है । हत्या हुई और अभियुक्त गिरफ्तार हुये । मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल्याण सिंह जी गये और वहां जाकर लोगों को बहकाकर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है । मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाली अलीगढ़ के अतरौली विधान सभा क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया जाय तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम अपराधों पर कंट्रोल हो जायगा लेकिन मुख्य मंत्री जी ने हमसे कहा कि बदले की भावना से हमारी पार्टी कोई कार्य नहीं करेगी । मैं आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि गुलावटी हो चाहे खुर्जा हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां घटना हो जाती है उसको बढ़ाचढ़ाकर सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जाती है । यह बात सही है कि व्यवस्था बदल रही है, तमाम कार्य किये जा रहे हैं लेकिन इस सरकार द्वारा किया गया हर कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों को षड़यंत्र दिखाई देता है इनको कोई अच्छा कार्य दिखाई नहीं देता है । आज जो भी बुलन्दशहर की बात यहां पर उठायी गयी उस संबंध में मैंने यह जरूरी समझा कि आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को मैं बताऊं कि उसमें कहीं ऐसी घटना नहीं हुयी है जो सांप्रदायिक हो । वहां पर पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरत रही है । पुलिस ने कुर्की की है और अगले ही रोज अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है । यह कोई राजनीतिक मामला नहीं था पूर्णतः रंजिश का मामला था । सरकार की किसी तरह से बदनामी हो, सांप्रदायिकता फैले, वहां झगड़ा कैसे फैल जाय यह इन लोगों की नीयत बन रही है, यही कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । खुर्जा और बुलन्दशहर का विषय कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है वह रंजिश का मामला था ।

श्री हरपाल सिंह–

मान्यवर, इस विषय पर काफी वक्तव्य हो चुके हैं । नेता जनता दल ने कहा कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है और अभी मा० डी० पी० यादव ने कहा कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कितने लोग और मारे जायेंगे जब आप इसे सांप्रदायिक मामला मानेंगे । माननीय नेता विरोधी दल ने अभी स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति शासन काल में भी दो व्यक्तियों को एक समुदाय के लोगों ने मारा था और शरीर के 9-9 टुकड़े काटकर रख दिये थे और टुकड़ों को बोरी में बांध दिया था । लोगों को गाजर की तरह काट दिया गया और क्या आप इसे सांप्रदायिक नहीं मान रहे हैं ? जयराम की हत्या का 25 नवम्बर 93 को ही प्रयास किया गया । पहले उस पर हमला हुआ और फिर रिपोर्ट हेतु कोतवाली गया, कोतवाल रिपोर्ट लिखना चाहता था लेकिन सी० ओ० ने मना कर दिया और उसे उल्टे बंद कर दिया । इसी तरह से ओम प्रकाश सुमन को भी बंद कर दिया गया । जब अपनी कोई फरियाद लेकर कोतवाली पहुंचे और रिपोर्ट न लिखी जाय तो यही दुखद स्थिति सामने आयेगी । 3 महीने बाद 25 फरवरी, 94 को फिर जयराम पर हमला किया गया और उसको मार दिया गया । मान्यवर, वह

अनुसूचित जाति का है, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा अभी मां की गोद में खेल रहा है, जिसको यह भी पता नहीं है कि मेरे पिता कहां पर हैं ? छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटी-छोटी बच्चियां हैं । मैं सरकार से यह अपील करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना कोई सक्षम प्रतिनिधि भेज दीजिए और एक-एक तरफ की बात सुनकर यह पता लगा लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है ? उनके आंसू ही अपनी सारी दुखद घटनाओं का बता देंगे । वहां पर एक ही समुदाय के लोग समय-समय पर मारे गये हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति शासन में भी दो कोरीजाति के लोगों को एक ही समुदाय के व्यक्तियों ने बहुत ही बेरहमी से मारा था । एक बाल्मीकि जाति का और एक कुम्हार जाति का भी व्यक्ति मारा जा चुका है । ये सभी अनुसूचित जाति और पिछली जाति के लोग हैं, बेसहारा असहाय और गरीब हैं । धनवान व्यक्ति सब पलायन कर चुके हैं । इन पर धनराशि होती, तो ये भी लोग भाग जाते । अतः ये समस्त संवेदनशील घटनायें बताने के लिये पर्याप्त है कि यह मामला गम्भीर तथा साम्प्रदायिक है । यदि इनकी रक्षा न की गयी, तो ये ही लोग मर-मर कर अपना दुःख इसी प्रकार से रोते रहेंगे । कृपया वहां पर पुलिस चौकी खोली जाय और उन्हें असलहा प्रदान करके उनकी रक्षा की जाय । मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा है, वह पूर्णतया अच्छरशः सत्य है । यदि सरकार गलत मानती है, तो वह अपने साथियों को उस जगह पर उनके पास रहने को भेजे तब उन्हें साम्प्रदायिक तथ्यों का ज्ञान हो जायगा और अन्त में मान्यवर, मैं आपसे मृतक परिवार के बच्चों के लिए 1 लाख रुपये की धनराशि की मांग करता हूं, जिसकी माननीय नेता जनता दल श्री किरनपाल सिंह ने और माननीय नेता विरोधी दल ने भी मांग की है ।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊदल जी, आप लिखकर दे दीजिए ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री ऊदल–

मान्यवर, जिन घटनाओं का जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने साम्प्रदायिकता के रूप में यहां पर वर्णन किया है और कभी-कभी जातिवाद के रूप में वर्णन करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा आभास होता है कि इनको साम्प्रदायिकता का भूत चढ़ गया है ।

माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा था, उस दिन भी बहुत सी बातें आ गयीं थीं । बुलन्दशहर की बात को छोड़कर बहुत सी बातें आ गयीं थीं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो नेता विरोधी दल भाषण कर रहे थे, उसमें भी यह सब बातें आ गयीं थीं । पहले दिन उन्होंने कहा था और चौपाई पढ़ी थी । वह चौपाई है–ढोल गवांर ब्रह्म पशु चारी, यह सब ताड़ना के अधिकारी । ऐसा ही कुछ कहा था । आप कार्यवाही को निकाल कर देख लें । मैं जानना चाहता हूं कि आप इसी चौपाई को क्यों याद करते हैं दूसरी जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी । क्या आप इसके समर्थक हैं । आप इस चौपाई को क्यों नहीं याद करते हैं–पूंजहु विप्र सकल गुण हीना । सूद्र पुजीय वेद ज्ञान प्रवीना ।

मैं कहना चहता हूं कि रामायण, वेद और भगवतगीता को आपने ही नहीं पढ़ा है, इधर के लोगों ने भी पढ़ा है । तो झूठ बोल कर काम चलाना चाहते हैं । मान्यवर, अगर 100 बार झूठ बोली जाये तो उसको सच समझा जायेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहाद्र की जो भावना है, उसको कृपा कर कायम करें और मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त करें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, इसी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे नियोजित ढंग से फैलाये जाते हैं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देना चाहता हूं । मुजफ्फरनगर जिले के कस्बा बाबरी में 26 तारीख को हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय में झगड़ा हो गया और उसके पीछे घटना क्रम क्या था और झगड़ा किस तरह से बढ़ाया गया । मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि 11 फरवरी को 2 लड़कों के बीच में, सुधीर और अनिल कुमार के बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया और एक वर्ग विशेष ने उस झगड़े को शह दे दी और 11 लोगों के विरुद्ध धारा 147, 149, 452, 354, 504, 506 आई० पी० सी० में झूठी एफ० आई० आर० लिखा दी । मैं थाने पर गया तो थाना बाबरी के इन्चार्ज ने स्वीकार किया कि उनके ऊपर दबाव था, इसलिये एफ० आई० आर० दर्ज कर लिया है । मान्यवर, ऊपर का दबाव क्या था ? यह मैं जानना चाहता हूं ?

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, इसकी जांच करा लें, तो सारी बात पता चल जायेगी । यह यहां पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं ।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह –

मान्यवर, यह प्रोफेशनल लोग हैं ...

(व्यवधान)

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, आप इस काण्ड की सत्यता को सुन लें । आप सुनने का साहस रखें ।

(घोर व्यवधान)

(श्री हरेन्द्र सिंह व अन्य कई सदस्यों के लगातार बोलते रहने से व्यवधान बना रहा)

25 तारीख को प्रशासन ने तुष्टीकरण नीति के तहत एक वर्ग विशेष के प्रति साम्प्रदायिक विद्वेश-वश पूजास्थलों से माइक हटवाये उसके कारण 26 तारीख को एक घंटे तक वहां गोलियां चलती रहीं । अभी सदन में यह कहा गया कि किसी को गोली नहीं लगी तो मैं बता रहा हूं कि शीश पाल हरिजन और सत्येन्द्र सैनी दोनों के शरीर में 12 बोर के छर्रे लगे हैं । आप सदन की समिति गठित करके वहां की

रिपोर्ट मंगवा लीजिए । कल की तारीख में भी सम्प्रदायिक तनाव है । अवैध हथियारों से पूरा गांव भरा हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें और जो दोषी अधिकारी हैं जिनको दबाव के तहत काम करना पड़ रहा है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें और ऐसे वातावरण को ठीक करायें ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि क्या कुछ इस संबंध में आप कहेंगे ?

*नेता, विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कह दूं ।

श्रीमन्, मुझे इस बात का गहरा खेद है कि चर्चा जिस गम्भीरता से होनी चाहिए, नहीं हुई और उसको बहुत हल्केपन से लिया गया । मान्यवर, नेता जनता दल श्री किरनपाल सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे भी हैं । मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने अनर्गल आरोप लगा दिये कि भाजपा वहां पर साम्प्रदायिक दंगा कराना चाहती है । सच तो यह है कि हम पार्टी की ओर से कल वहां गये थे और मैं अपनी ओर से साफ-साफ बोल करके आया हूं कि उत्तेजना में आकर के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा, इसको और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए । आज वहां पर जनता में कितना रोष है वहां पर जायेंगे तो पता चलेगा । इसके अलावा भाजपा की ओर से साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे । इसलिए माननीय किरनपाल सिंह जी ने जो आरोप लगाये हैं वह गलत हैं । लेकिन उनकी इस कठिनाई को मैं समझ रहा हूं कि कुछ भी हो उनको सरकार का समर्थन करना है इसलिये सरकार चाहे कम बोले वह ज्यादा बोलेंगे ।

दूसरी बात यह है कि माननीय डी० पी० यादव जी बोल रहे थे और उन्होंने मेरे क्षेत्र का नाम लिया । उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अतरौली को ठीक करा दीजिए तो पूरा प्रदेश ठीक हो जायेगा तो अतरौली में पूरी तरह से शान्ति है अगर कहीं कोई उपद्रवी तत्व शांति को भंग करना चाहते हैं तो वह इन्हीं के सपा बसपा के समर्थक लोग हैं परन्तु वहां की जनता इतना जागरूक है कि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होने देगी । यह वहां का इतिहास है । श्रीमन्, अपराधों के मामले में, और कोई बोले तो बोले लेकिन श्री डी० पी० यादव अपराधों के बारे में बोलें । श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि अतरौली क्षेत्र की बात यह कर रहे हैं । मा० मुख्यमंत्री जी अगर एक-दो व्यक्तियों को ठीक कर लें तो पूरे प्रदेश में शांति-व्यवस्था हो जायेगी । श्रीमन् ''सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें पांच सौ बहत्तर छेद ।''

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री डी० पी० यादव–

अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मेरे पास प्रमाण मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं प्रमाण पटल पर रख दूंगा । अध्यक्ष जी, मेरा और माननीय नेता विरोधी दल का जनपद दोनों मिला हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न यहां उपस्थित किया है, उनके विचारों को भी और मैं अन्य सदस्यों के विचारों को गम्भीरतापूर्वक सुना । आश्चर्य इस बात का जरूर हुआ कि माननीय नेता विरोधी दल जब उनके कार्यकर्ता की कहीं हत्या की जाती है तो उसको राजनीतिक रंग देकर, बड़े लहजे से मुस्कराकर यहां पेश करते हैं, कुछ सदस्य उन्हीं के दल के वीर रस में यहां उपस्थित करते हैं किन्तु मृत्यु किसी भी दल के व्यक्ति की हो, दुखद होती है जिस दल के व्यक्ति या कार्यकर्ता की हत्या होती है उसके लिये तो बहुत ही दुखद होती है, हम लोग किसी भी हत्या को चुनौती के रूप में लेते हैं, लेकिन श्रीमन् ऐसे मामलों में कम से कम वास्तविकता से परे बात न हो, राजनैतिक द्वेष या जातिवाद, साम्प्रदायिकता की बात नहीं जोड़ी जानी चाहिए । अगर प्रदेश में 4-5 सालों के बाद साम्प्रदायिक सौहार्द है तो इसी सरकार के चलते हैं । बड़ा प्रयास किया कानपुर की घटना को लेकर साम्प्रदायिक रंग देने की, लेकिन साम्प्रदायिक रंग नहीं दे पाये, बुलन्दशहर में भी यही कराने का प्रयास किया । सरकारी रिपोर्ट है हमारे पास । खुर्जा में साम्प्रदायिक तनाव और साम्प्रदायिकता का वातावरण बनाने की कोशिश की गयी लेकिन वहां की पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन वहां के पुलिस अधिकारियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ साम्प्रदायिक ताकतों को दबाकर रखा । मृत्यु तो दुःखद है ही, दोषी लोगों की गिरफ्तारियां हो गयी हैं, उनके घर की कुर्की हो गयी है, फिर भी जातिवाद, साम्प्रदायवाद की बात की जा रही है । प्रदेश में न तो कहीं जातिवाद का जहर है और न सम्प्रदायकवाद का । मनुवाद मे आप विश्वास रखते हैं, शोषित और पीड़ित अब सत्ता में आ गये हैं, यह आपको बरदास्त नहीं हो रहा है, अगर आपको बरदास्त नहीं होगा तो अगली बार जीतकर नेता विरोधी दल की कुर्सी पर आना मुश्किल हो जायेगा ।.....(व्यवधान) । दलितों और शोषितों की सत्ता में भागीदारी को बरदास्त करिये, जमाना बदल रहा है । मैं माननीय राज बहादुर जी की भाषा नहीं बोलना चाहता हूं । आज 85 प्रतिशत लोग संगठित हो गये हैं तो आप उधर ही रहेंगे । यह आपको मुबारक हो । 15 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं । अगर इनका भी प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं करोगे तो आने वाले समय में झाड़ू लगाकर साफ हो जाओगे । इसलिये अनावश्यक जातिवाद और साम्प्रदायवाद का आरोप मत लगाइये । इस समय पूरे प्रदेश में शान्ति है जो भी घटना हुई है, पुलिस ने वहां पर तत्परता से कार्यवाही की है । सरकार ने भी घटना को नोटिस में लिया है तथा जो कार्यवाही मुनासिब होगी, उसको करेंगे । मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय किरन पाल सिंह जी को कि उन्होंने वास्तविकता को यहां रखा है ।

पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि बुलन्दशहर के जरिये, कानपुर की घटना के जरिये साम्प्रदायिक वातावरण बनाया जाय। लेकिन हमारी पुलिस के अधिकारियों ने और प्रशासन ने पूरी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी की उस साजिश को नाकाम कर दिया है। इसको रोकने में जो भी शक्ति सरकार को करनी पड़ेगी, करेगी। प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी ताकत को अब यह सरकार कम से कम बर्दाश्त करने वाली नहीं है। घटना के बारे में जरूर दुख है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो मृतक है उसकी पत्नी और छोटे-छोटे बच्चे हैं कुछ आर्थिक सहायता देने की घोषणा मंत्री जी करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है अब मैं इस नोटिस पर अधिक नहीं सुनना चाहता हूं बहुत से विचार आ चुके हैं और विचार आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, स्पष्टीकरण करने का हमारा अधिकार है। क्या उसकी पत्नी व बच्चों को आर्थिक सहायता देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हर नियम पर सूचना देने पर, स्पष्टीकरण का कहीं कोई प्राविधान नहीं है कोई चर्चा का विषय होता तब तो स्पष्टीकरण आप मांग सकते हैं (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

अगर स्पष्टीकरण का कोई प्राविधान नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि उस मृतक के परिवार में चार छोटे-छोटे बच्चे हैं उनकी पत्नी की रो-रोकर पागल जैसी स्थिति हो गयी है। मानवता के आधार पर बेसहारा बच्चों और पत्नी के लिये कोई आर्थिक सहायता देने की घोषणा करेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय नेता विरोधी दल से हर गंभीर विषय पर हम बात कर लेते हैं इस पर भी बात कर लेगे। किरनपाल सिंह जी और डी० पी० यादव जी से भी बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

जो स्थानीय खुर्जा के विधायक हैं उनको भी बुला लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तीन बार जो इस विधान सभा का सदस्य हो वह माननीय सदस्य ही नहीं इस प्रदेश का नेता हो जाता है। आपकी तो पूरी ताकत लग गयी थी लेकिन उप चुनाव में भी नहीं हरा पाये थे । श्री डी० पी० यादव इस विधान सभा के माननीय सदस्य है । माननीय नेता विरोधी दल ने जो व्यंग शब्दों का इस्तेमाल किया है वह नहीं करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

उत्तर प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को विगत कई वर्षों से पचास से सौ रुपये पर शिक्षण कार्य की बाध्यता विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल व श्री जगदम्बिका पाल जी की है जो कि उत्तर प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को विगत कई वर्षों से 50 रुपये से लेकर 100 रुपये पर शिक्षण कार्य करने की बाध्यता के संबंध में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी जो सूचना थी उस सूचना पर जो समय पड़ा हुआ है उसको कृपा करके देख लीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर वैसी बात होती, तो हमारी पहले होती ।

श्री अध्यक्ष–

नियम और परम्परा यह है कि सबसे पहले माननीय नेता विरोधी दल की सूचना जो होगी वह स्वीकार होगी । उसके बाद अन्य दलों के नेताओं की जो सूचना होगी उसको सुना जायेगा । उसके बाद अन्य लोगों की सूचना को लिया जायेगा । इसमें माननीय प्रमोद तिवारी जी के हस्ताक्षर हैं इसलिये यह सूचना परम्परा के अनुसार ली जा रही है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, प्रायः यह माना जाता है कि 3 बजे या 4 बजे शून्य प्रहर समाप्त हो जाता है उसी आधार पर अन्य मीटिंग लगा ली जाती है । अगर शून्य प्रहर इस तरह से चलेगा तो सामान्य चर्चा कब शुरू होगी ?

मान्यवर, अभी तक शून्य प्रहर चल रहा है, उसको किसी तरह नियमों में सीमित कर दें, हम लोगों को इससे बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तिवारी जी की सूचना को सुनने के बाद आगे बढ़ रहा हूं ।

(इस पर कई सदस्य एक साथ अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

आप लोग मेरी बात सुन लें । आप लोग केवल अपनी बात कहना चाहते हैं । माननीय सदस्या भी मेरी बात सुन लें । मैंने सभी दल के नेताओं के बीच में कहा था कि हमारी जो सदस्या हैं, पहले उनकी बात को सुन लेने दीजिए, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल तथा और दल के लोग तैयार नहीं हुये और कहा कि जो क्रम है, उसको ही रखा [illegible] इसी के आधार पर मैंने माननीय नेता विरोधी दल को सुना । इसमें मेरा कोई दोष नहीं है न कोई [illegible]ात है । अगर नेता विरोधी दल मान गये होते तो मैं आपको बुलवा लेता ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, फिर पाल साहब कैसे बोलेंगे, आपको नेता कांग्रेस को सुनना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अगर इसी नियम का पालन कर लें तो मैं इनको बैठा दूंगा । अगर आपके दल से ही इस नियम का पालन हो जाय तो मैं इनको बैठा दूंगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिये । आप केवल 3-4 लोगों को छोड़कर और लोगों को मौका ही नहीं देता । यही लोग बार-बार बोलते हैं । जिस घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसमें एक युवती के साथ 13-13 लोगों ने बलात्कार किया । (घोर व्यवधान)

ऐसी महत्वपूर्ण सूचना आपने नहीं ली । मैं चाहूंगा कि नियम–311 में जितनी महत्वपूर्ण सूचनायें आई हैं, आप उनको सुन लें, यही हमेशा होता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों को किसी नियम का पालन तो करना पड़ेगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, जितने दिन विधान सभा चली है, उतने दिन की कार्यवाही देख लें । मेरा केवल इतना निवेदन है, प्रार्थना है, आपका संरक्षण चाहता हूं ।

(श्री रवीन्द्र शुक्ल व श्रीमती शशि बाला पुण्डीर के लगातार खड़े रहने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । जो प्रश्न आप लोगों के सामने में आ रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनहित का है और रचनात्मक है । अब रचनात्मक वाली बात आप सुनना चाहते हैं कई लोगों का हित इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, जो सरकार के पिछलग्गू हैं और सरकार की चमचागिरी भी कर रहे हैं उनकी बात तो आप सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप यदि अपनी ही बात कहेंगे तो आगे कार्यवाही कैसे हो पायेगी ? मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं । आप कृपया करके बैठ जायं ।

श्री शुक्ल जी मैं अब खड़ा हो गया हूं आप कृपा करके बैठ जायं । साढ़े पांच बजे का समय हो गया है मैंने नियमानसुार जो होना चाहिये था उसी के अनुसार सभी को समय दिया है । मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो माननीय सदस्या हैं उसको अवसर दे दिया जाय । परन्तु बहुत से लोगों ने कहा कि आप क्रम से लें और मैंने उसी रूप में बोलने का अवसर दिया । चूंकि जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वह उत्तर प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों को विगत कई वर्षों से 50 रु० से लेकर 100 रु० पर शिक्षण कार्य की बाध्यता के संबंध में है । यदि आप लोग अनुमति नहीं देते हैं तो मैं अगली मद लेता हूं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि 311 में जितनी भी सूचना आपके पास आयी हैं उन सभी के संबंध में नियमों के अन्तर्गत आप ग्राह्यता पर सुन लें । हां यदि एक ही सूचना पर कई लोगों के हस्ताक्षर हैं तो केवल एक व्यक्ति को ही आप सुनें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, श्री गुप्त जी ने जो बात कही है मैं भी उससे सहमत हूं कि कुछ ही माननीय सदस्यों को इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है राज्यपाल के अभिभाषण पर तमाम माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा । इसलिये समय का ध्यान रखा जाय । पौने छः बज गये हैं । अभी भी शून्य प्रहर चल रहा है इसलिये कदाचित नये सदस्यों के साथ अन्याय होगा । राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करें भले ही 12 बजे रात तक बैठना पड़े ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मेरे दल की ओर से जो मामला उठाया गया है उसकी ग्राह्यता के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने स्वयं ही उसकी महत्ता को स्वीकार कर लिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश में हजारों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं और उन्हें भी स्वयं इसका अहसास है परन्तु जिस तरह से उनके बैठे रहने के बावजूद भी उनके दल के सदस्य ने जो कहा इसके लिये मुझे पीड़ा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर वे लगातार व्यवधान करते रहे माननीय सदस्य झांसी ने कांग्रेस दल के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया है जिस संस्कृति की बात वे करते हैं वह संस्कृति इनके आचरण में नहीं दिखायी देती है आप कार्यवाही को दिखवा ले मैं नहीं कह रहा कि आप उन पर कार्यवाही करें यह तो आपका काम है। हमारे दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी ने श्री अग्रवाल जी ने और स्वयं मैंने सामूहिक रूप से इस प्रश्न को उठाया है। पहले दिन जब यह सदन चला तो शायद हमारे कांग्रेस दल के नेता की यही मंशा थी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ गंभीर घटनायें जो कुछ जनपदों में हुई थी जैसे कानपुर मे हुई थी, बनारस में हुई, फतेहपुर में हुई, हमीरपुर में हुई थी उन सबको एक साथ जोड़कर इसे उठाया था आप लोग भी बोले। कानून व्यवस्था के अतिरिक्त दूसरे तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जैसे हजारों-लाखों शिक्षकों के भविष्य का सवाल है बुनकरों का सवाल है खेतिहार मजदूरों का सवाल है प्रदेश के किसानों का सवाल है राज्य कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है इन पर भी सदन में चर्चा हो, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप मूल प्रश्न से अलग हट रहे हैं। आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

रोज-रोज इस सदन में हत्या बलात्कार की बात पर चर्चा हो रही है आज प्रदेश में 256 माध्यमिक विद्यालय हैं। 800 सीनियर बेसिक विद्यालय हैं जिनके अध्यापक आज पिछले कई वर्षों से 50 रु० और 100 रु० प्रति माह पर पठन-पाठन का कार्य कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से कोई सूची निर्गत नहीं हुई है आज तक इन विद्यालयों को अनुदानित नहीं किया गया है लगातार मांग होने बावजूद भी आप के शासनकाल में सूची क्रमबद्ध बनी इसके बावजूद भी अनुदान सूची निर्गत नहीं की गयी फलस्वरूप आज इस प्रदेश में सैकड़ों विद्यालयों में शिक्षक खेतिहर मजदूरों से भी बदतर जिन्दगी को यापन कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज खेतिहर मजदूरों को 35 रु० मजदूरी मिलती है लेकिन शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं । मैंने शिक्षा मंत्री जी के कई वक्तव्य पढ़ें हैं जिनमें कहा गया है कि 300 विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने जा रहे हैं । मैं इस मामले पर औचित्य का प्रश्न भी लाया लेकिन स्वीकार नहीं हुआ । आज मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में असहायता प्राप्त विद्यालयों को जो हजारों की संख्या में है उनमें शिक्षक बंधुवा मजदूरों से भी बदतर स्थिति में है उनसे बदतर स्थिति में वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं । तो वह स्पष्ट बतायें कि इस वर्ष कितने विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें आप तो प्रश्न कर रहे हैं । आप ही सोचिये इस बिन्दु का इससे क्या संबंध है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

ग्राह्यता के लिये तीन बिन्दु होने चाहिये तात्कालिक हो, अविलम्बनीय हो और लोक महत्व का हो । यह मामला शिक्षकों की जिन्दगी का है और उनसे जुड़े छात्रों के भविष्य का है, जब शिक्षक के घर में खाने को नहीं होगा तो वह छात्रों को क्या पढ़ायेंगे ? वह छात्रों के चरित्र का निर्माण कैसे करेंगे ? कैसे उनकी छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता होगी इसलिये यह लोक महत्व का है और तात्कालिक है क्योंकि प्रदेश में नयी सरकार बनी है सरकार को अनुदान सूची जारी करनी है अगर अनुदान सूची जारी नहीं होगी तो इससे स्थिति विस्फोटक हो जायेगी । अनुदान सूची को निर्गत करना सरकार का काम है । इसलिये ग्राह्यता के लिये जो तीन बिन्दु आवश्यक हैं वह यह पूरी करता है, प्रागदर्शन में यह विषय स्पष्ट आता है । हजारों शिक्षकों का मामला है अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विस्फोटक बन जायेगी ...

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसको ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप भी अध्यापक रहे हैं इसी कारण हमारे माननीय पाल साहब ने जो प्रश्न उठाया है इसके महत्व को आपने माना है । दुख है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे नीचे हैं उसका मुख्य कारण है प्रदेश की गरीबी । श्रीमन्, 1991 के बाद तीन वर्ष हो गये पूरे प्रदेश में उन विद्यालयों की सूची जिनको सहायता प्राप्त होनी है मात्र इस कारण से रुकी है क्योंकि यहां राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता सरकार में नहीं है । जो भी सरकारें इन तीन वर्षों में आई उनमें राजनीतिक क्षमता निर्णय लेने की नहीं रही । चूंकि पूरे प्रदेश में शिक्षा का सवाल है, हम लोग और हमारा दल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साम्प्रदायिकता और जातिवाद से दूर रहता है, हम हमेशा प्रदेश के हितों की बात करते हैं । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के जो मानक बने हैं उसके अनुसार स्पष्ट घोषणा कर दें कि जो विद्यालय मानक पूरा करते हैं उनको सहायता प्राप्त हो जायेगी । उससे कम से कम आपका जो राजनीतिक उत्तरदायित्व है वह पूरा होगा और हम लोगों को भी कहने को कुछ नहीं रह जायेगा । प्रदेश के हजारों शिक्षकों का सवाल है जो 50-50 और 100-100 रुपये में काम कर रहे हैं । इससे प्रदेश के शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके महत्व को आपने स्वयं स्वीकार कर लिया है इसलिये नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय जगदम्बिका पाल और माननीय नरेश अग्रवाल ने जो बिन्दु उठाया है उस पर मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया है । इसकी गम्भीरता से आप सहमत हैं । 10, 15 वर्षों से शिक्षक काम रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है जिससे जीवन यापन करना उनके लिये कठिन हो गया है । यह किसी से छिपा नहीं है यह राजनीतिक विषमता के कारण हो रहा है । शुरू में जब कांग्रेस सरकार थी तो हमने एक परम्परा डाली थी कि सौ, डेढ़ सौ विद्यालय हर साल मान्यता सूची में लिये जायेंगे । फिर मुलायम सिंह जी की सरकार आई उन्होंने सूची बनाई तो कल्याण सिंह जी की सरकार आ गई राजनीतिक कारणों से उस सूची को रद कर दिया यही कारण है कि 1991 से 1994 के बीत जाने के बाद भी इस सरकार ने अनुदान की सूची जारी नहीं कर सकी है जो प्रदेश की सरकार के लिये कलंक की बात है । मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से पूछना चाहता हूं कि उनके शासन में किस विद्यालय को अनुदान दिया ? मान्यवर, इस विषय पर दल से ऊपर उठकर विचार करने की ज़रुरत है । शिक्षा मंत्री जी जब जबाव दें तो वह स्पष्ट करें कि कितने दिनों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान की सूची में लाने की घोषणा करेंगे ? यदि वह इसे स्पष्ट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि पुरानी सरकारों की ही तरह यह भी टाल मटोल कर रहे हैं और इस प्रदेश को अंधेरे में ले जाना चाहते हैं । इस प्रकार यदि शिक्षकों का समुचित प्रबन्ध नहीं होगा तो यह चाहे नकल रोकने संबंधी अध्यादेश लायें या दूसरे अध्यादेश लायें वह नकल रोक नहीं पायेंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि वह स्पष्ट करें कि कितने विद्यालयों की अनुदान सूची कितने दिनों में जारी करेंगे ? इस प्रकार जहां तक प्रश्न के विषय के महत्व की बात है तो यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है और सभी नियमों को पूरा करता है, और उस पीठ पर शिक्षक मौजूद है, तो इसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिये और आप निर्देशित करें कि तत्काल समयबद्ध घोषणा करें कि कब तक विद्यालयों को अनुदान सूची में लायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि उनकी मेमोरी शार्ट नहीं होगी, इसलिये उनको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा सरकार ने 100 जूनियर हाईस्कूलों को 25 उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया था और सहायता दिया था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसी से पता चलता है कि इनकी कार्य क्षमता का कि 16 महीनों में 25 को अनुदान सूची में ला पाये थे ।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

(व्यवधान के मध्य) अनुदान की सूची दिखवा लें तो पता चल जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

क्या शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)–

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल और श्री प्रमोद तिवारी जी ने बहुत ही संवेदनशील प्रकरण आपके सामने उपस्थित किया है, लेकिन इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । हां, शिक्षा का वातावरण को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार प्रयत्नशील है । इसके पहले भी जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने 300 जूनियर हाई स्कूलों और 200 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का काम किया था । लेकिन उधर बैठे लोग पूरी तरह से शिक्षा जगत के सारे मामलों को ध्वस्त करने का काम किये थे और विद्यालयों में साम्प्रदायिक आचरण पैदा करने का काम किया था । भाजपा के लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित होते हैं और संघ प्रतिबंधित है । सरस्वती शिशु मंदिरों में शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनसे बंधुवा मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है और प्राइमरी स्कूलों में मास्टरों से झूठ बुलवाया जाता है ... और बच्चों से कहा जाता है कि इनको आचार्य कहो, प्रधानाचार्य कहो, उनको हर साल रखा जाता है और हर साल निकाला जाता है । इन सरस्वती विद्यालयों को चलाने वाले संघ के कुकर्मों ने ही शिक्षा जगत को ध्वस्त करने का काम किया है और इस तरह भारतीय जनता पार्टी और संघ ने पूरे शिक्षा व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया । इसी उद्देश्य से नकल विरोधी अध्यादेश इन्होंने लगाया । सरकार की शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करने का काम इनकी सरकार ने किया । वहां हमने पहले 300 विद्यालयों को अनुदानित करने का काम किया था । फिर हम इस पर विचार कर रहे हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे संसाधन आते जायेंगे हम बहुत से विद्यालयों को अनुदानित करने का काम करेंगे ।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या वह बतायेंगे कि जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे अनुदान सूची पर विद्यालयों को लिया गया था, तो क्या उनको गलत ढंग से नहीं लिया गया था, जिसके आधार पर उस पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था । आपने अपने भाई-भतीजों के विद्यालयों को जो नहीं भी थे, उनको भी अनुदान सूची में लाने का कार्य सरकार ने किया था । माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिक्षा मंत्री को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिये । माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं, जो विद्यालयों को हमने सूची में लिया था, जिनको अनुदान दिया है, उनमें से दो मंडलों के विद्यालयों को हमारे आदेश पर अनुदान मिल गया था और अन्य मंडलों के विद्यालयों के संबंध में, जब राज्यपाल शासन हो गया था तो राज्यपाल के सलाहकार सोनकर जी ने अपने आदेश से उसे रोक दिया था । तब मैंने कहा था कि इन अन्य विद्यालयों को भी दे दिया जाए, इनका क्या अपराध है । हमने सरस्वती विद्यालयों और साधारण विद्यालयों दोनों को अनुदान सूची में शामिल किया था । इस सरकार में कार्यक्षमता है ही नहीं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे दुःख है कि इस गम्भीर विषय पर जो सरकार को ध्यान देना चाहिये था, वह नहीं दे रही है । इसमें उनका जवाब आया है कि विचार कर रहे हैं । तो मैं जानना चाहूंगा कि कब तक इस पर विचार करके निर्णय ले लिया जाएगा ? क्योंकि हजारों शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती । इधर के लोग जातीय माहौल में और उधर के लोग साम्प्रदायिक माहौल में खोए हैं । दोनों चाहते हैं कि शिक्षा का प्रसार यहां न हो । इस विषय को सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है, इसलिये मैं और मेरा दल इस सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये ।)

* श्री काशी सिंह ऐरी–

अभी मैं सुन रहा था, पिछली सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री बड़े जोर से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये बोल रहे थे, और साथ ही यह शारदानन्द अंचल भी बहुत जोर से बोल रहे थे । मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिये, उन्हें यह शोभा नहीं देता है । क्योंकि जो पीछे बैठी हुई महिलायें हैं, उसके कारण उनमें भी वीर रस का संचार हो जाता है । माननीय मंत्री और भूतपूर्व मंत्री धीरे बोलें सदन में उनकी बात समझ में आएगी, जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे या मैं अपनी ओर से कहूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप सक्षम हैं हर प्रकार से, आप कह दें । यों तिवारी जी को पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिये और इसके साथ तिवारी जी और आप सब इस बात से अवगत होंगे कि पाठ्यक्रम में जो साम्प्रदायिकता का जहर इन्होंने घोला था उसे हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और जो मान्यता सूची में लेने का प्रश्न है, गुप्त जी बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों में से हैं । यह 9 तारीख को बजट आने वाला है । इसमें वित्तीय मामला भी जुड़ा हुआ है । कदाचित् इस संबंध में हमारा कुछ कहना उचित नहीं होगा । आप बजट की प्रतीक्षा कीजिये जो उपलब्धियां होंगी वह सबके प्रकाश में आ जायेंगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अभी हमारे माननीय तिवारी जी और उनके दल के दो अन्य साथियों ने जो नियम–311 की नोटिस दी थी उस पर उनके विचार सुने । मैं यह समझता था कि शायद वह इस पर गम्भीरता से स्वयं कुछ सोचेंगे लेकिन उन्होंने मेरा निर्णय क्या हमारे संसदीय कार्य मंत्री को भी नहीं सुना । मैं समझता हूं कि उन्होंने हल्का-फुल्का लिया है और वे केवल इस समस्या को उठाना चाहते थे उस पर कोई गम्भीरता नहीं रही । मैं यह जरूर कहना चाहूंगा शासन से कि वह इस संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें और इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं । अब मैं आगे की मद ले रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम–311 में एक एक विषय सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब समय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा निवेदन था कि आपने एक सूचना पर पांच लोगों को सुना इतनी देर में तो पांच सूचनायें हो जातीं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पर 15 लोगों को सुना है, और मैं क्या करूं । मैंने जो केवल उन सूचनाओं को लिया है जो महत्वपूर्ण लगीं । महत्वपूर्ण सूचनाओं को मैंने सुन लिया और बाकी को मैं अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

* श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, सदन में कुछ कहने का अवसर महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है । हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार का सिलसिला तो चल रहा था अब उनकी हत्या भी की जा रही है । हमारी बात आप सुन नहीं रहे हैं । इसके विरोध में हम सदन का त्याग करके जा रहे हैं ।

(श्रीमती प्रेमलता कटियार और श्रीमती शशिबाला पुण्डीर सदन त्याग कर चलीं गईं)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री शिव प्रताप यादव–

मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हूं, इसका समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† दिनांक 23 फरवरी, 1994 की कार्यवाही से ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, 311 की सूचनाओं को कल ले लें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन सूचनाओं को कल ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा ? आप आज तो ले नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

समय ज्यादा हो गया है । कल सूचनायें पुनः दे दीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इन्हें कल फिर लिखना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

सदन बारह बजे तक तो नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, प्रदेश के छात्रों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों तथा सभी वर्गों के लोगों को सरकार में काम करने का मौका मिला है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे वह नकल विरोधी अध्यादेश हो, चाहे गन्ना के दाम के बारे में हो, चाहे धारा 3/7 को समाप्त करने का मामला हो चाहे कुम्हारों, निषादों को पट्टे देने का मामला हो, चाहे महिला सफाई कर्मचारियों के काम की समस्या हो यह सभी मामले ऐसे हैं जो सिद्ध करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत साफ है और पिछड़ों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों के हित में काम कर रही है । मान्यवर, यह सामने जो भाजपा के लोग बैठे हैं और आज इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यह जातिवादी सरकार है मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इनकी मानसिकता कुंठित है इसलिये यह आरोप लगा रहे हैं । क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े लोग सीना तानकर चल रहे हैं, इसलिये यह परेशान हो गये हैं । यह लोग जो सदियों से दलितों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार करते रहे हैं और उनको गुलाम बनाये रहे हैं यह लोग आज बरदास्त नहीं कर पा रहे हैं । जो इनके सामने चारपाई पर भी नहीं बैठ सकता था वह आज विधान सभा में पहुंच गया है यह उनके बर्दाश्त के बाहर है । इसलिये यह घबराकर भाजपा के लोग दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं चाहे बनारस में दंगा कराने का प्रयास हो चाहे कानपुर में दंगा कराने का प्रयास हो । काला बच्चा के नाम पर काला बच्चा की हत्या के नाम पर यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खड़ाऊं पूजन को लेकर, ईंट पूजन को लेकर आज हिन्दुस्तान के लोगों को भड़काना ठीक नहीं है । आज दुनिया में विज्ञान का युग है आज आदमी चांद पर पहुंचने के बाद बुध और मंगल पर जाने को तैयार है । दूसरी तरफ भाजपा के लोग ईंट पूजन, खड़ाऊं पूजन का काम कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो ईंट बनाते हैं, खड़ाऊं बनाते हैं, उनको

पूजना चाहिये । यह छात्रों के हितैषी बनते हैं लेकिन पारसपुर में छात्रों के ऊपर इन लोगों ने गोलियां चलवाई थी । रामकोला में किसानों के ऊपर इन्हीं के शासनकाल में गोलियां चलाई गईं । जनपद गोण्डा के बलरामपुर में इनके प्रत्याशी बुरी तरह हार गये विनय कुमार पाण्डे से । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गैंसड़ी नदी नालों का क्षेत्र है । बरसात में बाढ़ आ जाती है । वहां ओलावृष्टि में तबाही हुई है । गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की आमदनी शीसम और साखू से होती है । लेकिन वहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है ।'

मैं मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार वहां पर 22.5 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत की है । इसी के साथ मैं मांग करता हूं कि पिपराघाट का पुल धोबहीघाट पुल पचपेड़वा, भांभरनाले का पुल, गैसड़ी–बिसकोहर मार्ग, पचपेड़वा में चीनी मिल कन्या इण्टर कालेज आदि बनाने की कृपा की जाए । ताकि वहां के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों आदि का विकास हो । मेरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार और इसके मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव इन मांगों को पूरा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री ऊदल–

श्रीमन्, अब कल के लिये रखिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपके बाद समाप्त कर देंगे ।

* शिव प्रताप शुक्ल–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो सदन में अभिभाषण पढ़ा था जिसको एक दस्तावेज की संज्ञा हमारे प्रस्तावक महोदय बी० आर० वर्मा जी दे रहे थे, वह पहले हमारे साथी रहे हैं, जब वह बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि जैसे पहले एक नेता थे वह कहते थे पेड़ बोओ वैसे ही प्रजापतियों के संदर्भ में हमारे वर्मा जी कह रहे थे, खेत की मिट्टी से वह बरतन बना रहे थे । मुझे हंसी आ रही थी, वह देहात के रहने वाले हैं वह जानते होंगे कि बरतन बनाने के लिये मजबूत मिट्टी की आवश्यकता होती है जो तालाब या पोखर से मिलती है, लेकिन वह झोंक में बोले जा रहे थे, जैसे यह सरकार झोंक में चल रही है वैसे वह झोंक में बोले जा रहे थे । मान्यवर, केवल एक बात बार बार कही गयी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह किया, यह किया । भारतीय जनता पार्टी का भूत इनके ऊपर सवार रहता है । यह सत्य को जान गये हैं कि चन्द दिनों के लिये हम आये हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ही आना है ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन में अभिभाषण पढ़ा था उसको सुनकर कष्ट हुआ । पूरे प्रदेश में अपराधिक घटनायें हो रही हैं, बलात्कार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, प्रदेश में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साम्प्रदायिक सौहार्द नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है इन बातों पर सरकार की ओर से उसमें कुछ नहीं कहा गया है । वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता इनके अन्दर नहीं रह गयी है । अगर स्वीकार किया गया होता और कहा गया होता कि इस पर काबू पाया जायगा तो ठीक होता । लेकिन इन घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है । बार बार एक ही बात दोहरायी जा रही है कि मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करेंगे । यह कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की सरकार आ गयी है जो पिछड़े हैं, गरीबों की सरकार आ गयी है पूरे प्रदेश में अमन चैन है और ऐसे लोग जो अत्याचार करते थे वह पीछे ढकेल दिये गये हैं । वे पीछे ढकेल दिये गये हैं और ऐसे लोग जो आ गये हैं, अगर इस समय जो प्रतिदिन सदन में बहस हो रही है, उस बहस को देखा जाय, तो पूरी बहस से यह बात साबित हो जायगी कि कहीं भी अगर संघर्ष हुए हैं, तो उस संघर्ष में जिनको प्रतिदिन कोसा जाता है, वे सम्मिलित नहीं रहे । स० पा० ब० स०-पा० के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही गरीबों, दलितों और अबलाओं के ऊपर प्रतिदिन अत्याचार होते चले आ रहे हैं और जब यह बात उठाई जाती है तो यह कह दिया जाता है कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, चाहे इलाहाबाद की घटना हो, चाहे फतेहपुर की घटना हो, चाहे साम्प्रदायिकता की दृष्टि से मुजफ्फरनगर की या वाराणसी की घटना हो, कहीं का भी उठाकर देख लीजिये, दैनिक जागरण ने तो यहां तक लिख दिया था, माननीय मुख्य मंत्री जी क्या यह बतापायेंगे कि कितने अपराध हो जायेंगे, तब वह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं । यह समाचार पत्र का विश्लेषण है जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा था, इस सरकार को सोचना चाहिए ।

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिये भा०ज०पा० ने गीडा की स्थापना गोरखपुर में की थी, जिसका शिलान्यास पूर्व मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह ने किया था । हमारी सरकार ने किसानों से यह कहा था कि एक एकड़ भूमि के बदले उनको एक लाख रुपया दिया जायगा और वर्तमान सरकार ने क्या आदेश भेजा कि एक हेक्टेयर जमीन पर एक लाख रुपया दिया जायगा । अभी तक ये किसानों को एक एकड़ और एक हेक्टेयर का मतलब नहीं समझा पा रहे हैं, वह गरीबों की मसीहा सरकार अपने को कहते हैं । एक तरफ तो माननीय कांशीराम जी और दूसरी तरफ माननीय मुलायम सिंह प्रतिदिन एक दूसरे के सामने तलवार फेंटने की तैयारी करवाते रहते हैं, कभी कोई कहता है कि तीन महीने तक सरकार चलायेंगे और कभी कोई कहता है कि 6 महीने तक सरकार चलायेंगे । कभी कोई कहता है कि औकात बता देंगे, तो कभी कोई कहता है कि हैसियत बता देंगे । आपस में वे ही लड़ने लगे हैं । मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि यह कुश्ती सैफई के स्टेडियम में जाकर लड़ें । मान्यवर, मैं अपनी बातों को बढ़ाते हुए कि प्रदेश का विकास इस समय पूरी तरह से ठप है, हां, इतना विकास अवश्य होने जा रहा है, अक्टूबर, 1989 में यह सरकार एक बार आयी थी और उस समय तीन फैक्ट्रियों को बेच करके, उनका प्राइवेटाइजेशन करके 5 करोड़ रुपये तीन पाकेट में रख लिया था और अब की बार 8 चीनी मिलों को बेचने का फैसला लेकर 50 करोड़ रु० अपनी पाकेट में रखने जा रहे हैं । जो जनता का पैसा बकाया है और मिल मालिकों की देनदारी है, जनता के उस पैसे को दिलाने का यह सरकार काम करे । आने वाले तीन चार महीनों में 50-60 करोड़ रुपया कहां से आयेगा, ताकि चुनाव लड़ा जाय । इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है । मान्यवर, ऐसी सरकार निश्चित रूप से नहीं चलनी चाहिए । प्रदेश के विकास के संदर्भ में इसे विचार करना चाहिए, ला एण्ड आर्डर के संबंध में इसे विचार करना चाहिए । मैं इनके धन्यवाद के प्रस्ताव, जो श्री वर्माजी ने रखा है, समर्थन नहीं करता हूं । अगर इनका प्रस्ताव

समर्थन करने लायक होता तो मैं अवश्य समर्थन करता । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बाबूराम वर्मा–

मान्यवर, मुझे कुछ अधिक समय लगेगा और अगर जल्दी हो तो मैं कल कह दूं, जैसे आपके आदेश हों, शिरोधार्य हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि समय बहुत हो गया है । सात तो बज ही जायेंगे । आप अगले दिन बोल लें ।

श्री बाबू राम वर्मा–

ठीक है, मान्यवर, ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 51 पर आता हूं । आज दिनांक 1 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत नौ सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री सुरेश संगल और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बावरी में सामप्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । दूसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टेहरी गढ़वाल में भूकम्प से जलस्रोत सूखने के कारण उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में है । इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी की जनपद बाराबंकी के थाना बदोसराय के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 7/94 में गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं फिर भी मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों तथा टाउन एरिया नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया तथा नगर महापालिकाओं की भूमि पर बढ़ते हुए अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं । पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा दर्शनार्थियों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । छठी सूचना श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में क्षमतावान, निष्ठावान तथा कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत शीरे की बिक्री हेतु आमंत्रित टेण्डरों के निगोशियेशन में कथित रूप से की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री बची सिंह रावत की जनपद अल्मोड़ा की रानीखेत व भिकियासेन तहसीलों को मिलाकर नया जनपद बनाये जाने के संबंध में है और नवीं सूचना श्री सुधीर कुमार बालियान की उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय के अनुभागों में तैनात प्रवर वर्ग सहायकों द्वारा अनुभाग अधिकारी पदनाम का इस्तेमाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इन चारों को मैंने अस्वीकार किया है ।

अतिवृष्टि से प्रदेश के कई जनपदों में हुई व्यापक तबाही एवं पिथौरागढ़ में हुई जान-माल की क्षति तथा क्षतिपूर्ति की मांग विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (जारी)

* श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो 24 फरवरी को मैंने तारांकित प्रश्न पूछा था, उसमें संदर्भ तो एक जिले का था, लेकिन मैं अपनी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। संदर्भ तो पिथौरागढ़ का रहेगा, लेकिन यह स्थिति पूरे पहाड़ की है और वहां पर अतिवृष्टि के कारण हमेशा व्यापक तबाही होती रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा है कि शासन स्तर पर या सरकार स्तर पर कोई कारगर और स्थाई व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। सितम्बर मास में वहां पर एक सप्ताह से लगातार वर्षा होती रही है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, तराई और भावर क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति को बहुत नुकसान हुआ है। रेल की पटरियां उखड़ गयी, सड़कें तबाह हो गयीं, स्कूल और अस्पतालों के भवन ध्वस्त हो गये। वहीं मान्यवर, व्यापक रूप से गांव के गांव तबाह हो गये, उनका नामोनिशान भी नहीं रहा, कई परिवार उजड़े, कई लोगों की मौत हुई। उस दिन विधान सभा में केवल पिथौरागढ़ के संबंध में कुछ आंकड़े शासन ने दिये थे कि 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। वह तो अपनी जगह पर सही है लेकिन जो स्थिति जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल की है वह इसके अलावा है। जब भीषण तबाही हो गयी तो मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी आये जनपद पिथौरागढ़ में भी आये और अल्मोड़ा और नैनीताल भी आये, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया और खासतौर पर पिथौरागढ़ सीमान्त जिला है वहां शासन और सरकार की नजर आखिर में पहुंचती है, संदर्भ देना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल जी का कि इस जनपद में कुछ बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने हड़ताल की महामहिम जी को बुलाने के लिये उसके बाद उन्होंने सुध ली और आये और घोषणा की कि जनपद को 8 करोड़ रुपया दे दिया जायेगा क्षति इससे ज्यादा थी। खुद जनपद के अधिकारियों का यह आंकलन था कि 14 करोड़ की क्षति हुई है और हमारा आंकलन था कि 22 करोड़ की क्षति हुयी है। महामहिम ने जो घोषणा की वह 8 करोड़ की की, उस घोषणा का कितना परिपालन हुआ तत्कालीन सरकार में, राष्ट्रपति शासन में और उसके बाद वर्तमान शासन में यह मैं चाहूंगा कि सदन के समक्ष रखा जाय और जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक वह गांव उजड़े के उजड़े हैं वहां घर उजड़े के उजड़े हैं, वहां सड़कें जो ध्वस्त हो गयी थी वैसे ही हैं, बड़ी मुश्किल से यातायात सुलभ हो रहा है। जनपद पिथौरागढ़ के संबंध में कह रहा था यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सहायता राशि घोषित की गयी थी उसका कितना अंश वहां मिला है यह बहुत ज्यादा नुकसान है इसका उत्तर मिलना चाहिए। मैं बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं कि उसमें जो सहायता मिली भी है, मैंने उसी वक्त माननीय मंत्री जी से कहा था, जो पक्के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गये हैं उसके लिये ढाई हजार रुपये दिये गये हैं, जो मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हो गये हैं उसके लिये आठ सौ रुपये और जो हल्के से जिसमें नुकसान हुआ है उसमें 400 रुपये दिये हैं। यह जो मानक बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैंने उस समय भी कहा था कि यह मानक ब्रिटिश शासन का है, यह मैंने उसी दिन कहा था। माननीय मंत्री जी के संज्ञान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लाना चाहता हूं कि यह ब्रिटिश काल का मैं समझता हूं कि मानक है । मैंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बहुत लम्बे समय तक रही उनका तो काम ही था कि ब्रिटिश पालिसी के आधार पर काम करना । लेकिन मैंने यह भी कहा था कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार गरीबों के हित के लिये काम कर रही है, पिछड़ों के लिये काम कर रही है, पर्वतीय क्षेत्र पिछड़ा है, पिथौरागढ़ की स्थिति बहुत बदतर है, यातायात के साधन नहीं हैं । ऐसी स्थिति में यह मुआवजा ऐसा लगता है कि मुआवजा चिढ़ाने के लिये दिया जा रहा है । घावों पर मलहम लगने के बजाय । जो सहायता है इसको बढ़ाने की बात मैंने कही थी और आज भी चाहूंगा कि वह सहायता बढ़ाई जाय ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अतिवृष्टि होती है, भूस्खलन होता है यहां जो दैवी आपदा की श्रेणी में परिभाषित बताया है उसमें अतिवृष्टि है सूखा है, बाढ़ है पूरे प्रदेश के लिये यह है लेकिन अतिवृष्टि के कारण जो भूस्खलन पर्वतीय क्षेत्र में होता है उसके लिये कोई प्राविधान उसको बढ़ाने के लिये सहायता पहुंचाने के लिये आज की तिथि तक नहीं किया गया है । जब मैं पिछली बार विधायक था, भारत सरकार के वित्त आयोग के समक्ष भी यह बात रखी थी आयोग के अध्यक्ष श्री साल्वे ने आश्वासन दिया था, उनको ताज्जुब हुआ था कि कोई राहत की राशि का प्राविजन नहीं है और न कोई बजट हेड है । यह पहाड़ का दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा जनहानि का जो बिन्दु है, भूस्खलन, उत्तर प्रदेश की सरकार के बजट में इसका कोई प्राविजन नहीं है और न ही कोई बजट हेड है । ऐसी स्थिति में दो सौ, ढाई सौ और हजार रु० तक में उनके पुनर्वास और राहत की बात की जाती है, जिनका कि कुछ बचा नहीं होता है । मैं चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के माननीय राजस्व मंत्री जी हैं उनसे भी मेरी अलग से बात हो चुकी है उन्होंने इस संबंध में चर्चा की है । इसको बढ़ाया जाना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत बातें आ गयी हैं, इसमें जो अन्य नाम हैं वे अब बोल सकेंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं चाहूंगा कि इसके सिलसिले में अतिवृष्टि पर्वतीय क्षेत्र में होती है जो तमाम नुकसान होते हैं उनमें सहायता के लिये, उनकी समस्याओं के निवारण के लिये विशेष प्रयास होने चाहिए यह मैं इस चर्चा के माध्यम से चाहूंगा और भी सदस्य इसमें बोलें ।

श्री अध्यक्ष–

ऐरी जी के बाद वे ही सदस्य बोल सकेंगे जिनके इस सूचना में नाम हैं इसके बाद माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे फिर अन्य को मौका मिलेगा, आप लोग बैठें मौका दे देंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, वे सारे सदस्य चले गये हैं इसमें नाम हैं ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं विशेष अनुमति आपकी चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी बैठें, पहले माननीय मंत्री जी बोल लें, फिर मौका दूंगा ।

(श्री बालेश्वर त्यागी के खड़े होने पर)

सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री राम लखन यादव–

मान्यवर, कोरम का अभाव है, सदन नहीं चलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

कोरम की घंटी बजायी जाय ।

(कोरम की घंटी बजायी जाने के पश्चात् गणपूर्ति होने पर)

अतिवृष्टि से प्रदेश के कई जनपदों में हुई व्यापक तबाही एवं पिथौरागढ़ में हुई जान-माल की क्षति तथा क्षतिपूर्ति की मांग विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो व्यवस्था है वह किसी भी आपदा का मुकाबला करने के लिये काफी नहीं है । जो मकान ध्वस्त हो जाते हैं या जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, उनको क्षतिपूर्ति के लिये यह धनराशि पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण कठिनाई होती है । मैं ऐरी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं । इसमें जो परिस्थिति है उसके अनुसार जब दुर्भिक्ष आ जाय, लोग गांवों के छोड़कर भागने लगे, सड़क पर आ जायें, भीख मांगने लगें, तब कुछ राहत के लिये होना चाहिए । यह कानून बहुत पुराना हो चुका है और प्रदेश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूर्णतः अक्षम है । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो आपदायें बार-बार आती हैं, उन आपदाओं का मुकाबला करने के लिये हमें कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी । 1991 में पहाड़ों पर भूकम्प आया था और तब कानून को शिथिल करके मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी थी । इस बार भी नियमों को शिथिल करके दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिवारों को, मृतक आश्रितों को अनुदान दिया जाय अथवा कानून में परिवर्तन करके ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे मृतक आश्रितों को कुछ न कुछ सहायता मिल सके । यह कानून पूर्णतः अप्रासंगिक है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है, मैं सरकार से इसमें संशोधन की मांग करता हूं ।

* राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से, माननीय काशी सिंह ऐरी जी द्वारा पूछे गये दिनांक 24 फरवरी, 1994 के नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–1. जो जनपद पिथौरागढ़ में सितम्बर माह 1993 में हुई अतिवृष्टि के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारण व्यापक तबाही के संबंध में है, पर चर्चा के समय विचार व्यक्त किये गये । जहां तक पिथौरागढ़ का प्रश्न है । इसके संबंध में संलग्नक में पूरी स्थिति स्पष्ट की गयी है । पिथौरागढ़ में 16 व्यक्तियों की जानें गयी हैं, 9 व्यक्ति घायल हुए हैं । 86 बड़े और 68 पशुओं की भी मृत्यु हुई थी ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आप पढ़ें नहीं, वैसे बता दें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य पूछ रहे थे । वैसे आंकड़े तो सब इसी में हैं । एक मुख्य आपदा राहत के संबंध में है, वह वास्तव में समीचीन नहीं है और हम उसमें विचार कर रहे हैं । माननीय सदस्यों की यही सबसे बड़ी मांग है कि राहत का मानक बहुत पुराना है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए । हम शीघ्र ही निर्णय लेने वाले हैं, पूरी बातचीत हो गयी है । उसके लिये जो व्यवस्था करनी है, वह कर चुके हैं, शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे और राहत के मानक को निश्चित रूप से बढ़ा देंगे, यह मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं, यही इनकी मांग है और इसीलिये चर्चा की मांग भी की गयी थी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय राजस्व मंत्री जी । आपने आश्वासन दिया कि हम राहत का मानक बढ़ा देंगे । ज्यादा धन आवंटित करने में कानून कहीं बाधक नहीं है, हालांकि राहत, मुख्यमंत्री का कोष अपनी जगह पर है, तो क्या मैं यह आश्वासन आपसे प्राप्त कर सकता हूं कि मानक जब बढ़ायेंगे तब बढ़ायेंगे लेकिन जो संदर्भित विषय है जिसको कई मा० सदस्यों ने उठाया मा० ऐरी जी, बालेश्वर त्यागी जी, तो मा० मंत्री जी राशि को बढ़ाकर राहत प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय गुप्ता जी ने प्रश्न किया कि कानून मानक में बाधक नहीं होता । माननीय गुप्ता जी के राज्यकाल में ही भूकम्प आया था । हमारे पास सारे आंकड़े हैं जो इनकी सरकार ने दिया था । स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो रुपया दिया था उससे उनका भरण पोषण हुआ था, मानक से हटकर कोई धनराशि नहीं दी गयी । माननीय गुप्ता जी चाहें तो मैं कल सदन में पेश कर सकता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि उस दैवी आपदा के समय जिन मानकों को मानकर सरकार ने सहायता दी थी क्या आप उसी मानक के आधार पर सहायता देने की कृपा करेंगे ? आप पत्रावली देख लें जो दिया गया है वह अंकित होगा । मैं समझता हूं कि कदाचित ऐरी जी हमारी बात से सहमत होंगे, जो हमने उस समय दिया था, उसी मानक के अनुसार ये सहायता दे दें ।

श्री बाबू राम यादव–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस मानक से मा० गुप्ता जी ने सहायता दी थी उस मानक से ज्यादा धनराशि वितरित कर दी गयी है । मैं माननीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मानक बढ़ा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह सरकार बिल्कुल हृदयहीन है, दैवी आपदा का मामला अत्यन्त ही गम्भीर है लेकिन इस सरकार के पास इसके कोई आंकड़े नहीं है । यह उत्तरांचल की उपेक्षा कर रही है । इस सरकार की हृदयहीनता के विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी अपने सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि बहुत स्पष्ट शब्दों में मानक बढ़ाने की घोषणा की गयी है । यह बात अलग है कि अभी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं । जैसा मैंने कहा था कि स्थायी प्रकोष्ठ बनाकर ऐसी आपदाओं के लिये प्राविधान किया जाय ।

(व्यवधान)

(मा० सदस्य बची सिंह रावत के आने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप नियमानुसार बोल नहीं सकते ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, गुप्ता जी बहुत सदस्यों को लेकर चले गये, लेकिन श्री बची सिंह रावत, जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं और इस समस्या से भली-भांति परिचित हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं । मैं चाहूंगा कि आप उनको बोलने की इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि इन्हें बोलने देने के लिये कि जो वाक आउट करने वाले नेता हैं उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है । वह तो वाक आउट करके राजनीतिक फायदा उठाकर चले गये, ये माननीय सदस्य गम्भीर हैं और इस समस्या को इस सदन के सामने रखना चाहते हैं ।

* श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपनी पार्टी के साथ वाक-आऊट किया था लेकिन यह अत्यन्त ज्वलंत प्रश्न होने के कारण मैं पुनः आ गया हूं । जो दैवी आपदा और अतिवृष्टि का मसला आया है, यह गम्भीर विषय है, इसलिये इस पर अपना विचार रखना चाहता हूं । 11-12 सितम्बर को मेरे विधान सभा क्षेत्र में 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, अतिवृष्टि और भूस्खलन से । भूस्खलन से नहरें और पेयजल की योजनायें पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी । स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में प्रश्न का उत्तर दिया है और स्वीकार किया है कि 50 प्रतिशत नहरें भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हैं, चल नहीं रही हैं । पेयजल की करीब-करीब 90 प्रतिशत योजनायें ऐसी हैं, वह ध्वस्त हो गई हैं । श्री काशी सिंह ऐरी जी भी इसका समर्थन करेंगे । 4-4 व 5-5 मील दूर से पीने के लिये पानी लाना पड़ रहा है । नालियां टूट गई हैं, पाईप टूट गये हैं, स्टाप टैंक टूट गये हैं । मृतकों को मुआवजा वाली जो बात थी, वह तो अपनी जगह पर है । मकानों के निर्माण के संबंध में धनराशि बढ़ाये जाने वाली बात भी अपनी जगह पर सही है, वह बढ़ाया जाना चाहिये । मकान ध्वस्त हो गये हैं, सड़कें टूट गई हैं । नहरें 50 प्रतिशत बन्द हैं, इसे सरकार ने भी माना है । जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, तो एक विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है । राज्य बनाने की बात कही जाती है । वह तो केन्द्र सरकार बनायेगी । पहले जो पीने के पानी की योजनायें हैं, उनको तो चालू किया जाय । आज सिंचाई के साधन वहां पर नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं । कम से कम मेरे ख्याल से पूरे कुमांयूं मण्डल में 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब शपथ ग्रहण की, उस दिन से इस संबंध में ज्ञापन देता आ रहा हूं । माननीय राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया है । मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर मे ही सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नहरें ध्वस्त हो गई हैं । ऐसी परिस्थितियों में कोई तात्कालिक व्यवस्था तो करनी ही होगी । केवल राजस्व मंत्री जी पर इसे छोड़ देना उचित नहीं होगा । वह तो राहत का कार्य करेंगे और मकान बनाने के लिये सहायता देंगे । माननीय श्री गुप्ता जी ने जिन मानकों की बात कही कि 20-21 अक्टूबर को जो भूकम्प आया, उसमें जो राहत दी गई है, उसी के अनुसार आप दे दें तो मकानों की समस्या सुलझ जायेगी । यदि आप ऐसा कर देंगे तो लोग कम से कम यह तो अवश्य कहेंगे कि लोक कल्याणकारी काम हो रहे हैं । वर्तमान में 200 रुपये दिया जा रहा है । अगर वह जिला मुख्यालय पर आता है तो उसका वह पैसा आने-जाने में ही चला जाता है । एक प्रकार से वह सहायता राशि न के बराबर हो गई । मुझे विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस ओर गम्भीरता से विचार करेंगे । नहरें जो वहां पर ध्वस्त हो गई हैं, उन्हें निर्मित करने की व्यवस्था करेंगे । सिंचाई की बहुत आवश्यकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले ही अतिवृष्टि से पिछली फसल को नुकसान हो गया है । यदि ये नहरें नहीं बनी तो आने वाली फसल को भी नुकसान होने वाला है । यदि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाली गर्मियों में पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि मच जायेगी । इसलिये मान्यवर, इस गम्भीर विषय पर आप सरकार को निर्देशित करें । मैंने वाक आऊट करने के बाद यहां पर उपस्थित हुआ हूं । यह मेरी पीड़ा है, माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी भी इसे मानेंगे । क्षेत्र में तो लोग कहते हैं कि राज्य तो जब बनेगा पहले पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था तो कराओ । आज पहाड़ में जो विकास के कार्य हो भी रहे थे, वे ठप्प पड़े हुए हैं । सरकार की तरफ से खाली बातें ही होती रही तो लोग इसका मखौल उड़ायेंगे । राज्य बनाने की प्रतिबद्धता के साथ ही वहां पर विकास का कार्य चलता रहना चाहिये । मुझे आशा है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे । सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और ठोस कदम उठायेगी । धन्यवाद ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य की संवेदनशीलता और पीड़ा बहुत ही उचित है । मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि इस सरकार ने संकल्प लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र के ग्राम ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामों को पीने के पानी के संकट को हल करेंगे और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल प्रदान करेंगे । साथ ही सिंचाई के साधनों की बात कही गई, जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है । जो नहरें टूटी हैं उनकी मरम्मत के लिये सिंचाई विभाग काम कर रहा है, उसके लिये पैसा दिया जा चुका है और दे रहे हैं । उसके लिये हमारा लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग से पैसा मिल रहा है, अलग-अलग विभाग हर तरह से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसको ठीक कराने में लगे हुए हैं, वह प्रक्रिया जारी है, काम बन्द नहीं किया गया है, सभी विभाग अपना-अपना काम कर रहे हैं । जहां तक पेय जल की बात है उसके लिये हमारी सरकार का पहला संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक वासी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
1 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

मत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पहले मंगलवार के लिये पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर हेतु संलग्नक :

जनपद लखनऊ के 5 फायर स्टेशनों पर उपलब्ध अग्निशमन गाड़ियों का विवरण :

फायर स्टेशन का नाम	ब्रान्टो	मोटर फायर इंजिन	फोम टेन्डर	जीप फायर इन्जिन	रेस्क्यूवेन (जीव रक्षा वाहन)	जीप	पम्प
1	2	3	4	5	6	7	8
1–हजरतगंज	–	2	1	–	1	1	3
2–चौक	1	3	1	–	1	2	4
3–आलमबाग	–	3	–	–	1	1	1
4–बक्शी का तालाब	–	2	–	1	–	1	1
5–संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट	–	1	–	–	–	1	1

मुलायम सिंह यादव

मुख्य मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

परिशिष्ट "क"

क्र०सं०	जनपद	थानों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियुक्त थानाध्यक्षों का विवरण		
			1991	1992	1993
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	26	7	3	5
2	आजमगढ़	25	3	4	5
3	बस्ती	22	4	5	6
4	देवरिया	35	6	7	5
5	मऊ	11	3	3	2
6	सिद्धार्थनगर	20	3	2	6
7	महराजगंज	17	3	2	3
8	वाराणसी	43	10	8	8
9	जौनपुर	27	4	4	4
10	गाजीपुर	23	2	2	2
11	बलिया	22	3	2	3
12	मिर्जापुर	15	6	6	5
13	सोनभद्र	13	2	4	3
	योग ..	299	56	52	57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 1ले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री कामेश्वर उपाध्याय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर का संलग्नक

पदनाम

1–मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों, मुख्य सचिव तथा सचिव, मुख्य मंत्री जी से सम्बद्ध निजी सचिव (केवल आवास पर)

2–अनु सचिव, प्रोटोकाल (केवल आवास पर)

3–विशेष कार्याधिकारी (सत्यापन एवं भोज) सचिवालय प्रशासन विभाग (केवल आवास पर)

4–विशेष कार्याधिकारी, प्रशिक्षण (नियुक्ति विभाग) (आवास तथा कार्यालय दोनों पर)

5–मुख्य व्यवस्थाधिकारी (केवल आवास पर)

6–मुख्य सुरक्षाधिकारी (आवास तथा कार्यालय दोनों पर)

7–शोध एवं संसदीय कार्य आफिसर (न्याय) (केवल आवास पर)

नोट :–मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों, मुख्य सचिव तथा सचिव, मुख्य मंत्री जी से सम्बद्ध निजी सचिवों के आवासों पर माननीय मंत्रिगण तथा उक्त अधिकारियों की सुविधा के लिये शासकीय टेलीफोन लगाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्वी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

अनुसंलग्नक "अ"

[मै० टन में]

इकाई का नाम व पता (चूना उत्पादक इकाइयों के)	वर्ष 1994 में इकाई को प्रति-माह उद्योग विभाग द्वारा आवंटित कोयले की मात्रा	वर्ष 1991		वर्ष 1992		वर्ष 1993	
		प्राप्त कोयला	चूना उत्पादन व बिक्री की मात्रा	प्राप्त कोयला	चूना उत्पादन व बिक्री की मात्रा	प्राप्त कोयला	चूना उत्पादन व बिक्री की मात्रा
1–मेसर्स लाइम वर्क्स सलखन, सोनभद्र	614	5472	11606	5396.18	10290	3618	7510
2–मेसर्स राकेश लाइम इण्डस्ट्रीज सलखन, सोनभद्र	240	1618.72	5124	2672.44	4850	1467.46	3484
3–मेसर्स कमला लाइम वर्क्स, पटवध, चौपन	250	2926.4	7665	2603.92	6425	1091.94	2526
4–मेसर्स गीता लाइम कम्पनी, पटवध, चौपन	376	3893.00	7018	3006.00	7791	1979.34	2400
5–मेसर्स उ० प्र० गांधी स्मारक निधि, सलखन	157	600	1602	600	1224	148	296
6–मेसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी, सलखन	250	1422.64	3129.5	1309.84	3156	682	1688
7–मेसर्स रीता लाइम वर्क्स, सलखन	222	1077	4979	1795.58	3381.2	1271.11	2307

पी० एस० यू० पी०–एल० 46 विधान सभा (66)–22-4-94–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा